42वीं वार्षिक रिपोर्ट

2018-2019

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन
आर्गनाइजेशन

माननीय संस्कृति एवं पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री महेश शर्मा और माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी आर चौधरी भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 के उद्घाटन के अवसर पर

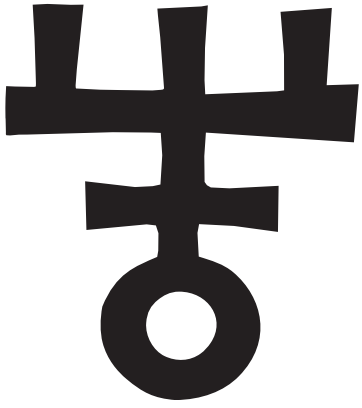

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

लोक सभा / राज्य सभा के पटल
पर रखे जाने हेतु दस्तावेज

अधि-प्रमाणित

आई टी पी ओ की 42वीं वार्षिक आम बैठक जारी

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस पी चोपड़ा एवं कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार

मुख्य बैंकर्स

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

विश्व स्तरीय विशिष्ट अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी)

विषय सूची

निदेशक मंडल	08
मुख्य कार्यकारी	09
भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय	13
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य	16
वार्षिक आम बैठक की सूचना	27
निदेशकों की रिपोर्ट	32
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	86

लेखा

(I) आई टी पी ओ का स्टेण्डएलोन लेखा	109
(II) आई टी पी ओ का समेकित लेखा	163

42वीं वार्षिक रिपोर्ट

2018–19

निदेशक मण्डल

श्री एल सी गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(02.09.2015 से)

डा. एस सी पाण्डे
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(30.06.2019 तक)

श्री शशांक प्रिया
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(28.08.2019 से)

श्री संजय चड्ढा
अपर सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(09.12.2018 तक)

श्री प्रवीण बोनीगला
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(21.06.2019 तक)

श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(28.08.2019 से)

श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा
संयुक्त सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(17.08.2017 से)

श्री विनोद के. जेकब
संयुक्त सचिव (ई डी),
विदेश मंत्रालय
(23.12.2018 से)

श्री मनोज के. भारती
अपर सचिव
विदेश मंत्रालय
(30.06.2019 तक)

श्री पी. हरीश
अपर सचिव
विदेश मंत्रालय
(01.07.2019 से)

श्री पी. एन. विजय
निदेशक
(09.06.2019 तक)

श्री दीपक कुमार
कार्यकारी निदेशक
(19.06.2019 तक)

श्री रजनीश
कार्यकारी निदेशक
(27.08.2019 तक)

श्री राजेश अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक
(28.08.2019 से)

मुख्य कार्यकारी

(27.09.2019 को आयोजित वार्षिक बैठक की तिथि को यथास्थिति)

श्री जयन्त दास
वरिष्ठ महाप्रबन्धक

श्री अजय कुमार वशिष्ठ
महाप्रबन्धक

श्री डी एम शर्मा
वि.स. एवं मु.ले.अ.

श्री विकास मल्होत्रा
महाप्रबन्धक

श्री एस आर साहू
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबन्धक

श्री आशुतोष वर्मा
महाप्रबन्धक

श्रीमती हैमा मैती
महाप्रबन्धक

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

भारत में आई टी पी ओ कार्यालय

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018–2019

भारत में आई टी पी ओ कार्यालय

पंजीकृत एवं मुख्यालय
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति मैदान कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001 (भारत)
फोन: 91–11–23371540 (इपाबेक्स), फैक्स : 91–11–23371492
ई.मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट : www.indiatradefair.com
ट्रेड पोर्टल: www.tradeportalindia.com
सी आई एन : यू74899डीएल1976एनपीएल008453

क्षेत्रीय कार्यालय

चेन्नई

राजा अन्नामलाई बिल्डिंग, द्वितीय तल
18–ए , रूक्मणी लक्ष्मीपति रोड, एग्मोर,
चेन्नई- 600008
फोन : 91–44–28554655, 28587297, 28415416, 28524655
फैक्स : 91–44–28554740
ई.मेल : itpochn@md4.vsnl.net.in/narayanv@itpo.gov.in

कोलकाता

इन्टरनेशनल ट्रेड फेसिलेटेशन सेन्टर
5वां तल, 1/1, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता –700016
फोन : 91–33–22825820, 22822904, 22828586
फैक्स : 91–33–22828269
ई–मेल : itpocal@cal3.vsnl.net.in/rroy@itpo.gov.in

मुम्बई

7, कूपरेज रोड, तीसरा तल
झांसी कैसल,
मुम्बई–400001
फोन : 91–22–22026629, 22021788, 22044918, 22021730, 22850878
फैक्स : 91–22–22044922
ई. मेल : itpo@itpomumbai.com/itpomumbai@gmail.com

दिल्ली पुस्तक मेला 2018

दिल्ली पुस्तक मेला, स्टेशनरी मेला, आफिस आटोमेशन एवं कारपोरेट उपहार मेला 2018

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

42वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनों,

आई टी पी ओ की 42वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की निदेशकों की रिपोर्ट और परीक्षित लेखा एवं समेकित लेखा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की राय तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां (स्टेण्डएलोन) पहले ही आप लोगों में परिचालित की जा चुकी हैं। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आई टी पी ओ के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों (स्टेण्डएलोन) के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक से 'शून्य' टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। आपकी अनुमति से इन्हें मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

भावी चुनौतियां और अवसर

जैसा कि मैंने पहले कहा है, भारत में प्रदर्शनी उद्योग अर्थव्यवस्था और व्यापार में सतत् विकास करने की वजह से विस्मयकारी विकास करने के लिए तैयार है। भारत को 5 ट्रिलियन यू एस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का महत्वाकांक्षी मिशन सभी हितधारकों के लिए बड़ा स्वप्न और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है। चूंकि एशिया और विशेषकर भारत वैश्विक प्रदर्शनी और कन्वेशन उद्योग में सबसे आगे होगा, आपकी कंपनी एक बृहद् आई ई सी सी परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसे वित्त वर्ष 2019-20 के भीतर आंशिक रूप से और समग्र परियोजना को दिसंबर, 2020 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

साथ ही, आपकी कंपनी चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने के लिए तथा भारत और विदेशों में व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करके अर्थव्यवस्था का विकास करने में एक नए जोश के साथ योगदान दे रही है। आई ई सी सी परियोजना को पूरा होने पर प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं सहित उन्नत अवसंरचना सुविधा से युक्त आई टी पी ओ बेहतर करने में सक्षम होगी और अधिक संख्या में प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन कर सकेगी। आई टी पी ओ ने प्रगति मैदान में व्यापार आसानी से करने के लिए सिंगल प्वाइंट कान्टेक्ट (एस पी सी) की स्थापना करने की एक बड़ी पहल की है जिससे प्रगति मैदान में मेलों का आयोजन करते वक्त एकल खिड़की के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने के लिए अन्य आयोजकों को मदद मिलती है। प्रगति मैदान में किसी प्रदर्शनी/ सम्मेलन का आयोजन करने के लिए डी सी पी (लाइसेंसिग) की अनुमति प्राप्त करने हेतु

विभिन्न विभागों से अलग-अलग एन. ओ. सी. प्राप्त करने के बजाय डी सी पी (लाइसेंसिंग) से एन. ओ. सी. संबंधी विभिन्न आदेश ऑन-लाइन लिए जा सकेंगे। इसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। आई टी पी ओ ने आई आई टी एफ 2019 (14 से 27 नवंबर) के दौरान **'कारोबार करने में आसानी'** थीम अपनायी है, जहां पर सभी राज्य और सरकारी संगठन तथा अन्य हितधारक मिलकर माननीय प्रधानमंत्री के 'न्यू इण्डिया' विजन को पूरा करने के लिए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।

वित्तीय निष्पादन

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष आपकी कंपनी के पास अर्जित कुल आय गत वर्ष की **359.55 करोड़ रु. (भारतीय मानक लेखांकन द्वारा निर्धारित)** की तुलना में 253.59 करोड़ रु. है। कुल आय में कमी के मुख्य कारणों में वर्तमान आई ई सी सी परियोजना की वजह से प्रदर्शनी स्थल में कमी होना है और बैंक में निवेश किए गए अधिशेष धन में कमी होना है।

आई टी पी ओ की प्रमुख उपलब्धियां/ कार्यकलापों की विशेषताएं

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्य-निष्पादन रेटिंग

आपकी कंपनी ने वर्तमान में आई ई सी सी परियोजना के कारण कम क्षेत्र की उपलब्धता और ब्याज आय में कमी के बावजूद 2017-18 के समझौता ज्ञापन में **'बहुत अच्छा'** रेटिंग प्राप्त किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान स्व-मूल्यांकन के अनुसार समझौता ज्ञापन रेटिंग में **'बहुत अच्छा'** रहने की संभावना है।

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने और उनको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- **व्यापार करने को सरल बनाने के लिए ई-एनेबलमेंट :**
- आई आई टी एफ, आहार और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए लागू टिकटों की ऑन-लाइन बुकिंग और व्यापारी आगंतुक पंजीकरण
- घरेलू मेलों के लिए ऑन-लाइन स्थान की बुकिंग प्रणाली
- तृतीय पक्ष आयोजनों के लिए हॉल और सेवा संबंधी जरूरतों की ऑन-लाइन बुकिंग
- जी ई एम एस से ई-खरीद/ ई-निविदा शुरू की गई
- आई टी पी ओ ने व्यापक मोबाइल एप शुरू किया।
- ई-भुगतान/ वापसी शुरू की गई है
- सभी ए सी हालों में वाई-फाई सुविधा

ग्राहक अनुकूल उपाय

- थर्ड पार्टी मेलों के लिए व्यापक टैरिफ नीति शुरू की गई।
- एकल संपर्क प्वाइंट (एस पी सी) प्रभावी कार्य कर रहा है।
- भागीदारों/ आयोजकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और सेवा सुपुर्दगी टीम प्रारंभ की है।
- थर्ड पार्टी के मेलों के लिए 'हेल्प डेस्क' शुरू
- भागीदारों/ आयोजकों के साथ नियमित बातचीत

अन्य उपाय

- किफायती एवं सादगी के उपायों का प्रारंभ
- कर्मचारियों का तर्कसंगत उपयोग

विदेशों में आयोजित मेलों में भागीदारी

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान 32 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी और इंडिया शो का आयोजन किया। ये 32 आयोजन यूरोप, अफ्रीका/ वाना, नाफ्टा, एल ए सी, एशियन, साउथ एशिया और एन ई ए में आयोजित किए गए थे। इनमें से 10 मेले नए थे। आयोजित किए गए कुछ प्रमुख मेलों में समर फैंसी फूड शो, न्यायार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) सियाल, पेरिस (फ्रांस), इंडिया गारमेंट मेला और इंडिया होम फर्निशिंग मेला, ओसाक (जापान), ए ए पी ई एक्स, लास वेगास (यू एस ए), इंडिया शो, लीमा (पेरु) और इंडिया शो, सेंट पीट्सबर्ग (रूस) शामिल थे। इनके अलावा, कंपनी ने अपने दीर्घ स्थापित विदेशी आयोजनों जैसे इंडिया गारमेंट मेला और इंडिया होम फर्निशिंग मेला को ओसाका (जापान) में क्रमशः 39वां और 29वां संस्करण आयोजित किया, जो पिछले तीन दशकों से आयोजित किए जा रहे हैं।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

I. घरेलू (अर्थात् भारत) में आयोजित किए गए मेले

वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कम्पनी ने भारत में 17 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/ प्रदर्शनियां आयोजित कीं। इन मेलों मे से 14 मेले दिल्ली में और 3 अन्य नगरों में आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में चौथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला (आई आई एफ एफ), 38वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ 2018), 34वां आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 21वीं भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 14वां नक्षत्र और आजीविका शामिल थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 10वां ईस्ट हिमालयन मेले का शिलांग (मेघालय) में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018**

  भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018 का 38वां संस्करण दिनांक 14 से 27 नवंबर, 2018 तक लगभग 23,000 वर्ग मी. सकल क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह मेला वर्तमान में चल रही आई ई सी सी परियोजना के कारण एक सीमित क्षेत्र में आयोजित किया गया था। स्थान की कमी और अन्य कठिनाइयों के बावजूद यह आयोजन सफल रहा। आई आई टी एफ 2018 की थीम **'भारत में ग्रामीण उद्यम'** थी और इसके ग्रामीण और लघु क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उद्यमों और रोजगार को बढ़ावा और साथ ही गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों को दर्शाया गया। मेले में मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे भारत सरकार के विभिन्न पहल प्रयासों को भी दर्शाया गया। आयोजन में 17 देशों अर्थात अफगानिस्तान, चीन, हांगकांग, किरगिस्तान, ईरान, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, थाइलैंड, टर्की, ट्यूनिशिया, वियतनाम और यू ए ई से विदेशी भागीदारों और राज्य व सरकारी क्षेत्रों से भागीदारों सहित करीब 800 भागीदारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था। करीब 5 लाख दर्शकों ने मेले में भाग लिया था, जिसमें 47 देशों से 432 विदेशी व्यापारी दर्शक शामिल थे।

- **34वां आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला 2019, दिल्ली**

  आहार, साउथ एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बी2बी प्रदर्शनी है। आहार का 34वां संस्करण मार्च, 2019 के दौरान आयोजित किया गया था। विगत की भांति इस मेले का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई), अपेडा और अन्य उद्योग एसोसिएट संघों की मदद से किया गया था।

  वर्तमान में चल रही पुनर्विकास परियोजना के कारण, इस शो को केवल 25000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में आयोजन किया गया था। मेले में 17 देशों के प्रदर्शकों सहित 560 प्रदर्शकों ने भाग लिया था। जिन देशों ने भाग लिया था, उनमें यू एस ए, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, इजरायल, मलेशिया, रूस, टर्की, स्पेन, यू के, संयुक्त अरब अमीरात, पेरू, इंडोनेशिया, यूक्रेन, हांगकांग, सिंगापुर और जापान शामिल थे। शो में 50,000 से अधिक दर्शक आए थे।

- **24वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2018**

  कंपनी ने 6000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में 25 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक दिल्ली पुस्तक मेले का 24वां संस्करण आयोजित किया था। मेले का आयोजन भारतीय प्रकाशक संघ के सहयोग से किया गया था। मेले के दौरान सेमिनार/ वर्कशाप/ लेखक कॉर्नर/ बच्चों के कार्यक्रम/ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पहचान पत्रों वाले छात्रों को मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया गया था।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 2018**

  करीब 1500 वर्ग मी. क्षेत्र में हॉल नं. 12 और 12ए में दिनांक 05-07 अक्टूबर, 2018 तक भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। समूचे भारत से 790 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) के माध्यम से स्टार्ट अप/ युवा उद्यमी श्रेणी वाले प्रतिभागी और एन एस आई सी के माध्यम से वित्तीय सहायता वाले प्रतिभागी शामिल थे। सभी सी ए पी एफ

से विभिन्न प्रतिनिधियों के दौरों के साथ ही तीन सेमिनार, सी आई एस एफ द्वारा डॉग शो और महिला सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शन शामिल थे।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला, दिल्ली 2018**

आई आई एफ एफ फुटवियर उद्योग के लिए एक बी2बी शो है और इसका आयोजन आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अगस्त, 2018 के दौरान किया गया था। मेले का आयोजन करीब 10,000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में किया गया था, जिसमें विदेशों से 65 कंपनियों सहित 215 कंपनियों ने भाग लिया था। तीन दिवसीय आयोजन में 8000 से अधिक दर्शकों ने भाग लिया था। आई टी पी ओ ने एक मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑन–लाइन व्यापारी दर्शक पंजीकरण की शुरुआत की थी जिसकी प्रदर्शकों और दर्शकों, दोनों ने सराहना की थी।

- **आजीविका, दिल्ली**

आई टी पी ओ ने ग्रामीण विकास मंत्रलय की सहायता से दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च, 2019 के दौरान 10,000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में 'आजीविका मेला' आयोजित किया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तर्ज पर आई टी पी ओ ने 'आजीविका' का आयोजन करने की इस पहल की शुरुआत की ताकि यह ग्रामीण और लघु शिल्पकारों, उद्यमियों और निर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादित/ निर्मित विविध उत्पादों के लिए विपणन सहायता प्रदान करने में अपना योगदान दे सके।

II. दिल्ली से बाहर आयोजित मेले

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ), 2019, चेन्नई**

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने दिनांक 1–3 फरवरी, 2019 तक चेन्नई में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) की 34वीं कड़ी का आयोजन किया। यह मेला चमड़ा निर्यात परिषद् (सी एल ई), केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई), भारतीय जूता संघ (आई एस एफ), भारतीय प्रसंस्कृत चमड़ा निर्माता और निर्यातक संघ (आई एफ एल एम ई ए), फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई) तथा भारतीय फुटवियर सामान निर्माता संघ (आई एफ सी ओ एम ए) के घनिष्ठ सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मेले का आयोजन 20,000 वर्ग मी. सकल क्षेत्र में किया गया था। आई आई एल एफ 2019 में भारत और भारत से बाहर की 450 से अधिक कंपनियों ने व्यापक तरह के उत्पादों, मशीनरी और उपस्करों को प्रदर्शित किया गया जबकि 150 से अधिक विदेशी प्रदर्शकों ने भाग लिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्राजील ने अपने राष्ट्रीय मंडप स्थापित किए।

- **23वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ), 2018 कोलकाता**

भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) एक बी2बी मेला है, जिसका उद्देश्य भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल से चमड़े की वस्तुओं और परिष्कृत चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले की 23वीं कड़ी का सफलतापूर्वक आयोजन विश्व बंगला कंवेंशन सेंटर, कोलकाता में 26 से 28 फरवरी, 2018 के दौरान किया गया था।

- **10वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2018, शिलांग, मेघालय**

आई टी पी ओ ने मेघालय सरकार के साथ सह–आयोजक के रूप और पूर्वोत्तर परिषद, कपार्ट, एपीडा तथा पूर्वोत्तर के अन्य शीर्ष व्यापार संगठनों की सक्रिय सहायता से एस आर जी टी पोलो पार्किंग ग्राउंड, शिलांग में दिसंबर, 2018 के दौरान पूर्वी हिमालयन एक्सपो, शिलांग, मेघालय के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह बी2बी और बी2सी मेला था।

मेघालय के महामहिम राज्यपाल श्री तथागता राय ने मेले का उद्घाटन किया। आई टी पी ओ ने भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर को पूर्व के गेटवे के रूप में महत्व को पहचाना है और इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास इस नीति में एक प्राथमिकता है। यह अंतर क्षेत्रीय

व्यापार मेला पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस क्षेत्र का बाजार सुलभ कराने, व्यापार क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा व्यापार मेलों के अपने अनोखे मंच के जरिए व्यापारिक संबंध बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। शिलांग, मेघालय में मेले की मेजबानी की और पूर्वोत्तर क्षेत्र की विरासतीय क्षमता प्रदर्शित की।

- **आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य-पदार्थ और आतिथ्य मेला, 2018, चेन्नई**

  आई टी पी ओ ने 'आहार' का चेन्नई संस्करण अगस्त, 2018 के दौरान चेन्नई व्यापार केन्द्र में आयोजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक प्रदर्शक और 7000 से अधिक व्यापारी दर्शक पधारे। साउथ इंडियन क्यूलिनरी एसोसिएशन (एस आई सी ए) द्वारा आयोजन के दौरान किए गए क्यूलिनरी शो और प्रतियोगिता दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र थी।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अन्य आयोजकों के द्वारा आयोजित मेले

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रगति मैदान में कुल 72 थर्ड पार्टी मेले आयोजित किए गए थे। इनमें से 9 नई प्रदर्शनियां/ मेले प्रगति मैदान में पहली बार आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान आयोजित लोकप्रिय मेलों में ईटी एसीईटीईसीएच, एक्सपोडेंट इंटरनेशनल, 27वां कन्वर्जेन्स इंडिया, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला, दिल्ली ज्वेलरी और जेम मेला और ए सी एम ए ऑटोमेकेनिका तथा ए ई एस 2019 हैं। वर्ष के दौरान, पहली बार ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डवलपमेंट काउंसिल (टी ए आई टी आर ए) द्वारा प्रगति मैदान में ताइवान एक्सपो आयोजित किया गया था, जिसके साथ आई टी पी ओ के दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के लाभ के लिए द्विपक्षीय कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आई टी पी ओ ने स्थान की कमी और वर्तमान विनिर्माण कार्य संबंधी समस्या के बावजूद कारोबार करने में आसानी और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाकर कुछ बड़ी प्रदर्शनियों के लिए सफल व्यवस्था की है। प्रगति मैदान मेलों के आयोजन और प्रदर्शनियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना रहा जिसमें एम आई सी ई उद्योग का एक व्यापक तंत्र शामिल है। बोर्ड की ओर से मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आई टी पी ओ आयोजकों/ भागीदारों के लिए बेहतर सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भावी नए प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन केन्द्र तथा बैठक कक्ष के लिए शुल्क नीति को अंतिम रूप दिया गया और 18 मार्च, 2019 को उसे प्रकाशित किया।

अन्य व्यापार संवर्धनात्मक कार्यकलाप

व्यापार संवर्धन प्रयासों में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के द्वारा अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक आयोजित किए गए विभिन्न व्यापार मेलों में कुल 500 व्यापारी देखने आए थे।

पुनर्विकास परियोजना (आई ई सी सी)

आई टी पी ओ अपने ऐतिहासिक मेला परिसर को विश्व के सबसे अच्छे प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्रों के बराबर लाने के लिए **एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी)** के रूप में इसका पुनर्विकास करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को दो चरणों में कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। अवसंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एम आई सी ई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, आयोजन) की जरूरतों की पूर्ति होने की संभावना है। आशा की जाती है कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा अर्जन और दिल्ली के सेवा कारोबार क्षेत्र के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि एम आई सी ई क्षेत्र में कई आयोजन पूर्वी एशियाई देशों और विश्व के अन्य देशों से नई दिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं। आई ई सी सी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और आइकोनिक स्थल होगा तथा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के **'न्यू इण्डिया'** के विजन का एक अनूठा प्रतीक होगा। कारोबार को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए आई ई सी सी मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी कार्यकलापों को पूरा करेगा।

53,399 वर्गमीटर का अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्र के छ (6) आधुनिक प्रदर्शनी हाल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र की 4800 ई. सी. यू. (कार यूनिटों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8857 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन

सहित 3,82,188 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का विकास करना शामिल हैं। विश्वव्यापी आतिथ्य किसी भी आधुनिक एम आई सी ई का अभिन्न अंग है, इसलिए इस तथ्य के अनुरूप परिसर के एक भाग के रूप में एक होटल के लिए स्वतंत्र प्रवेश और निकास द्वार सहित भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ भूमि के एक स्थल के लिए मुद्रीकरण भी किया जा रहा है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व में सबसे अच्छा 32.4 मीटर ऊंचा ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की सम्पन्न वास्तुकला की धरोहर को शामिल करते हुए एक अनूठा स्लोपिंग फेसेड सहित एक एलीवेटेड चबूतरे पर होगी। इस सम्मेलन केन्द्र में सिंगल फार्मेट में (3000 पैक्स क्षमता का एक प्लेनरी हाल और 4000 पैक्स का एक कार्यात्मक हाल सहित) 7000 पैक्स की सीटिंग की क्षमता होगी और विज्ञान भवन से 5 गुना बड़ा होगा तथा इसमें अलग-अलग क्षमताओं के 25 बैठक कक्ष होंगे। इसमें 3000 लोगों के बैठने की क्षमता का एक रंगमंच भी होगा। यह दिल्ली राजधानी शहर के गौरव, महिमा और महत्व को बढ़ावा देगा।

आई ई सी सी के बेहतर पहुंच हेतु और सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों का भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर भैरों मार्ग, जो ज्यादातर भीड़ के कारण जाम रहता है, उस मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके पुराना किला रोड को प्रगति मैदान पर 6 लेन में बटी सुरंग के जरिए रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड और मथुरा रोड से भैरों मार्ग के टी-जंक्शनों तथा डी पी एस से मथुरा रोड के डब्ल्यू प्वाइंट संपूर्ण क्षेत्र को सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा तथा इससे प्रगति मैदान और इसके आस-पास यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा, जिससे प्रदूषण भी काफी कम होगा।

आई ई सी सी तथा यातायात की जाम की समस्याओं का समाधान करने के दोनों माध्यमों की परियोजना लागत 3437 करोड़ रु. है। दोनों परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

प्रगति मैदान में आई ई सी सी परियोजना वास्तव में स्थिति को परिवर्तन करने वाली परियोजना होगी और देशभर के ऐसे प्रदर्शनी स्थलों के लिए एक नया रुझान स्थापित करेगी। इस स्थल से न केवल भारतीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन उद्योग अपितु विश्व के लिए भी व्यापार संवर्धन एवं कारोबार को बढ़ावा देने के नए अवसर मिल सकेंगे। वैश्विक प्रदर्शनी एवं सम्मेलन उद्योग इस उभरते हुए स्थल के बारे में बहुत ही उत्सुक है और इसके चालू होने की उत्सुक्ता से प्रतीक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर, प्रगति मैदान के इस नए स्थल से भारत को व्यापार, निवेश और विनिर्माण कार्यकलापों के लिए उसकी बढ़ती हुई ताकत और क्षमता के संदर्भ में वैश्विक दृष्टि से मदद मिलेगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाना

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए अपने कार्यकलापों के प्रति जबावदेह अपनी प्रक्रियाओं में तेजी बनाए रखने के लिए अपने कार्यों को करने हेतु एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आई सी टी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के उपयोग को जारी रखना एवं उसके बारे में बताया गया ताकि उससे जनता तक आई टी पी ओ की सेवाएं समानरूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

प्रगति मैदान में आयोजित किए जा रहे अन्य पक्ष के प्रदर्शनियां और मेलों के आयोजनों के लिए स्थान और सेवाओं की ऑन-लाइन बुकिंग के लिए वेब आधारित प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया।

आई टी पी ओ के महत्वपूर्ण मेला 'भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018' के दौरान ऑन-लाइन टिकट बिक्री तथा इसके प्रबंधन, भीड़ की व्यवस्था, वास्तविक समय टिकट/ पास का प्राधिकार तथा गेट प्रबंधन के लिए एक सरल प्रणाली कार्यान्वित की गई।

राजभाषा (हिंदी) का प्रगामी प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा नीति को आई टी पी ओ में समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक राजभाषा समिति गठित की गई है। संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-II)और वाणिज्य मंत्रालय के हिंदी अनुभाग से प्राप्त अनुदेशों का आई टी पी ओ में अनुपालन किया जाता है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए हैं।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

हिंदी में शासकीय कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए हर वर्ष हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। आई टी पी ओ की अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, आई टी पी ओ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) दिल्ली और वाणिज्य विभाग की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया।

दैनिक काम काज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिंदी अनुवाद, हिंदी वर्तनी संशोधन और हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। आई टी पी ओ के नियमित फाइल कार्य में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पहले से शुरू है। आई टी पी ओ के कर्मचारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया।

अनुषंगी कंपनियां

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वर्ष 2018-19 के दौरान, चैन्नई ट्रेड सेंटर के प्रदर्शनी हॉलों में 108 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं और कन्वेशन सेंटर में 77 मेले हुए थे। टी एन टी पी ओ को गत वर्ष की 47.56 करोड़ रु. की आय की तुलना में 57.24 करोड़ रु. की कुल आय हुई। गत वर्ष में 31.43 करोड़ रु. (भारतीय मानक लेखांकन के अनुसार निर्धारित) की तुलना में 'अन्य विस्तृत आय' पर विचार करने के बाद 35.02 करोड़ रु. का निवल अधिशेष है।

टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की 289 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर विस्तार योजना के तहत 20,322 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्यीय (प्रदर्शनी/ सम्मेलन) हॉल के विनिर्माण का अनुमोदन दिया है। विस्तार के बाद 34.61 एकड़ भूमि पर 39,952 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में सम्मेलनों के लिए कुल 2 सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनियों के लिए 5 हॉल होंगे।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)

वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रेड सेंटर बेंगलुरु में 45 मेले आयोजित किए गए थे। के टी पी ओ को गत वर्ष के 11.28 करोड़ रु. की आय की तुलना में कुल 10.50 करोड़ रु. की आय हुई। निवल अधिशेष 6.99 करोड़ रु. (विगत वर्ष 19.95 करोड़ रु.) है। बोर्ड ने के टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 7633 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्यीय (सम्मेलन/ प्रदर्शनी) हॉल के निर्माण का अनुमोदन दिया है। इसके लिए निर्माण कार्य वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू हुआ। विस्तार के बाद कुल 14,504 वर्ग मीटर क्षेत्र में सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों के लिए कुल 2 हॉल होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 67.59 करोड़ रु. तक हो सकती है।

सहयोगी कंपनी

जे के पी टी ओ (जम्मू एवं कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन)

पम्पोर में जे के टी पी ओ एक संयुक्त उद्यम है, जहां आई टी पी ओ का जम्मू एवं कश्मीर राज्य में क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र के संवर्धन हेतु 40% इक्विटी शेयर पूंजी का योगदान दिया है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सी एस आर और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी सी एस आर और संपोषण संबंधी दिशा-निर्देशों तथा लागू अधिनियम और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बने नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। तदनुसार, अनुमोदन/ निगरानी से सी एस आर पहल/ गतिविधियां कार्यान्वित की जाती हैं। आई टी पी ओ की सी एस आर पहल के तहत आपकी कंपनी ने नेत्रहीनों, कुष्ठरोगियों, विकलांग, आदिवासी छात्रों, अक्षय ऊर्जा, ग्रामीण विकास आदि के लिए योगदान दिया है।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कम्पनी सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट शासन (गवर्नेंस) प्रक्रियाओं का उत्साह तथा सच्ची भावना से पालन करती है। कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान, वाणिज्य विभाग को डी पी ई कारपोरेट शासन (दिशा-निर्देशों) के अनुपालन से विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 'उत्कृष्ट' ग्रेड लेने के लिए 96,77 प्रतिशत के वार्षिक औसत यथा अनुपात

अंक की सूचना दी। विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंध कार्य भी किया जा रहा है।

आचार संहिता

निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए प्रतिपादित आचार संहिता का विधिवत पालन किया गया है। इसके अनुपालन की पुष्टि सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त कर ली गई है और घोषणा को निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में रखा गया है।

आभार

मैं कम्पनी के सदस्यों द्वारा दिये गये निरंतर एवं सतत् सहयोग तथा प्रबंधन में व्यक्त किये गये विश्वास के लिए इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं वाणिज्य विभाग का उसके हार्दिक एवं निरंतर सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं अन्य मंत्रालयों/ राजदूतावासों और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा विशेष रूप से शहरी एवं नगर विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, जिसमें भारतीय मिशन शामिल हैं, इसके निरंतर मार्गदर्शन व सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। हम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), पी डब्ल्यू डी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

आई टी पी ओ की ओर से, मैं सभी हितधारकों का समर्थन चाहता हूं और विगत की भांति और भी अधिक गुणवत्तापरक सेवाएं देने का आश्वासन देता हूं। मैं निदेशक मण्डल के अपने सहयोगियों, लेखा परीक्षकों तथा आई टी पी ओ के कर्मचारियों के अनुशासन, लगन, समर्पण एवं कठिन परिश्रम के लिए उनका साधुवाद करता हूं, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी लगातार उत्कृष्ट कार्य निष्पादन कर सकी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस सहयोग एवं विश्वास से आई टी पी ओ भविष्य में अनेक उपलब्धियों और नई बुलन्दियों को प्राप्त करेगा और हम सब मिलकर आई टी पी ओ को उन्नत बना सकते हैं, जो 'न्यू इंडिया' की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

जय हिन्द।

हस्ता./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2019

आहार 2019

आहार 2019

वार्षिक आम बैठक की सूचना

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फुटवियर मेला 2018

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फुटवियर मेला 2018

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - प्रगति मैदान कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 में शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को दोपहर बाद 3:30 बजे होगी:-

सामान्य कार्यवाही

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पृथक स्टेण्डएलोन परीक्षित वार्षिक लेखा और समेकित लेखा तथा इस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय विवरण के साथ-साथ निदेशकों की रिपोर्ट एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदन करना और स्वीकार करना।

कृते निदेशक मण्डल,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के आदेश से

हस्ता./-

(डी. एम. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 06.09.2019

टिप्पणियां :

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार कोई भी सदस्य अपने स्थान पर मतदान के समय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का हकदार है और उस व्यक्ति को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तथापि, नियुक्त करने संबंधी विलेख बैठक आरंभ होने से 48 (अड़तालीस) घंटे से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।

प्राक्सी फार्म संलग्न है।

कृते निदेशक मण्डल,
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के आदेश से

हस्ता./-
(डी. एम. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2019

फार्म सं. एमजीटी - 11
प्राक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसरण में)

सीआईएन : यू74899 डीएल 1976 एनपीएल008453

कंपनी का नाम : इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

पंजीकृत कार्यालय : प्रगति मैदान कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

सदस्यों का नाम :
पंजीकृत पता :
ई-मेल आईडी :
पृष्ठ सं./ ग्राहक आई. डी. :
डी पी आई डी :

मैं/ हम ..... कंपनी के ..... शेयरधारक एतद्द्वारा नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

नाम :	नाम :
पता :	पता :
ई-मेल आईडी :	ई-मेल आईडी :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
या उनका असफल होना	

कंपनी की दिनांक ..... को पंजीकृत कार्यालय में ..... होने वाली कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक में मेरे/ हमारे लिए और मेरी/ हमारी ओर से उपस्थित और वोट डालने के लिए तथा नीचे दर्शाए अनुसार ऐसे संकल्प के संबंध में उसके किसी आस्थगन पर हम अपनी ओर से अपना प्राक्सी नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

संकल्प सं. : .....

निदेशकों की रिपोर्ट और उस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार स्टेण्डएलोन (पृथक) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे ओर समेकित लेखों तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित और स्वीकार करना।

आज ..... दिनांक ..... 2019 को हस्ताक्षरित

शेयर होल्डरों के हस्ताक्षर

प्राक्सी होल्डर(रों) के हस्ताक्षर

यहां पर
रसीदी
टिकट लगाएं

नोट : प्राक्सी फार्म समुचित रूप से भरकर बैठक प्रारंभ होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाये।

नक्षत्र 2019

आजीविका 2019

निदेशकों की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों को

निदेशक मण्डल इस कम्पनी की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी ने विगत वर्ष **134.48 करोड़ रु.** (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद में वर्ष 2018-19 के दौरान निवल **73.35 करोड़ रु.** का अधिशेष (सरप्लस) अर्जित किया है। कम्पनी के द्वारा विगत वर्ष के **359.55 करोड़ रु.** (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में इस वर्ष के दौरान **253.59 करोड़ रु.** की कुल आय अर्जित की है। कुल आय में कमी के मुख्य कारण जारी आई ई सी सी परियोजना के कारण प्रदर्शनी स्थल का कम होना है और बैंकों में निवेश की गई अधिशेष राशि कम होना है।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत पंजीकृत है और कम्पनी पर लागू इस धारा के अंतर्गत संगत प्रावधानों के अनुसार लाभांश घोषित करना मना है। इसीलिए अधिशेष आय को कम्पनी ने अपने पास रखा है और इसे 'अन्य इक्विटी' में स्थानांतरण कर दिया गया है।

2. निदेशक मण्डल

श्री एल. सी. गोयल कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। श्री दीपक कुमार ने 25 मई, 2017 से 12 जून, 2019 तक कार्यकारी निदेशक रहे। श्री रजनीश संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 25 जून, 2019 से 28 अगस्त, 2019 तक कार्यकारी निदेशक रहे। श्री राजेश अग्रवाल ने दिनांक 25 अगस्त, से आई टी पी ओ के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। कम्पनी के बोर्ड में गैर-पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	08.02.2018	30.06.2019
2.	श्री शशांक प्रिया अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	28.08.2019	जारी
3.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम एस एम ई), उद्योग भवन, नई दिल्ली	17.08.2017	जारी
4.	श्री संजय चड्ढा अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	30.03.2016	09.12.2018
5.	श्री प्रवीण बोनीगला संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	10.12.2018	21.06.2019

6.	श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	28.08.2019	जारी
7.	श्री विनोद के. जेकब संयुक्त सचिव (ई डी), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	05.01.2018	23.12.2018
8.	श्री मनोज के. भारती अपर सचिव (ई डी एवं राज्य) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	24.12.2018	30.06.2019
9.	श्री पी. हरीश अपर सचिव (ई डी एवं राज्य) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	01.07.2019	जारी
10.	श्री पी. एन. विजय स्वतंत्र निदेशक कारपोरेट वित्त विशेषज्ञ	10.06.2016	09.06.2019

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक मंडल की 5 बैठकें हुईं। निदेशकों की नियुक्ति, इस संबंध में भारत सरकार की नीतियों के तहत प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है।

3. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार आई. टी. पी. ओ. के निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को संबंधित कार्यालयों में नियुक्त/ कार्यमुक्त/ कार्यभार जारी रखा गया :-

- श्री एल. सी. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई. टी. पी. ओ. - दिनांक 02.09.2015 से जारी
- श्री दीपक कुमार, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 25.05.2017 से 19.06.2019 तक
- श्री रजनीश, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 25.02.2019 से 27.08.2019 तक
- श्री राजेश अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 28.08.2019 से जारी
- श्री डी. एम. शर्मा, मुख्य वित्त अधिकारी - 31.07.2015 से जारी
- श्री एस. आर. साहू, कंपनी सचिव - दिनांक 27.08.2013 से जारी

4. समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए 15 मई, 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2017-18 के समझौता ज्ञापन में **'बहुत अच्छा'** रेटिंग प्राप्त किया है। वर्तमान में आई ई सी सी परियोजना के कारण कम स्थान की उपलब्धता और ब्याज आय में कमी के कारण, एम ओ यू रेटिंग **'बहुत अच्छा'** रहा। वर्ष 2018-19 के लिए स्वत: मूल्यांकन के अनुसार एम ओ यू रेटिंग **'बहुत अच्छा'** रहने की संभावना है।

वर्ष 2019-20 के लिए 'प्रचालनों से राजस्व' के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग के वित्तीय लक्ष्य 270 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। जारी पुनर्विकास परियोजना (आई ई सी सी) की वजह से वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है। तथापि, आई टी पी ओ वर्ष 2019-20 के लिए एम ओ यू लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी। आई टी पी ओ सभी स्टेकहोल्डरों को उत्तम सेवा देना जारी रखना सुनिश्चित करेगी।

5. विदेशों में आयोजित मेले

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान 32 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी आयोजित की। ये 32 मेले यूरोप, अफ्रीका/ वाना/ नाफ्टा, एल ए सी, एशियन, साउथ एशिया और एन ई ए में किए गए थे। इन मेलों में से 10 नए मेले थे।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

समझौता ज्ञापन 2019-20 के हस्ताक्षर के सुअवसर पर वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन एवं आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एल सी गोयल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

कुछ प्रमुख प्रदर्शनियों में समर फेंसी फूड शो, न्यूयार्क (यू एस ए), सियाल, पेरिस (फ्रांस), इंडिया गारमेंट मेला और इंडिया होम फर्निशिंग मेला, ओसाका (जापान), ए ए पी ई एक्स, लास वेगास (यू एस ए), इंडिया शो, लीमा (पेरु) और इंडिया शो, सेंट पीटसबर्ग (रूस) शामिल हैं।

इनके अलावा, कंपनी ने अपने दीर्घ स्थापित विदेशी आयोजनों जैसे इंडिया गारमेंट मेला और इंडिया होम फर्निशिंग मेला को ओसाका (जापान) में क्रमशः 39वां और 29वां संस्करण आयोजित किया, जो पिछले तीन दशकों से आयोजित किए जा रहे हैं।

एच के टी डी सी फूड एक्सपो, हांगकांग 2018

6. भारत में आयोजित मेले

वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कम्पनी ने भारत में 17 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/ प्रदर्शनियां आयोजित की। इन मेलों मे से 14 मेले दिल्ली में और 3 अन्य नगरों में आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में चौथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला (आई आई एफ एफ), 2-4 अगस्त, 2018; 38वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ 2018), 14-27 नवम्बर, 2018; 34वां आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 12-16 मार्च, 2019; 21वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 05-07 अक्टूबर, 2018; 14वां नक्षत्र, 26 फरवरी से 07 मार्च 2019 और आजीविका 21 फरवरी-7 मार्च, 2019 शामिल थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए 10वां ईस्ट हिमालयन मेले का शिलांग, मेघालय में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

I. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रमुख मेले

- **भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018**

प्रगति मैदान में 14-27 नवम्बर, 2018 तक 38वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगभग 23,000 वर्ग मी. क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह वर्तमान में जारी आई ई सी सी परियोजना के कारण सीमित क्षेत्र में आयोजित किया गया था। स्थान की समस्या और अन्य कठिनाइयों के बावजूद आयोजन सफल रहा। आई आई टी एफ 2018 की थीम 'भारत में ग्रामीण उद्यम' था और इसमें उद्यमों को बढ़ावा देने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण और लघु क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने तथा गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया। मेले में मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे भारत सरकार के विभिन्न पहल प्रयासों को भी दर्शाया गया। मेले का उद्घाटन श्री महेश शर्मा संस्कृति और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री तथा श्री सी. आर. चौधरी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा किया गया। भागीदार देश अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य था और फोकस देश नेपाल संघीय प्रजातंत्र था। फोकस राज्य झारखंड था। अफगानिस्तान, चीन, हांगकांग, किर्गिस्तान, इरान, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, थाइलैंड, टर्की, ट्यूनिशिया, वियतनाम और यू एस ई जैसे 17 देशों की विदेशी भागीदारों सहित करीब 800

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

भागीदारों और राज्य व सरकारी क्षेत्रों के भागीदारों ने मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। 47 देशों से 432 विदेशी व्यापारी दर्शकों सहित करीब 5 लाख दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया।

- **34वां आहार - अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 2019, दिल्ली**

आहार, दक्षिण एशिया में अपनी किस्म की सबसे बड़ी बी2बी प्रदर्शनियों में से एक है। 34वां आहार मेला 12 से 16 मार्च, 2019 तक आयोजित किया गया था। विगत की भांति इस मेले का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई), अपेडा एवं अन्य उद्योग संघों की मदद से किया गया।

यह मेला मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया था : - 1. खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ, 2. एफ ऐण्ड बी उपस्कर (तैयार करना/ प्रसंस्करण/ पैकेजिंग), 3. आतिथ्य और डेकोर सोल्यूशन्स।

पुनर्विकास कार्य जारी होने के कारण मेले को केवल 25,000 वर्ग मीटर सकल क्षेत्र तक सीमित कर दिया था। इस मेले में 17 देशों के विदेशी प्रदर्शकों सहित 560 प्रदर्शकों ने भागीदारी की थी। मेले में जिन देशों ने भागीदारी की थी वे थे - अमरिका, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, इजरायल, मलेशिया, रूस, तुर्की, स्पेन, यू के, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, पेरू, इंडोनेशिया, यूक्रेन, सिंगापुर और जापान। मेले में 50,000 से अधिक दर्शक आए थे।

- **24वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2018**

कंपनी ने 6,000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में दिनांक 25 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 के दौरान, 24वां दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया। मेले का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से किया गया था।

24वें दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान सेमिनारों/ कार्यशालाओं/ लेखक कार्नर/ बच्चों के कार्यक्रमों/ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पहचान पत्र रखने वाले छात्रों को मेले में नि:शुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

20वां स्टेशनरी/ चौथा ऑफिस ऑटोमेशन मेला और चौथा कारपोरेट उपहार मेला, 2018

दिल्ली पुस्तक मेले 2018 के साथ-साथ कंपनी ने हाल

आहार 2019

7 प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 25 अगस्त से 02 सितंबर, 2018 के दौरान 20वां स्टेशनरी/ चौथा ऑफिस आटोमेशन मेला तथा चौथा कारपोरेट उपहार मेला का आयोजन किया। लेखन सामग्री, उपहार की मदों, ऑफिस आटोमेशन में सम्पूर्ण भारत की अग्रणी कम्पनियों ने इस मेले में भागीदारी की। यह मेला लेखन सामग्री मदों, कार्यालय आटोमेशन उपस्कर तथा कारपोरेट उपहार सामग्रियों को प्राप्त करने का एक स्रोत साबित हुआ है।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 2018**

भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी का 21वां संस्करण हॉल 12 और 12ए में करीब 1500 वर्ग मी. क्षेत्र में दिनांक 5–7 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित किया गया। औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग (डी आई पी पी) के माध्यम से स्टार्ट अप/ युवा उद्यमी श्रेणी सहित और एन एस आई एल के माध्यम से वित्तीय सहायता से समूचे भारत से 70 से अधिक भागीदारों ने भाग लिया। सभी सी ए पी एफ से विभिन्न प्रतिनिधि मंडल के दौरे सहित तीन दिवसीय सेमिनार, डॉग शो और सी आई एस एफ द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम किए गए।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला, दिल्ली 2018**

आई आई एफ एफ फुटवियर उद्योग के लिए एक बी2बी शो है और इसका आयोजन आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 2–4 अगस्त, 2018 तक किया गया था। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को जुटाने के लिए आई टी पी ओ ने भारतीय दूतावास के सहयोग से केन्या, यूगांडा, इथियोपिया एवं तंजानिया में नेटवर्किंग बैठकें आयोजित की थी। बैठकों में इन देशों के फुटवियर उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मेले का आयोजन करीब 10,000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में किया गया था, जिसमें विदेशों की 65 कंपनियों सहित 215 कंपनियों ने भाग लिया था। तीन दिवसीय मेले में 8000 से अधिक दर्शकों ने मेला देखा। आई टी पी ओ ने एक मोबाइल ऐप के ज़रिए आनलाइन व्यापारी दर्शक पंजीकरण की शुरुआत की थी, जिसकी प्रदर्शकों और दर्शकों, दोनों ने सराहना की थी।

- **आजीविका, दिल्ली**

आई टी पी ओ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता से दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च, 2019 के दौरान 10,000 वर्ग मी. के सकल क्षेत्र में 'आजीविका मेला' आयोजित किया गया

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला 2018

था। दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तर्ज पर आई टी पी ओ ने 'आजीविका' का आयोजन करने की एक पहल की शुरुआत की ताकि यह ग्रामीण और लघु शिल्पकारों, उद्यमियों और निर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादित/ निर्मित विविध उत्पादों के लिए विपणन सहायता प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें।

आजीविका, दिल्ली 2019

II. दिल्ली से बाहर आयोजित मेले

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ), 2019, चेन्नई**

कंपनी ने दिनांक 1–3 फरवरी, 2019 तक चेन्नई में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) की 34वीं कड़ी का आयोजन किया। यह मेला चमड़ा निर्यात परिषद् (सी एल ई), केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई), भारतीय जूता संघ (आई एस एफ), भारतीय प्रसंस्कृत चमड़ा निर्माता और निर्यातक संघ (आई एफ एल एम ई ए), फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई) तथा भारतीय फुटवियर संघटक निर्माता संघ (आई एफ सी ओ एम ए) के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया था।

श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2019 को मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 1 से 3 फरवरी, 2019 तक व्यापारियों के लिए खुला था।

आई आई एल एफ 2019 में 10,000 वर्ग मी. क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के उत्पाद, मशीनरी और उपस्कर भारत और विदेशों की 450 से अधिक कंपनियों ने प्रदर्शित किए गए थे जबकि 150 से अधिक विदेशी प्रदर्शकों ने भागीदारी की। इसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्राजील ने अपने राष्ट्रीय मंडप स्थापित किए।

- **10वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2018, शिलांग, मेघालय**

आई टी पी ओ और मेघालय सरकार के सह-आयोजक पूर्वोत्तर परिषद, कपार्ट, एपीडा तथा पूर्वोत्तर के अन्य शीर्ष व्यापार संगठनों की सक्रिय सहायता से एस आर जी टी पोलो पार्किंग ग्राउंड, शिलांग में 10–17 दिसंबर, 2018 के दौरान पूर्वी हिमालय एक्सपो, शिलांग, मेघालय के 10वें संस्करण का आयोजन किया। यह बी2बी और बी2सी आयोजन था।

मेघालय के महामहिम राज्यपाल श्री तथागता राय ने 10 दिसम्बर 2018 को मेले का उद्घाटन किया। आई टी पी ओ ने भारत सरकार की ईस्ट पॉलिसी के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर को पूर्व के गेटवे के रूप में इसके महत्व को पहचाना है और इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास इस नीति में प्राथमिकता है। यह अंतर क्षेत्रीय व्यापार मेला पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस क्षेत्र का बाजार सुलभ कराने, व्यापार क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा व्यापार मेलों के अपने अनूठे मंच के जरिए कारोबारी संबंध बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, शिलांग, मेघालय 2018

शिलांग, मेघालय ने मेले की मेजबानी की और पूर्वोत्तर क्षेत्र की विरासतीय क्षमता प्रदर्शित की।

मेले के उत्पादों में आर्गेनिक क्षेत्र, बागवानी, घरेलू वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, जिनमें प्रसंस्कृत खाद्य शामिल हैं। वस्त्र,हस्तशिल्प, चमड़ा उत्पाद, विद्युत और इलेक्ट्रानिक सामान, जूट उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उत्तम रहन-सहन की वस्तुएं, कास्मेटिक, हर्बल उत्पाद, स्वास्थ्य एवं फिटनेस उपकरण, आई टी उत्पाद, फर्नीचर, पर्यटन और सेवा क्षेत्र इत्यादि शामिल थे।

- **आहार - अंतरराष्ट्रीय खाद्य-पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 2018, चेन्नई**

आई टी पी ओ के सफल आयोजन 'आहार' का चेन्नई संस्करण 23-25 अगस्त, 2018 के दौरान चेन्नई व्यापार केन्द्र में आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक प्रदर्शक और 7000 से अधिक व्यापारी दर्शक पधारे। साउथ इंडियन क्यूलिनरी एसोसिएशन (एस आई सी ए) द्वारा आयोजन के दौरान किए गए क्यूलिनरी शो और प्रतियोगिता दर्शकों के आकर्षण का केंन्द्र थी।

III. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अन्य आयोजकों द्वारा आयोजित मेले

वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रगति मैदान में कुल 72 मेले अन्य मेला आयोजकों द्वारा आयोजित किए गए थे। इनमें से 9 नई प्रदर्शनियां/ मेले प्रगति मैदान में पहली बार आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान, आयोजित लोकप्रिय मेलों में ईटी ईसीईटीईसीएच एक्सपोडेंट इंटरनेशनल, 27वां कन्वेंजेस इंडिया इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला, दिल्ली ज्वेलरी और जेम मेला और ए सी ए एम और ओटोमेकेनिका तथा ए ई एस 2019 थे। वर्ष के दौरान, पहली बार ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवल्पमेंट काउंसिल (टी ए आई टी आर ए) द्वारा प्रगति मैदान में ताइवान एक्सपो आयोजित किया गया था, जिसके साथ आई टी पी ओ ने दोनों देशों में कारोबारी समुदायों के लाभ के लिए द्विपक्षीय, व्यापारीक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आई टी पी ओ ने स्थान की कमी और वर्तमान विनिर्माण कार्य संबंधी समस्या के बावजूद व्यापार करने में आसानी और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाकर कुछ बड़ी प्रदर्शनियों को करने के लिए सफल व्यवस्था की है। प्रगति मैदान मेलों के आयोजन और प्रदर्शनियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना रहा जिसमें एम आई सी ई उद्योग का एक व्यापक तंत्र शामिल है। बोर्ड ने आई टी पी ओ के इस रूपांतरण फेज के दौरान अन्य आयोजकों को मेला आयोजन करने में सहायता जारी रहने की सराहना की।

भावी नए प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन केंन्द्र तथा बैठक कक्ष के लिए शुल्क नीति को अंतिम रूप दिया गया और 18 मार्च, 2019 को उसे प्रकाशित किया। अन्य पक्ष आयोजनों के लिए हॉल की बुकिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई थी। कारोबार करने में आसानी के लिए एकल संपर्क केंन्द्र (एस पी सी), हेल्प डेस्क और निरीक्षता सेवा प्रदानता टीम शुरू की गई ताकि आयोजकों/ भागीदारों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके और ये शुरुआत एक अत्यंत सफल सिद्ध हुई है।

6. सभी हितधारकों के लिए विभिन्न घटकों में किए गए पहल प्रयास और सुधार

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने और उनको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

❑ **व्यापार करने को सरल बनाने के लिए ई-एनेबलमेंट :**

- आई आई टी एफ, आहार और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकटों की ऑन-लाइन बुकिंग और व्यापारी दर्शक पंजीकरण
- घरेलू मेलों के लिए ऑनलाइन स्थान की बुकिंग प्रणाली
- तृतीय पक्षकार आयोजकों के लिए हॉल की ऑनलाइन बुकिंग

- जी ई एम एस से ई-खरीद/ ई-निविदा शुरू की गई
- आई टी पी ओ का व्यापक मोबाइल ऐप शुरू किया गया।
- ई-भुगतान/ ई-वापसी शुरू की गई है
- सभी ए सी हालों में वाई-फाई सुविधा

❑ **ग्राहक अनुकूल उपाय**

- अन्य पक्ष मेलों के लिए व्यापक टैरिफ नीति शुरू की गई
- एकल संपर्क प्वाइंट (एस पी सी) प्रणाली शुरू की गई
- भागीदारों/ आयोजकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण/ सेवा टीम शुरू की गई
- अन्य पक्ष मेलों के लिए हेल्प डेस्क सेवा का कार्यान्वयन
- भागीदारों/ आयोजकों के साथ नियमित बातचीत

❑ **अन्य उपाय**

- आर्थिक और मितव्ययी उपाय शुरू किए गए
- स्टाफ का यौक्तिकरण

7. आई ई सी सी परियोजना

आई टी पी ओ अपने ऐतिहासिक प्रगति मैदान मेला परिसर को विश्व के सर्वोत्तम प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्रों के स्तर का बनाने के लिए एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र के रूप में इसका पुनर्विकास करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को दो चरणों में कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इस अवसंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एम आई सी ई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, मेले/ प्रदर्शनी) की जरूरतों की पूर्ति होने की संभावना है। आशा की जाती है कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा अर्जन और दिल्ली के सेवा कारोबार और व्यापार क्षेत्र के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि एम आई सी ई क्षेत्र के कई आयोजन पूर्वी एशियाई देशों और विश्व के अन्य देशों से नई दिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं। आई ई सी सी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और विशिष्ट (आइकोनिक) स्थल होगा तथा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के 'न्यू इण्डिया' के विजन का एक अनूठा प्रतीक होगा। कारोबार को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए आई ई सी सी मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी मेलों/ प्रदर्शनियों की स्थान एवं सुविधाओं की मांग को पूरा करेगा।

परियोजना प्रस्ताव में 53,399 वर्गमीटर का अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्र के छ (6) आधुनिक प्रदर्शनी हाल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र की 4800 ई. सी. यू. (समकक्ष कार यूनिटों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8857 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन सहित 3,82,188 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का विकास करना शामिल है। विश्वव्यापी आतिथ्य किसी भी आधुनिक एम आई सी ई गतंव्य का अभिन्न अंग है, इसलिए इस तथ्य के अनुरूप परिसर के एक भाग के रूप में एक पांच सितारा होटल के लिए स्वतंत्र प्रवेश और निकास द्वार सहित भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ भूमि के एक स्थल के लिए मुद्रीकरण भी किया जा रहा है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व में सबसे अच्छा 32.4 मीटर ऊंचा ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की सम्पन्न वास्तुकला की धरोहर को शामिल करते हुए एक अनूठा ढलान सहित एक एलीवेटेड (खम्बों वाले) चबूतरे पर होगी। इस सम्मेलन केन्द्र में सिंगल फार्मेट में (3000 पैक्स क्षमता का एक प्लेनरी हाल और 4000 पैक्स का एक कार्यात्मक हाल सहित) 7000 पैक्स की सीटिंग की क्षमता होगी और विज्ञान भवन से 5 गुणा होगा तथा इसमें अलग-अलग क्षमताओं के 25 बैठक कक्ष होंगे और इसमें विशेषीकृत जी20 और प्रीमियम कक्ष शामिल होंगे। 3000 लोगों के बैठने की क्षमता का एक रंगमंच भी होगा। यह दिल्ली राजधानी शहर के गौरव, महिमा और महत्व को बढ़ावा देगा।

आई ई सी सी के बेहतर पहुंच हेतु और सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों पर भी कार्य किया जा रहा है। अनिवार्य तौर पर भैरों मार्ग, जो ज्यादातर भीड़ के कारण जाम रहता है, उस मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके पुराना किला रोड को प्रगति

मैदान पर 6 लेन में बंटी सुरंग के जरिए रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड और मथुरा रोड से भैरों मार्ग के टी-जंक्शनों तथा डी पी एस से मथुरा रोड के डब्ल्यू प्वाइंट संपूर्ण क्षेत्र को सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा। इससे प्रगति मैदान और इसके आस-पास यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा और प्रदूषण भी काफी कम होगा।

आई ई सी सी तथा यातायात की भीड़ का समाधान करने के दोनों माध्यमों की परियोजना लागत 3437 करोड़ रु. है। दोनों परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

प्रगति मैदान में आई ई सी सी परियोजना वास्तव में स्थिति को परिवर्तन करने वाली परियोजना होगी और देशभर के ऐसे प्रदर्शनी स्थलों के लिए एक नया रुझान स्थापित करेगी। इस स्थल से न केवल भारतीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन उद्योग अपितु विश्व के लिए भी व्यापार संवर्धन एवं कारोबार को बढ़ावा देने के नए अवसर मिल सकेंगे। वैश्विक प्रदर्शनी एवं सम्मेलन उद्योग इस उभरते हुए स्थल के बारे में बहुत ही उत्सुक है और इसके चालू होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर, प्रगति मैदान के इस नए स्थल से भारत को व्यापार, निवेश और उत्पादन कार्यकलापों के लिए उसकी बढ़ती हुई ताकत और क्षमता के संदर्भ में वैश्विक दृष्टि से सक्रियता के साथ मदद मिलेगी।

8. व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

व्यापार संवर्धन प्रयासों में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित विभिन्न व्यापार मेलों में 47 देशों से कुल 500 व्यापारी दर्शकों ने दौरा किया। आई आई टी एफ 2018 के दौरान प्रमुख प्रतिनिधिमंडल पधारे- 38 विभिन्न देशों के आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न उत्पादों के लिए हाल नं. 10,11 एवं 12 का दौरा किया, दक्षिण कोरिया के 35 प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न उत्पादों के लिए हाल नं. 7 सी, 10,11 एवं 12 का अवलोकन किया, रूस के प्रतिनिधिमंडल ने हाल नं. 12 को देखा, वियतनाम के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल नम्बर 12 का दौरा किया। 19 सदस्यीय दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि मंडल ने हाल नम्बर 7सी, हाल नम्बर 10, 11 और 12 का अवलोकन विभिन्न उत्पादों के लिए किया। वियतनाम से एक उन्नीस सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न उत्पादों के लिए हॉल नं. 7, हॉल नं. 10, 11 और 12 का दौरा किया। मलेशिया से एक 13 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने हॉलों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, कॉस्मेटिक पेवेलियनों, स्वास्थ्य क्षेत्र, इलेक्ट्रोनिक, रसोई उपकरण, कम्प्यूटर पेरीफेरल, मोबाइल फोन, खाद्य उत्पाद, चमड़ा और वस्त्र तथा बहु उत्पादों, विदेशी पेवेलियनों और राज्यों के पेवेलियनों इत्यादि का दौरा किया।

9. अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आई टी पी ओ बहुत पहले से ही एशियाई व्यापार संवर्धन मंच (ए टी पी एफ) में बहुत ही सक्रियता के साथ भाग लेता रहा है। यह व्यापार संवर्धन संगठनों का समूह है। ए टी पी एफ की सभी गतिविधियों का समन्वयन जापान विदेश व्यापार संगठन (जे ई टी आर ओ) करता है। आई टी पी ओ इण्डिया कंवेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आई सी पी बी) द्वारा आयोजित गतिविधियों में भी भाग लेता है। आई टी पी ओ प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बने एक संगठन, यू एफ आई - प्रदर्शनी उद्योग का वैश्विक संघ, फ्रांस का सदस्य भी बन गया है। आई टी पी ओ वर्ष 2018-19 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं आयोजन संघ (आई ए ई ई), यू एस ए का सदस्य बन गया है। आई ए ई ई प्रदर्शनियों एवं अन्य आयोजनों जैसे रोड शो, प्रदर्शनी घटक के साथ सम्मेलन और प्रोपरायटरी कारपोरेट प्रदर्शनियां में क्रेता और विक्रेता को एक साथ लाती हैं, उनके विशिष्ट महत्व को बढ़ावा देता है।

10. व्यापार सूचना संबंधी गतिविधियां

आई टी पी ओ सदस्यों के रूप में पंजीकृत निर्यातकों को सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है। इन सेवाओं में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा विदेशी आयातकों से सीधे ही प्राप्त व्यापार संबंधी पूछताछ तथा आई टी पी ओ द्वारा आयोजित व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठकों की व्यवस्था करना शामिल है। इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन में

देशों, उत्पादों के विषय में व्यापार सूचना, आई टी पी ओ द्वारा देश और विदेश में आयोजित व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और विदेशी निविदाओं के संबंध में व्यापार मेले संबंधी जानकारी तथा प्रगति मैदान में आयोजित तृतीय पक्षकार मेलों संबंधी जानकारी भी प्रकाशित की जाती है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं को विश्वसनीय व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आई टी पी ओ ने व्यापार सूचना केन्द्र और ट्रेड पोर्टल www.tradeportalofindia.org शुरू किया है, जो यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित 102 देशों की सूचना प्रदान करता है।

आई टी पी ओ के सदस्यता से वैश्विक आयातकों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, विनिर्माताओं, एजेंटों से www.tradeportalofindia.org के माध्यम से उत्पाद एवं देश के द्वारा खोजने योग्य डिक्सनरी (कोम्पास के लिए कनेक्टीविटी) से पहुंचने का प्रावधान है। इसमें सभी उत्पादों के संबंध में विश्वभर के देशों के आयात-निर्यात व्यापार संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की व्यवस्था है।

केन्द्रीयकृत डाटा बेस : भारत और विदेशों में इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के द्वारा आयोजित मेलों में भागीदारों का एक केन्द्रीयकृत डाटा बेस बनाया जाता है। आई टी पी ओ के द्वारा आयोजित घरेलू और विदेशी मेलों के लिए भागीदारी करने में यह डाटा अत्यधिक उपयोगी होता है। आई टी पी ओ के प्रयोक्ताओं के लिए आंकड़ों को ऑन लाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

11. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपनाना

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए, अपनी कार्यकलापों के प्रति जबावदेह, अपने प्रक्रियाओं में तेजी बनाये रखने के लिए अपने कार्यों को करने हेतु एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आई सी टी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के उपयोग को जारी रखना एवं उसके बारे में बताना, ताकि उससे जनता तक आई टी पी ओ की सेवाएं समान रूप से पहुंचाना सुनिश्चित हो सके।

प्रगति मैदान में आयोजित किए जा रहे अन्य पक्ष के आयोजकों की प्रदर्शनियों के लिए स्थान और सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेब आधारित प्रणाली और बैक-आफिस इंटिग्रेशन कार्यान्वित किया गया।

आई टी पी ओ के महत्वपूर्ण आयोजन 'भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018' के दौरान ऑनलाइन टिकटों की बिक्री और उनका प्रबंधन, भीड़ का प्रबंधन, रीयल टाइम टिकट/ पास प्रमाणीकरण और गेट प्रबंधन किया गया।

कर्मचारियों को वेतन पर्ची, छुट्टी के विवरण, भविष्य निधि विवरण इत्यादि जैसे उनके व्यक्तिगत डाटा सुलभ कराने के लिए सुविधा के तौर पर एक कर्मचारी स्व सेवा (ई एस एस) पोर्टल का भी कार्यान्वयन किया गया।

12. प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास

वर्ष 2018-19 के दौरान, नीचे दिए विवरण के अनुसार 5 अधिकारियों को सीधी भर्ती (डी आर) के आधार पर नियुक्त किया गया था :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
समूह 'क'	--	-	01 प्रतिनियुक्ति के आधार पर	01 प्रतिनियुक्ति के आधार पर	02
समूह 'ग'	01	01	01	--	03

वर्ष के दौरान 13 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था। इनमें से 5 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति तथा 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। 30 कर्मचारियों को प्रोत्साहन सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति योजना (आई ए सी पी एस) के अंतर्गत व्यक्तिगत ग्रेड उन्नयन दिया गया।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना 30.06.2019 तक बढ़ाई गई।

भारत सरकार की आरक्षण नीति

आई टी पी ओ में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को देखने के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन की बैठकों में इन वर्गों के उम्मीदवारों के हितों पर ध्यान देने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उचित स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में अन्तर्विष्ट दिव्यांग व्यक्तियों को पदों/ सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

13. इंजीनियरिंग सेवाएं (वास्तु, सिविल, विद्युत, ए वी और कंजर्वेंसी तथा स्वच्छता)

आई टी पी ओ प्रगति मैदान में और आई टी पी ओ द्वारा दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों में प्रदर्शनियों/ मेलों/ सम्मेलनों के आयोजन के लिए अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाओं के लिए एक एकल समाधान केंद्र प्रदान करता है और आई टी पी ओ के अलावा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित मेलों के लिए सभी स्थल बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। आपकी कंपनी बागवानी सहित सभी सेवाओं तथा उनका रख-रखाव करने के लिए इंजीनियरों (सिविल और विद्युत) और वास्तुकारों की एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर टीम है।

वास्तुकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण किया जाता है और अन्य पक्ष आयोजकों के मेलों/ प्रदर्शनियों तथा आई टी पी ओ के घरेलू आयोजकों के लिए से सुपुर्दगी सुनिशिचित की गई है।

14. व्यापार संवर्धन केन्द्र

चेन्नई व्यापार केन्द्र

चेन्नई व्यापार केन्द्र का संचालन तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा किया जाता है। यह कंपनी आई टी पी ओ और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) का संयुक्त उद्यम है। चेन्नई व्यापार केन्द्र की चेन्नई में मुख्य स्थल नन्दम्बाक्कम में 25.48 एकड़ भूमि पर वर्ष 2001 में स्थापना की गई थी। हाल 1 और 2 का विनिर्माण 6160 वर्ग मीटर के क्षेत्र में वर्ष 2001 में किया गया था। वर्ष 2004 में निर्मित कन्वेशन सेंटर में 2000 भागीदार भागीदारी कर सकते हैं और इस हाल को दो बराबर भागों में विभाजित करने का भी प्रावधान हैं। 4400 वर्ग मीटर में बने हाल 3 का वर्ष 2008 में उद्घाटन किया गया था। सभी तीनों प्रदर्शनी हाल और कन्वेंशन सेंटर परस्पर जुड़े हुए हैं। सभी प्रदर्शनी हाल वातानुकूलित हैं और इनको खम्भों तथा कॉलमों के बिना ही बनाया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, चेन्नई व्यापार केन्द्र के प्रदर्शनी हॉलों में 108 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा सम्मेलन केन्द्र में 77 कार्यक्रम आयोजित किए गए। टी एन टी पी ओ को पिछले वर्ष की 47.56 करोड़ रुपये आय की तुलना में इस वर्ष 57.24 करोड़ रुपये की कुल आय हुई। गत वर्ष के (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) 31.43 करोड़ के अधिशेष की तुलना 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद में 35.02 करोड़ रु. का निवल अधिशेष प्राप्त हुआ।

टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की विस्तार योजना के अंतर्गत 20,322 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बहु-उद्देश्यीय (प्रदर्शनी/ सम्मेलन) हाल के निर्माण के लिए 289 करोड रु. का अनुमोदन किया है। विस्तार करने के बाद 34.61 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में कुल 39,952 वर्ग मी. कुल क्षेत्र में सम्मेलन के लिए 2 हाल और प्रदर्शनी के लिए 5 हाल होंगे।

बंगलौर व्यापार केन्द्र

व्हाइटफील्ड, बंगलौर में प्रमुख स्थान पर स्थित यह व्यापार केन्द्र 48.35 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें 5371 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक वातानुकूलित हॉल है। प्रदर्शनी हॉल के चारों ओर खुले क्षेत्र में 11 प्रदर्शनी हॉलों का विनिर्माण किया गया जिनमें भारी उपकरणों, मशीनों एवं फूड कोर्ट, व्यापार केन्द्र की स्थापना की गई। व्यापार केन्द्र का प्रबंधन कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ), आई टी पी ओ तथा कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डवलेपमेंट बोर्ड (के आई ए डी बी) के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष

2018–19 के दौरान बंगलौर व्यापार केन्द्र में 45 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। के टी पी ओ को गत वर्ष के 11.28 करोड़ रु. की तुलना में 10.50 करोड़ रु. की कुल आय हुई। निवल अधिशेष 6.99 करोड़ रु. (गत वर्ष में 19.95 करोड़ रु.) है।

बोर्ड ने के टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 7633 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्यीय (सम्मेलन/ प्रदर्शनी) हाल के विनिर्माण का अनुमोदन दिया है। इस विस्तार योजना का विनिर्माण कार्य 2018–19 में प्रारंभ हो गया था। विस्तार के बाद सम्मेलन और प्रदर्शनी के लिए 2 हाल होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 14,504 वर्गमीटर होगा। अनुमानित परियोजना लागत 67.59 करोड़ रु. तक हो सकती है।

15. राजभाषा (हिंदी) का प्रगामी प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा नीति को आई टी पी ओ में समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा समिति गठित की गई है। इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-II) और वाणिज्य मंत्रालय के हिंदी अनुभाग से प्राप्त अनुदेशों को आई टी पी ओ में अनुपालन किया जाता है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए।

हिंदी में शासकीय कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए हर वर्ष हिंदी कार्यशालाए आयोजित की जाती हैं। आई टी पी ओ की अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, आई टी पी ओ ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) दिल्ली और वाणिज्य विभाग की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया। आई टी पी ओ की कारपोरेट वेबसाइट www.indiatradefair.com द्विभाषी हैं तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

दैनिक काम काज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी नोटिंग - ड्राफ्टिंग, हिंदी अनुवाद, हिंदी वर्तनी शोधन और हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ-साथ डॉ. मधु शर्मा द्वारा संपादित सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह नामक हिंदी पुस्तक प्रत्येक प्रतिभागियों को उपहार स्वरूप प्रदान की गई। आई टी पी ओ के नियमित फाइल कार्य में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पहले से शुरू है। आई टी पी ओ के कर्मचारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया।

16. सुरक्षा

आई टी पी ओ ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आई आई टी एफ 2018 और अन्य मेलों के आयोजन के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं, अग्नि शमन व्यवस्थाएं और पार्किंग व्यवस्थाएं की थी। इसके अलावा, सुरक्षा प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, थर्ड पार्टी मेला आयोजकों द्वारा की गई विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी निगरानी की। आयोजकों की सुविधा के लिए नए पार्किंग स्थल बनाए गए। विभिन्न मेलों के दौरान प्रतिनिधिमंडल की बसों को हाल तक लाने और ले जाने की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 14 से 20 अप्रैल, 2019 के दौरान, आग से सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने और तैयार करने के उद्देश्य से आग-सुरक्षा सेवा सप्ताह मनाया गया। अग्नि सुरक्षा की बुनियादी बातें और फायर वार्डन ट्रेनिंग का आयोजन सभी कर्मचारियों के लिए किया गया। इस अवधि के दौरान, एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई और मेगा अग्नि निकासी ड्रिल का आयोजन सभी कर्मचारियों के लिए किया गया।

17. सतर्कता

सतर्कता प्रभाग, सामान्य प्रशासन तथा आई टी पी ओ के विभिन्न प्रभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में सहायता करता है। आई टी पी ओ कर्मचारी (सी डी ए) नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों/ मामलों की जांच करने के अलावा, सतर्कता प्रभाग कार्यालय

स्थलों का निरीक्षण करता है और प्रदर्शन हालों में औचक दौरे करता है।

परिपत्र और प्रणाली सुधार अनुदेश जारी किए गए ताकि आई टी पी ओ के कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके। निवारक उपाय के रूप में सतर्कता प्रभाग ठेकेदारों/ सप्लायरों/ सेवा प्रदाताओं के बिलों के समय पर भुगतान संबंधित प्रभागों से मासिक रिपोर्ट तंत्र के माध्यम से यह प्रमाणित करते हुए निगरानी कर रहा है कि सभी बिलों को अनुमोदित समय सीमा के भीतर किया गया है।

पारदर्शिता और साथ ही सक्षम सतर्कता प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ कार्यकारियों (वरिष्ठ प्रबंधक और ऊपर के स्तर पर) के लिए सतर्कता मंजूरी के मामलों पर कार्रवाई के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रचालन में है। इसका उद्देश्य कार्मिकों को सतर्कता मंजूरी के मामलों को तेज गति से आगे बढ़ाना है।

सतर्कता प्रभाग कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न की निरंतर आधार पर जांच करता है और विभिन्न मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक रिटर्न/ रिपोर्ट वाणिज्य विभाग, सी वी सी और सी बी आई को दाखिल करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सी वी ओ द्वारा मासिक/ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आफ लाइन माध्यम को बंद कर दिया है और तिमाही/ वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। तदनुसार, आई टी पी ओ के संबंध में ऑनलाइन तिमाही रिपोर्ट सी वी सी के ऑनलाइन तिमाही रिपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड की जाती है।

केंन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार आई टी पी ओ और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ताकि दैनिक कार्यों और सार्वजनिक इंटरफेस में नीतिपरक और पारदर्शी कारोबारी लेन-देन करने के मूल्यों पर जागरूकता फैलाई जा सके। सी वी सी के ई-प्लैज का लिंक आई टी पी ओ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और कर्मचारियों के बीच प्रचार-प्रसार किया गया तथा वेबसाइट पर ईमानदारी की शपथ लेने को प्रोत्साहित किया जा सके। ई-इंटिग्रिटी प्लैज की संकल्पना ऐसे व्यक्तियों के बीच भी प्रोत्साहित की गई जिनके साथ आई टी पी ओ से संपर्क होता है जैसे आई टी पी ओ में मेलों और आयोजकों के प्रदर्शक और भागीदार।

18. अनुषंगी और सहायक कम्पनियां

आई टी पी ओ की अपनी दो अनुषंगी कंपनियों- तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में 51-51 प्रतिशत इक्विटी है। इसके अलावा, आई टी पी ओ और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान में संयुक्त रूप से 50:50 की भागीदारी से राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई) स्थापित किया गया है और जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (जे के टी पी ओ) के पास पंपोर में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। जम्मू कश्मीर सरकार के पास कंपनी के 51.25 प्रतिशत इक्विटी शेयर, इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) के पास 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी एच) के पास 4.55 प्रतिशत इक्विटी शेयर और कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास 4.20 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में अनुषंगी/ सहायक कम्पनी/ संयुक्त उद्यम कम्पनियों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं विवरण में हैं, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग हैं (अनुबंध-I)।

19. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप धारा (3) में प्रदत्त वार्षिकी रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है (अनुबंध-II)।

20. सावधि जमा, ऋण, निवेश और गारंटी अथवा निवेश

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जनता से कोई जमा धनराशियां स्वीकार नहीं की हैं।

21. संबंधित पार्टियों से लेन-देन

सूचना देने हेतु ऐसा कोई संगत पक्षकार लेन-देन नहीं हुआ। (देखें नोट 31.13 पर प्रकटीकरण)

22. लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ऐण्ड ए जी) ने मैसर्स एस. पी. चोपड़ा, चार्टरित लेखाकार, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आई टी पी ओ का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

23. सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं में से प्रत्येक बिन्दु के बारे में बोर्ड के उत्तर इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। (अनुबंध-III)

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखे के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। (अनुबंध-IV एवं V)

24. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, हेराफेरी और चूक की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने सहित इसके कारोबार का उचित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं। आई एफ आर एस की लेखा परीक्षा की गई है और बोर्ड को सूचित कर दिया गया है।

25. कारपोरेट गवर्नेंस

निदेशक मण्डल, ऑडिट कमेटी और पारिश्रमिक कमेटी का गठन कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। निर्धारित अंतराल पर बोर्ड और आडिट कमेटी दोनों की बैठकें नियमित रूप से की गयी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग के कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा-निर्देशों का आई टी पी ओ द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में निर्धारित समय में वाणिज्य विभाग को वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई हैं जिससे 'उत्कृष्ट' ग्रेड पाने के लिए निर्धारित 96.77% के वार्षिक औसत प्रो-रेटा स्कोर की सूचना दी गई है, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। (अनुबंध-VI एवं VII)

26. जोखिम प्रबन्धन

कम्पनी अपने संचालनों से सम्बन्धित जोखिमों का नियमित रूप से विश्लेषण करती है तथा ज्ञात जोखिमों से निपटने हेतु बीमा आदि द्वारा उपाय किये जाते हैं।

27. सूचना का अधिकार (आर टी आई)

आई टी पी ओ के प्रशासन प्रभाग के अधीन कार्यरत आर टी आई सैल अत्यधिक सक्रिय है और यह सुनिश्चित करता है कि आर टी आई के अधीन प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों/ अपीलों का समय पर निपटान किया जाता है। आर टी आई सैल में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 134 आवेदन पत्र और 07 अपीलें प्राप्त हुई थीं।

28. आचार संहिता

आई टी पी ओ ने अपने निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता बनाई है। इसके अनुपालन की पुष्टि सभी संबंधित व्यक्तियों से वार्षिक आधार पर ली जाती है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मिकों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालन की पुष्टि कर दी है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ दी गयी है। (अनुबंध-VIII)

29. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तीकरण, समावेशी समाज-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा किफायती प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास

करने तथा समाज के उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सी एस आर और संपोषण दिशा-निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों का सख्ती से अनुपालन कर रहा है। सी एस आर पहलों/ क्रियाकलापों को तदनुसार अनुमोदन/ निगरानी से कार्यान्वित किया जाता है। आई टी पी ओ की सी एस आर पहलों के बारे में विस्तृत नीति http://www.indiatradefair.com/csr.php पर उपलब्ध है। आई टी पी ओ की सी एस आर से संबंधित पहलों का पूर्ण विवरण अनुबंध-IX में है।

30. प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से इस रिपोर्ट के साथ (अनुबंध-X) में संलग्न की गई है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

31. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण :

कम्पनी के कार्यकलापों के लिए ऊर्जा की निरन्तर खपत नहीं होती, तथापि ऊर्जा संरक्षण के लिये लाइटों, पंखों, एअर कंडीशनरों आदि के सीमित उप प्रयोग जैसे आवश्यक उपायों को लागू किया जा चुका है।

(ख) प्रौद्योगिकी अपनाना

कम्पनी ने किसी भी स्रोत से किसी भी प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया है। आई टी पी ओ सेवा क्षेत्र में कार्यरत है तथा कम्पनी व्यापार संवर्धन संगठन होने के कारण देश से निर्यात संबंधी गतिविधियां बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रही है।

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

	चालू वर्ष (2018-19) (करोड़ रु.)	गत वर्ष (2017-18) (करोड़ रु.)
आय	10.60	12.52
व्यय	27.14	18.94

32. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) में यथानिर्दिष्ट है, निदेशकों द्वारा निदेशक उत्तरदायित्व विवरण का समर्थन किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों की पुष्टि करते हैं :-

I. यह कि वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक सारभूत परिवर्तनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू गणना मानकों को अपनाया गया है।

II. यह कि निदेशकों ने गणना की ऐसी नीतियां चुनी हैं और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे आकलन किये हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं और इस कम्पनी के बारे में वित्तीय वर्ष और उसी अवधि में कम्पनी के व्यय से अधिक आय की सही तथा उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

III. यह कि निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, गबन एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त गणना रिकार्ड रखे हैं।

IV. यह कि निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किये हैं।

V. निदेशकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्दिष्ट किए हैं, जिनका कंपनी द्वारा अनुसरण किया जा रहा है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त और अधिक प्रभावी ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।

VI. यह कि निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की है कि सभी लागू कानूनों का अनुपालन हो रहा है और यह कि ऐसी प्रणाली का पर्याप्त और कारगर प्रचालन हो रहा है।

33. आभार

हम केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, विशेषत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए उनके आभारी हैं। निदेशक मण्डल दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पी डब्ल्यू डी, डी जे बी, बी एस ई एस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके तत्पर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक उद्यम विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके आभारी हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./–
(एल सी गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं. 02389348

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2019

अनुबन्ध-I

फार्म ए ओ सी - 1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

अनुषंगी कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण

भाग 'क' अनुषंगी कंपनी

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रुपए राशि में प्रस्तुत की जाए)

क्र. सं.	विवरण	विवरण	
1.	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार अनुषंगी कंपनी का नाम	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
2.	तारीख जब से अनुषंगी कंपनी को प्राप्त किया	17.11.2000	06.12.2000
3.	यदि संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि धारित कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	यदि विदेशी अनुषंगी कंपनी है तो संगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति अनुसार रिपोर्ट की मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	रु. 1,00,000/-	रु. 20,00,00,000/-
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	रु. 290,07,38,146/-	रु. 1,17,38,44,207/-
7.	कुल परिसंपत्तियां	रु. 302,52,33,416/-	रु. 1,39,39,52,618/-
8.	कुल देनदारियां	रु. 12,43,92,270/-	रु. 2,01,08,411/-
9.	निवेश	-	-
10.	कारोबार (टर्न ओवर)	रु. 57,24,29,598/-	रु. 10,49,75,991/-
11.	कराधान से पूर्व लाभ	रु. 35,02,04,579/-	रु. 6,99,05,077/-
12.	कराधान के लिए प्रावधान	-	-
13.	कराधान के बाद लाभ	रु. 35,02,04,579/-	रु. 6,99,05,077/-
14.	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध है।	लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध है।
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत	51%	51%

टिप्पणियां : विवरण के अंत में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :

1. जिन अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रचालन अभी शुरू किया जाना है, उनके नाम
2. जिन अनुषंगी कंपनियों को वर्ष के दौरान परिसमाप्त/ बेचा जा चुका है, उनके नाम

भाग 'ख' : सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

1. जिन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अभी प्रचालन शुरू किया जाना है, उनके नाम
2. जिन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों को वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा जा चुका है, उनके नाम

टिप्पणी : इस फार्म को उसी तरह से प्रमाणित किया जाना है, जिस तरह तुलन पत्र प्रमाणित किया जाता है।

सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	नाम 1	नाम 2	नाम 3
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख: 31 मार्च, 2019	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	जम्मू एवं कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
2. वह तारीख जिसको सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कम्पनी जुड़ी अथवा प्राप्त की गई थी	31.03.1995	31.05.2018	
3. वर्ष के अंत में कंपनी की सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के शेयर			
संख्या	2,00,000	2,20,000	
सहयोगी/ संयुक्त कंपनियों में निवेश की धन राशि	रु. 2,00,00,000/-	रु. 2,20,00,000/-	
धारिता %	50%	44%	
4. यह विवरण कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	आई टी पी ओ के पास 50% शेयर पूंजी होने के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है	आई टी पी ओ के पास 44% शेयर पूंजी होने के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है (20 प्रतिशत से अधिक मत का अधिकार रखना)	
5. कारण बताएं कि क्यों सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियां समेकित नहीं हैं	भारतीय लेखांकन मानक - 28	भारतीय लेखांकन मानक - 28	
6. लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार नवीनतम शेयर धारिता के कारण कुल कारोबार धन राशि	रु. 83,26,245/-	रु. 2,25,68,091.48/-	
7. वर्ष के लिए लाभ/ हानि			
i. समेकित रूप से मानी गई	(रु. 69,31,854)	रु. 5,68,091/-	
ii. समेकित रूप से नहीं मानी गई	(रु. 69,31,854)	रु. 7,23,026/-	

ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	(डी. एम. शर्मा)	(एल. सी. गोयल)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध - II

फार्म सं. एम जी टी - 9
वार्षिक विवरणी से उद्धृत
31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी आई एन	यू 74899 डीएल 1976 एनपीएल 008453
ii)	पंजीकरण की तारीख	30/12/1976
iii)	कंपनी का नाम	इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
iv)	कंपनी की श्रेणी/ उप श्रेणी	मिनी - रत्न श्रेणी-1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क का विवरण	प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष : 91-11-23371540 (ईपीएबीएक्स) फैक्स : 91-11-23371492, 23371493 ईमेल : info@itpo.gov.in
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	हां / नहीं
vii)	पंजीयक एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क का विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी कारोबारी गतिविधियां इस प्रकार होंगी :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/ सेवाओं का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	भारत के व्यापार संवर्धन के लिए मेलों/ प्रदर्शनियों का आयोजन	-	100%
2	-	-	-
3	-	-	-

III. होल्डिंग, अनुषंगी और एसोसिएट कम्पनियों के विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीआईएन	होल्डिंग/अनुषंगी/ एसोसिएट	धारित शेयर का %	लागू धारा
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन सीटीसी काम्प्लेक्स नंदमबाक्कम, चेन्नई-600089	यू91120टीएन2000एनपीएल046140	अनुषंगी	51%	धारा 25 अब धारा 8

2	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन प्लाट नं. 121, रोड, नं. 5, ई पी आई पी, द्वितीय, फेस, व्हाइट फील्ड इंडस्ट्रीयल एरिया–बंगलुरु – 560066	यू92490केए2000एनपीएल028238	अनुषंगी	51%	धारा 25 अब धारा 8
3	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र हॉल रु 19, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001	यू74899डीएल1995एनपीएल067008	एसोसिएट	50%	धारा 25 अब धारा 8
4	जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन जम्मू एवं कश्मीर इंडस्ट्रीज, ओल्ड सैक्रेटरिएट, श्रीनगर–190001	यू93090जेके2018एनपीएल010473	एसोसिएट	44%	धारा 8

IV. शेयर धारित पद्धति (कुल इक्विटी में % के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणी–वार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या	वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
क. प्रोमोटर (1) भारतीय	–	–	–
(क) व्यक्तिगत/ एच यू एफ	–	–	–
(ख) केन्द्र सरकार • भारत के राष्ट्रपति (24998) • वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग (1) • सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	25,000/–	25,000/–	0%
(क) राज्य सरकारें	–	–	–
(ख) निकाय निगम	–	–	–
(ग) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(घ) कोई अन्य	–	–	–
उप–जोड़ (क) (1) :-	25,000/–	25,000/–	0%
(2) विदेशी	–	–	–
(क) एन आर आई – व्यक्तिगत	–	–	–
(ख) अन्य – व्यक्तिगत	–	–	–
(ग) निकाय निगम	–	–	–

(घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(ङ) कोई अन्य	–	–	–
उप-जोड़ (क) (2) :-	–	–	–
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	25,000/-	25,000/-	0%
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता 1. संस्थान	–	–	–
(क) म्युचुअल फंड	–	–	–
(ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(ग) केन्द्रीय सरकार	–	–	–
(घ) राज्य सरकारें	–	–	–
(ङ) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–
(च) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–
(छ) बीमा कम्पनियां	–	–	–
(ज) एफ आई आई	–	–	–
(झ) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	–	–	–
(ञ) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–
उप-जोड़ (ख) (1) :-	–	–	–
2. गैर संस्थान (क) निकाय निगम	–	–	–
i) भारतीय	–	–	–
ii) विदेशी	–	–	–
(ख) व्यक्तिगत	–	–	–
i) 1 लाख रु. तक की सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–
ii) 1 लाख रु. से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–
उप-जोड़ (ख) (2) :-	–	–	–
पब्लिक की कुल शेयर धारित (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	–	–	–
(ग) जी डी आर और ए डी आर के लिए धारक के पास रखे शेयर	–	–	–
सकल योग (क+ख+ग)	25,000/-	25,000/-	0%

(ii) प्रोमोटर की शेयर धारिता

क्र.सं.	शेयरहोल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			
		शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयर की कुल %	कुल शेयरों में बंधक/ प्रतिबंधक शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयर की कुल%	कुल शेयरों में बंधक/ प्रतिबंधक शेयर का %	वर्ष के दौरान धारित शेयरों में परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति	24998	99.98%	नहीं	24998	99.98%	नहीं	0%
2	वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग	1	0.01%	नहीं	1	0.01%	नहीं	0%
3	सी एम डी, आई टी पी ओ	1	0.01%	नहीं	1	0.01%	नहीं	0%
	कुल	25,000	100%	नहीं	25,000	100%	नहीं	0%

(iii) प्रोमोटर की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में डाटा-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण) बोनस/ स्वीट आदि	–	–	–	–
3.	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–

(iv) सर्वाधिक दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों और प्रोमोटरों और जीडीआर व ए डी आर के धारकों के अलावा):

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–
	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में डाटा-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्वीट आदि	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयर का %**	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयर का %**
	वर्ष के आरंभ में	**सी एम डी, आई टी पी ओ (1)**	**.01%**	**सी एम डी, आई टी पी ओ (1)**	**.01%**
	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में डाटा-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्वीट आदि	शून्य	–	शून्य	–
	वर्ष के अंत में	सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	.01%	सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	.01%

V. देनदारी

कम्पनी की देनदारी, जिसमें बकाया/ जमा ब्याज शामिल हैं लेकिन भुगतान के लिए बकाया नहीं है।

	जमा राशियों को छोड़कर ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल देनदारी
वित्तीय वर्ष के आरंभ में देनदारी (i) मूल धनराशि	शून्य	शून्य	–	शून्य
(ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–

(iii) ब्याज शामिल लेकिन देय नहीं	लागू नहीं	–		लागू नहीं
कुल (i + ii + iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन	–	–	–	–
• वृद्धि	–	–	–	–
• कमी	–	–	–	–
निवल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अंत में देनदारी (i) मूल धनराशि	–	–	–	–
(ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
(iii) ब्याज शामिल लेकिन देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i + ii + iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/ अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम			
		सी एम डी	ई डी	पूर्व ई डी (शुभ्रा सिंह)	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन	23,35,500/–	30,24,836/–	1,88,810/–	55,49,146/–
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियां	3,50,325/–	–	–	3,50,325/–
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2.	स्टॉक का विकल्प	–	–	–	–
3.	स्वीट इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ का % – अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	22,16,535/– (आवास भुगतान)	–	–	22,16,535/–
	कुल (क)	49,02,360/–	30,24,836/–	1,88,810/–	81,16,006/–
	अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदशकों का नाम	कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक** • बोर्ड/ समिति की बैठकों के लिए शुल्क	श्री पी. एन. विजय रु. 20,000/- प्रत्येक बैठक	रु. 2,4 0,000/-
	कमीशन	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (एयर ट्रेवल)	रु. 1,80,214/-	रु. 1,80,214/-
	कुल (1)	रु; 2,40,000/-	रु; 2,40,000/-
2.	अन्य गैर - कार्यकारी निदेशक बोर्ड/ समिति की बैठकों के लिए शुल्क	शून्य	शून्य
	कमीशन	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-
	कुल (2)	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1 + 2)	रु. 4,20,214/-	रु. 4,20,214/-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा		

ग. प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सी ई ओ	कम्पनी सचिव	सी एफ ओ	
1	**सकल वेतन**				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन	लागू नही	रु. 24,18,025/-	रु. 29,33,538/-	रु. 53,51,563/-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	-	रु. 1,84,192/-	रु. 2,89,693/-	रु. 4,73,885/-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ प्रतिशत के रूप में				
	- अन्य, स्पष्ट करें				
5	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-
	कुल	-	रु. 26,02,217/-	रु. 32,23,231/-	रु. 58,25,448/-

VII. जुर्माना/ दंड/ मिश्रित क्षति

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ मिश्रित शुल्क के विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	–	–	–	–	–
दंड	–	–	–	–	–
मिश्रित	–	–	–	–	–
ख. निदेशक					
जुर्माना	–	–	–	–	–
दंड	–	–	–	–	–
मिश्रित	–	–	–	–	–
ग. अन्य अधिकारियों की चूक					
जुर्माना	–	–	–	–	–
दंड	–	–	–	–	–
मिश्रित	–	–	–	–	–

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबन्ध-III

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

'इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन'

स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण से संबंधित रिपोर्ट

राय

हमने **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** ('कम्पनी') के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार स्टेण्डएलोन तुलन-पत्र, आय और व्यय (अन्य व्यापक आय शामिल हैं) का स्टेण्डएलोन विवरण उस समय समाप्त वर्ष के कैश-फ्लो का स्टेण्डएलोन विवरण एवं विशिष्ट गणना नीति का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा यथा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों और इसके अधिशेष (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में इसके परिवर्तनों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित की गई हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के तहत स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के साथ कंपनी के स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं के अनुसार और कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार पूरा

प्रबंधन के उत्तर

किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा के लिए साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त और हमारी राय के लिए आधार के रूप में उपयुक्त हैं।

मामले पर बल

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

1. कंपनी की नीति के अनुसार जिस संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की भौतिक जांच वर्ष 2017-18 में की जानी थी, उनकी भौतिक जांच पूरी न करना (स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3.4 देखें)। वास्तविक विवरण। वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 3.4 देखें।
2. कंपनी के अन्य पक्षकारों के व्यापार प्राप्यों, ऋणों, अग्रिमों, व्यापार, देयताओं की कुछ शेष धनराशियों की पुष्टि/ मिलान न होना (स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.6 देखें) वास्तविक विवरण। वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 31.6 देखें।
3. प्रगति मैदान में एक 5 सितारा होटल के विकास एवं प्रचालन के लिए एक बोलीदाता की प्रतिभूति राशि की जब्ती के लिए एक अपवाद स्वरूप आय के रूप में 1694.92 लाख रु. (जी एस टी निबल 305.08 लाख रु. की राशि) की पहचान। बोलीदाता ने इस जब्ती के खिलाफ विरोध किया है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की है, जिसका अभी नियमन होना है। (स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31.7(ग) देखें)। वास्तविक विवरण। वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 31.7 (ग) देखें।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य सूचना और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट और उन पर अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष के रूप में विचार व्यक्त नहीं करते।

स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध

में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य सूचना पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी पर्याप्त रूप से असंगत है अथवा पर्याप्त रूप से अन्यथा गलत बयानी प्रतीत होती है।

यदि, अन्य सूचना पर हमारे किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की एक बड़ी गलत बयानी है, हमें इस तथ्य की सूचना देनी अपेक्षित है। हमें इस संबंध में कुछ रिपोर्ट नहीं करना है।

स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व और शासन के प्रति जिम्मेदारियां

कम्पनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम, की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के अंतर्गत इन स्टेण डअलोन वित्तीय भारतीय मानक विवरणों को तैयार करना है जो अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के द्वारा यथा संशोधित कंपनी नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) सहित भारत में सामान्यः तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में बदलाव एवं कैश-फ्लो का सही एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन करना; तथा वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करें, जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों। चाहे वह धोखाधड़ी या गलती से ही क्यों न हुए हों।

स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल वर्तमान संस्था को जारी रखने, यथा लागू, वर्तमान संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटन करने और वर्तमान संस्था के लेखांकन आधार का तब तक उपयोग करने, जब तक निदेशक मंडल कंपनी को जारी रखना चाहे अथवा प्रचालनों को बंद

करना चाहे अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई उचित विकल्प न हो, कंपनी की योजना का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय सूचना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों में कोई गलत बयानी तो नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा चूक हो और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक अन्य स्तरीय आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं होता कि एस ए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में प्राय: किसी गलत बयानी, यदि कोई हो, का पता चल जाता है। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती है और इसे बड़ी माना जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से अथवा मिलकर वे स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा से किए गए हों।

एस ए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर तरीका अपनाते हैं। साथ ही हम:

- स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की बड़ी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या यह धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण है, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया, डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के कारण किसी बड़ी गलतबयानी का पता न चलने का जोखिम चूक के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या कथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन

की जा सके जो इस परिस्थिति में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3i) (1) के तहत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का प्रचालनात्मक प्रभाव है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संगत प्रकटनों की औचित्यता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के प्रचलित लाभकारी संस्थानों का प्रबंधन द्वारा उपयोग करने की औचित्यता को समाप्त करना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जिससे लाभकारी संस्थान के रूप में जारी रहने के लिए कंपनी की योग्यता पर काफी संदेह हो सकता है, यदि हम यह निश्चय करते हैं कि एक बड़ी अनिश्चतता है, हमें स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों में संगत प्रकटीकरण के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना है अथवा इस प्रकार के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए अपर्याप्त है। हमारी निष्कर्ष हमारी लेखा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों से कंपनी एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहना समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और मात्रा का मूल्यांकन करना और यह कि क्या स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरण विशेष सौदों और घटनाओं को इस ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति होती है।

हम अन्य के बीच शासन से जुड़े व्यक्तियों से लेखा परीक्षा के नियोजित क्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के संबंध में संप्रेषण करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रक में महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और मामलों के बारे में सूचित करना है जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संगत संरक्षा के लिए अपेक्षित माने जा सकते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुच्छेद 1 उप-अनुच्छेद 2(iii) के द्वारा कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है।
2. हम कंपनी की पुस्तकों और रिकार्डों की ऐसी जांचों के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जिनको हम उपयुक्त मानते हैं तथा प्रबंधन के द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुबंध 'क' में दी गई है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में कानूनन अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग. स्टेण्डएलोन तुलन पत्र, आय स्टेण्डएलोन और व्यय का विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा कैश-फ्लो कर स्टेण्डएलोन विवरण इस रिपोर्ट का भाग है, जो लेखा बहियों से मेल खाता है।

घ. हमारी राय में उपरोक्त स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी की धारा 133 के तहत समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) का पालन करते हैं।

ङ. उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित मामले पर बल पर विषय में कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

च. भारत सरकार के द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(ई) के अनुसरण में सरकारी

कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट 'अनुबंध-ख' में दी गई है।

ज. भारत सरकार के द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

झ. कंपनी और (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है :-

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट किया है (स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.1 देखें)

(ii) कम्पनी का नकली संविदा सहित ऐसा कोई दीर्घावधिक अनुबंध नहीं था।

(iii) धारा 8 की कंपनी होने के कारण इसके सदस्यों को लाभांश भुगतान करना प्रतिबंधित है जिसके कारण कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए धनराशियों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई धारा लागू नहीं होती है।

कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार, फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन
हस्ता.
(अंकुर गोयल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 99143
यूडीआईएन 19099143 एएएएएएन6737

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 29 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - 'क'

(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

वर्ष 2018-19 के इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वार्षिक लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी निर्देश एवं उप-निर्देश।

क्र.सं.	निर्देश/ उपनिर्देश	लेखा परीक्षकों के उत्तर	प्रबंधन के द्वारा उन पर की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क	निर्देश			
1.	क्या कंपनी के पास आई टी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन पर कार्रवाई के स्थान पर कोई प्रणाली है? यदि हां तो लेखों की सत्यता पर आई टी प्रणाली से बाहर के लेखांकन सौदों पर कार्रवाई के प्रभाव और यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो तो बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के लेखांकन लेन-देन टेली ई आर पी 9 लेखांकन सॉफ्टवेयर में हैं और आई टी प्रणाली से बाहर कार्रवाई नहीं की जाती।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई प्रभाव नहीं
2.	क्या मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्संरचना है अथवा एक ऋणकर्ता द्वारा कंपनी की ऋण अदायगी में अक्षमता के कारण से, दिए गए ऋण/ उधार/ ब्याज आदि की माफी अथवा बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव बताए जाएं।	हमें दी गई सूचना स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शून्य उधारी है। अत: मौजूदा ऋण पुनर्गठन अथवा ऋणकर्ता द्वारा कंपनी की ऋण अदायगी में अक्षमता के कारण से, दिए गए ऋण/ उधार/ ब्याज आदि की माफी/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई प्रभाव नहीं

3.	क्या केंन्द्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्त की जाने वाली धनराशि निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से शामिल की गई/ उपयोग की गई है। विचलन के मामलों की सूची दें।	केंन्द्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए व्यापार संवर्धन हेतु राशि आई टी पी ओ द्वारा प्राप्त/ प्राप्त की जाने वाली है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केंन्द्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्त की जाने वाले राशि निबंधन और शर्त के तहत उपयुक्त रूप से शामिल की गई/ प्रयोग की गई।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई प्रभाव नहीं
ख	**उप निर्देश**			
	शून्य			

कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

ह./-
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143
यूडीआईएन 19099143 एएएएएन6737

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 29 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'ख'

(इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष की स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरण पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 3(छ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** ('कंपनी') की दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रणों की, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा को साथ में रखकर लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी (मार्ग-निर्देशन टिप्पणी) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और चूकों की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित कारोबार का समुचित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय संसूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी ('मार्ग-निर्देशन टिप्पणी') और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए यथा लागू, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों, जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं, इनके अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्ग-निर्देशक टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाए और इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किया जाए कि क्या वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या यह नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूकों के कारण हो, का आकलन करना शामिल है।

हम यह विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय संसूचना पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय संसचूना की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत ब्यौरे में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों तथा उनकी प्रकृति को सटीक और स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को आवश्यकतानुसार सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमति के लिए दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रावधान और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनके अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें मिली-भगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, नियंत्रणों को ताक पर रखकर धोखा-धड़ी अथवा चूक के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं, और उनका पता भी नहीं चले। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान भी ऐसे जोखिम के अध्यधीन होते हैं, जिससे कि वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

राय

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में कंपनी का सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी है और वित्तीय संसूचना पर ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण के मानकों के आधार पर है।

कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकृत संख्या 000346एन

ह./-
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143
यूडीआईएन 19099143 एएएएएएन6737

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 29 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट

योग्य राय

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('इसे इसके बाद से धारित कम्पनी कहा गया') और इसकी अनुषंगी कंपनियों (धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर 'समूह' कहा गया है), इसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था और इसकी एसोसिएट के समेकित वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष का समेकित तुलन-पत्र, आय और व्यय का समेकित विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण और उस वर्ष के लिए कैश-फ्लो के समेकित विवरण एवं विशिष्ट गणना नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद इसे 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में उल्लेख किया गया है) शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी रिपोर्ट के योग्य राय खंड के लिए आधार में निर्दिष्ट मामले के प्रभावों को छोड़कर उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा यथा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों और इसके अधिशेष (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में इसके परिवर्तनों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह की भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित की गई हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के साथ कंपनी के स्वतंत्र समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था एवं एसोसिएट हैं और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं के अनुसार और कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे निम्नलिखित मामलों को छोड़कर समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी पर्याप्त और हमारी राय के लिए आधार के रूप में उपयुक्त हैं।

1. अनुषंगी कंपनी - टी एन टी पी ओ

क) नोट 9 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां' के तहत 'वसूलनीय सेवा कर' मद की राशि 83.29 लाख रु. 30.06.2017 तक प्राप्त अग्रिम राशि पर भुगतान किए गए सेवा कर से संबंधित है, जिसके लिए जी एस टी टी आर ए एन -। नहीं भरने के कारण जी एस टी में योजना अनुमान्य नहीं है।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि इसे जी एस टी/ सेवा कर देनदारी के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, वापसी के लिए कोई दावा संभव नहीं हैं, क्योंकि वापसी का दावा करने की समय-सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है (केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 11बी के तहत सेवा कर की अदायगी की तारीख से 1 वर्ष)।

उपरोक्त के आधार पर यह 83.29 लाख रु. की राशि व्यय के रूप में बट्टे खाते में डाली जाने वाली है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष और वर्तमान कर परिसंपत्तियां उतनी ही सीमा तक अधिक हो गई हैं।

ख) यह उल्लेख किया गया कि ग्राहकों से दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 31 अगस्त, 2018 तक अग्रिम प्राप्त न होने पर जी एस टी का भुगतान नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 1 जुलाई, 2017 से 31 अगस्त, 2018 के बीच प्राप्त ऐसी अग्रिम राशि को निम्नलिखित में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :-

i) ऐसी अग्रिम राशि, जो जब्त/ निरस्त कर दी गई जिस पर कोई जी एस टी भुगतान नहीं किया गया था - जी एस टी देनदारी जिसे ब्याज सहित आकलित किया जाना था और वित्तीय विवरणों में प्रदान किया जाना था। इसका अधिशेष राशि में कटौती का प्रभाव होगा।

ii) ऐसी अग्रिम राशि, जो भविष्य के आयोजनों के लिए लंबित है और इन मदों पर कोई जी एस टी भुगतान नहीं किया गया था-जी एस टी देनदारी, जिसे ब्याज सहित आकलित किया जाना था और वित्तीय विवरणों में प्रदान किया जाना था।

iii) ऐसी अग्रिम राशि, जिसके संबंध में बिलिंग पूर्ण है और जी एस टी का भुगतान किया गया था - ऐसी मदों के संबंध में ब्याज देनदारी 18 प्रतिशत प्रति वर्ष है, जो समय भिन्नता के लिए जी एस टी कानून के तहत लागू है (अर्थात अग्रिम राशि की प्राप्ति की तारीख से और इनवायस/ बिलिंग की तारीख से)।

iv) ऐसी अग्रिम राशि जिसे पक्षकारों को वापस किया गया - अग्रिम राशि के एकत्र की तारीख से वापसी की तारीख तक की अवधि के संबंध में ब्याज देनदारी अग्रिम राशि के जी एस टी घटक के लिए प्रदान की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान कर परिसंपत्तियां अधिक बताई गई हैं और ग्राहकों (भावी आयोजनों/ वापसी योग्य राशियों के लिए)/ व्यापार से अग्रिम राशि उस सीमा तक अधिक बताई गई हैं।

ग) यह उल्लेख किया जाता है कि 1 सितंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 70.97 लाख रु. की राशि के लिए ग्राहकों से कतिपय अग्रिम राशि पर जी एस टी का भुगतान नहीं किया गया है।

परिणामी अतिरिक्त जी एस टी देनदारी राशि 12.77 लाख रु. आकलित की गई है।

घ) ग्राहकों, व्यापार प्राप्य, टी डी एस प्राप्य, विविध आय और जी एस टी समायोजनों से अग्रिम राशि

विगत कई वर्षों की निम्नलिखित मदों की शेष राशि का सहायता रिकार्ड (अर्थात अग्रिम कार्य एक्सल में रखा गया) और सामान्य खाता बही (टेली सिस्टम) के बीच मिलान किया गया जाना शेष है।

क्र. सं.	मद	निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत	वित्तीय विवरण नोट संदर्भ
1	व्यापार प्राप्य	व्यापार प्राप्य	11
2	ग्राहकों से भावी आयोजनों से अग्रिम राशि आयोजकों को रिफंड	अन्य वर्तमान देनदारियां	25
3	आयकर/ टी डी एस वसूलनीय	गैर चालू, कर परिसंपत्तियां	8
4	आयोजन से संबंधित अग्रिम राशि की जब्ती जो 'अन्य गैर प्रचालन आय' का भाग है	अन्य आय	28

उपरोक्त मदों के बीच अंतर-संबंध की प्रकृति के कारण, किसी एक मद में कोई भी परिवर्तन अन्य मदों के शेष को प्रभावित करेगा।

मिलान, समायोजन, यदि अपेक्षित है, पूरा होने पर आय और व्यय के विवरण तथा तुलन पत्र में पर्याप्त प्रभाव हो सकता है।

उपरोक्त प्रभाव के आधार पर, टी एन टी पी ओ के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34 के तहत 'ग्राहकों के पास अनुबंधों से राजस्व के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक - 115 के तहत प्रकटीकरण' को तदनुसार संशोधित किया जाना है।

2. अनुषंगी कंपनी - के टी पी ओ

वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2012-13 से 2018-19 के लिए आयकर का प्रावधान नहीं किया

आयकर देनदारी के मामले पर समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33.4 (iii) का संदर्भ लिया गया है। के टी पी ओ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा करते हुए अपने शुरुआत से ही आय शून्य घोषित करके आयकर विवरणी दाखिल करता रहा है। तथापि, आकलन अधिकारियों ने इस आधार पर इस दावे को अस्वीकार कर दिया है कि आयकर अधिनियम की धारा 2(15) को संशोधित करके वित्त अधिनियम, 2008 लाया गया है, जिसमें परंतुक को जोड़ा गया है, जिसके तहत 'सामान्य सार्वजनिक उपयोग की कोई अन्य वस्तु चैरिटेबल के प्रयोजन के लिए नहीं होगी, यदि इसमें (क) व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप (ख) किसी कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यवसाय के संबंध में सेवा प्रदान करने का कोई कार्य शामिल है, जो उपयोग अथवा अनुप्रयोग अथवा ऐसे क्रियाकलाप से आय को रोकने की प्रकृति के वाबजूद एक उपकर अथवा शुल्क या किसी अन्य की वस्तु के लिए है।' तदनुसार, आय कर विभाग ने आकलन वर्ष 2009-10 (वित्तीय वर्ष 2008-09) से के टी पी ओ द्वारा देय कर का आकलन किया है, जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार है :

आकलन वर्ष	की गई मांग (रु. लाख में)	के टी पी ओ द्वारा दावा किया गया टी डी एस रिफंड (लाख रुपये में)	वर्तमान स्थिति
2009-10	आकलन लंबित	7.16	आकलन लंबित
2010-11	शून्य	8.35	स्वीकृत आकलन के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। विभाग की अपील न्यायाधिकरण में खारिज।
2011-12	58.31	31.38	स्वीकृत आकलन के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। विभाग की अपील न्यायाधिकरण में खारिज।
2012-13	110.47	48.80	स्वीकृत आकलन के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। विभाग की अपील न्यायाधिकरण में लंबित।
2013-14	238.80	70.50	अपील दाखिल और लंबित
2014-15	158.75	83.57	अपील दाखिल और लंबित
2015-16	लंबित	95.06	आकलन लंबित
2016-17	239.80	69.99	सहायक आयुक्त (अपील) के पास धारा 143(1) के तहत प्राप्त सूचना के खिलाफ अपील दाखिल की गई जो लंबित है।
2017-18	लंबित	579.24	आकलन लंबित
2018-19	लंबित	232.17	आकलन लंबित
2019-20	लंबित	76.89	आकलन लंबित

के टी पी ओ को अपर आयुक्त, आयकर (तकनीकी)-। से दिनांक 26.02.2013 को नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी, धारा 2(15) के संशोधन की तारीख से और उसके आगे आकलन वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत मूल अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया था। के टी पी ओ ने नोटिस पर पुनर्विचार करने के लिए लिखित अनुरोध दाखिल किया था और के टी पी ओ को इस संबंध में आगे कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

के टी पी ओ को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक (3) के तहत पंजीकरण निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी प्राप्त हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में के टी पी ओ ने आयकर विभाग को मामला समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन किया था क्योंकि उस मामले को केवल आकलन के समय पर ही देखा जाना चाहिए था, इस संबंध में निर्णय अभी आना शेष है। वर्ष 2016-17 के आकलन वर्ष के लिए, आकलन प्राधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत इकट्ठा करने का दावा निरस्त करते हुए दिनांक 17.03.2018 को सूचना जारी की क्योंकि फार्म 10 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) नियत तारीख के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। विलंब को माफ करने के लिए सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दाखिल की गई है, जो लंबित भी है।

के टी पी ओ ने स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों में आयकर देनदारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। यह उक्त विवरणों में भी दिखाया गया है कि 1310.92 लाख रु. की राशि टी डी एस के रूप में विभाग द्वारा वापसी योग्य (रिफंडेबल) दर्शाई गई है। तथापि, विभाग ने अपनी मांगों के लिए इस राशि को समायोजित किया/ रखा है। उपरोक्त तथ्यों और आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए के टी पी ओ को वित्त वर्ष 2008-09 और 2012-13 से 2017-18 के लिए कर के लिए प्रावधान करना चाहिए। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2015-16 के लिए की गई मांगों के लिए अपेक्षित प्रावधान उपरोक्त सारणी में दर्शाए गए हैं। अन्य वित्तीय वर्ष के लिए हम अपेक्षित सूचना/ विवरण के अभाव में प्रावधान की राशि का आकलन करने में असमर्थ हैं।

3. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था - एन सी टी आई

हम इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि एन सी टी आई का परिसमापन पर बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया है कि एन सी टी आई की परिसमापन औपचारिकताएं शीघ्र आरंभ की जाएं। अत: हम इसे लाभकारी संस्था के रूप में जारी रखने की इसकी क्षमता पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि एक बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, जिससे एन सी टी आई की एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर काफी संदेह हो सकता है। (एन सी टी आई के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 38 देखें)

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले ऐसे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, विद्यमान वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों में समग्र रूप से हमारी लेखा परीक्षा के प्रसंग में और उस पर हमारी राय देने में शामिल किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय नहीं देते। हमने नीचे दिए मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

सहायक कंपनी - टी एन टी पी ओ

क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(15) अथवा धारा 12(23ग) (iv) के तहत छूट वापसी पर निर्णय लंबित रहने पर टी एन टी पी ओ द्वारा आयकर और आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (समेकित विवरणों की टिप्पणी सं. 33.4 (ii) देखें)

ख) टी एन टी ओ पी में बहुत कम स्टाफ होने से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालन प्रभावकारिता हो रही है।

ग) <u>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां</u> :

- <u>वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व</u> - मौजूदा दस्तावेज वित्तीय शक्तियों के प्रायोजन में प्रबंधक (लेखा), उप प्रबंधक (लेखा) और आउटसोर्स मैनपावर सेवा प्रदाताओं से अन्य पदाधिकारियां जो वित्तीय लेन-देन की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य करते हैं, उनकी शक्तियों और दायित्वों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

  कर्मचारियों और अन्य आउटसोर्स पदाधिकारियों के कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने वाले दस्तावेज तैयार नहीं किए गए हैं। अत: संगठन की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराने में समस्या है।

- <u>लेन-देन का प्राधिकार और अनुमोदन</u> - यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण स्थापित नहीं है कि टैली वित्तीय लेखांकन प्रणाली में केवल प्राधिकृत लेन-देन हो। इसके अलावा, लेन-देन के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रणाली स्थापित नहीं है।

  विशेष रूप से, जर्नल की प्रविष्टियों के संबंध में नकद कैश-फ्लो/आउट फ्लो का प्रभाव नहीं है, पारित प्रविष्टियों में अधिकृत कार्य प्रणाली और संगत साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। इन प्रविष्टियों के उदाहरण में पूंजीकरण प्रविष्टियां, मूल्यह्रास प्रविष्टियां, शोधक प्रविष्टियां, अग्रिम समायोजन प्रविष्टियां, टी डी एस प्राप्य और जी एस टी समायोजन प्रविष्टियां शामिल हैं।

  संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संबंध में पारित सही जर्नल प्रविष्टियों और अपवाद स्वरूप जर्नल प्रविष्टियों का विवरण नीचे दिया गया है -

क. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

निम्नलिखित मामलों में बिना समुचित रूप से प्राधिकृत कार्यों, स्पष्टीकरणों और संगत साक्ष्य के पर्याप्त धनराशि के लिए जर्नल प्रविष्टियां अव्यवस्थित तरीके से की गई हैं :-

प्रविष्टियों का सार

प्रविष्टि सं. 1क - वित्तीय वर्ष 2017-18 में मूल प्रविष्टि

दिनांक	विवरण	बाउचर टाइप	बाउचर सं.	निकाली गई राशि	जमा की गई राशि
01.04.2017	मूल्यह्रास आरक्षित	जे वी (एड) प्रविष्टि	2 और 4	56,66,667.00	
	संयंत्र और मशीनरी के लिए				56,66,667.00
क्योंकि पुराने चिल्लर के लिए अधिक्य मूल्यह्रास प्रभारों के लिए प्रविष्टि वर्ष 2014-15 के दौरान ठीक करके बदल दी गई थी।					

प्रविष्टि सं. 1ख - वित्त वर्ष 2018-19 में प्रभावित प्रविष्टि सं. 1ए (उपरोक्तानुसार) का प्रत्यार्वन

दिनांक	विवरण	बाउचर टाइप	बाउचर सं.	निकाली गई राशि	जमा की गई राशि
31.03.2019	संयंत्र और मशीनरी के लिए	जे वी इंड ए एस सौदा प्रविष्टियां	1 और 2	56,66,667.00	
	मूल्यह्रास आरक्षित				56,66,667.00
क्योंकि गलत प्रकटीकरण के लिए संशोधन प्रविष्टि और संयंत्र व मशीनरी को सकल ब्लॉक और संचित मूल्यह्रास से हटाया गया!					

प्रविष्टि सं. 2ए - वित्त वर्ष 2017-18 में मूल प्रविष्टि

दिनांक	विवरण	बाउचर टाइप	बाउचर सं.	निकाली गई राशि	जमा की गई राशि
01.04.2017	मूल्यह्रास आरक्षित	जे वी (एड प्रविष्टियां	3	3,69,203.00	
	कार के लिए				3,69,203.00
क्योंकि वर्ष 2014-15 के दौरान बेची गई कार के लिए प्रविष्टि शामिल की गई है।					

प्रविष्टि सं. 2बी - वर्ष 2018-19 में प्रभावित प्रविष्टि सं. 2ए (उपरोक्तानुसार) का प्रत्यावर्तन

दिनांक	विवरण	बाउचर टाइप	बाउचर सं.	निकाली गई राशि	जमा की गई राशि
31.03.2019	कार से	जे वी-इंड ए एस सौदा प्रविष्टियां	6	3,69,203.00	
	मूल्यह्रास आरक्षित के लिए				3,69,203.00
क्योंकि परिसंपत्तियां जो पहले ही बेची जा चुकी हैं और इंड ए एस के लिए शून्य लागत पर मानी गई, आगे वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष में निपटान समायोजन के रूप में प्रकटन की गई, अत: संशोधित की जाती है।					

प्रविष्टि सं. 3ए - वित्त वर्ष 2018-19 में मूल प्रविष्टि

दिनांक	विवरण	बाउचर टाइप	बाउचर सं.	निकाली गई राशि	जमा की गई राशि
31.03.2019	संयंत्र एवं मशीनरी	जे वी	1676	8,82,345.00	
	जीएसटी आईटी सी			1,58,822.00	
	ब्लू स्टार के लिए				10,05,873.00
	जी एस टी पर टी डी एस के लिए				17,647.00
	आयकर टी डी एस के लिए				17,647.00
क्योंकि प्रविष्टि चिल्लरों को बदलने कन्वेशन सेंटर में सहायक सामान के साथ एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए मैसर्स ब्ल्यू स्टर लिमि. को बिल सं. ओएस/368 दिनांक 04.04.2019 के तहत देय।					

प्रविष्टि सं. 3बी - वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रभावी प्रविष्टि सं. 3ए (उपरोक्तानुसार) का प्रत्यावर्तन

दिनांक	विवरण	बाउचर टाइप	बाउचर सं.	निकाली गई राशि	जमा की गई राशि
31.03.2019	ब्ल्यू स्टार	जे वी-समायोजन	3	10,05,873.00	
	जी एस टी पर टी डी एस			17,647.00	
	आयकर पर टी डी एस			17,647.00	
	संयंत्र और मशीनरी				8,82,345.00
	जीएसटी आईटीसी के लिए				1,58,822.00
क्योंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित, संयंत्र और मशीनरी में नियत परिसंपत्ति ब्लॉक में अधिक्य परिवर्धन किया गया।					

ख. टैली वित्तीय लेखांकन पैकेज में टी डी एस शेष सहित 26 ए एस विवरण के अनुसार आयकर टी डी एस का मिलान करने पर टेली में टी डी एस को जर्नल बाउचर (समायोजन) 26 और 29 के तहत संशोधित किया गया था।

<u>टैली प्रणाली में की गई प्रविष्टि में वित्त वर्ष 2018-19 (सौदे की तारीख 31.03.2019) के लिए उपरोक्त संशोधनों के सत्यापन पर टिप्पणियां</u>

सीमितता:

i) किए गए टी डी एस प्राप्य प्रत्यावर्तन के लिए मूल जर्नल प्रविष्टि के संदर्भ के विवरण 'जर्नल बाउचर (समायोजन) बाउचर' संख्या 20 और 29 के तहत 35 ग्राहक लेखों के संबंध में की गई सभी संशोधन प्रविष्टियों के लिए प्रदान किए गए हैं।

ii) संशोधन प्रविष्टियों में प्रदान किए गए मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन के विवरण अधूरे हैं।

उपरोक्त सीमितता के अध्यधीन हमने तीव्र सीमित समीक्षा की और हमारी टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

टिप्पणी-1

ग्राहक 43वें ए ओ एम एस आई सम्मेलन के मामले में टी डी एस प्राप्य प्रत्यावर्तन प्रविष्टि पर विचार किए बिना दिनांक 12-13 अक्टूबर, 2018 को आयोजित '43वें ए ओ एम एस आई सम्मेलन-2019 के नाम से आयोजन के संबंध में दिनांक 24/10/2018 के बिल सं. सी टी सी/109' के नाम से आयोजन में 10/05/2019 को 2,23,048 रु. का रिफंड किया गया। इसके साथ ही, दिनांक 10/5/2019 के भुगतान बाउचर सं. 168 को भी देखें।

यदि जर्नल बाउचर (समायोजन) संख्या 29 के तहत प्रत्यावर्तन पर विचार किया जाता है, तो गलत रिफंड के लिए 1,63,164 रु. के स्थान पर 3,86,212 रु. की राशि दिनांक 10/5/2019 की स्थिति के अनुसार वसूली जानी है।

टिप्पणी-2

विजय टेलीविजन प्रा. लिमि. के संबंध में जे वी सं. 12, दिनांक 09/04/2018 के तहत टी डी एस प्राप्य को मूल रूप से रु.1,80,517/- प्रविष्टि की गई थी।

वोल्टेक इंजीनियर्स प्रा. लिमि. के संबंध में जे वी सं. 772, दिनांक 16.11.2018 के तहत टी डी एस प्राप्त भी मूल रूप से 1.31 लाख रु. की प्रविष्टि की गई।

विजय टेलीविजन प्रा. लिमि. में 0.49 लाख रु. की राशि घटाकर उपरोक्त दो प्रविष्टियों को गलत तरह से संशोधित किया गया था और वोल्टेक इंजीनियर्स प्रा. लिमि. में उस राशि में वृद्धि हुई।

इस प्रथम दृष्टया गलती के कारण उपरोक्त पक्षकारों के बीच अधिक्य/ कम रिफंड होगा।

टिप्पणी-3

ग्राहक उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार के मामले में टी डी एस प्राप्य प्रत्यावर्तित प्रविष्टि पर विचार किए बिना 3,14,28,423/- रु. की राशि का अंतिम निपटान 25 मई, 2019 को 'बिल सं. सी टी सी/160 और सी सी सी/161 दिनांक 31/01/2019 के तहत 22-23 जनवरी, 2019 से टी एन जी आई एम-2019' के नाम से आयोजन के संबंध में किया गया था। इसके साथ ही दिनांक 25 मई, 2019 की पावती सं. 21 को भी देखें।

यदि जर्नल बाउचर (समायोजन) सं. 29 के तहत प्रत्यावर्तन 29.32 लाख रु. के रूप में विचार किया गया है उसे आगे 25/5/2019 की स्थिति के अनुसार वसूला जाना है।

- अनुप्रयोग कार्यक्रम स्तर (बिलिंग सॉफ्टवेयर और टैली वित्तीय लेखांकन प्रणाली) में तार्किक एक्सेस कंट्रोल हैंडलिंग ट्रांजेक्सन प्रविष्टी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, रिपोर्ट तैयार करने, वित्तीय सटीकता और संगत प्रचालन डाटा का अनुरक्षण स्थापित नहीं किया गया है।

  प्रत्येक कर्मचारी/ आउटसोर्स पदाधिकारियों के लिए अलग यूजर क्रीडेंशियल सृजित नहीं किए गए थे और इसीलिए जवाबदेही तय नहीं की गई है।
- लेन-देनों और शेष की सटीकता स्थापित होना सुनिश्चित न होने पर विभिन्न विभागों और लेखा विभाग के बीच सामंजस्य के लिए नियंत्रण।
- समापन प्रविष्टियों की सटीकता और पूर्णता स्थापित होना सुनिश्चित न होने पर बहियों के वार्षिक समापन के संबंध में नियंत्रण।
- टेली वित्तीय लेखांकन प्रणाली में पूर्व दिनांकित प्रविष्टियों/ परवर्ती संशोधन अथवा प्रविष्टियों के लोप को रोकने के लिए नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया है, जिसकी लेखा परीक्षा ट्रेल/ लॉग ट्रेल/ ऐसी परिस्थितियों की पहचान को रोकने के लिए नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया है। प्रविष्टि की तारीख और समय के साथ पूर्व दिनांकित सौदों/ संशोधनों से प्रभावित व्यक्ति की पहचान के लिए लेखा परीक्षा ट्रेल/ लॉग आवश्यक नहीं है ताकि जवाबदेही प्रदान की जा सके।

घ) दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की 'अन्य वित्तीय देनदारियों' के संबंध में टिप्पणी सं. 24 में कर्मचारियों की बकाया परिलब्धियों के संबंध में और दीर्घावधिक विलंब के संबंध में 28,77,715 रु. की शेष राशि शामिल है। इन लाभों को प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रबंधन द्वारा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

ङ) सकल निहित राशि में 60.41 लाख रु. की राशि और मूल्यह्रास आरक्षित में 60.39 लाख रु. की राशि अवधि पूर्व की गलतियों के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर समायोजन प्रविष्टियां संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी के तहत टी एन टी पी ओ के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3 के फुटनोट के रूप में प्रकट की गई है। पारित शुद्धिकरण प्रविष्टियों पर कार्य का अभी भी अचल परिसंपत्ति मद-वार रजिस्टर के साथ मिलान किया जाना है और अनुमोदित किया जाना है।

लाभकारी संस्था के संबंध में बड़ी अनिश्चितता

जैसा कि हमारी रिपोर्ट के अर्हता राय खंड के चयन के लिए आधार में उल्लिखित है, हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि एन सी टी आई के परिसमापन पर बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कंपनी की परिसमापन औपचारिकताओं को शीघ्र शुरू किया जाए। अत: हम एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की योग्यता पर राय व्यक्त करने के लिए असमर्थ हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि एक बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने के लिए इस कंपनी की योग्यता पर पर्याप्त संदेह कर सकता है।

मामले पर बल

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. **धारित कंपनी**

क) धारित कंपनी की नीति के अनुसार जिस संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की भौतिक जांच वर्ष 2017-18 में की जानी थी, उनकी भौतिक जांच पूरी न करना (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3.4 देखें)।

ख) धारित कंपनी के अन्य पक्षकारों के व्यापार प्राप्यों, ऋणों तथा अग्रिमों, व्यापार, देयताओं की कुछ शेष धनराशियों की पुष्टि/ मिलान न होना (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33.7 देखें)

ग) प्रगति मैदान में एक 5 सितारा होटल के विकास एवं प्रचालन के लिए एक बोलीदाता की प्रतिभूति राशि की जब्ती के लिए एक अपवाद स्वरूप आय के रूप में 1694.92 लाख रु. (जी एस टी निबल 305.08 लाख रु. की राशि) की पहचान। बोलीदाता ने इस जब्ती के खिलाफ विरोध किया है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की है, जिसका अभी नियमन के लिए लंबित है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33.8(ग) देखें)।

2. **संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी - एन सी टी आई**

हमारी रिपोर्ट को योग्य किए बिना हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) शेष राशि पुष्टि एवं मिलान के अध्यधीन निम्नानुसार होती है :

(i) 57.86 लाख रु. के आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि (एन सी टी आई स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी 31 देखें)।

(ii) एन सी टी आई ने कंपनी (जमा राशि स्वीकार करना) नियमावली, 2014 में यथा उपलब्ध धनराशि को रिफण्ड न करके 57.86 लाख रु. शेयर आवेदन की धनराशि के बारे में उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

(iii) विभिन्न पक्षकारों के क्रेडिट और डेबिट शेष (स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 देखें)।

(iv) 'अन्य चालू देयताओं' के अंतर्गत दर्शायी एन सी टी आई की शेयर पूंजी के लिए आई टी पी ओ से 5 लाख रु. और एन आई सी से 5.35 लाख रु. (स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 28 देखें)।

(v) 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत दर्शायी गई 41.31 लाख रु. के वसूलनीय टी डी एस मिलान के अध्यधीन हैं।

(ख) निम्नलिखित के लिए तीन वित्तीय वर्षों के लिए बकाया देयताओं के संबंध में संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है :

(i) 0.07 लाख रु. के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रावधान

(ii) 13.25 लाख रु. आई टी पी ओ - परियोजनाएं

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य सूचना और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

धारित कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट और उन पर अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं हैं और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष के रूप में विचार व्यक्त नहीं करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य सूचना पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी पर्याप्त रूप से असंगत है अथवा पर्याप्त रूप से अन्यथा गलत बयानी प्रतीत होती है।

यदि, अन्य सूचना पर हमारे किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की एक बड़ी गलत बयानी है, हमें इस तथ्य की सूचना देनी अपेक्षित है। हमें इस संबंध में कुछ रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व और शासन के प्रति जिम्मेदारियां

धारित कम्पनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम में उल्लिखित मामलों के अंतर्गत इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना है जो अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2017 के द्वारा यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में बदलाव एवं कैश-फ्लो का सही एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट सहित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट की परिसंपत्तियों की संरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन करना; तथा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करें, जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों। चाहे वह धोखाधड़ी या गलती से ही क्यों न हुए हों, जिन्हें उपरोक्त धारित कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था ओर एसोसिएट सहित कंपनियों से संबंधित निदेशक मंडल समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट मंडल वर्तमान संस्था को जारी रखने, यथा लागू, वर्तमान संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटन करने और वर्तमान संस्था के लेखांकन आधार का तब तक उपयोग करने, जब तक निदेशक मंडल कंपनी को जारी रखना चाहे अथवा प्रचालनों को बंद करना चाहे अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई उचित विकल्प न हो, कंपनी की योजना का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट सहित कंपनियों से संबंधित निदेशक मंडल समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट की वित्तीय सूचना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र समेकित वित्तीय विवरणों में कोई गलत बयानी तो नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा चूक हो और एक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हों। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं होता कि एस ए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में प्राय: किसी गलत बयानी, यदि कोई हो, का पता चल जाता है। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती

है और इसे बड़ी माना जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से अथवा मिलकर वे समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा से किए गए हों।

एस ए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित संख्या और एसोसिएट सहित पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर तरीका अपनाते हैं। साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों की बड़ी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या यह धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण है, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के कारण किसी बड़ी गलतबयानी का पता न चलने का जोखिम चूक के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या कथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन की जा सके जो इस परिस्थिति में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या धारित कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का प्रचालनात्मक प्रभाव है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संगत प्रकटनों की औचित्यता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के प्रचलित लाभकारी संस्थानों का प्रबंधन द्वारा उपयोग करने की औचित्यता को समाप्त करना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में बड़ी अनिश्चितता मौजूद है जिससे लाभकारी संस्थान के रूप में जारी रहने के लिए कंपनी की योग्यता पर काफी संदेह हो सकता है, यदि हम यह निश्चय करते हैं कि एक बड़ी अनिश्चतता है, हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संगत प्रकटीकरण के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना है अथवा इस प्रकार के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए अपर्याप्त है। हमारी निष्कर्ष हमारी लेखा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों से समूह, संयुक्त नियंत्रित संख्या और एसोसिएट एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहना समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और मात्र का मूल्यांकन करना और यह कि क्या समेकित वित्तीय विवरण विशेष सौदों और घटनाओं को इस ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति होती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट के भीतर संस्थाओं अथवा कारोबारी क्रियाकलापों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। अन्य संस्थाओं के लिए, जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिनकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।

हम अन्य के बीच शासन से जुड़े व्यक्तियों से लेखा परीक्षा के नियोजित क्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के संबंध में संप्रेषण करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रक में महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और मामलों के बारे में सूचित करना है जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो संगत संरक्षा के लिए वहनीय माने जा सकते हैं।

शासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसीलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों को तब तक वर्णित नहीं करते जब तक कि कानून अथवा विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करते अथवा जब अत्यधिक असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले की हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित लाभ को महत्वपूर्ण साबित करने की संभावना होगी।

अन्य मामले

हमने अनुषंगी कंपनियों नामत: तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और संयुक्त नियंत्रित संस्था नामत: नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन और एसोसिएट नामत: जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की थी, जिनके वित्तीय विवरण 31.03.2018 को 44991.96 लाख रु. की कुल परिसंपत्तियों, 6815.80 लाख रु. के कुल राजस्व, 4074.50 लाख रु. की कुल विस्तृत आय और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 2109.68 लाख रु. की निवल नकदी लेन-देनों को दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है।

अनुषंगी कंपनियां नामत: तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था नामत: नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन और एसोसिएट नामत: जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट धारक कंपनी के प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत की है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक धनराशि और प्रकटीकरण के संबंध है, इन अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट के संबंध में शामिल किए गए हैं और अधिनियम की धारा 143 (3) के प्रावधानों के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपरोक्त अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट का संबंध है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट पर किए गए कार्य और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता से संबंधित उपरोक्त मामले तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कानूनन अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट के तहत समेकित तुलन पत्र, समेकित आय और व्यय का विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण तथा समेकित कैश-फ्लो विवरण संगत लेखा बहियों से मेल खाता है, जो समेकित वित्तीय विवरणों को तेयार करने के लिए रखे गए हैं।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार और मामले पर बल अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम, की धारा 133 के तहत समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) का पालन करते हैं।

(ङ) उपरोक्त योग्य राय में दिए आधार और मामलों पर बल अनुच्छेद में वर्णित मामले पर हमारी राय में समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(च) भारत सरकार के द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(ई) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित धारित कंपनी और अनुषंगी कंपनी संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट के वित्तीय विवरणों और ऐसे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट '**अनुबंध-क**' में दी गई है।

(ज) भारत सरकार के द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(ई) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की उपधारा (2) के प्रावधान समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट पर लागू नहीं होते हैं; तथा

(छ) कंपनी और (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है :-

(i) समेकित वित्तीय विवरण समूह, संयुक्त नियंत्रित कम्पनी की वित्तीय समेकित स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित और एसोसिएट वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33.1 देखें।

(ii) धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, संयुक्त नियंत्रित कम्पनी और एसोसिएट का नकली संविदा सहित ऐसा कोई दीर्घावधिक अनुबंध नहीं किया है।

(iii) धारा 8 की कंपनी होने के कारण समूह, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी और एसोसिएट को इसके सदस्यों के लाभांश की अदायगी से रोका गया है, इसलिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए धनराशियों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई धारा लागू नहीं होती है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

ह./-
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143
यूडीआईएन 19099143 एएएएएएन6737

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 29 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'क'

(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद (छ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('धारित कंपनी') और इसकी अनुषंगी कंपनियों (धारित कपंनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को एक साथ समूह कहा जाएगा) तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रणों की, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट के वित्तीय लेखांकन मानक विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा को साथ में रखकर लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित संस्था तथा एसोसिएट के संबंधित बोर्ड, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी (मार्ग निर्देशन टिप्पणी) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और चूकों की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित कारोबार का समुचित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय संसूचना पर समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी ('मार्ग निर्देशन टिप्पणी') और आई सी ए आई द्वारा जारी तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए यथा लागू, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों, जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए हैं, उनके अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्ग निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाए और इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किया जाए कि क्या वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या यह नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालनीय

प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूकों के कारण हो, का आकलन करना शामिल हैं।

हम यह विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने कंपनी की वित्तीय संसूचना पर प्राप्त किए हैं वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय संसचूना की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (i) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा उनकी प्रकृति को सटीक और स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को आवश्यकतानुसार सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, अनुमति के लिए दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रावधान और निदेशकों एवं प्रबंध के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनके अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल हैं, नियंत्रणों को ताक पर रखकर धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं, और उनका पता भी नहीं चले। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान भी ऐसे जोखिम के अध्यधीन होते हैं, जिससे कि वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

योग्य राय के आधार

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अनुषंगी कंपनी कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की निम्नलिखित कमियों के बारे में अन्य लेखा-परीक्षकों के द्वारा पहचान की गई है :-

क. के टी पी ओ की स्टॉफ संख्या कम होने से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसके प्रचालन की प्रभावकारिता प्रभावित हो रही है।

ख. विभिन्न कानूनों के लागू प्रावधानों का पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपर्याप्त हैं, जिसकी वजह से अतिरिक्त करों और क्षतियों का भुगतान किया जा सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'वास्तविक कमी' एक ऐसी कमी अथवा कमियों का समुच्चय होता है जिससे एक उचित संभावना होती है कि के टी पी ओ की वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों के वास्तविक भ्रामक कथन को एक समयबद्ध आधार पर रोका अथवा पता नहीं लगाया जा सकेगा।

योग्य राय

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद में उल्लिखित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर, ऊपर योग्य राय के अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, धारित कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनी, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनके सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय संसूचना पर ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था, जो आई सी ए आई द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह, संयुक्त नियंत्रित संस्था और एसोसिएट द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण के मानकों के आधार पर है।

अन्य मामले

अनुषंगी कंपनी नामत: कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और संयुक्त नियंत्रित संस्था नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफारमेशन और एसोसिएशन, जम्मू एवं कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के संबंध में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनीय प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट उक्त कंपनियों के लेखा परीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, अनुषंगी कंपनी टी एन टी पी ओ के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रिपोर्ट को दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना सं. जी एस आर 583(ई) के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना जी एस आर 464 (ई) के अनुसार छूट प्राप्त है।

हमारी राय उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

ह./–
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143
यूडीआईएन 19099143 एएएएएएन6737

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 29 अगस्त, 2019

अनुबंध-IV

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। इसे 29 अगस्त 2019 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक की ओर से

ह./-
(प्राची पाण्डेय)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पूर्व पदेन सदस्य
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 सितम्बर, 2019

अनुबंध-V

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतन्त्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। इसे 29 अगस्त, 2019 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, इसकी अनुषंगी कंपनी कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और तमिलनाडू ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन तथा इसके एसोसिएट जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। परन्तु 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत उस पर सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक की ओर से

ह./-

(प्राची पाण्डेय)

महानिदेशक

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक

एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पूर्व पदेन सदस्य

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 18 नवम्बर, 2019

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबंध-VI

कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित रिपोर्ट

1. कंपनी की गवर्नेंस फिलासफी

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी - इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं गवर्नेंस में प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों की झांकी प्रस्तुत करता है।

आई टी पी ओ सरकार की नीतियों के प्रति पूर्णत: समर्पित रहते हुए प्रबंधन को आवश्यक संरक्षण, सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रदान करने के लिए अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। आई टी पी ओ की गवर्नेंस प्रक्रिया, इसके उद्देश्य - 'उद्योग एवं व्यापार जगत को व्यापक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने तथा भारत का व्यापार बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने' पर केन्द्रित है। कम्पनी कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है।

आई टी पी ओ के मुख्य कार्यकलाप और सेवाएं हैं :

- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से औद्योगिक व्यापार का संवर्धन, आयोजन और भागीदारी करना तथा देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक एवं आकस्मिक उपाय करना।
- भारत में आयोजित किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का भारत तथा विदेशों में प्रचार करना तथा इनमें भाग लेने के लिए विदेशी भागीदारी जुटाना।
- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना जो व्यापार वस्तुओं से संबंधित हों।
- निर्यात को बढ़ाना एवं परम्परागत वस्तुओं के लिए नये बाजारों को तलाशना और नये उत्पादों के लिए निर्यात का विकास करना ताकि निर्यात व्यापार का अनुरक्षण, विविधीकरण और विस्तार हो।
- छोटे एवं मझौले उद्यमों को भारत एवं भारत से बाहर, दोनों जगह बाजार सुलभ कराने में समर्थन व सहायता करना।
- व्यापार सम्बन्धी डाटाबेस तैयार करना तथा उसे अद्यतन करना और भारत में व्यापार एवं उद्योग जगत के बीच उनका प्रचार-प्रसार करना।
- व्यापार संबंधी विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- व्यापार संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपने प्रदर्शनी हॉल एवं सुविधाएं अन्य आयोजकों को किराए पर देना।

कम्पनी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन तथा उस बारे में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशक मण्डल का आकार

आई टी पी ओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार (अब धारा 8) और इस समय इसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत भाग भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अन्तर्नियमों के अनुसार इसके निदेशक नियुक्त करने का अधिकार

भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की संख्या चार से कम तथा बारह से अधिक नहीं होगी।

2.2 निदेशक मण्डल की संरचना

निदेशक मण्डल में कुल 7 निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 2 कार्यात्मक निदेशक तथा 4 निदेशक भारत सरकार से नामित तथा एक स्वतंत्र निदेशक है।

श्री एल. सी. गोयल ने आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार 2 सितंबर, 2015 को ग्रहण किया था।

2.3 निदेशक मण्डल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

निदेशक मण्डल की बैठकें प्राय: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं। सामान्यत: इन बैठकों की तिथि पर्याप्त समय पहले तय हो जाती है तथा इसकी सूचना, बोर्ड की विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट तथा बोर्ड की अन्य स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशकों में परिचालित की जाती हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों को कम्पनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। निदेशक मण्डल द्व ारा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उनके बारे में जब अपेक्षित होता है, अतिरिक्त जानकारी देने हेतु इन बैठकों में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में बोर्ड की बैठकें क्रमश: 26 जून, 2018, 29 अगस्त, 2018, 28 नवंबर, 2018, 20 फरवरी 2019 और 25 मार्च 2019 को हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में उपस्थिति और अन्य निदेशकों (बॉडी कारपोरेट) (आई टी पी ओ के अलावा) की संख्या का विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें		अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (28 अक्टूबर, 2018)	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति (अन्य निदेशकों की संख्या)
		कार्यकाल में हुई बैठकें	उपस्थिति		
1.	श्री एल. सी. गोयल	5	5	हां	2 (केटीपीओ और टीएनटीपीओ)
2.	श्री दीपक कुमार	5	5	नहीं	5 (जेकेटीपीओ, केटीपीओ, टीएनटीपीओ, डब्ल्यूबीटीपीओ, एनसीआईटी)
3.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	5	5	नहीं	9 (एमएमटीसी, एसटीसी, एनटीसी, एचएमटी लिमि. भेल, इन्वेस्ट इण्डिया, इण्डिया इंटरनेशनल कंवेन्शन ऐण्ड एग्जीबिशन सेंटर लिमि., नेशनल जूट बोर्ड, नेशनल जूट मेन्यूफेक्चर्स कारपोरेशन लिमि.)

4.	श्री संजय चड्ढा	3	0	नहीं	–
5.	श्री प्रवीण बोनीगला	2	1	हां	2 (केटीपीओ, टीएनटीपीओ)
6.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	5	2	नहीं	2 (एनएसआईसी, डीएसआईआईडीसी)
7.	श्री विनोद के जैकब	3	0	नहीं	2 (वेपकोस, इन्वेस्ट इण्डिया)
8.	श्री मनोज के भारती	2	0	नहीं	2 (वेपकोस, इन्वेस्ट इण्डिया)
9.	श्री पी. एन. विजय	3	3	नहीं	5 (डाबर इण्डिया लिमि., आईएलएफए, एमएसएल, एच ऐण्ड बी स्टोर्स लिमि., रेनबो डिजिटल सर्विस प्रा. लिमि.)

2.4 निदेशक मण्डल को दी जाने वाली जानकारी

निदेशक मण्डल को कम्पनी के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उन्हें ये जानकारियां नियमित रूप से दी जाती हैं :-

1. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन जानकारी।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
3. लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
4. प्रमुख निवेश, अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और महत्वपूर्ण अनुबंधों आदि की जानकारी।
5. बड़े ठेके देना।
6. निदेशकों द्वारा किन्हीं अन्य कम्पनियों में निदेशक बनने तथा समितियों में उनकी हैसियत - इनमें उनके हित का खुलासा।
7. विभिन्न चालू परियोजनाओं/ स्कीमों तथा उनमें बजट के उपयोग की स्थिति रिपोर्ट।
8. वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करने आदि जैसे मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध विषयक कोई भी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम।
9. किसी भी नियामक, विधायी एवं शेयरधारकों संबंधी सेवा का अनुपालन नहीं होना।
10. अधिशेष धनराशि का अल्पकालिक निवेश।
11. कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं सहित भौतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य जानकारी।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

(i) लेखा परीक्षा समिति

(ii) पारिश्रमिक समिति

(iii) सी एस आर समिति

3.1 लेखा परीक्षा समिति की संरचना, वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेन्स का अनुपालन किया है और तदनुसार लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें, क्रमशः 26 जून, 2018, 29 अगस्त, 2018 और 20 फरवरी, 2019 को हुई थी।

क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में धारित पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान बैठकें	उपस्थिति
1.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	3
3.	श्री संजय चड्ढा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	0
4.	श्री प्रवीण बोनीगला	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0
5.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	1
6.	श्री दीपक कुमार	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	3	3
7.	श्री विनोद के जैकब	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	0
8.	श्री मनोज के भारती	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0

3.2 पारिश्रमिक समिति की संरचना, वर्ष 2018-19 के दौरान इसकी बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

क्र.सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	पारिश्रमिक समिति में पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
1.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	–	–
2.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	–	–
3.	श्री संजय चड्ढा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	–	–
4.	श्री प्रवीण बोनीगला	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	–	–
5.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	–	–
6.	श्री दीपक कुमार	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	–	–
7.	श्री विनोद के जैकब	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	–	–
8.	श्री मनोज के भारती	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	–	–

3.3 वर्ष 2018-19 के दौरान सी एस आर समिति का गठन, इसकी बैठकें और उपस्थिति

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग/ कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया।

क्र.सं.	सी एस आर समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	सी एस आर समिति में पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
1.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री संजय चड्ढा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	0
3.	श्री प्रवीण बोनीगला	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
4.	श्रीमती अल्का नागिया अरोडा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
5.	श्री दीपक कुमार	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	2	2
6.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2

वर्ष 2018-19 के दौरान सी एस आर समिति की 2 बैठकें हुईं, जो कि क्रमशः दिनांक 26 जून, 2018 और 19 अगस्त, 2018 को हुई थी।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को उनकी नियुक्ति की शर्तों तथा उन पर लागू भारत सरकार के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। यह कम्पनी निदेशक मण्डल की अथवा निदेशक मण्डल की उप-समिति की बैठकों में भाग लेने वाले प्रत्येक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक को 20,000/- रुपये प्रति बैठक सीटिंग फीस देती है। परन्तु कम्पनी अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को कोई फीस नहीं देती है।

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2016-17	29.09.2016	दोपहर 12.00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2017-18	26.09.2017	दोपहर बाद 3.00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2018-19	22.10.2018	दोपहर बाद 3.00 बजे	आई टी पी ओ कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य

असाधारण बैठक के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2018–19	14.12.2018	दोपहर 12.30 बजे	आई टी पी ओ कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001	हां – एक

6. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

(i) सम्बन्धित पार्टियों के साथ किये गये लेन–देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकट किए गए हैं।

(ii) आई टी पी ओ लागू लेखा मानकों का अनुपालन कर रहा है। केवल सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरण की जांच के बाद ही बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा वित्तीय विवरण पारित किये जाते हैं।

(iii) पिछले तीन वर्ष के दौरान, कंपनी पर सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी मामले के बारे में सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई दण्ड अथवा आक्षेप नहीं लगाया गया है।

(iv) व्हिसल ब्लोअर नीति के बारे में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद में नीति प्रतिपादित और कार्यान्वित की गई है।

(v) आई टी पी ओ के निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबन्धन का अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है जिसका कम्पनी के हितों के साथ कोई सम्भावित टकराव हो।

(vi) लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार एक व्यापक जोखिम प्रबन्धन नीति को निदेशक मंडल ने 26.03.2013 को अनुमोदन कर दिया है तथा तब से ही कार्यान्वित की गयी है।

(vii) लेखा बहियों में व्यय की ऐसी कोई मद दर्ज नहीं की गयी जो संगठन के प्रयोजन के लिए नहीं थी।

(viii) निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए कोई निजी व्यय कम्पनी की निधि से नहीं किया गया।

7. संचार के साधन

यह कम्पनी, धारा 25 (अब नए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक गैर–सूचीबद्ध कम्पनी है और इसीलिए इसके लिए तिमाही/ छ:माही परिणामों की जानकारी सूचीबद्ध कंपनियों की तरह नहीं दी जाती।

8. लेखा परीक्षा योग्यता

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां यदि कोई हो तो, तथा प्रबन्धन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

9. बोर्ड के निदेशकों का प्रशिक्षण

निदेशकों का प्रशिक्षण निदेशकों की जरूरत के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।

10. व्हिसिल ब्लोवर नीति

आई टी पी ओ ने अपनी व्हिसिल ब्लोवर नीति बनायी है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आई टी पी ओ ने लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक सी एस आर समिति का गठन किया है जो सी एस आर गतिविधियों की समीक्षा करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी सी एस आर नीति के अनुसरण में तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, कंपनी को हुए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना है। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का 3.13 करोड़ रु. (लगभग) था, जिसका 2 प्रतिशत आई टी पी ओ को वर्ष 2018-19 के लिए अपने सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा 3.56 करोड़ रु. (लगभग) की अव्ययित शेष धनराशि, जिसे आई टी पी ओ वर्ष 2017-18 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च नहीं कर सका था, उसे आगे ले जाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह धनराशि कुल 6.69 करोड़ रु. (लगभग) हो गई, जिसे वर्ष 2018-19 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों के लिए खर्च करने के लिए रखा गया है।

वर्ष 2018-19 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए 50-50 लाख रु. का अंशदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन करके सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन, नेत्रहीन संस्थान के लिए भवन निर्माण, आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा, भारतीय संस्कृति और विरासत को प्रोत्साहन, पौधारोपण करके पर्यावरण सुरक्षा, जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों के लिए महिला सशक्तिकरण, अराकू निर्वाचन क्षेत्र आदि के लिए 3.37 करोड़ रु. की अनुमानित धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

अनुबन्ध-VII

कारपोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
नई दिल्ली

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिनांक 14 मई, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना सं. 18(8)/2005-जीएम में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच कर ली है। कंपनी के दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि के हमें उपलब्ध कराए गए कंपनी के सांविधिक रिकार्डों के अनुसार हमने पाया कि कम्पनी ने दिनांक 10/06/2016 से एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अतः कंपनी के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (4) और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों तथा साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं का पालन किया है।

कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उपरोक्त मार्ग-निर्देशों में यथानिर्दिष्ट कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उनके बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में यथाविहित रूप में कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी जीवन क्षमता और न ही उसकी कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन है जिससे प्रबन्ध ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते राजेश मित्तल ऐण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-
(राजेश मित्तल)
(सदस्यता संख्या ए सी एस 13275, सी पी सं. 3254)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2019

अनुबन्ध-VIII

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

(भारत सरकार का उद्यम)

आई टी पी ओ कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110 001

टेलीफोन: 011-23371540, 23371491, फैक्स: 011-23371492

ई-मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट: www.indiatradefair.com

घोषणा

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस बात की पुष्टि की जाती है कि निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.08.2019

अनुबन्ध-IX

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जाक्षम प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, समाज के अति पिछड़ों और वंचित वर्गों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषण के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 एवं उसके तहत लागू नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों/ कार्यकलापों का कार्यान्वयन अनुमोदन/ मॉनिटरिंग के अनुसार किया जाएगा। आई टी पी ओ की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का विस्तृत विवरण http://indiatrade fair.com/information/details/csr_initiative पर उपलब्ध है।

आई टी पी ओ, सी एस आर कार्यकलापों/ पहलों के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के कल्याण के लिए सक्रिय योगदान कर रहा है। आई टी पी ओ ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आशा किरण होम, कुष्ठ रोगियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को सहायता प्रदान की। वर्ष 2014-15 में आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' में अंशदान किया तथा सी एस आर के अंतर्गत भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला-2014, दिल्ली में चमड़ा सामान बनाने वाले छोटे शिल्पकारों को उनके उत्पादों को प्रदर्शन करने हेतु नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया।

वर्ष 2016-17 में आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, दो एम्बुलेंसों के लिए प्रत्याभूति, मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पका हुआ भोजन पहुंचाने के लिए पांच वितरण वाहनों की प्रत्याभूति, खादी शिल्पकारों को चरखे दान करना (13,500 रु. प्रति चरखा कीमत के 200 चरखे) तथा स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष के लिए अंशदान जैसे 0.92 करोड़ रु. की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोस' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, नेत्रहीनों के संस्थान के लिए भवन का विनिर्माण, कौशल विकास, स्कूलों में अवसंरचना का उन्नयन, कला ओर संस्कृति का संवर्धन, स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुधार आदि के लिए 1.33 करोड़ रु. की अनुमानित धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक को 50-50 लाख रु. का अंशदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन करके सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन, नेत्रहीन संस्थान के लिए भवन के विनिर्माण, आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा, भारतीय संस्कृति और विरासत को प्रोत्साहन, पौधारोपण करके पर्यावरण सुरक्षा, जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों के लिए महिला सशक्तिकरण, अराकू निर्वाचन क्षेत्र के जनजाति लोगों आदि के लिए 3.37 करोड़ रु. (अनुमानित) की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

आई टी पी ओ ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सी एस आर समिति का गठन किया जो सी एस आर कार्यकलापों की समीक्षा करती है। समिति में निम्नलिखित बोर्ड सदस्य शामिल हैं :

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

सी एस आर के अंतर्गत भारत सरकार को 'स्वच्छ भारत कोष' में अंशदान

- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष
- नामित निदेशक, एम एस एम ई – सदस्य
- कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ – सदस्य
- नामित निदेशक, वाणिज्य विभाग – सदस्य
- स्वतंत्र निदेशक (श्री पी. एन. विजय) – सदस्य

2. कंपनी का गत तीन वित्तीय वर्षों में (2015-16, 2016-17 और 2017-18) में औसत निवल लाभ 156.3 करोड़ रुपए (लगभग) है।

3. वर्ष 2018-19 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों पर व्यय की गई धनराशि 3.13 करोड़ रु. (लगभग) है (विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)। इसके अलावा, 3.56 करोड़ रु. (लगभग) की धनराशि अव्ययित थी, जिसे आई टी पी ओ वर्ष 2017-18 के दौरान सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च नहीं कर सका। अतः वह कुल धनराशि जो आई टी पी ओ द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान, सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च की जानी है, वह 6.69 करोड़ रु. (लगभग) है।

4. वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	सी एस आर परियोजना अथवा निर्दिष्ट कार्यकलाप	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. निर्दिष्ट राज्य एवं जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम किये गये	परियोजना की कार्यक्रम-वार कुल परिव्यय धनराशि (बजट)	परियोजना/ कार्यक्रम पर व्यय की धनराशि उप शीर्षक 1. सीधा व्यय 2. ओवर हैड	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय धनराशि
1	स्वच्छ भारत कोष, भारत सरकार	सफाई एवं स्वच्छता	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार की परियोजनाएं	पचास लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में पचास लाख रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं है	पचास लाख रु.	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पचास लाख रु. का प्रत्यक्ष अंशदान किया
2	गंगाई सफाई कोष, भारत सरकार	स्वच्छता एवं सफाई	भारत सरकार की गंगा नदी परियोजना	पचास लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में पचास लाख रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं है	पचास लाख रु.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, भारत सरकार को पचास लाख रु. का प्रत्यक्ष अंशदान
3	बिहार में भारतीय संकल्प पथ फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम	समाज कल्याण	पूर्वी चंपारण जिला, बिहार	नौ लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में नौ लाख रु. व्यय	नौ लाख रु.	भारतीय संकल्प पथ फाउंडेशन (बी एस पी एफ) को नौ लाख रु. का सीधे अंशदान

4	एसपीआईसी एमएसीएवाई, दिल्ली द्वारा भारतीय संस्कृति और विरासत का संवर्धन	कला और संस्कृति का संवर्धन	दिल्ली	दस लाख रुपए	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दस लाख रु. का व्यय	दस लाख रु.	युवा केंन्द्रीय भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए सोसायटी (एसपीआईसी एमएसीएवाई) को दस लाख रु. का अंशदान
5	अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन (आई एस ए), भारत सरकार की पहल योजना द्वारा सौर ऊर्जा का संवर्धन	आई एस ए – भावी ऊर्जा के लिए भारत सरकार की पहल	भारत सरकार की पहल योजना	दो करोड़ तैंतीस लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दो करोड़ तैंतीस लाख रु.	दो करोड़ तैंतीस लाख रु.	अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई एस ए) को सीधे दो करोड़ तैंतीस लाख रु. का अंशदान
6	अंध विद्यालय (नेत्रहीनों के लिए संस्थान), दिल्ली	समाज कल्याण	दिल्ली	तीस लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में तीस लाख रु.	तीस लाख रु.	एन बी सी सी के माध्यम अंशदान
7	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (के आई एस एस) ओडिशा द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा	शिक्षा	ओडिशा	पन्द्रह लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में पन्द्रह लाख रु. व्यय किये।	पन्द्रह लाख रु.	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (के आई एस एस) के लिए 15 लाख लाख रु. का अंशदान
8	आदिवासी लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अराकू निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का विकास	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	आंध्र प्रदेश	दस लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दस लाख रु. व्यय किये।	दस लाख रु.	सरकारी विभाग के माध्यम से दस लाख रु. का अंशदान

9	सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट (एस पी आई डी) दिल्ली द्वारा बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों के लिए	महिला सशक्तिकरण	दिल्ली	दस लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दस लाख रु. व्यय किये।	दस लाख रु.	सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट (एस पी आई डी) द्वारा दस लाख रु. का अंशदान
10	ग्रीन सोसायटी ऑफ इंडिया (जी एस आई), दिल्ली द्वारा वृक्षारोपण	पर्यावरण	दिल्ली	दस लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दस लाख रु. व्यय किये।	दस लाख रु.	ग्रीन सोसायटी ऑफ इंडिया (जी एस आई) द्वारा सीधे दस लाख रूपये का योगदान
11.	अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन (टी ई एस एफ) हरियाणा द्वारा जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों के लिए	समाज कल्याण	हरियाणा	दस लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दस लाख रु. व्यय किए	दस लाख रु.	अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन (टी ई एस एफ) द्वारा दस लाख रूपये का योगदान

5. सी एस आर क्रियाकलापों पर अव्ययित शेष धनराशि, जो वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च (2.32 करोड़ रु. अनुमानित) नहीं हो सकी, वर्ष 2018–19 के दौरान, आगे ले जायी गई है। खर्च न होने का कारण प्रचालनात्मक है, यद्यपि प्रबंधन ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2019–20 के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष में सी एस आर क्रियाकलापों पर व्यय के लिए उत्सुक है।

6. सी एस आर कमेटी का विचार है कि आई टी पी ओ की सी एस आर नीति का अनुपालन सी एस आर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुसार कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग हुई है।

ह/–
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह/–
(एस. सी. पाण्डे), वित्तीय सलाहकार,
वाणिज्य विभाग के पूर्व पदेन
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबन्ध-X

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा, विजन और मिशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एंजेसी है जो व्यापार एवं उद्योग जगत को व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत से किए जाने वाले व्यापार में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। आई टी पी ओ के प्रमुख उद्देश्य ये हैं:

- भारत एवं विदेश में आयोजन होने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करके तथा उसमें भागीदारी करके बड़े किफायती ढंग से देश के अन्दर एवं बाहर भारत के व्यापार में वृद्धि करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों में सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना, विदेशी बाजारों में सर्वेक्षण करना, व्यापारी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों का आवागमन तथा समन्वयन तथा विशिष्ट क्षेत्रों/ बाजारों में व्यापार बढ़ाने हेतु आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य करना।
- भारत एवं विदेशों में बाजार सुलभ कराने के लिए लघु एवं मझौले उद्यमों को प्रोत्साहन एवं सहायता देना।
- व्यापारिक सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा ई-कामर्स/ व्यापार को सरल बनाना।
- गुणवत्तापरक भौतिक अवसंरचना, सेवाओं तथा प्रबंधन का विकास करना ताकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों एवं व्यापार प्रदर्शनियां आदि व्यापार संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।
- भारत के विदेशी एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन में राज्य सरकारों, अन्य सरकारी निर्यात संवर्धन एजेंसियों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संघों की भागीदारी और सहायता लेना।

आई टी पी ओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय तथा चैन्नई, कोलकत्ता और मुम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से भारत एवं विदेशों में इसके मेलों/प्रर्दशनियां देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार एवं उद्योग जगत की प्रतिनिधित्व पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।

विजन

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सुदृढ़ करते हुए विश्वस्तरीय व्यापार संवर्धन में प्रमुख संगठन बनाना। विश्व व्यापार एवं निवेश में भारत के हिस्से, अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता तथा ग्राहक सन्तुष्टि में तीव्र वृद्धि हमारी सफलता की कुंजी एवं कसौटी है।

मिशन

वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के माध्यम से निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, उन्हें सरल बनाना, प्रोत्साहित करना तथा उनका समन्वयन करना।

एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद के अनुसार यह कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इसीलिए कोई लाभांश देय नहीं। अत: व्यय से अधिक आय को आरक्षित एवं अधिशेष खाते में डाल दिया गया है ताकि उसका उपयोग इसके भावी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु किया जा सके।

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी की गतिविधियों से (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) वित्तीय वर्ष 2017-18 के 134.48 करोड़ रुपये (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारण) के मुकाबले इस वर्ष 73.35 करोड़ रुपये

अधिशेष प्राप्त हुआ। विगत वर्ष 2017–18 के दौरान 359.55 करोड़ रुपये (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारण) के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 253.59 करोड़ रुपये आय हुई है।

परिश्रम का कार्य (स्वॉट)

आई टी पी ओ का अपना प्रदर्शनी परिसर महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिससे स्टेट ऑफ आर्ट से युक्त छादित प्रदर्शनी हॉल तथा अन्य सम्मेलन/ संगोष्ठी सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों वाले बी2बी तथा बी2सी मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए इसके पास इंजीनियरी, वास्तु, डिजाइन/ मेले आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं अनुभवी अधिकारियों की टीम है। उद्योग में विभिन्न ट्रेंड, अपेक्षाओं आदि के व्यापार प्रदर्शन का इसको 40 वर्ष का सर्वोत्तम अनुभव है। विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालय के साथ आई टी पी ओ का व्यापक नेटवर्क होने, अन्य व्यापार संवर्धन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनेक सरकारी एजेंसियों एवं विभागों का साथ होने से भागीदारों को इस पर विश्वास रहता है। सरकारी नीतियों द्वारा भूमि के उपयोग पर बहु–उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, कंपनी की अधिनियम धारा 8 के अनुपालन के अंतर्गत केवल लाभ कमाना नहीं है। निजी आयोजकों के साथ प्रतियोगिता और सरकारी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कंपनी सामना करती है।

भावी योजना

आई टी पी ओ अपने ऐतिहासिक मेला परिसर 'प्रगति मैदान' को विश्व के सबसे उत्कृष्ट अच्छे प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्रों के स्तर पर लाने के लिए एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह–सम्मेलन केन्द्र के रूप में इसका दो चरणों में पुनर्विकास करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इस असंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन सी टी) में एम आई सी ई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और मेले/प्रदर्शनियां) क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की संभावना है। आई ई सी सी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और विशिष्ट स्थल होगा तथा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के 'न्यू इण्डिया' के विजन का एक अनूठा प्रतीक होगा। कारोबार को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए आई ई सी सी मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी मेलों और प्रदर्शनियों की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

परियोजना प्रस्ताव में 53,399 वर्गमीटर का अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्र के छः आधुनिक प्रदर्शनी हाल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र की 4800 ई. सी. यू. (कार यूनिटों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8857 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन सहित 3,82,188 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का विकास करना शामिल है। विश्वव्यापी आतिथ्य किसी भी आधुनिक एम आई सी ई गंतव्य का अभिन्न अंग है, इसलिए इस तथ्य के अनुरूप परिसर के एक भाग के रूप में एक पांच सितारा होटल के लिए स्वतंत्र प्रवेश और निकास द्वार सहित भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ भूमि के एक स्थल के लिए मुद्रीकरण भी किया जा रहा है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व में सबसे उत्कृष्ट 32.4 मीटर ऊंचा ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की सम्पन्न वास्तुकला की धरोहर को शामिल करते हुए एक अनूठा भाग ढलान सहित खम्बों से युक्त चबूतरे पर होगी। इस सम्मेलन केन्द्र में सिंगल फार्मेट में (3000 पैक्स क्षमता का एक प्लेनरी हाल और 4000 पैक्स का एक कार्यात्मक हाल सहित) 7000 पैक्स की सीटिंग की क्षमता होगी और विज्ञान भवन से 5 गुना बड़ा होगा तथा इसमें अलग–अलग क्षमताओं के 25 बैठक कक्ष होंगे जिनमें विशेषीकृत जी20 और प्रीमियम कक्ष शामिल हैं। इसमें 3000 लोगों को बैठने की क्षमता का एक रंगमंच भी होगा। यह दिल्ली राजधानी शहर के गौरव, महिमा और रेखाचित्र को बढ़ावा देगा।

आई ई सी सी एक बेहतर पहुंच हेतु और सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों का भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर भैरों मार्ग, जो भीड़ के कारण ज्यादातर जाम रहता है, उस मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके पुराना किला रोड को प्रगति मैदान पर 6 लेन में बटी सुरंग के जरिए रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड और मथुरा

रोड से भैरों मार्ग के टी-जंक्शनों तथा डी पी एस से मथुरा रोड के डब्ल्यू प्वाइंट संपूर्ण क्षेत्र को सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा। इससे प्रगति मैदान और उसके आस-पास यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा और इससे इस क्षेत्र में काफी प्रदूषण स्तर कम होगा।

आई ई सी सी तथा यातायात की भीड़ का समाधान करने के दोनों माध्यमों की परियोजना कुल मिलाकर लागत 3437 करोड़ रु. है। इन दोनों परियोजनाओं पर तीव्रगति से कार्य किया जा रहा है।

प्रगति मैदान में आई ई सी सी परियोजना से वास्तव में बदलाव और देशभर में ऐसे प्रदर्शनी स्थलों के लिए एक नया आयाम स्थापित होगा। इस स्थल से व्यापार संवर्धन ओर कारोबार के विकास के लिए न केवल भारतीय प्रदर्शनी और सम्मेलन उद्योग के लिए नए सुअवसर प्राप्त होंगे बल्कि विदेशों में भी अवसर प्राप्त होंगे! वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलन उद्योग भावी स्थल के बारे में काफी उत्सुक है और इसके पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रगति मैदान को नया स्थल भारत को इसकी बढ़ती ताकत के संदर्भ और व्यापार, निवेश तथा विनिर्माण क्रियाकलाप की संभावना के संदर्भ में विश्व में स्थापित करने में मदद मिलेगी!

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

प्रबंधक और आंतरिक लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रणों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण के निष्कर्षों की प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जहां भी अपेक्षा हो विभिन्न संचालनों की उचित लेखा गणना तथा मॉनिटरिंग करने हेतु निदानात्मक कार्रवाई एवं नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, हेरा-फेरी और चूक की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने सहित इसके कारोबार का उचित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

मानव संसाधनों, औद्योगिक सम्बन्धों में भौतिक विकास

आपकी कम्पनी सेवा उद्योग वाली होने के कारण यह विश्वास करती है कि मानव संसाधन महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्ति होती है। कम्पनी अपने कर्मचारियों की प्रतिभा का सम्मान करती है तथा अनुभवी जनशक्ति और युवा वर्ग के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को आंतरिक व बाहरी प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण देती है तथा विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाएं आदि में भी नामित करती है। कर्मचारियों ने वी आर एस का विकल्प चुना है, जो प्रचालन में है।

पर्यावरण संरक्षण और कंजर्वेशन, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आपकी कम्पनी गैर उत्पादन कार्यों को करने वाली कम्पनी है, फिर भी आई टी पी ओ पर्यावरण और ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण तथा पानी, बिजली आदि जैसे ऊर्जा स्रोतों के बारे में कार्य करती रही है। पुनर्विकास परियोजना में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विनियमों के बारे में समस्त सावधानी बरती जा रही है।

जोखिम प्रबन्धन

आपकी कम्पनी अपने प्रचालनों से संबंधित जोखिमों का नियमित विश्लेषण करती है और बीमा तथा अन्य माध्यमों को लागू करके ज्ञात जोखिमों का प्रबंधन एवं उपशमन/ समाधान करने के लिए सभी उपाय किए गए।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) कारोबार में नैतिक व्यवहार करने तथा आर्थिक विकास हेतु योगदान करने में निरन्तर प्रयासरत है, जिसमें श्रमिकों और उनके परिवारों तथा स्थानीय समुदाय व समाज के जीवनस्तर में सुधार करना शामिल है।

आई टी पी ओ में सी एस आर और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जाक्षम प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

कम्पनी के कार्य निष्पादन विपणन से संबंधित इस प्रबन्धन विश्लेषण तथा चर्चा रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण, लागू कानूनों और नियमों के तात्पर्य भावी दृष्टि वाले हो सकते हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों एवं मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर परिणाम इस रिपोर्ट में वर्णित या अन्तर्निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

ईस्ट हिमालयन एक्स्पो 2018

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा मेला 2018

2018–2019

लेखा

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्टेण्डएलोन लेखा

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेण्डएलोन तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति	31 मार्च, 2018 को यथास्थिति
परिसम्पत्तियां			
गैर चालू परिसम्पत्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	1,903.27	2,066.80
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	132,317.68	28,419.90
अन्य मूर्त परिसम्पत्तियां	4	40.38	49.79
सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट में निवेश	5	1,323.77	1,173.09
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	6	-	-
ऋण	7	449.60	521.22
गैर चालू कर परिसम्पत्तियां	8	22,638.77	20,561.01
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	9	4,412.12	34,318.78
चालू परिसम्पत्तियां			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	10	80.33	78.75
व्यापार प्राप्य	11	605.39	936.18
नकदी और नकदी समतुल्य	12	5,669.31	3,709.16
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	13	43,899.00	90,101.00
ऋण	14	1,633.35	2,953.23
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	15	5,465.60	30,715.10
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	16	1,507.71	1,264.20
कुल परिसम्पत्तियां		221,946.28	216,868.21
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी शेयर पूंजी	17	25.00	25.00
अन्य इक्विटी	18	203,710.06	196,375.49
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
गैर चालू प्रावधान	19	2,032.32	2,191.69
अन्य गैर-चालू देयताएं	20	939.65	815.65
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देयताएं	21		
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		2.69	-
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा ऋण देयताओं की कुल बकाया देयताएं		1,715.49	1,698.93
अन्य वित्तीय देयताएं	22	3,484.25	3,985.99
अन्य चालू देयताएं	23	5,545.61	3,554.01
चालू प्रावधान	24	4,491.21	8,221.45
कुल इक्विटी और देयताएं		221,946.28	216,868.21

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय का स्टेण्डएलोन विवरण

(रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से राजस्व	25	18,005.65	24,747.99
अन्य आय	26	7,353.30	11,206.98
कुल आय		25,358.95	35,954.97
व्यय			
कर्मचारी हित व्यय	27	11,016.68	10,606.58
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	188.63	412.44
अन्य व्यय	29	8,243.42	10,116.76
कुल व्यय		19,448.73	21,135.78
विशेष मदें और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		5,910.22	14,819.19
विशेष मदें	30	1,694.92	(1,378.39)
कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		7,605.14	13,440.80
कर व्यय	31.4 (A)	-	-
वर्ष का अधिशेष		7,605.14	13,440.80
अन्य विस्तृत आय			
मदें जिनको आय और व्यय के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा :			
निश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) को पुन: मापना	31.11 (II)	(270.57)	6.81
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/ (हानि)		(270.57)	6.81
वर्ष की कुल विस्तृत आय		7,334.57	13,447.61
आधारभूत / मिश्रित आय प्रति शेयर (प्रत्येक 100/- रु. का अंकित मूल्य)	31.12	0.30	0.54

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्याय का स्टेण्डएलोन कैश फ्लो विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से कैश फ्लो**				
	कर पूर्व व्यय से अधिक आय		7,605.14		13,440.80
	समायोजन :				
	अन्य व्यापक आय	(270.57)		6.81	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	188.63		412.44	
	सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री पर हानि/लाभ (निवल)	(19.74)		1,323.71	
	ब्याज और लाभांश आय	(6,280.22)		(10,077.35)	
	प्रावधान/ बट्टे खाते में डालना	131.16		134.83	
	प्रावधान / देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(580.10)		(329.01)	
	संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति हानियों का प्रावधान	69.32		13.53	
	म्युचुअल फंड पर उचित मूल्य लाभ/ हानि	4.36	(6,757.16)	2.88	(8,512.15)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ		**847.98**		**4,928.65**
	कमी: कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि :				
	गैर-चालू वित्तीय ऋणों में वृद्धि (कमी)	(71.62)		(97.68)	
	गैर चालू कर परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	2,077.76		2,393.82	
	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	14.27		186.47	
	व्यापार प्राप्यों में वृद्धि (कमी)	(477.59)		(89.43)	
	बैंक शेष में वृद्धि (कमी)	(46,202.00)		(53,498.99)	
	चालू ऋण में वृद्धि (कमी)	(1,319.88)		167.50	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	(25,199.48)		18,408.33	
	अन्य चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	280.06		475.65	
	अन्य गैर चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	159.37		225.88	
	अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि) कमी	(124.00)		37.89	
	व्यापार देयताओं में (वृद्धि) कमी	(19.25)		308.93	
	अन्य चालू वित्तीय देयताओं में (वृद्धि) कमी	489.04		166.32	
	अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि) कमी	(1,991.60)		(90.11)	
	चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	3,730.24		126.60	
	प्रावधान/ देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(388.71)	(69,043.39)	(172.00)	(31,450.82)
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी [क]		69,891.37		36,379.47
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	एसोसिएट (जे के टी पी ओ) में निवेश		(220.00)		
	आई ई सी सी परियोजना के लिए विज्ञापन		(72,487.55)		(46,234.90)
	पूंजीगत व्यय (डब्ल्यू आई पी)		(1,489.30)		(392.15)
	संपत्ति संयंत्र और उपस्करों/ अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(37.82)		(204.07)
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कारों की बिक्री		29.17		521.19
	निवेश और इंटर कारपोरेट जमा		(5.94)		(9.23)
	ब्याज और लाभांश आय		6,280.22		10,077.35
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी [ख]		(67,931.22)		(36,241.80)

ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह [ग]**		शून्य		शून्य
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि कमी (क + ख + ग)		1,960.15		137.66
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		3,709.16		3,571.50
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		5,669.31		3,709.16
	नकदी और नकदी समतुल्य के संघटक वर्ष के अंत में				
	हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य (संदर्भ टिप्पणी 1)		75.68		33.01
	बैंकों में शेष - चालू और बचत लेखे में		5,593.63		3,676.15
			5,669.31		**3,709.16**

टिप्पणी: 1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, हाथ में ड्राफ्ट/ चैक शामिल हैं।

2. 'क' पर दिए प्रचालन कार्यकलापों से आउटफ्लो में सी एस आर कार्यकलापों पर व्यय के लिए 7.25 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 266.27 लाख रु.) शामिल हैं।

3. इण्ड-ए. एस. 7 में संशोधन : 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, समूह ने इण्ड-ए.एस. 7 में संशोधन को स्वीकार किया जिसमें कंपनियों को यह प्रकटन उपलब्ध कराना होता है जिससे प्रकटन की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं के लिए तुलन-पत्र को प्रारंभिक और अंत-शेषों के बीच मिलान को शामिल करने के सुझाव देते हुए नकद प्रवाहों से हुए परिवर्तनों और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों को शामिल करके वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों में प्रयोक्ता कर सकते हैं। संशोधन को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों पर कोई वस्तुतः प्रभाव नहीं होता था।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 131 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्टेण्डएलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (संदर्भ टिप्पणी 17)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	शेयरों की सं.	राशि
1 अप्रैल, 2018 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**25,000**	**25.00**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	शेयरों की सं.	राशि
1 अप्रैल, 2017 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**25,000**	**25.00**

ख. अन्य इक्विटी (संदर्भ टिप्पणी 18)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	धारित आय	रिजर्व और अधिशेष			कुल
		पूंजी रिजर्व			
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	अन्य	
1 अप्रैल, 2018 को शेष	195,337.39	1,020.00	-	18.10	196,375.49
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2018 को पुन: सूचित शेष	195,337.39	1,020.00	-	18.10	196,375.49
जोड़े : वर्ष का अधिशेष	7,605.14	-	-	-	7,605.14
जोड़े : वर्ष की अन्य व्यापक आय/ (हानि)	(270.57)	-	-	-	(270.57)
31 मार्च, 2019 को शेष	202,671.96	1,020.00	-	18.10	203,710.06

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शेष (रु. लाख में)

विवरण	धारित आय	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		पूंजी आरक्षित			
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	अन्य	
1 अप्रैल, 2017 को शेष	176,623.06	1,325.22	4,965.62	18.10	182,932.00
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	(4.12)	-	-	-	(4.12)
1 अप्रैल, 2017 को पुन: सूचित शेष	176,618.94	1,325.22	4,965.62	18.10	182,927.88
जोड़े : पूंजीगत रिजर्व से अंतरण	5,270.84	-	-	-	5,270.84
जोड़े : वर्ष का अधिशेष	13,440.80	-	-	-	13,440.80
जोड़े : वर्ष की अन्य व्यापक आय/ (हानि)	6.81	-	-	-	6.81
(घटाएं): धारित आय स्थानांतरण से	-	(305.22)	(4,965.62)	-	(5,270.84)
31 मार्च, 2018 को शेष	195,337.39	1,020.00	-	18.10	196,375.49

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी की जानकारी

कम्पनी को भारत में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से 30.12.1976 को ट्रेड फेयर अथारिटी ऑफ इण्डिया (टी एफ ए आई) के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में 1.1.1992 को पूर्ववर्ती ट्रेड डेवलेपमेंट अथॉरिटी का टी एफ ए आई के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार की विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 में है और इसके कार्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल के द्वारा 29 अगस्त, 2019 को अनुमोदन दिया गया था।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन विवरण और इन्हें तैयार करने का आधार

क) भारतीय लेखांकन मानकों (इंड- ए. एस.) के अनुसार अनुपालन

वित्तीय विवरणों का समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) निमयावली 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए एस) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संगत प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को प्रोदभवन और लाभकारी संस्था के आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के प्रभाग-II में यथा निश्चित कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदण्डों के अनुसार चालू और गैर-चालू के रूप में वगीकृत किया गया है।

ख) ऐतिहासिक लागत परम्परा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत लेखांकन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए, जिनको उचित मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है :-

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर तैयार किया गया।
- सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसम्पत्तियां।

उचित मूल्यों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में लेखा टिप्पणियों में विचार-विमर्श किया जाता है।

ग) क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी (मुद्रा)

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (रु.) में तैयार किए जाते हैं, जो कम्पनी की क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई समस्त वित्तीय सूचना को लाख (2 दशमलव तक) के आस-पास रखा गया है, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

घ) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कम्पनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

किसी परिसम्पत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हो :-

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने अथवा बेचने अथवा उपयोग किए जाने की उम्मीद हो;
- व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद हो;
- रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 माह देयता के भुगतान करने के लिए बदलने अथवा उपयोग किए जाने के लिए सीमित न हो, तब तक नकदी अथवा नकदी समतुल्य।

सभी अन्य परिसम्पत्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हो :-

- सामान्य प्रचालन चक्र में भुगतान किए जाने की उम्मीद हो;
- व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;
- रिपोर्टिंग की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान किया जाना हो;
- रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का भुगतान आस्थगित करने के लिए बिना शर्त कोई अधिकार नहीं हो।

सभी अन्य देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

प्रसंस्करण के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण और उनकी नकदी और नकदी समतुल्य की प्राप्ति के बीच की समय-अवधि प्रचालन चक्र होती है। कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में 12 महीनों की पहचान की है।

ङ) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों, अनुमानों और संकल्पनाओं हेतु प्रबंधन की यह अपेक्षा होती है जिससे राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूचित राशियां और संलग्न प्रकटन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन प्रभावित हो सकते हैं। इन अनुमानों और संकल्पनाओं के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम आ सकते हैं, जिनके लिए भावी अवधि(यों) में परिसम्पत्तियों और देयताओं की राशि ले जाने के लिए वास्तविक समायोजनों की अपेक्षा होती है।

ये अनुमानों और संकल्पनाएं उन तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होती है जो तुलन-पत्र की तारीख को हों, अथवा उस तारीख के बाद हुई हों, परंतु तुलन-पत्र की तारीख को मौजूदा शर्तों के बारे में अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध कराएं।

वे अनुमान और संकल्पनाएं नीचे दी गई हैं, जिनसे अलगे वित्तीय वर्ष के भीतर परिसम्पत्तियों और देयताओं की कीमत (राशि) लेने के लिए वास्तविक समायोजन करने का बहुत जोखिम होता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उपयोगी मियाद

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों का उनकी अपनी अपनी उपयोगी मियाद पर स्पष्ट रूप से यथा अनुपात आधार पर मूल्यह्रास होता है। इन परिसम्पत्तियों की उपयोगी मियाद के बारे में प्रबंधन के अनुमान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में नियत उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत से अधिक नहीं होते हैं। उपयोग के संभावित स्तर में परिवर्तन, प्रौद्योगिकीय विकास और टूट-फूट के स्तर से इन परिसम्पत्तियों की मितव्ययी उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत प्रभावित हो सकती है। इसलिए भावी मूल्यह्रास प्रभारों को संशोधित किया जा सकता है और इनका भावी वर्षों में लाभ पर प्रभाव हो सकता है।

ii) सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व

सेवा निवृत्ति लाभों की लागत और ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के संबंध में सेवा-निवृत्ति दायित्वों की वर्तमान कीमत का बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करते हुए निर्धारण किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न संकल्पनाएं शामिल होती हैं जो भविष्य में भावी विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर भावी वेतन बढ़ोत्तरी का निर्धारण और मृत्यु दरें शामिल होती हैं। मूल्यांकन की जटिलता, निहित संकल्पनाओं और इनके दीर्घकालिक स्वरूप की वजह से ये सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व इन संकल्पनाओं में बदलाव करने के लिए संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील विश्लेषण सहित प्रयुक्त संकल्पनाओं के बारे में विवरण लेखा-टिप्पणियों में दिए हैं।

iii) वित्तीय संसाधनों का उचित मूल्य निर्धारण

जब तुलन-पत्र में रिकार्ड की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की उचित कीमत को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब छूट दिए गए केश फ्लो (डी सी एफ) मॉडल सहित मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन मॉडलों के लिए निवेश दृष्टिगोचर बाजारों से, जहां संभव होता है, लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहार्य नहीं होता है, वहां पर उचित कीमतों को सुनिश्चित करने में निर्णय की सीमा की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और घट-बढ़ जैसे निवेशों का महत्व शामिल होता है। इन कारकों के बारे में संकल्पनाओं में परिवर्तनों से वित्तीय संसाधनों की सूचित उचित कीमत प्रभावित हो सकती है।

iv) वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति

वित्तीय परिसम्पत्तियों के क्षति संबंधी प्रावधान खराबी के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में संकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। कम्पनी के विगत इतिवृत्त, मौजूदा बाजार स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगामी अनुमानों के आधार पर कम्पनी इन संकल्पनाओं के बारे में तथा क्षति संबंधी गणना करने के लिए निवेशों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

तीन से अधिक अथवा अन्यथा वित्तीय वर्षों की बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया के बारे में संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों की क्षति के लिए व्यवस्था की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां पर कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है।

v) गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को यह आकलन करता है कि क्या ऐसा संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति का ह्रास हो सकता है। यदि कोई संकेत मिलता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक ह्रास परीक्षण की आवश्यकता होती है तो कम्पनी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है। परिसम्पत्तियों का निपटान करने की लागत और उपयोग करने में इसकी कीमत को कम करके किसी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि किसी सम्पत्ति की उचित मूल्य से अधिक होती है। किसी एक परिसम्पत्ति के लिए यह निर्धारित तब तक की जाती है, जब तक परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह न होता हो, जो उन अन्य परिसम्पत्तियों

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

अथवा परिसम्पत्तियों के समूह पर अधिकांशत: निर्भर होते हैं। जहां पर किसी परिसम्पत्ति की केरीइंग राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, वहां पर परिसम्पत्ति को ह्रास परिसम्पत्ति माना जाता है और इसकी वसूलनीय राशि में इसको लिख दिया जाता है।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके फेयर वैल्यू का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है।

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद को एक परिसम्पत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब यदि यह संभव हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप में मापा जा सकता है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों को ऐतिहासिक लागत आधार पर (स्थापना, अधिग्रहण/ निर्माण की लागत तथा मद की स्थापना/ अधिग्रहण/ निर्माण पूरा होने तक अन्य आकस्मिक लागतों सहित), वसूलनीय करों की निवल राशि के लिए संचित मूल्यह्रास और क्षति हानियों को कम करके लेखे में लिया जाता है। जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

उत्तरवर्ती व्यय को परिसम्पत्ति की मौजूदा केरी राशि के रूप में जोड़ा जाता है अथवा यथा उपयुक्त एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय तौर पर मापा जा सके। सभी अन्य मरम्मत और रख-रखाव को उस अवधि के दौरान आय और व्यय विवरण में लिया जाता है, जिसमें वे होते हैं।

सेवा-निवृत्ति अथवा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के बेचने से हुए लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

स्थायी पट्टे के आधार पर ली गई पट्टे वाले भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित तरीके से प्रबंधन द्वारा अनुमान लगायी गई परिसम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद के आधार पर आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में उपयोगी मियाद कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित मियाद से भिन्न होती है।

परिसम्पत्ति	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुसार उपयोगी मियाद (वर्षों की संख्या)	कम्पनी के द्वारा आकलन की गई/ अनुमानित उपयोगी मियाद (वर्षों की संख्या)
भवन-लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड	60	40/20/10
संयंत्र और मशीनरी	15	15/10/8
वाहन	8	5

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

उपयोग पद्धति और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का यह विश्वास है कि उपरोक्त उपयोगी मियाद ऐसी अवधि को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाती है, जिसके दौरान प्रबंधन को इन परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है।

5,000/- रु. (प्रत्येक) तक की लागत वाली सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर बढ़ोत्तरी की अवधि के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रास लिया जाता है।

परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी/ कटौतियों के मामले में उस मास से/ तक यथा अनुपात आधार पर मूल्यह्रास लिया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति उपयोग/ निपटान के लिए उपलब्ध है।

2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, जो तुलन पत्र की तारीख को आशयित उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया जाता है।

ऐसे मामले में, जहां पर ठेकेदारों/निष्पादन एजेंसी के बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, उनमें लागत/व्यय को मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों का निपटान करने से हुए समायोजनों सहित आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरणों/ उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर सी डब्ल्यू आई पी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर ले जाया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्ति की मद को निपटान के बाद मान्यता नहीं दी जाती है अथवा तब उस समय जब भावी आर्थिक लाभों की इनके उपयोग अथवा निपटान करने से उम्मीद न हो। अमूर्त परिसम्पत्ति को मान्यता न देने से हुए लाभ अथवा हानियों को परिसम्पत्ति की निवल बिक्री लाभों और केरीइंग राशि के बीच अंतर के अनुसार मापा जाता है और आय एवं व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियां उस वर्ष से उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि अथवा 3 वित्तीय वर्षों में, जो पहले हो, बराबर-बराबर पूर्ण परिशोधित की जाती हैं, जिस वर्ष में परिसम्पत्ति उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो।

2.5 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति

कम्पनी बाहरी और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति हो सकती है और क्या पहली अवधि (अवधियों) में मानी गई क्षति हानि का अभिशून्यन करने का भी कोई संकेत है। यदि कोई संकेत होता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक क्षति जांच अपेक्षित होती है तो कम्पनी वसूलनीय क्षति को निर्धारित करती है और क्षति हानि की पहचान की जाती है। जब किसी परिसम्पत्ति का केरीइंग मूल्य उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है।

वसूलनीय राशि का निर्धारण निम्नलिखित में किया जाता है :-

- किसी एक परिसम्पत्ति के मामले में बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके परिसम्पत्ति की उचित मूल्य की अधिक कीमत पर।
- नकद उत्पादन करने वाली यूनिट के मामले में (परिसम्पत्तियों का एक समूह जो अभिज्ञात, स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पादन करता है) बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके नकद उत्पादन करने वाली यूनिटों की उचित मूल्य की अधिक राशि पर।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके फेयर वैल्यू का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है। इन गणनाओं की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए उद्धृत शेयर कीमतों से अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतों से पुष्टि की जाती है।

किसी परिसम्पत्ति की क्षति हानि अभिशून्य कर दी जाती है, यदि और केवल यदि अभिशून्यन क्षति हानि को स्वीकार करने के बाद की किसी घटना के लिए वस्तुपरक रूप से संबंधित हो, किसी परिसम्पत्ति की केरीइंग राशि उसकी संशोधित वसूलनीय धनराशि तक बढ़ायी जाती है, बशर्ते यह राशि कैरीइंग राशि से अधिक नहीं होती है, जिसका निर्धारण उस स्थिति में (किसी संचित परिशोधन अथवा मूल्यह्रास का निवल) किया गया होगा, यदि पूर्व वर्ष (र्षों) में परिसम्पत्ति के लिए स्वीकार्य कोई क्षति हानि न हुई हो।

2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में अपने पास नकदी, ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा धनराशि, अल्पावधि निवेश (प्राप्ति की तारीख से 3 माह अथवा उससे कम समय), अधिक निवेश, जो नकदी में तत्काल बदलने योग्य होते हैं और मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अध्यधीन होते हैं।

2.7 सामान सूचियां

सामान सूचियों का मूल्य निर्धारण लागत से कम अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर होता है। पुराना, खराब और अप्रयोज्य स्टाक उपलब्ध कराया जाता है, जहां कहीं अपेक्षित होता है।

2.8 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देनों को भुगतानों की औसत दर पर रिकार्ड किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताएं विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में परिवर्तित की जाती हैं। लेन-देन के भुगतान करने तथा मौद्रिक मदों को परिवर्तित करने से हुए विनिमय दर अंतरों को उस वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष में वे होती हैं।

गैर-मौद्रिक मदों को, जिनको विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, उनको भुगतानों की औसत दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। यदि पूर्व निधियों का उपयोग किया जाता है, तो वहां परिवर्तन के प्रयोजन के लिए पूर्व भुगतान(नों) की औसत दर को लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उस तारीख की विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है जिस तारीख को उचित मूल्य निर्धारित की जाती है।

2.9 उचित मूल्य निर्धारण

वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने में कम्पनी विभिन्न पद्धतियों और संकल्पनाओं का उपयोग करती है जो रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाजार की परिस्थितियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों में छूट प्राप्त नकद प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार कीमतें आदि शामिल होती हैं। उचित मूल्य

का आकलन करने की सभी पद्धतियां सामान्य तौर पर वैल्यू के मौटे अनुमान हैं और ऐसी कीमत की वास्तव में वसूली नहीं की जा सकती है।

तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए उन संसाधनों की अल्प परिपक्वता की वजह से इनको उचित मूल्य के लिए नहीं लिया जाता है।

2.10 वित्तीय संसाधन

वित्तीय संसाधन एक संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसम्पत्ति को तथा दूसरी कम्पनी की वित्तीय अथवा इक्विटी संसाधन को बढ़ावा देती है

i) वित्तीय परिसम्पत्तियां

क) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताओं की प्रारंभिक पहचान उसके उचित मूल्य पर पहचान की जाती है। लेन-देन संबंधी लागतें, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए होती है, और जो लाभ अथवा हानि उचित मूल्य पर नहीं होती है, उनको प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य में जोड़ा जाता है तथा आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) वर्गीकरण और उत्तरवर्ती माप

उत्तरवर्ती माप के प्रयोजनार्थ वित्तीय परिसम्पत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

1. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां; तथा
3. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी पी एल) पर मापी गई परिसम्पत्तियां

जहां तक वित्तीय परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां पर लाभ अथवा हानियों को या तो आय और व्यय विवरण में पूर्णत: स्वीकार किया जाता है (अर्थात् लाभ और हानि के माध्यम से फेयर वैल्यू) अथवा अन्य व्यापक आय (अर्थात् अन्य व्यापक आय के माध्यम से फेयर वैल्यू) में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करने के लिए कम्पनी के कारोबार मॉडल पर तथा नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है। प्रबंधन प्रारंभिक मान्यता के आधार पर अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण करता है।

(1) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां :

वित्तीय परिसम्पत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों को पूरा करती हो :

कारोबार मॉडल टेस्ट : कारोबार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए (परिसम्पत्ति का फेयर मूल्य परिवर्तनों के लिए उसकी वित्तीय परिपक्वता से पूर्व परिसम्पत्ति को बेचने की अपेक्षा) वित्तीय परिसम्पत्ति को रखना होता है; और

नकद प्रवाह विशेषता टेस्ट : वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस पी पी आई) होते हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

आरंभिक माप करने के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर बाद में मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर वह दर है जो वित्तीय संसाधन की संभावित मियाद की तुलना में अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों पर अथवा कम अवधि वाली प्राप्तियों पर, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति की सकल केरीइंग राशि पर सही-सही छूट प्रदान करती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कम्पनी वित्तीय संसाधन की संविदात्मक समस्त शर्तों पर विचार करके संभावित नकद प्रवाहों के बारे में अनुमान लगाती है, परंतु संभावित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ई आई आर परिशोधन, आय और व्यय विवरण में ब्याज आय में शामिल होता है। क्षति से हुई हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। यह श्रेणी सामान्य तौर पर कर्मचारी ऋणों तथा विशिष्ट शर्तों वाले अन्य ऋणों/ अग्रिमों आदि के लिए लागू होती है।

(2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) से मापे गए वित्तीय संसाधन :

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हों तो वित्तीय संसाधन को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा :

- कारोबार मॉडल टेस्ट : कारोबार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री करके दोनों से प्राप्त किया जाता है।
- नकद प्रवाह विशेषता टेस्ट : वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस एस पी आई) होते हैं।

एफ वी टी ओ सी आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय संसाधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों को ब्याज आय, क्षति संबंधी लाभ और हानियां, विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों को स्वीकार करने के सिवाय अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) में स्वीकार किया जाता है, जिन्हें आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

(3) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य - एक अवशिष्ट श्रेणी है। ऐसे किसी वित्तीय संसाधन एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकरण के लिए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। एफ वी टी पी एल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय संसाधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों अर्थात् लाभ अथवा हानि और ब्याज आय को आय और व्यय विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी निम्नलिखित के लिए संभावित क्रेडिट हानि (एफ सी एल) मॉडल के आधार पर क्षति का आकलन करती है:

- परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां
- एफ वी टी ओ सी एल लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां

संभावित क्रेडिट हानियों का निम्नलिखित के बराबर राशि पर एक हानि संबंधी छूट के माध्यम से निर्धारण किया जाता है :

- 12 महीनों की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जो वित्तीय संसाधनों पर उन खराब घटनाओं से होती हैं। ये रिपोर्ट करने की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर संभव होती है); अथवा
- पूरी जीवन अवधि की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जिनसे वित्तीय संसाधन पर सभी संभव खराबी की घटनाएं होती हैं)।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

कम्पनी क्षति हानि छूट देने हेतु निम्नलिखित के लिए 'सरल दृष्टिकोण' का पालन करती है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं अर्थात् प्राप्य बैंकों के जमा तथा कर्मचारी ऋण एवं विनिर्दिष्ट अवधि वाले अन्य ऋण/ अग्रिम आदि।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन है तथा एफ वी टी ओ सी आई पर मापी जाती हैं।

सरल दृष्टिकोण के अंतर्गत कम्पनी क्रेडिट जोखिम में तरीके नहीं बदलती है। अपितु यह उसकी प्रारंभिक मान्यता से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन अवधि ई सी एल पर आधारित क्षति हानि छूट को स्वीकार करती है।

व्यापार प्राप्यों को बिक्री/ प्राप्य पर प्रारंभ में स्वीकार किया जाता है और इनको एकत्र करने हेतु प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को 12 महीनों के भीतर यदि एकत्र किए जाने की संभावना होती है तो व्यापार प्राप्यों को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उन मामलों को छोड़कर, जिनमें कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है, 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया राशियों में संदिग्ध प्राप्यों के लिए क्षति की व्यवस्था की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों और जोखिमों के बारे में क्षति हानि को स्वीकार करने हेतु कम्पनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से लेकर क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी न हुई हो, तो क्षति हानि के लिए प्रावधान करने हेतु 12 महीनों की ई सी एल (संभावित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई हो, तो जीवन अवधि एफ सी एल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की किसी अवधि में संसाधन के क्रेडिट गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है, तब कम्पनी 12 महीनों की ई सी एल के आधार पर क्षति हानि छूट को मान्यता देने से बदलाव करती है।

क्रेडिट जोखिम और क्षति हानि में बढ़ोत्तरी का आकलन करने के लिए कम्पनी क्रेडिट जोखिम संबंधी विशेषताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों के विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से मिला देती है जो समय अवधि के आधार पर पहचान किए जाने के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरियां कर सकने के लिए बनाया है।

घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों को मान्यता न देना

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के एक भाग अथवा समान वित्तीय परिसम्पत्ति के एक समूह के भाग) को मुख्य रूप से मान्यता नहीं दी जाती है (अर्थात कम्पनी के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

क. परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त/ अंतरित कर दिए गए हों, अथवा

ख. कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति के नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार रखती हो, लेकिन एक अथवा अधिक प्राप्तकर्त्ताओं को नकद प्रवाहों का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हाथ में लेती हो।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति को हस्तांतरित कर दिया हो, तब वह यह मूल्यांकन करती है कि क्या इसने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जब कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित न किया हो, तब वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां तक कम्पनी ने किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को न तो हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्तत: रखती है, तो वित्तीय परिसम्पत्ति को जब मान्यता नहीं दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय

परिसम्पत्ति का नियंत्रण न रखा हो। जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण रखती है, तब परिसम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति में निरंतर शामिल रखने तक मान्यता दिया जाना जारी रहता है।

ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर तथा लाभकरों के मामले में प्रत्यक्षत: हुए लेन देन संबंधी खर्चों की निवल राशि पर मान्यता दी जाती है। कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार लाभकर, ऋण, प्रतिभूति जमा और अन्य लाभकर शामिल हैं।

(ख) उत्तरवर्ती निर्धारण

वित्तीय देयताओं का निर्धारण उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जो नीचे बताए अनुसार है :

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफ वी टी पी एल)

एफ वी टी पी एल में वित्तीय देयताओं में लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं।

यदि वित्तीय देयताएं स्पष्ट शर्तों के अनुसार पुन: खरीद करने के लिए व्यय की जाती हैं, तो उन्हें व्यापार के लिए रखे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी देयताओं पर लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय में स्वीकार किया जाता है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट वित्तीय देयताएं मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी तरह से नामोद्दिष्ट की जाती है और केवल इण्ड ए. एस. 109 में दिए गए मानदण्ड पूरे किए जाते हैं। एफ वी टी पी एल के रूप में नामोद्दिष्ट देयताओं के लिए अपने क्रेडिट जोखिमों में बदलाव करने वाली उचित मूल्य लाभ अथवा हानियों को अन्य विस्तृत आय में स्वीकार किया जाता है। इन लाभ/ हानियों के बाद में आय और व्यय विवरण में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के अंतर्गत संचयी लाभ अथवा हानि में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं की उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ऋण और प्रतिभूति जमा

लाभ (लेन देन संबंधी व्यय की निवल राशि) और भुगतान की गई राशि के बीच किसी अंतर को देयता की अवधि में आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए बाद में परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है। जब देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है तथा ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किया जाता है तो लाभ और हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर परिशोधन वित्त व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण में शामिल है।

व्यापार और अन्य लाभकर

व्यापार और अन्य लाभकर सामग्री और अन्य सामान खरीदने तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिए कम्पनी के द्वारा किए गए

दायित्व होते हैं जो कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किए अथवा लिए गए हैं। यदि भुगतान वित्तीय स्थिति का विवरण की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय हो, तो व्यापार और अन्य लाभकरों को चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है और यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में उनकी उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है।

ग) मान्यता न देना

एक वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं दी जाती है, जब देयता के अंतर्गत दायित्व पूरा हो जाता है अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी देनदार से दूसरे को पर्याप्त रूप से अलग-अलग शर्तों पर बदला जाता है अथवा मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता को अमान्य और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित केरीइंग राशियों के बीच के अंतर को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

'चूंकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह कम्पनी पंजीकृत है, इसलिए यह धारा 2(40) के तहत आय और व्यय विवरण तैयार करती है। अत: इण्ड ए एस, एफ वी टी पी एल का पालन करने के लिए लाभ अथवा हानि लेखा के माध्यम से उचित मूल्य (जहां कहीं उल्लेख हो) से अभिप्राय: आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित मूल्य से होगा।

2.11 अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट में निवेश

अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट में निवेश संचित क्षति हानियों (यदि कोई हो) को कम करके लागत पर किए जाते हैं। जहां पर क्षति के बारे में कोई संकेत होता है, तब निवेश की राशि का मूल्यांकन किया जाता है और तत्काल ही इसकी वसूलनीय राशि में लिखी जाती है। निवेशों का निपटान करने पर निवल निपटान लाभ राशि और कैरीइंग राशियों के बीच अंतर को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.12 राजस्व मान्यता

(क) कंपनी इंड ए एस - 115 में निर्धारित पांच चरण की प्रक्रिया के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंध करके राजस्व को मान्यता देती है:

(i) एक ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान:- किसी अनुबंध को दो अथवा अधिक पक्षों के बीच एक ऐसे करार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनसे प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों की उत्पत्ति होती है और ऐसे प्रत्येक अनुबंध के लिए मापदंड तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) अनुबंध में निष्पादन के दायित्वों की पहचान:- एक निष्पादन दायित्व किसी अनुबंध में ग्राहक के साथ किसी वस्तु अथवा सेवा का ग्राहक को हस्तांतरण करने का एक वायदा होता है।

(iii) सौदे की कीमत का निर्धारण:- सौदे की कीमत वह प्रतिफल की राशि होती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वायदा वस्तुओं अथवा सेवाओं का हस्तांतरण करने के बदले में प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है, इसमें तीसरे पक्षों की ओर से प्राप्त राशियां शामिल नहीं हैं।

(iv) अनुबंध में निष्पादन दायित्व के लिए सौदे की कीमत प्रदान करना:- ऐसे सौदे के लिए, जिसके लिए एक से अधिक निष्पादन दायित्व हो, कंपनी उस राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए सौदा कीमत प्रदान करती हैं, जो प्रतिफल की वह राशि होती है, जिसके लिए कंपनी को प्रत्येक निष्पादन दायित्व की पूर्ति के बदले में प्राप्त की अपेक्षा होती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(v) ऐसे राजस्व की मान्यता, जब अथवा कंपनी किसी ग्राहक को वायदा की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं के हस्तांरण के द्वारा एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

(ख) निष्पादन दायित्व को राजस्व समयोपरि (ओवर टाइम) के रूप में स्वीकार और मान्य किया गया है, यदि निम्नलिखित किसी एक मापदंड की पूर्ति होती हो:

(i) निष्पादन से वैकल्पिक प्रयोग करके परिसंपत्ति सृजित नहीं होती हो और समय पर निष्पादन की पूर्ति के लिए भुगतान का एक प्रवर्तनीय अधिकार होता हो।

(ii) निष्पादन से एक ऐसी परिसंपत्ति उत्पन्न अथवा वृद्धि होती हो कि ग्राहक को पता रहे कि परिसंपत्ति की उत्पत्ति अथवा वृद्धि हुई है।

(iii) ग्राहक को साथ-साथ प्रदान किए गए लाभों की प्राप्ति हो और उपभोग करे।

(ग) ऐसे निष्पादन दायित्वों के लिए, जहां उपरोक्त में से एक शर्त की पूर्ति नहीं होती हो, राजस्व को तब मान्य किया जाता है, जब निष्पादन दायित्व की पूर्ति होती है। जब निष्पादन दायित्व को वायदा की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं की सुपुर्दगी करके पूरा कर लिया जाता है तो निष्पादन करवे प्राप्त की गई राशि पर एक अनुबंध आधारित परिसंपत्ति सृजित होती है। यदि किसी ग्राहक से प्रतिफल में प्राप्त राशि मान्य की गई राजस्व की राशि से अधिक होती है तो इससे अनुबंध दायित्व में वृद्धि होती है।

(घ) राजस्व की मान्यता ऐसी संभावना तक प्रदान की जाती है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह होगा और राजस्व तथा लागत, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(ङ) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/ प्रदर्शनियों से आय और व्यय की उस वर्ष में गणना की गई है, जिस वर्ष आयोजन शुरू हुआ। तथापि, दो लेखांकन अवधियों में व्याप्त, तीन माह या अधिक की अवधि वाले दीर्घावधिक आयोजनों के मामले में, जिसकी प्रमुख अवधि परवर्ती लेखांकन अवधि में पड़ती है, उस आयोजन की आय और व्यय की धनराशि उस में शामिल की गई है, जिस वर्ष में आयोजन समाप्त हुआ।

सरकार की ओर से किन्हीं करों अथवा शुल्क एवं कटौतियों/ छूट की कटौती करने के बाद प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की उचित मूल्य पर इसे निर्धारित किया जाता है जैसे सेवा कर/ वस्तु एवं सेवा कर आदि लगाए जाते हैं।

(च) किराए से और प्रचालन पट्टों से राजस्व को प्रासंगिक करार की शर्तों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(छ) कम्पनी के प्रदर्शनी और मेलों में प्रदर्शित आंतरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, भावी मेलों में उपयोग करने के लिए स्टॉक में रखे नए सामानों को अंतिम स्टॉक के रूप में माना जाता है।

(ज) सिविल, विद्युत, बागवानी आदि पर सी पी डब्ल्यू डी/ एन बी सी सी जैसी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय को उनके द्वारा दिए गए विवरणों/ लेखों/ उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

(झ) जिन मामलों में लाइसेंसधारी के साथ संविदा समाप्त हो गई हो उन मामलों में समाप्त हुई संविदा/ इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक संशोधित समझौते/ निष्पादित संशोधित संविदाओं के आधार पर बकाया धनराशियों को अस्थायी रूप से लेखें में लिया जाता है।

(ञ) कार्य का विलंब से निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतियों के दावों को आय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब धनराशि के बारे में अंतिम तौर पर निर्धारण और सहमति हो जाती है।

(ट) एसोसिएट अंशदाताओं से अंशदान शुल्क और नियमित अंशदाताओं से सेवा प्रभारों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, अग्रिम रूप से प्राप्त अंशदान शुल्क को उस प्रासंगिक वर्ष में लेखे में डाला जाता है, जिसके लिए यह संबंधित हैं।

(ठ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, तब लाभांश आय को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ड) बकाया राशि और लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ढ) विगत वर्षों की आय और व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000/- रु. से अधिक न हो, को चालू वर्ष के संबंध में माना जाता है।

2.13 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय एप्रोच से स्वीकार तब किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि उनको प्राप्त कर लिया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी।

जिन अनुदानों से कम्पनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हो उनको उस अवधि में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में संबद्ध खर्च किए हों।

प्रवर्तक के अंशदान की प्रकृति के अनुदानों को अन्य इक्विटी के तहत उपयुक्त श्रेणी में स्वीकार किया जाता है।

2.14 ऋण लेने संबंधी खर्च

विशेष मूर्त सम्पत्तियों को आशायित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में अनिवार्यता काफी समय लगता है, उनके अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी ऋण लेने संबंधी खर्चों को परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजी माना जाता है। सभी अन्य ऋण खर्चों को उस अवधि के खर्च माना जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। ऋण संबंधी खर्चों में ब्याज और अन्य खर्चे शामिल होते हैं, जिनको कोई संस्था निधियों के ऋण लेने के संबंध में करती है। ऋण खर्च में ऋण लेने के खर्चों के समाधान के रूप में मानी गई सीमा तक के लिए विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं।

ऋण खर्च का लाभ उस समय समाप्त हो जाता है जब विशेष मूर्त परिसम्पत्तियों को उनके आशयित उपयोग हेतु उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हों।

2.15 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाएं देने के 12 महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक लाभों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, पुरस्कार, अनुग्रह राशि, निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन/ वेतन आदि शामिल हैं और इनको उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं देता है।

ख) नियोजन के बाद लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी की अनुमोदित भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। कम्पनी का ऐसी योजनाओं के तहत भुगतान किए गए / देय अंशदान के अलावा अलग ट्रस्टों के लिए कोई दायित्व नहीं होता है; जो अनुमत प्रतिभूतियों

में निधियां निवेश करती हैं। योजनाओं के तहत भुगतान किए/ देय अंशदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा देता है। कम्पनी ट्रस्टों की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

कर्मचारी उपदान निधि योजना (वित्त-पोषित) और कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्त-पोषित) योजना कम्पनी की परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य का तुलन-पत्र की तारीख को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। उपदान को एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है जो ट्रस्ट के कार्यों को प्रबंध व्यवस्था करता है। ओ. सी. आई. के माध्यम से धारित आय के संगत डेबिट अथवा क्रेडिट के साथ बीमांकिक लाभ और हानियों वाले पुन:निर्धारण को उस अवधि में तुलन-पत्र में तत्काल स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। पुन: निर्धारणों को बाद की अवधियों में आय और व्यय विवरण में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कम्पनी ग्रेच्युटी ट्रस्ट की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ग) समापन (टर्मिनेशन) लाभ

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं पर अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए खर्चों को लाभ और हानि विवरण में ऐसे खर्चों के होने के वर्ष में लिया जाता है।

2.16 प्रावधान और आकस्मिक परिसंपत्तियां और देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी का किसी विगत मेले के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा ठोस) हो, और यह संभव है कि आर्थिक दायित्वों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का आउट फ्लो दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक होगा तथा दायित्व राशि के बारे में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का तुलन-पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटारा करने के लिए अपेक्षित व्यय सबसे अच्छे अनुमान पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।

यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव का प्रभाव वस्तुत: होता है तो प्रावधानों को चालू पर्व-कर दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य को दर्शाने के लिए कम किया जाता है, जो दायित्व के धनराशि संबंधी समय-मूल्य और जोखिम विशेष के वर्तमान बाजार आकलनों को दर्शाता है। जब कम प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तब समय बीतने की वजह से प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में माना जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं संभव दायित्व होती हैं जो विगत मेलों से आती (उठती) हैं और उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक भावी मेलों के आयोजनों से ही होगी और यह कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां पर यह संभव नहीं होता है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की आवयकता होगी अथवा धनराशि के बारे में विश्वसनीय तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना अप्रत्यक्ष न हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख की समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंध अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक परिसम्पत्तियों संभव परिसम्पत्तियां होती हैं जो विगत मेलों से होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी मेलों के होने अथवा न होने से होगी और ये कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों के बारे में वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभव हो। इनका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है कि विकासों को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

2.17 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल अधिशेष/ घाटे से विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.18 सेगमेंट रिपोर्टिंग

संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के द्वारा प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन खण्डों की पहचान की जाती है। निदेशक मण्डल इण्ड ए. एस. 108 के आशय के अंतर्गत कम्पनी का सामूहिक रूप से 'चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर' 'सी ओ डी एम' होता है।

कम्पनी ने भारत तथा विदेश में व्यापार संवर्धन कार्यकलाप नामक दो रिपोर्टिंग खण्डों की पहचान की है।

2.19 पट्टे

पट्टे के बारे में क्या कोई व्यवस्था है अथवा निहित है, इसका निर्धारण पट्टे के प्रारंभ में व्यवस्था संबंधी विषय पर आधारित है। पट्टे की व्यवस्था है अथवा यह निहित है, यदि व्यवस्था को पूरा करना विशिष्ट परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर हो अथवा व्यवस्था परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों को उपयोग करने के अधिकार के बारे में बताती है, चाहे अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

पट्टे को वित्तीय पट्टे अथवा प्रचालन पट्टे के रूप में शुरू की तारीख को वर्गीकृत किया जाता है। जिस पट्टे से स्वामित्व के सभी जोखिम और आकस्मिक पुरस्कार कम्पनी के लिए पर्याप्त रूप से हस्तांतरित होते हों, उस पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे के लिए पट्टा सम्पत्ति की उचित मूल्य पर प्रारंभ की तारीख को पट्टा शुरू करने पर पूंजी की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि कम हो तो न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान कीमत पर व्यवस्था की जाती है। पट्टे-संबंधी भुगतान वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच अनुपात के आधार पर होते हैं ताकि देयता के बचे शेष पर ब्याज की सतत् दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ अथवा हानि विवरण में वित्त व्यय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब तक वे उन विशेष परिसम्पत्तियों के लिए आरोप्य न हों, जिन मामलों में वे ऋण लागत पर कम्पनी के सामान्य नीति के अनुसार लाभ नहीं उठाते हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

पट्टे वाली परिसम्पत्ति की परिसम्पत्ति की मियाद के अनुसार कीमत कम हो जाती है। तथापि, पट्टे की अवधि के अंत में कम्पनी स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, यदि इस बारे में उचित रूप से निश्चितता न हो, तो सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद और पट्टे की अवधि में जो कम हो, उसके अनुसार परिसम्पत्ति का मूल्य कम किया जाता है।

प्रचालन पट्टे संबंधी भुगतानों को पट्टे की अवधि के आधार पर आय और व्यय विवरण में प्रत्यक्षत: व्यय के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है, जब तक भुगतानों को संभावित मुद्रास्फीति लागत बढ़ोत्तरी में पट्टाकर्त्ता के लिए मुआवजा देने के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया नहीं जाता है।

पट्टाकर्त्ता के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों में कम्पनी किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, तो ऐसे पट्टों को प्रचालन हानियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किराए की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि से प्रत्यक्षत: स्वीकार किया जाता है। किसी प्रचालन पट्टे की सौदेबाजी और व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्चों को पट्टे वाली परिसम्पत्ति के केरीइंग राशि में जोड़ा जाता है और किराया आय के रूप में उसी आधार पर पट्टे की अवधि से स्वीकार किया जाता है। प्रासंगिक किरायों को उस अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे प्राप्त होते हैं। पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार कम्पनी से पट्टाकर्त्ता को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टाकर्त्ता की ओर बकाया राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश में प्राप्यों के रूप में रिकार्ड कर दिया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियां आवंटित की जाती हैं ताकि पट्टे के बारे में निवल निवेश बकाया में लाभ की सतत् आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

2.20 वर्तमान लेखांकन घोषणाएं : मानक जारी किए परंतु प्रभावी नहीं

इण्ड ए. एस 116 पट्टे

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2019 को पट्टे के बारे में इण्ड ए. एस 116 अधिसूचित किया था। मानक में पट्टों की मान्यता मापक प्रस्तुति और प्रकटन के लिए नए/ अतिरिक्त सिद्धांत स्थापित किए हैं। इण्ड ए. एस. 116 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टेदार और पट्टाकर्ता इस तरीके से संगत सूचना प्रदान करते हैं जो इन लेन देनों को ईमानदारी से दर्शाते हैं। नए पट्टा मानक सभी कम्पनियों पर लागू हैं तथा यह इण्ड ए. एस. के तहत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता संबंधी अपेक्षाओं को हटा देगा।

इण्ड ए. एस. 116 की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2019 अथवा इसके बाद में शुरू वार्षिक अवधियां हैं। कम्पनी को 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष तक मानक को स्वीकार करना होता है। कम्पनी इस समय इण्ड ए. एस. 116 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही हैं और उसने वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को अभी निर्धारित नहीं किया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(31 मार्च, 2019 को यथास्थिति)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2018 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को यथास्थिति
क	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) (देखें टिप्पणी सं. 3.1 एवं 31.2)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,185.85	-	**7.51**	1,178.34
	ख श्रेणी	20	384.73	**1.09**	**4.54**	381.28
	ग श्रेणी	10	40.73	-	**2.21**	38.52
	भवन -फ्री होल्ड					
	आवासीय / कार्यालय फ्लैट - फ्री होल्ड	40	159.87	**0.23**	-	160.09
	विद्युत संस्थापना/फिटिंग	10	191.62	-	**2.32**	189.31
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	110.26	-	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	60.37	-	-	60.37
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट (देखें टिप्पणी 3.1)	10	-	-	-	-
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	39.04	**0.05**	**0.03**	39.06
	आग से बचाव के उपकरण एवं उपाय	10	6.89	-	-	6.89
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज	10	8.63	-	-	8.63
	वाहन	5	30.81	-	**6.38**	24.44
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	80.15	**8.20**	**0.18**	88.17
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	149.93	-	-	149.93
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर और नेटवर्क	6	33.13	**2.70**	**0.03**	35.80
	कंप्यूटर आदि	3	121.48	-	-	121.48
	उप जोड़ (क)		**2,682.25**	**12.27**	**23.18**	**2,671.34**
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**					
	स्टाफ क्वार्टर (गाजीपुर)		22.85	0.30	-	23.15
	अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन कक्ष (देखें टिप्पणी 31.7)		28,397.05	104,968.38	1,070.90	132,294.53
	उप जोड़ (ख)		**28,419.90**	**104,968.68**	**1,070.90**	**132,317.68**
	सकल जोड़ (क + ख)		**31,102.15**	**104,980.95**	**1,094.08**	**134,989.02**

3.1 केवल 1 रु. की बुक-वैल्यू भूमि और भवन के लिए पूर्व वर्षों में प्राप्त अनुदान का निवल

3.2 मूल्यह्रास में 5000 रु. तक की लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति के संबंध में 0.11 लाख रु. (पूर्व वर्ष 1.28 लाख रु.), शामिल वर्ष में पूर्णतया मूल्य घटाया गया।

3.3 पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस - 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2019 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

3.4 सम्पत्ति संयंत्र और उपस्करों की भौतिक जांच रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए नियुक्त बाहरी एजेंसी से आना बाकी है तथापि वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्रों और उपस्करों का भौतिक सत्यापन (कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा कंप्यूटरों को छोड़कर) किया गया था और कोई कमी नहीं पायी गई। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई कमी पायी जाएगी तो यथासमय शामिल की जाएगी। इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हों, इस समय अनावश्यक हैं।

3.5 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का अनुच्छेद 2.2 और 2.3 देखें।

3.6 विगत पद्धति के अनुसार लीजहोल्ड भूमि का लेखांकन नीति के आधार पर परिशोधन नहीं किया गया है।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
1.04.2018 को यथास्थिति	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को यथास्थिति	31.03.2019 को यथास्थिति	31.03.2018 को यथास्थिति
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	0.00	0.00
209.71	**46.58**	-	256.29	922.05	976.14
5.05	**18.74**	-	23.79	357.50	379.68
14.65	**8.03**	**0.98**	21.71	16.82	26.08
18.41	**6.13**	-	24.55	135.55	141.46
36.10	**18.66**	**0.00**	54.75	134.55	155.53
13.19	**6.98**	-	20.18	90.08	97.07
43.14	**5.89**	-	49.03	11.35	17.23
-	-	-	-	-	-
16.37	**4.04**	-	20.41	18.65	22.66
1.17	**0.05**	-	1.23	5.67	5.72
1.94	**0.78**	-	2.72	5.92	6.69
11.66	**3.09**	-	14.75	9.69	19.15
28.17	**9.80**	**0.07**	37.89	50.27	51.98
130.24	-	-	130.24	19.69	19.69
20.06	**3.63**	-	23.69	12.11	13.07
65.58	**21.26**	-	86.84	34.64	55.89
615.45	**153.66**	**1.05**	**768.06**	**1,903.28**	**2,066.80**
-	-	-	-	23.15	22.85
-	-	-	-	132,294.53	28,397.05
-	**-**	**-**	**-**	**132,317.68**	**28,419.90**
615.45	**153.66**	**1.05**	**768.06**	**134,220.96**	**30,486.70**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

संम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

(31 मार्च, 2019 को)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को
क	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	लीज होल्ड (प्रगति मैदान) (देखे टिप्पणी 3.1)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,572.34	57.72	444.21	1,185.85
	ख श्रेणी	20	33.93	371.79	20.99	384.73
	ग श्रेणी	10	60.21	-	19.48	40.73
	अनारकली फूड प्लाजा (देखे टिप्पणी 3.2)		0.00	-	0.00	-
	भवन -फ्री होल्ड					
	आवासीय / कार्यालय फ्लैट - फ्री होल्ड	40	159.87	-	-	159.87
	विद्युत स्थापनाएं और फिटिंग्स	10	245.05	74.76	128.19	191.62
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	110.26	-	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	0.25	-	0.25	-
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	1,866.07	-	1,805.70	60.37
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट (देखें टिप्पणी 3.1)	10	0.28	-	0.28	-
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	34.10	4.99	0.06	39.04
	आग से बचाव के उपकरण	10	5.17	1.72	-	6.89
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज	10	16.00	-	7.36	8.63
	वाहन	5	30.81	-	-	30.81
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	128.56	1.75	50.17	80.15
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.50	-	1.57	149.93
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर और नेटवर्क	6	21.70	11.43	-	33.13
	कंप्यूटर आदि	3	118.87	4.55	1.94	121.48
	उप जोड़ (क)		**4,633.72**	**528.72**	**2,480.20**	**2,682.25**
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**					
	स्टॉफ क्वार्टर (गाजीपुर)		19.44	3.41	-	22.85
	अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन कक्ष		89.82	29,690.44	1,383.21	28,397.05
	उप जोड़ (ख)		**109.26**	**29,693.85**	**1,383.21**	**28,419.90**
	सकल जोड़ (क + ख)		**4,742.98**	**30,222.57**	**3,863.41**	**31,102.15**

3.1 केवल 1 रु. की बुक-वैल्यू भूमि और भवन के लिए प्राप्त अनुदान का निवल

3.2 अनारकली फूड प्लाजा शामिल, 1.4.2017 को केवल 1 रु. की बुक वैल्यू, 2017-18 के दौरान गिराया, 31.3.2018 को शून्य

3.3 मूल्यह्रास में 5000 रु. अथवा कम लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति के संबंध में 1.28 लाख रु. (पूर्व वर्ष 2.75 लाख रु.) 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास

3.4 पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस - 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2018 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

3.5 1839.46 लाख रु. के निवल ब्लाक वाली 4305.21 लाख रु. की लागत की परिसम्पत्तियां आई ई सी सी परियोजना के लिए गिरा दी/ सौंप दी गई थी तथा 461.07 लाख रु. की बिक्री आय के प्रति, वर्ष की लेखा पुस्तकों से निकाल दी गई थीं। 1378.39 लाख रु. की परिणामी हानि 'आय और व्यय विवरण' में 'विशेष मदों' में शामिल हैं।

3.6 सम्पत्ति संयंत्र और उपस्करों की भौतिक जांच दो वर्षों में एक बार की जाती है तथा वर्ष 2017-18 में किया जाना बाकी है। लेखा शेषों के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट का समाधान किया जाएगा तथा इस चरण में परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं है।

3.7 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का अनुच्छेद 2.2 और 2.3 देखें।

3.8 विगत पद्धति के अनुसार लीजहोल्ड भूमि का लेखांकन नीति के आधार पर परिशोधन नहीं किया गया है।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
1.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	0.00	0.00
154.23	122.74	67.26	209.71	976.14	1,418.11
9.41	5.02	9.38	5.05	379.68	24.52
19.32	9.34	14.01	14.65	26.08	40.89
-	-	-	-	-	0.00
12.28	6.13	-	18.41	141.46	147.59
53.66	38.92	56.48	36.10	155.53	191.39
6.21	6.98	-	13.19	97.07	104.04
-	-	-	-	-	0.25
348.14	134.15	439.15	43.14	17.23	1,517.93
-	-	-	-	-	0.28
11.14	5.24	0.01	16.37	22.66	22.96
-	1.17	-	1.17	5.72	5.17
2.12	1.36	1.54	1.94	6.69	13.88
8.57	3.09	-	11.66	19.15	22.24
64.97	11.09	47.90	28.17	51.98	63.59
130.24	-	-	130.24	19.69	21.26
5.95	14.11	-	20.06	13.07	15.75
40.91	24.68	-	65.58	55.89	77.97
867.14	**384.03**	**635.72**	**615.45**	**2,066.80**	**3,766.58**
-	-	-	-	22.85	19.44
-	-	-	-	28,397.05	89.82
-	**-**	**-**	**-**	**28,419.90**	**109.26**
867.14	**384.03**	**635.72**	**615.45**	**30,486.70**	**3,875.84**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

4. अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(31 मार्च, 2019 को) (रु. लाख में)

विवरण	मियाद (वर्ष)	सकल ब्लाम				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		1.04.2018 को	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को	1.04.2018 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	64.88	25.55	-	90.43	21.90	28.16		50.06	40.38	42.98
वेबसाइट	3	20.41	-	-	20.41	13.60	6.81		20.41	0.00	6.81
कुल		**85.29**	**25.55**	**-**	**110.84**	**35.50**	**34.97**	**-**	**70.47**	**40.38**	**49.79**

(31 मार्च, 2019 को) (रु. लाख में)

विवरण	मियाद (वर्ष)	सकल ब्लाम				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		1.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	1.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	0.79	64.09	-	64.88	0.26	21.64	-	21.90	42.99	0.53
वेबसाइट	3	20.41	-	-	20.41	6.80	6.80	-	13.60	6.80	13.61
कुल		**21.20**	**64.09**	**-**	**85.29**	**7.06**	**28.44**	**-**	**35.50**	**49.79**	**14.14**

4.1 अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' का अनुच्छेद 2.4 देखें

5. अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट में निवेश (कीमत लागत पर, जब तक अन्यथा न कहा हो)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को यथास्थिति		31 मार्च, 2018 को यथास्थिति
	अन-उद्धृत (पूर्णतः प्रदत्त - जब तक अन्यथा बताया न हो, लागत पर)				
	अनुषंगी कंपनी				
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) में प्रत्येक 1000/- रु. के 51 (51) इक्विटी शेयर	0.51		0.51	
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) में प्रत्येक 1000/- रु. के 1,02,000 (1,02,000) इक्विटी शेयर	1,020.00		1,020.00	
			1,020.51		1,020.51
	संयुक्त उद्यम कम्पनी और एसोसिएट कंपनी				
	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंन्द्र (एन सी टी आई) में 100/- प्रत्येक के 2,00,000 (2,00,000) इक्विटी शेयर	200.00		200.00	
	(कमी) : क्षति हानि के लिए प्रावधान	(116.74)	83.26	(47.42)	152.58
	जम्मू एवं कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (जे के टी पी ओ) में 100/- रुपए प्रत्येक में 2,20,000 इक्विटी शेयर		220.00		-
			1,323.77		**1,173.09**

5.1 अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यम और एसोसिएट के बारे में सूचना :

अनुषंगी कंपनी में निवेश :

कंपनी का नाम	**निगमन का देश**	**मुख्य गतिविधियां**	**शेयर होल्डिंग का अनुपात (:)**	
			31.03.2019	**31.03.2018**
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%

संयुक्त उद्यम और एसोसिएट में निवेश

कंपनी का नाम	**निगमन का देश**	**मुख्य गतिविधियां**	**शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)**	
			31.03.2019	**31.03.2018**
राष्ट्रीय व्यपार सूचना केंन्द्र	भारत	व्यापार संवर्धन	50%	50%
जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	44%	-

5.2 अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट में इक्विटी निवेशों को 'पृथक वित्तीय विवरणों' पर इण्ड ए. एस. 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत (निवल क्षति हानि) पर निर्धारित किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

6. निवेश

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	इक्विटी शेयरों में अन-उद्धृत पूर्णत: प्रदत्त				
	(अन्य विस्तृत आय द्वारा उचित मूल्य पर)		-		-
	सी-ग्लिम्पस को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी मुम्बई में कुल 250/- रु. के 50/- रु. प्रत्येक के 5 शेयर		-		-
	(i) अन-उद्धृत निवेशों की कुल राशि		-		-
	(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल राशि		-		-

7. ऋण (अच्छा माना गया)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित) (देखें टिप्पणी 7.1)				
	सुरक्षित	404.44		475.93	
	असुरक्षित	45.16	449.60	45.29	521.22
			449.60		521.22
7.1	**कर्मचारियों के ऋण में शामिल :**				
	निदेशकों की ओर बकाया		-		-
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		16.23		18.49

8. गैर चालू कर परिसम्पत्तियां (असुरक्षित)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	आयकर/ टी डी एस वसूली योग्य (टिप्पणी 31.4 ख देखें)				
	अच्छी मानी गई		22,638.77		20,561.01
	संदिग्ध मानी गई	426.00		426.00	
	(कमी): संदिग्ध टी डी एस के लिए प्रावधान	(426.00)	-	(426.00)	-
			22,638.77		20,561.01

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (असुरक्षित, अच्छी मानी गई)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	पूंजीगत अग्रिम				
	सुरक्षित (एन बी सी सी की कारपोरेट गारंटी पर)	-		10,000.00	
	असुरक्षित	2,144.77	2,144.77	22,030.97	32,030.97
	विविध जमा		1,154.20		1,154.82
	वसूली योग्य सेवा कर (संदर्भ टिप्पणी 31.8 देखें)		1,017.96		1,017.96
	आस्थगित नामावली व्यय		95.19		115.03
			4,412.12		34,318.78

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

10. निवेश

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	म्युचल फण्ड्स में निवेश - उद्धरित (आय और व्यय के जरिये उचित कीमत पर निर्धारित)				
	यू. टी. आई. बैलेस्ड फण्ड डिवीडेंट रिइन्वेस्टमेंट स्कीम में 10/- 10/- रुपए प्रत्येक की 2,91,490.319 (2,70,169.130)		80.33		78.45
			80.33		78.75
	(i) उद्धृत निवेशों और बाजार मूल्यों की कुल राशि		80.33		75.75
	(ii) निवेशों के मूल्यों में कमी की कुल राशि		-		-

11. व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	असुरक्षित, अच्छे माने गए (टिप्पणी 11.1 देखें)		605.39		936.18
	असुरक्षित संदिग्ध माने गए (टिप्पणी 11.2 देखें)	1092.08		1,238.87	
	(कमी): संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(1092.08)	-	(1,238.87)	-
			605.39		936.18
11.1	वर्तमान प्राप्य अल्प स्वरूप के होने की वजह से उनकी निर्धारण राशि उनके उचित मूल्य की भांति मानी है।				
11.2	व्यापार प्राप्यों में एन सी टी आई, संयुक्त उद्यम कम्पनी की ओर बकाया 54.48 लाख रु. (पूर्व वर्ष 54.48 लाख रु.) की राशि शामिल हैं।				

12. नकदी एवं नकदी के समतुल्य

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	बैंकों में शेष:				
	- बचत खाता		5,579.14		3,651.39
	- चालू खाता (टिप्पणी देखें 12.1)		14.49		24.76
	अपने पास रखे ड्राफ्ट/ चैक		69.69		28.08
	पास में नकदी (टिप्पणी देखें 12.2)		5.18		4.81
	डाक टिकट अग्रिम		0.81		0.12
			5,669.31		3,709.16
12.1	बैंकों में शेष में विदेशी बैंकों में पड़े 9.23 लाख रु. (पूर्व वर्ष 8.66 लाख) शामिल हैं, जिसमें से 4.21 लाख (विगत वर्ष : शून्य) की पुष्टि नहीं हुई है।				
12.2	विदेशी मुद्रा में 5.07 लाख रु. (विगत वर्ष 4.68 लाख रु.) रखे गए।				
12.3	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।				

13. नकदी और नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक में शेष

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	बैंकों में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने तक मूल परिपक्वता सावधि जमा		43,899.00		90,101.00
			43,899.00		90,101.00

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

14. ऋण

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	अनुषंगी कंपनी के टी पी ओ – को अग्रिम (असुरक्षित, अच्छे माने गए)		-		773.77
	कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 14.1 देखें)				
	सुरक्षित (अच्छे माने गए)	96.40		103.94	
	असुरक्षित (अच्छे माने गए)	1,536.95	1,633.35	2,075.52	2,179.46
			1,633.35		**2,953.23**
14.1	कर्मचारियों के लिए ऋण में निम्नलिखित की ओर बकाया राशि शामिल :				
	निदेशकों/ पूर्व निदेशकों की ओर बकाया		0.01		0.01
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		1.92		7.55

15. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (असुरक्षित) (अच्छी मानी गई, जब तक अन्यथा उल्लेख किया जाए)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान				
	अच्छी मानी गई	910.34		711.35	
	संदिग्ध मानी गई	1.00		21.47	
	(कमी) : अनुदान की संदिग्ध वसूली अनुदान के लिए प्रावधान	(1.00)	910.34	(21.47)	711.35
	अंतर कारपोरेट जमा (एन बी एफ सी के पास रखी गई)		3,200.00		26,800.00
	विदेशों में भारतीय मिशनों की ओर बकाया		7.31		7.86
	अनुषंगी कंपनियों से वसूलनीय :				
	– टी एन टी पी ओ	0.05		0.03	
	– के टी पी ओ	0.05	0.10	0.03	0.06
	बचत बैंक लेखों/ जमाओं पर ब्याज		1,347.85		3,145.81
	डिपाजिट (जमा) कार्यों के बारे में पक्षकारों की ओर देय				
	अच्छी मानी गई	-		50.02	
	संदिग्ध मानी गई	91.75		41.73	
	(कमी) : संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	(91.75)	-	(41.73)	50.02
			5,465.60		**30,715.10**

16. अन्य चालू परिसम्पत्तियां (असुरक्षित, अच्छी मानी गई, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	विक्रेताओं को अग्रिम				
	अच्छी मानी गई	506.19		558.29	
	संदिग्ध मानी गई	163.28		249.64	
	(कमी): संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	(163.28)	506.19	(249.64)	558.29
	विविध जमा				
	अच्छी मानी गई	129.68		163.20	
	संदिग्ध मानी गई	14.03		13.68	
	(कमी): संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(14.03)	129.68	(13.68)	163.20
	अन्य				
	जी एस टी क्रेडिट	841.21		506.94	
	पूर्व प्रदत्त व्यय	13.85		14.89	
	आस्थगित नामावली व्यय	16.78		19.71	
	उपभोज्य वस्तुएं	-	871.84	1.17	542.71
			1,507.71		**1,264.20**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

17. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	अधिकृत		
	100-100/- रु. के 50,000 (50,000) इक्विटी शेयर	50.00	50.00
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त		
	100-100/- रु. के पूर्णतः प्रदत्त 25,000 (25,000) इक्विटी शेयर	25.00	25.00
		25.00	**25.00**

17.1 **बकाया शेयरों का मिलान**

	31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति	
	शेयरों की सं.	(रु. लाख में)	शेयरों की सं.	(रु. लाख में)
वर्ष के शुरू में	25,000	25.00	25,000	25.00
जोड़ : अवधि के दौरान निर्गम	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**25,000**	**25.00**	**25,000**	**25.00**

17.2 **इक्विटी शेयर की अवधि / सम्बद्ध अधिकार**

कम्पनी के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका प्रति शेयर समतुल्य मूल्य 100 रु. है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार होता है। चूंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित है, इसलिए कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को अपने सदस्यों को लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा वितरित करने पर प्रतिबंध है।

कम्पनी को बंद करने अथवा विघटित करने की स्थिति में समस्त ऋणों और देयताओं तथा सरकार की मूल पुंजी लौटाने के बाद यदि कोई संपत्ति जो भी हो, रहती है, तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच में बांटी नहीं जाएगी, अपितु उसे ऐसी अन्य कम्पनी को दिया अथवा अंतरित कर दिया जाएगा, जो इस कम्पनी की भांति उद्देश्य वाली हो। इसका निर्धारण कम्पनी के सदस्यों के द्वारा कम्पनी के विघटन के समय पर अथवा इससे पहले किया जाएगा, अथवा इसमें चूक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अथवा मामले में न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

17.3 **कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारकों का विवरण**

	31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति	
	शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
भारत सरकार को पूर्ण प्रदत्त 100-100 रु. के इक्विटी शेयर (नामिती शेयरधारकों के द्वारा रखे 2 शेयर)	25,000	100	25,000	100

18. अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति	
पूंजीगत रिजर्व				
अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रवर्तक का अंशदान	-		4,965.62	
(कमी) : धारित आय का अंतरण	-	-	(4,965.62)	-
के टी पी ओ में निवेश के लिए प्रवर्तक का अंशदान	1,02.00		1,325.22	
(कमी) : धारित आय का अंतरण	-	1,020.00	(305.22)	1,020.00
अन्य (टिप्पणी 18.1 देखें)		18.10		18.10
धारित आय				
पिछले लेखे के अनुसार	195,337.39		176,623.06	
जोड़ें : पूंजीगत रिजर्व से अंतरण	-		5,270.84	
जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	7,605.14		13,440.80	
जोड़ें : सुनिश्चित लाभ का पुनः निर्धारण लाभ/ हानि	(270.57)		6.81	
जोड़ें : अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	-	202,671.96	(4.12)	195,337.39
कुल		**203,710.06**		**196,375.49**

18.1 पहले वर्षों में धारक कंपनी के साथ मिलाए गए संगठनों की देयताओं पर परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

19. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान				
	छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 31.11)		2,032.32		2,191.69
			2,032.32		2,191.69

20. अन्य गैर - चालू देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		939.65		815.65
			939.65		815.65

21. व्यापार भुगतान

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बकाया कुल राशि (टिप्पणी 21.1 देखें)		2.69		-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा साहूकारों की कुल बकाया राशि		1,715.49		1,698.93
			1,718.18		**1,698.93**

21.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना

		31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि				
मूलधन राशि		2.69		-
उस पर देय ब्याज		-		-
एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के तहत उद्धृत ब्याज की राशि के साथ ही नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त राशि		-		-
भुगतान करने के लिए विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो भुगतान तो कर दी गई है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद) लेकिन एम एस एम ई डी अधिनिय के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना		-		-
अर्जित ब्याज और अदत्त शेष राशि		-		-
आगे की शेष बकाया राशि और बाद के वर्षों में भी तब तक देय, जिस तारीख तक उस देय ब्याज का सूक्ष्म उद्यमों को एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अनुमत्य न करने के प्रयोग से वास्तव में भुगतान की गई है।		-		-

22. अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	देय कर्मचारी लाभ		399.06		169.27
	प्रतिभूति जमा		734.65		1,008.13
	ग्राहकों की ओर बकाया		2,043.49		2,022.44
	अन्य बकाया		307.05		786.15
			3,484.25		**3,985.99**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

23. अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		4,645.63		2,519.81
	सांविधिक देयताएं		899.98		1,034.20
			5,545.61		**3,554.01**

24. चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
	कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान				
	– ग्रेच्युटी (टिप्पणी 31.11 देखें)	608.02		1,734.56	
	– छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 31.11 देखें)	434.62		366.07	
	– वेतन/ अनुग्रह राशि से संबंधित निष्पादन (टिप्पणी 24.1 देखें)	3,264.00		3,264.00	
	– वेतन फण्ड	10.89		725.26	
	– वेतन संशोधन	173.68	4,491.21	2,022.00	8,111.89
	अन्य				
	– आकस्मिक प्रभारों के रिफंड का प्रावधान		-		109.56
			4,491.21		**8,221.45**

प्रावधानों की प्रवृत्ति : (रु. लाख में)

विवरण	**1 अप्रैल, 2018 को**	**वर्ष के दौरान उपयोग की राशि**	**वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान**	**31 मार्च, 2019 को**
निष्पादन से संबंधित वेतन/ अनुग्रह राशि	3,264.00	-	-	3,264.00
वेतन फण्ड	725.26	(714.37)	-	10.89
वेतन संशोधन	2,022.00	(1,848.32)	-	173.68

प्रावधानों की प्रवृत्ति : (रु. लाख में)

विवरण	**1 अप्रैल, 2018 को**	**वर्ष के दौरान उपयोग की राशि**	**वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान**	**31 मार्च, 2019 को**
निष्पादन से संबंधित वेतन/ अनुग्रह राशि	3,264.00	-	-	3,264.00
वेतन फण्ड	2,631.14	(2,041.69)	135.81	725.26
वेतन संशोधन	442.00	-	1,580.00	2,022.00

24.1 द्वितीय वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतनमानों में संशोधन के बारे में निष्पादन संबंधी वेतन (पी आर पी) अनुग्रह राशि के प्रति 3,264.00 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष: 3264.00 लाख रु.) का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.4.2007 से 31.3.2017 के दौरान कंपनी के द्वारा किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी से पी आर पी अनुग्रह राशि का अनुमोदन लंबित रहते हुए 1382.66 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1574.49 लाख रु.) की राशि के तदर्थ भुगतान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से निवल वसूली राशि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अग्रिम का रिफण्ड/ समायोजन करने के लिए कर्मचारियों हेतु जारी की।

वाणिज्य विभाग ने आई पी पी ओ को सितंबर, 2013 में और पुन: अक्टूबर, 2017 में दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के संबंध में यह सूचित किया था कि आई टी पी ओ वेतन संबंधी निष्पादन (पी आर पी) के लिए पात्र नहीं है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 29.08.2018 को हुई 205वीं बैठक में यह नोट किया था कि यद्यपि डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार, आई टी पी ओ पी आर पी/ अनुग्रह राशि का भुगतान कर पाया लेकिन उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। पी आर पी/ अनुग्रह राशि सहित सभी वित्तीय निर्णयों पर निदेशक मंडल द्वारा विचार जाता है और आवश्यकतानुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। पी आर पी/ अनुग्रह राशि के संबंध में निर्णय आई टी पी ओ की वित्तीय स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। डी पी ई के दिशानिर्देश केवल मार्गनिर्देशन प्रदान करते हैं लेकिन वे कंपनी के लिए कोई बाध्यता उत्पन्न नहीं करते।

उपरोक्त को देखते हुए और कंपनी द्वारा आई ई सी सी परियोजना के लिए प्रतिबद्ध भारी वित्तीय व्यय को देखते हुए निदेशक मंडल ने यह निर्णय लिया था कि वर्ष 2017-18 के लिए पी आर पी/ अनुग्रह राशि/ ब्याज रहित अग्रिम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आई टी पी ओ/ ई सी सी परियोजना का अभी भी कार्यान्वयन कर रहा है और साथ ही डी पी ई दिशा-निर्देशों के तहत 2018-19 में प्रमुख क्रियाकलापों से कोई अधिशेष भी नहीं है। अत: वर्तमान वर्ष के लिए लेखों में पी आर पी/ अनुग्रह राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है!

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

25. अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	सेवाओं की बिक्री				
	स्थान का किराया	15,994.29		21,220.60	
	सरकार से राजस्व अनुदान	426.11		1,295.72	
	बिजली व पानी प्रभारों की वसूली	667.14		1,064.25	
	अन्य सेवाओं से वसूली	252.86		253.80	
	होर्डिंग	238.34		298.04	
	ब्राण्डिंग/ प्रायोजकता	0.32	17,579.06	3.27	24,135.68
	अन्य प्रचालन राजस्व				
	प्रवेश टिकट/ सीजनल पास की बिक्री	320.67		517.85	
	अंशदान	57.53		34.55	
	विज्ञापन प्रकाशन	46.65		57.14	
	प्रकाशनों की बिक्री	1.74	426.59	2.77	612.31
			18,005.65		**24,747.99**

26. अन्य आय

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	निम्नलिखित से ब्याज आय				
	– बैंक जमा और बचत बैंक लेखे	5,214.83		8,359.20	
	– अंतर कारपोरेट जमा	952.98		1,630.56	
	– कर्मचारियों को ऋण	65.96		76.41	
	– इनकम टेक्स रिफंड	37.59		-	
	– अन्य	2.92	6,274.28	1.95	10,068.12
	म्युचुअल फण्ड से लाभांश		5.94		9.23
	किराया (टिप्पणी 31.2 देखें)		66.00		267.15
	अन्य गैर-प्रचालनीय आय				
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ/ हानि (निवल)	19.74		54.68	
	देयताएं/ प्रावधान अधिक समय तक अपेक्षित नहीं, पहले लिखे गए	388.71		327.35	
	ग्राहकों से आय (टिप्पणी 26.1 देखें)	494.31		461.58	
	विविध आय	104.32	1,007.08	18.87	862.48
			7,353.30		**11,206.98**
26.1	तृतीय पक्षकार संगठनों के द्वारा आयोजनों को निरस्त कर देने की वजह से 10.94 लाख रु. (31.3.2019 तक संचयी – 784.7 लाख रु.) के अमान्य जुर्माने को आय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जब कभी राशि की वसूली की जाएगी/ समायोजित की जाएगी, तब उसे इण्ड ए. एस. – 115 के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।				

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

27. कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	वेतन और मजदूरी				
	वेतन, मजदूरी व भत्ते (टिप्पणी 27.1 देखें)	7,066.79		5,572.50	
	अन्य परिलब्धियां एवं भत्ते	1,537.24		980.80	
	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	8,604.03	1,580.00	8,133.30
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान				
	भविष्य निधि के लिए अंशदान (टिप्पणी 31.11 देखें)	620.97		567.22	
	पेंशन के लिए अंशदान (टिप्पणी 31.11 देखें)	350.69		451.65	
	ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 31.11)	337.45		332.69	
	छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 31.11 देखें)	461.53		464.81	
	अन्य निधियों के लिए अंशदान	9.44	1,780.08	10.39	1,826.76
	स्टाफ कल्याण व्यय				
	चिकित्सा व्यय	409.24		382.58	
	मृतक कर्मचारियों के लिए मुआवजा	99.35		133.66	
	अन्य स्टाफ कल्याण व्यय	123.98	632.57	130.28	646.52
			11,016.68		**10,606.58**
27.1	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह राशि की वजह से 709.94 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 17.59 लाख रु.) शामिल हैं।				

28. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्य ह्रास		153.67		384.01
	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन		34.96		28.43
			188.63		**412.44**

29. अन्य व्यय

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	सेवाओं की बिक्री संबंधी व्यय				
	भागीदारी शुल्क		2,202.14		1,885.33
	विनिर्माण एवं आंतरिक सजावट		843.89		2,121.91
	प्रचार		436.99		489.81
	मालभाड़ा, पैकिंग व हैंडलिंग		10.24		48.92
	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शों		0.77		25.34
	इंटरप्रेटर का वेतन		10.67		59.22
	यात्रा एवं वाहन खनिदेशकों के बारे में 14.40 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 30.69 लाख रु.) शामिल,		224.32		326.69
	विदेशी प्रतिनिधिमंडल		9.70		15.40
	विनिमय अंतर (निवल)		7.52		0.33

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

	अन्य प्रचालन व्यय				
	विज्ञापन व्यय		29.74		53.04
	मनोरंजन [निदेशकों के माध्यम से रु. 1.71 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 1.20 लाख) शामिल]		34.04		48.37
	कमीशन		88.12		103.79
	विद्युत प्रभार		879.94		1,214.19
	पानी प्रभार		104.21		278.68
	प्रगति मैदान का रख-रखाव				
	- सिविल	164.09		149.40	
	- विद्युत	771.11		768.52	
	- बागवानी	39.31		85.99	
	- कन्जर्वेन्सी व्यवस्था	213.74	1,188.25	254.28	1,258.19
	वाहनों का रखरखाव	24.09		29.03	
	(कमी) : वसूलियां	(0.08)	24.01	(0.08)	28.95
	अन्य प्रशासनिक व्यय				
	मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव		188.09		181.59
	सुरक्षा व्यय		624.78		691.03
	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		33.32		41.87
	बीमा		7.97		9.17
	विधिक व व्यावसायिक प्रभार		80.76		50.94
	भर्ती व्यय		39.60		-
	सेमिनार और प्रशिक्षण		7.39		13.35
	पुस्तकें और पत्रिकाएं		3.07		19.33
	प्रिंटिंग और स्टेशनरी		66.48		67.58
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (टिप्पणी 31.14 देखें)		437.05		333.67
	दरें और कर	271.57		324.45	
	(घटाएं) : वसूलियां	(0.83)	270.74	(3.26)	321.19
	किराया	17.64		31.37	
	(घटाएं) : वसूलियां	(1.40)	16.24	(1.40)	29.97
	म्युचुअल फण्ड पर उचित मूल्य हानि/ (लाभ)		4.36		2.88
	विलंबित करों/ अनुदानों पर प्रदत्त ब्याज		8.93		2.83
	जे. वी. में निवेशों पर क्षति हानि हेतु प्रावधान		69.32		13.53
	प्रावधान/ बट्टे खाते में डालना		131.81		136.65
	अन्य विविध व्यय		146.36		235.82
	निदेशकों का बैठक शुल्क		2.40		2.20
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
	- लेखा परीक्षा शुल्क (वर्ष 2017-18 के लिए 2.00 लाख रु सहित)	8.00		4.00	
	- कर लेखा-परीक्षा शुल्क	1.00		1.00	
	- व्यय की प्रतिपूर्ति (वर्ष 2017-18 के लिए 0.60 लाख रु. शामिल हैं)	1.20	10.20	-	5.00
			8,243.42		**10,116.76**

30. विशिष्ट मदें :

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	भूमि मुद्रीकरण पर बोली प्रतिभूति की जब्ती (संदर्भ 31.7 (ग) देखें		1,694.92		-
	आई ई सी सी परियोजना के लिए भवन गिराने पर हानि		-		(1,378.39)
			1,694.92		**(1,378.39)**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की अंगभूत अन्य टिप्पणियं

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को यथास्थिति		31 मार्च, 2018 को यथास्थिति	
31.1	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**				
	आकस्मिक देयताएं (देखें टिप्पणी 31.1.1)				
	कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए - विवादित देयता जो निम्नलिखित के लिए अपील में विभिन्न वर्षों के लेखों में व्यय के रूप में समायोजित नहीं :				
	आयकर (टिप्पणी 31.4 भी देखें)	187.71		182.81	
	सेवा कर	141.14		1,022.45	
	कर्मचारी भविष्य निधि (100.00 लाख रु. की जमा की गई राशि)	1,695.57		1,695.57	
	मनोरंजन कर	432.35		415.18	
	ई एस आई	-	2,456.77	228.81	3,544.82
	अन्य - जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (संदर्भ टिप्पणी 31.7 (ग)		1,773.17		2,310.00
			4,229.94		**5,854.82**
	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं				
	पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि पर उपलब्ध न करायी (निवल अग्रिम) (संदर्भ टिप्पणी 37.7 देखें)		135,411.70		209,476.63
	एसोसिएट कंपनी में इक्विटी योगदान		1,000.00		1,280.00

31.1.1 कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन तथा इसके सलाहकारों का यह मत है कि यह मांगें अपीलीय स्तर पर ठहर नहीं सकती हैं। प्रबंधन को यह यकीन है कि इन कार्रवाइयों के अंतत: परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के बारे में कंपनी किसी प्रतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों के लंबित रहते हुए इन मामलों के बारे में नकद प्रभावों, यदि कोई हो, की समय अवधि का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

31.2 राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय (शिल्प संग्रहालय)

भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐण्ड डी ओ), शहरी विकास मंत्रालय ने 7 मार्च, 2011 को 99 वर्षों के स्थायी पट्टे पर कंपनी को प्रगति मैदान परिसर के लिए 123.51 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है, जिसमें से 7.2623 एकड़ का संयुक्त क्षेत्रफल बिना पट्टा करार के दो सरकारी विभागों अर्थात् क्राफ्ट म्यूजियम और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के कब्जे में है। 10,620.15 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 9982.57 लाख रु.) के संचयी किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसकी वसूली की अनिश्चिता को देखते हुए किराया आय विगत वर्षों से लेखा बहियों में मान्य नहीं की गई।

उक्त दोनों विभागों के कब्जे वाले क्षेत्र सहित एल ऐण्ड डी ओ को भुगतान किए गए वार्षिक ग्राउण्ड किराए संबंधी व्यय को कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र का पट्टा विलेख कंपनी के नाम है। इसके अलावा, इन विभागों द्वारा अपने कब्जे वाले क्षेत्र के संबंध में नगरपालिका कर सीधे राजस्व प्राधिकारी को भुगतान किए जाते हैं।

31.3 प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अलावा अन्य परिसम्पत्ति की कीमत करोबार की साधारण अवधि की वसूली होने पर उस कीमत से कम नहीं होगी जिस कीमत के बारे में तुलन-पत्र में बताया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.4	**आयकर मामले** **क. आयकर की छूट** आयकर महानिदेशक (छूट) ने 1.4.2008 से प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परंतुक के अनुसार आकलन वर्ष 2009-10 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(ग) (IV) के तहत आई टी पी ओ को प्रदान की गई आयकर छूट को वापस ले लिया था। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष छूट की वापसी का विरोध किया था और दिनांक 22.1.2015 को उनके पक्ष में निर्णय प्राप्त हुआ और तदनुसार, आयकर मुख्य आयुक्त (छूट) ने दिनांक 2.3.2015 के आदेश के द्वारा आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से पूर्वोक्त आयकर छूट को बहाल किया। आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 की विशेष अनुमति याचिका एस एल पी (सी) सं. 9284 दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के बारे में अंतरिम राहत/ स्थगन के लिए आयकर विभाग की प्रार्थना को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और मामले को ऐसे ही मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य एस एल पी के साथ जोड़ दिया गया है और सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित की जानी है। यद्यपि, छूट का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, परंतु प्रबंधन का मत है कि आयकर छूट को चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा बहाल कर दिया गया है, इसलिए आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आयकर, ब्याज और दण्ड के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा है। **ख. आयकर की मांग** मध्यवर्ती समय अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने धारा 10(23)(ग)(IV) के तहत छूट को अस्वीकार करते हुए आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आदेश पारित किए और 15,589.86 लाख रु. की मांग की, जिसके प्रति 1319.00 लाख रु. विरोध के तहत जमा कर दिए गए थे। इसके अलावा, विभाग के द्वारा आकलन वर्ष 2015-16 तक 11,467 लाख रु. की टी डी एस रिफण्ड रोक दिए गए हैं। आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आयकर विभाग द्वारा उठायी गई मांगों के विरुद्ध सी आई टी (अपील) के पास कंपनी के द्वारा दायर की गई अपीलों के बारे में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिए गए, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आई टी ए टी) दिल्ली में अपील दायर की है। कंपनी ने भुगतान किए गए 11,467.00 लाख रु. और 1319.00 लाख रु. के टी डी एस रिफण्ड (कुल 12786.00 लाख रु.) टिप्पणी 8 में 'आयकर वसूलनीय' शीर्ष के अंतर्गत लेखों में दर्शाए गए हैं और 426.00 लाख रु. के सिवाय उनको 31.3.2019 को वसूली के लिए अच्छे माने गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट का लाभ देकर दिसंबर, 2018 में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2016-17 की मूल्यांकन कार्यवाही पूरी की गई थी लेकिन आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1) की आय को 15 प्रतिशत लाभ के रूप में 1948.10 लाख रु. की आयकर राशि की अनदेखी की गई। ब्याज के रूप में 37.59 लाख रु. सहित 751.82 लाख रु. का रिफंड प्रदान किया गया था, जो अब मई, 2019 में कंपनी को प्राप्त हो चुका है। नोट 8 में 'आयकर/ टी डी एस वसूलनीय' में 2,699.92 लाख रु. की कुल राशि सम्मिलित की गई है। कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत मूल्यांकन अधिकारी के पास संशोधन याचिका दाखिल की गई है।
31.5	**आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता** माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट दिए जाने के लिए नियत आई टी पी ओ की आय के दृष्टिगत और प्रबंधन के मतानुसार आयकर विभाग द्वारा दायर एस एल पी के बारे में उनके हक में फैसला होने की संभावना है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।
31.6	**शेष राशियों की पुष्टि** व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापार संबंधी देयताओं और अन्य पक्षकारों आदि की शेष राशियां मिलान/ पुष्टि के अध्यधीन हैं। पुष्टि/ मिलान के बाद प्रभाव को यदि कोई हो पुष्टि/ मिलान के वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.7 **अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना**

(क) प्रगति मैदान परिसर का पुन: विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना को 2,25,400 लाख रु. की लागत पर आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) की दिनांक 24.1.2017 को हुई बैठक में भारत सरकार ने अनुमोदन दिया था और बाद में इस लागत को संशोधित करके 2,69,851 लाख रु. कर दिया गया था। अनुमोदन के अनुसार परियोजना को 1,20,000 लाख रु. के कंपनी के संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाएगा और शेष राशि की व्यवस्था भारत सरकार से गारंटी प्राप्त करके बैंक से आवधिक ऋण से पूरी की जाएगी।

(ख) मंत्रिमंडल ने आई ई सी सी परियोजना के संबंध में 21.04.2017 को एल ऐण्ड डी ओ के द्वारा की गई 9663.42 लाख रु. की मांग को 13.06.2018 को अनुमोदित भी किया है।

(ग) मंत्रिमंडल ने 13.06.2018 को निजी क्षेत्र सहित तृतीय पक्षकार के द्वारा होटल का निर्माण एवं प्रचालन करने हेतु परियोजना के वित्तीयन के लिए प्रगति मैदान परिसर में 3.70 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को भी अनुमोदन दिया है और बैंक से उस सीमा तक ऋण कम रहेगा।

वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में 5 स्टार होटल के डवलपर एवं ऑपरेटर के चयन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) भेजा गया था और दो बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया था। तथापि, केवल एक बोलीदाता ने दी गई आरक्षित कीमत पर बोली भेजी है और दूसरे बोलीदाता ने बोली नहीं दी और तदनुसार उसकी बोली वापस मान ली गई है। वैधता की अवधि के दौरान, तकनीकी बोली खोलने के बाद आगे भागीदारी वापस लेने के मामले में जब्ती का मामला बोली पूर्व बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा के अभाव में आर एफ पी निरस्त कर दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने 1694.92 लाख रु. की बोली, 305.08 लाख रु. निवल जी एस टी की राशि परियोजना के लिए आई टी पी ओ के परियोजना, प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) एन बी सी सी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार जब्त की। इस राशि को 'विशिष्ट आय' के रूप में दिखया गया है और नोट 30 में प्रकटन किया गया है।

बोलीदाता ने अगस्त, 2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी बोली प्रतिभूति की जब्ती के खिलाफ एक रिट याचिका दाखिल की थी और उसे नोट सं. 31.1 में 'आकस्मिक देयता' के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) एक राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा दिनांक 28.05.2018 को स्वीकृत 150000 लाख रु. का सावधि ऋण और 1,05,400 लाख रु. की गारंटी भारत सरकार द्वारा 15.03.2019 को जारी की गई है, जिस तारीख को 1,103.09 लाख रु. की गारंटी फीस का भुगतान किया गया है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एन बी सी सी को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता (पी एम सी) के रूप में नियुक्त किया गया है और एन बी सी सी के साथ करार किया गया है।

(च) 1,32,294.53 लाख रु. की आई ई सी सी परियोजना के अनुसार 31.03.2019 तक किए गए कार्य को टिप्पणी सं. 3 में 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर है' के रूप में दर्शाया गया है, परियोजना के लिए भुगतान किए गए 2,144.77 लाख रु. के अग्रिम को टिप्पणी 9 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप 2,69,851 लाख रु. की अनुमोदित लागत के प्रति 1,35,411,70 लाख रु. की शेष राशि टिप्पणी 31.1 में परियोजना के लिए पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के रूप में शामिल है।

31.8 **सेवा कर मामले**

क) सेवा कर आयुक्त द्वारा कंपनी, पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए 1087.94 लाख रु. की सेवा कर की मांग की गई, जिसमें 1064.27 लाख रु. का सेवा कर और 23.68 लाख रु. ब्याज शामिल था। मांग का विरोध किया गया और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने दिनांक 22.01.2015 के अपने आदेश के तहत सेवा कर की मांग में संशोधन करके 410.41 लाख रु. किया, जिसके साथ 410.40 लाख रु. का जुर्माना तथा 0.10 लाख रु. और भुगतान की तारीख तक ब्याज इस शर्त के साथ किया गया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो 75 प्रतिशत तक जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी।

दिनांक 24.04.2015 के आदेश के खिलाफ सी ई एस टी ए टी के समक्ष अपील की गई। 09.02.2017 को सी ई एस टी ए टी के निर्देशों पर एक संशोधित अपील दायर की गई है। इसी बीच कंपनी ने 25.02.2015 को 881.31 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ कर दिया, जिसमें सेवा कर के रूप में 410.41 लाख और 102.70 लाख रु. का जुर्माना तथा 368.20 लाख रु. का ब्याज शामिल था और इस राशि को नोट 9 में 'सेवा का वसूलनीय' शीर्ष के तहत लेखों में दर्शाया गया है। कंपनी को दिनांक 13.09.2018 को सी ई एस टी ए टी से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त किया और 881.31 लाख रु. की रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए अपील दाखिल की है।

ख) इसके अलावा सेवा कर विभाग द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए सेवा कर (ब्याज और दण्ड की गणना नहीं) कारण बताओ नोटिस व मांग भेजे गए जो इस प्रकार हैं :

(रु. लाख में)

वर्ष	राशि
2011-12	42.77
2012-13	51.68
2013-14	46.69
कुल	141.14

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

विशेषज्ञों की राय के आधार पर कंपनी यह मानती है कि उपर्युक्त विभिन्न मामले, सेवा कर की परिधि में नहीं आते हैं, जिनके लिए मांग/ मांग सह-कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे।

अत: मांगों के बारे में कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों से विरोध किया गया है और तदनुसार कुल 141.14 लाख रु. की मांग के लिए 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार लेखों में कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा गया है और 141.14 लाख रु. की इस मांग को टिप्पणी 31.1 में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

31.9 **इंटरनेशनल अम्यूजमेंट लिमिटेड (आई ए एल) : अप्पू घर**

इंटरनेशनल अम्यूजेंट लिमिटेड (आई ए एल) : प्रगति मैदान में स्थान के एक पूर्व - लाइसेंधारी अप्पू घर को दिनांक 04.01.2018 के करार के तहत 1032.94 लाख रु. की राशि का आई टी पी ओ को भुगतान करना था, जिसमें से 100 लाख रु. का दिनांक 1.5.2018 को अपफ्रंट भुगतान किया गया था और शेष 932.94 लाख रु. की राशि 233 लाख रु. प्रत्येक की चार बराबर तिमाही किस्तों में भुगतान की जानी थी। तथापि, आई ए एल ने तिमाही किस्तों के भुगतान में चूक की और केवल 100 लाख रु. का 1.11.2018 को भुगतान किया।

चूक होने पर कंपनी ने मामला संपदा अधिकारी प्रगति मैदान के समक्ष प्रेषित किया। संपदा अधिकारी ने दिनांक 19 फरवरी, 2019 के ओदश के तहत आई टी पी ओ को करार के समय आई ए एल द्वारा प्रस्तुत की गई कारपोरेट गारंटी और व्यक्तिगत गारंटी के द्वारा अपनी देयताओं की वसूली करने के लिए कानूनी तरीका अपनाने की अनुमति दे दी। आदेश में लोक परिसर 1971 के तहत आई ए एल से की जाने वाली वसूली की भी अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, कंपनी ने आदेश के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

परिणामस्वरूप भूमि सुधार अधिनियम, 2013 के तहत संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 3.5.2019 को आई ए एल की संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट जारी किया है। अब आई ए एल ने 2019-20 के दौरान कंपनी के पास 60.00 लाख रु. जमा कर दिए हैं। अत: 260.00 लाख रु. की कुल राशि आई ए एल से वसूल ली गई है।

इंड ए एस 115 के तहत 2018-19 के दौरान 200 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई और उसके बाद आगे 60.00 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई है, जो आई ए एल के ऋण के लिए समायोजित की गई है और 260 लाख रु. के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बदल गया है। करार के तहत विलंब से भुगतान पर ब्याज को इंड ए एस 115 के अनुसार शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसकी वसूली अनिश्चित मानी गई है।

31.10 **पट्टे**

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा-व्यवस्थाएं उसके पट्टे वाले कार्यालय परिसरों तथा संपत्तियों संबंधी प्रचालन पट्टों के बारे में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, निरस्त करने लायक होती हैं, वे परस्पर सहमति से सामान्य तौर पर नवीकरणीय होती हैं। कुल पट्टा किराया आय और भुगतान किया गया पट्टा किराया क्रमश: टिप्पणी 26 और 29 में प्रकट किए गए हैं।

31.11 **कर्मचारी लाभ**

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

I. **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

भविष्य निधि

कंपनी निर्धारित दरों पर आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान करती है, जिसका निवेश ट्रस्ट अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

पेंशन निधि

कंपनी को आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट के लिए कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ की विशिष्ट राशियों के लिए अंशदान देने का दायित्व है। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है और आय एवं व्यय विवरण में रखा जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।
वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में आय और व्यय विवरण में लिखा गया व्यय नीचे दिए गए अनुसार है :

(रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	620.97	567.22
पेंशन निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	350.69	451.65
	971.66	1,018.87

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

II. परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। इस योजना को वित्त-पोषित किया जाता है। ट्रस्ट के कार्यों की एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट प्रबंध व्यवस्था करता है। एल आई सी के द्वारा ट्रस्ट की निधियों की प्रबंध व्यवस्था की जाती है। बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर कंपनी की लेखा-पुस्तकों में यह मान्य है। इस विषयक कंपनी के नियमों/ डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस कर्मचारी ने 5 वर्ष अथवा अधिक की लगातार सेवा की है, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से ग्रेच्युटी [15/26× (लिया गया अंतिम वेतन + महंगाई भत्ता] पाने का हकदार है।

i. आय और व्यय लेखे विवरण में मान्य व्यय **(रु. लाख में)**

	2018-19	2017-18
निवल ब्याज लागत	131.07	113.87
सेवा लागत	206.38	218.83
आय और व्यय लेखे के विवरण में मान्य व्यय	337.45	332.70
पुन: निर्धारण:		
प्रारंभिक अमान्य बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(183.81)	(190.62)
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)	7.08	5.05
परिवर्तन के कारण पी बी ओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि):		
- जनसांख्यिकी पूर्वानुमान	-	-
- वित्तीय पूर्वानुमान	(17.35)	(110.76)
- अनुभव पूर्वानुमान	(260.30)	112.52
वर्ष का मान्य ओ सी आई	(270.57)	6.81
वर्ष के अंत में ओ सी आई में अमान्य निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(454.38)	(183.81)

ii. तुलन पत्र में मान्य धनराशि **(रु. लाख में)**

	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,068.01	6,267.58
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों की फेयर वेल्यू	5,459.99	4,543.02
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता	608.02	1,724.56
फण्डेड (अनफण्डेड) स्थिति	(608.02)	(1,724.56)

iii. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : **(रु. लाख में)**

	2018-19	2017-18
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,267.58	5,914.22
प्रारंभ में अंतर	-	30.76
अधिग्रहण में	-	11.51
ब्याज लागत	476.34	419.72
सेवा लागत	206.38	218.83
प्रदत्त लाभ	(1,159.94)	(325.70)
बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	277.65	(1.76)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,068.01	6,267.58

iv. परिपक्वता रूप रेखा : **(रु. लाख में)**

वर्ष	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
0 से 1 वर्ष	1,187.88	1,033.55
1 से 2 वर्ष	684.89	869.44
2 से 3 वर्ष	686.36	524.07
3 से 4 वर्ष	496.57	425.92
4 से 5 वर्ष	476.70	458.70
5 से 6 वर्ष	257.53	478.94
6 वर्ष से अधिक	2,278.09	2,476.96

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण : (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,068.01	6,267.58
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(121.85)	(340.69)
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	126.80	66.20
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,068.01	6,267.58
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	106.41	80.06
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	(107.90)	(332.74)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

vi. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
छूट दर	7.53% प्रति वर्ष	7.60% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष

vii. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान : (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
सेवा लागत	217.07	232.89
निवल ब्याज लागत	45.78	131.07
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	262.85	363.96

viii. योजनागत परिसंपत्तियों की मुख्य वर्गीकरण (कुल योजनागत परिसंपत्तियों की प्रतिशतता अनुसार)

	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
बीमाकर्त्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100%	100%
कुल	100%	100%

ix. योजनागत परिसंपत्तियों के फेयर मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का फेयर मूल्य	4,543.02	4,277.14
प्रारंभिक निधि में अंतर	-	54.99
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक ब्याज	362.79	320.64
कमी - एफ एम सी प्रभाव	(10.44)	(9.75)
नियोक्ता अंशदान	1,724.56	225.70
प्रदत्त लाभ	(1,159.94)	(325.70)
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का फेयर मूल्य	5,459.99	4,543.02

III. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की योजना वित्त पोषित नहीं होती है। यह बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तिकाओं में मान्य है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश (ई एल)और अर्द्धवेतन अवकाश (एच पी एल) लाभ का नकदीकरण क्रमश: 30 दिनों और 20 दिनों की दर से वार्षिक आधार पर होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण है, जो न्यूनतम शेष 30 दिनों को छोड़ते हुए एक कलेण्डर वर्ष में एक बार में अधिकतम 60 दिनों के अध्यधीन है। तथापि, एक वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में दो बार अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति है जो इस परंतुक के अध्यधीन है कि 30 दिनों की अर्जित छुट्टियां सदैव जमा होनी चाहिए। अर्जित छुट्टियां भी नकदीकरण योग्य होती हैं जो सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर अधिकतम 300 दिनों तक होती हैं। अर्द्ध-वेतन छुट्टी कंपनी की नियमावली के अनुसार अधिकतम 300 दिनों तक सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर ही नकदीकरण योग्य है। 300 दिनों की ई एल और एच पी एल के नकदीकरण की समग्र सीमा सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि के समय पर नियत होती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

i. आय और व्यय लेखे विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
ब्याज लागत	194.39	191.21
सेवा लागत	105.80	103.78
अवधि में मान्य निवल बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	161.34	169.84
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	461.53	464.83

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति	31 मार्च, 2018 को यथास्थिति
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,466.94	2,557.76
तुलन-पत्र में मान्य निवल देयता और संबद्ध विश्लेषण	2,466.94	2,557.76
अनफण्डेड स्थिति	(2,466.94)	(2,557.76)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,557.76	2,708.30
अधिग्रहण में	-	4.77
ब्याज लागत	194.39	191.21
सेवा लागत	105.80	103.78
प्रदत्त लाभ	(552.35)	(620.13)
निम्नलिखित बदलाव से वास्तविक (लाभ)/ हानि:		
- जनसांख्यिकी पूर्वानुमान	-	-
- वित्तीय पूर्वानुमान	8.01	57.63
- अनुभव पूर्वानुमान	153.33	112.21
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,466.94	2,557.76

iv. परिपक्वता रूपरेखा: (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति	31 मार्च, 2018 को यथास्थिति
0 से 1 वर्ष	434.62	366.07
1 से 2 वर्ष	56.16	355.56
2 से 3 वर्ष	227.62	233.49
3 से 4 वर्ष	294.34	284.17
4 से 5 वर्ष	209.66	204.48
5 से 6 वर्ष	249.89	228.22
6 वर्ष से अधिक	994.65	885.78

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण: (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,466.94	2,557.76
क) 0.50% बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(56.15)	(60.02)
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	58.73	62.77
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,466.94	2,557.76
क) 0.50% बढ़ोत्तरी का प्रभाव	59.31	63.43
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	(57.20)	(61.19)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

	vi. चालू और गैर चालू देयता के लिए वर्ष के अंत में पी बी ओ का बंटवारा		**(रु. लाख में)**
		2018-19	2017-18
	वर्तमान देयता (1 वर्ष के भीतर देय राशि)	434.62	366.07
	गैर वर्तमान देयता (1 वर्ष से अधिक देय राशि)	2,032.32	2,191.69
	कुल पी बी ओ वर्ष के अंत में	2,466.94	2,557.76
	vii. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है:		
		31 मार्च, 2019 को स्थिति	**31 मार्च, 2018 को स्थिति**
	छूट दर	7.53% प्रति वर्ष	7.60% प्रति वर्ष
	वेतन वृद्धि दर	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष
	मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006-08 अंतत	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:
	निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष
31.12	**प्रति शेयर आय**	**31 मार्च, 2019 को स्थिति**	**31 मार्च, 2018 को स्थिति**
	वर्ष का अधिशेष (रु. लाख में)	7,605.14	13,440.80
	इक्विटी शेयर (सं.)	25,000	25,000
	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (रु.)	100.00	100.00
	प्रति शेयर आय (मूल/ कम) (रु. लाख में)	0.30	0.54

31.13 **संबद्ध पक्षकार प्रकटन**

(क) **अनुषंगी कंपनियों में हित**

कम्पनी का नाम	**प्रचालन का मूल स्थान**	**प्रमुख कार्यकलाप**	**स्वामित्व हित का अनुपात**	
			31.03.2019	**31.03.2018**
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%

(ख) **संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट में हित**

कम्पनी का नाम	**प्रचालन का मूल स्थान**	**प्रमुख कार्यकलाप**	**स्वामित्व हित का अनुपात**	
			31.03.2019	**31.03.2018**
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंन्द्र (एन सी टी आई)	भारत	व्यापार संवर्धन	50%	50%
जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (जे के टी पी ओ)	भारत	व्यापार संवर्धन	44%	–

(ग) **अन्य संबद्ध पक्षकारों की सूची**

संबद्ध पक्षकारों का नाम	**प्रचालन का मूल स्थान**	**संबंध का स्वरूप**
आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	आई टी पी ओ की कर्मचारी को नियोजन के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	आई टी पी ओ की कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट	भारत	आई टी पी ओ की कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(घ)	**संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन**		(रु. लाख में)
		2018-19	2017-18
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	208.60	123.63
	कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	5.22	8.13
	जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कंपनी द्वारा किया गया निवेश	220.00	-
	आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी निधि ट्रस्ट		
	कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	2,132.09	1,913.20
	आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट		
	कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	1,724.56	215.70
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट		
	कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	1166.71	2294.65

(ङ)	**संबद्ध पक्षकारों के पास बकाया शेष**		(रु. लाख में)
	विवरण	**31 मार्च, 2019 को यथास्थिति**	**31 मार्च, 2018 को यथास्थिति**
(i)	**अनुषंगी कंपनियों के पास शेष**		
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कम्पनी के द्वारा देय	51.69	41.06
	कम्पनी के द्वारा प्राप्य	1.98	0.03
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कम्पनी के द्वारा देय	2.27	-
	कम्पनी के द्वारा प्राप्य	0.05	773.80
(ii)	**राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंन्द्र (एन सी आई टी - संयुक्त उद्यम)**		
	कम्पनी के द्वारा देय	14.20	14.57
	कम्पनी के द्वारा प्राप्य	94.75	94.75
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	54.48	54.48
(iii)	**कम्पनी के द्वारा देय**		
	आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	12.53	15.76
	आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	608.02	1,724.56
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति न्यास	0.01	-
(iv)	**कम्पनी के द्वारा प्राप्य**		
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट	-	0.01

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(च) **मुख्य प्रबंधक कार्मिक**

नाम	धारित पद
श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री दीपक कुमार (18.06.2019 तक)	कार्यकारी निदेशक
श्री रजनीश (25.06.2019 से 27.08.2019 तक)	कार्यकारी निदेशक
श्री राजेश अग्रवाल (28.08.2019 से)	कार्यकारी निदेशक
डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे (30.06.2019 तक)	नामित निदेशक
श्री संजय चड्ढा (09.12.2018 तक)	नामित निदेशक
श्री मनोज के. भारती (24.12.2018 से 30.06.2019 तक)	नामित निदेशक
सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा	नामित निदेशक
श्री विनोद के. जैकब (23.12.2018 तक)	नामित निदेशक
श्री प्रवीन बोनिगला (10.12.2018 से 21.06.2019 तक)	नामित निदेशक
श्री शशांक प्रिया (28.08.2019 से)	नामित निदेशक
श्री पी. हरीश (01.07.2019 से)	नामित निदेशक
श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी (28.08.2019 से)	नामित निदेशक
श्री पी. एन. विजय (09.06.2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्री डी एम शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री एस आर साहू	कंपनी सचिव

टिप्पणी: संबद्ध पक्षकारों और उनके संबंध संबंधित कम्पनी के पहचान किए अनुसार है।

(छ) **प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लिए मुआवजे**

	व्यक्ति का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	सुविधाएं	कुल पारिश्रमिक
					(रु. लाख में)
					2018.19
1	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	23.36	25.67	49.03
2	श्री दीपक कुमार	कार्यकारी निदेशक	29.28	1.39	30.67
3	श्री पी एन विजय 2.40 लाख रु. सिटिंग फीस (टिप्पणी 29 देखें)	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
4	श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	31.07	-	31.07
5	श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव	25.00	-	25.00
					(Rs. In lakhs)
					2017-18
1	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14.14	9.60	23.74
2	श्री दीपक कुमार	कार्यकारी निदेशक	22.64	0.95	23.59
3	श्री पी एन विजय 2.20 लाख रु. सिटिंग फीस (टिप्पणी 29 देखें)	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
4	श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	25.09	-	25.09
5	श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव	19.83	0.01	19.84

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.14 **कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी के द्वारा एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी. एस. आर.) समिति का गठन किया गया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) पर आधारित सी एस आर व्यय के प्रति 312.01 लाख रु. की राशि देय है। वर्ष के दौरान व्यय की गई। व्यय करने के लिए लंबित राशि का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान नकद व्यय की गई राशि	31 मार्च, 2019 को नकद भुगतान की जाने वाली राशि	कुल राशि
- 01.04.2018 को पूर्व वर्ष के लिए लंबित पड़ी कुल राशि			356.39
- वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			312.01
- वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि			
क. परिसंपत्तियों का निर्माण/ अधिग्रहण		-	-
ख. निम्नलिखित सामाजिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/ एन जी ओ/ ट्रस्ट आदि हेतु अंशदान			
- स्वच्छता		100.00	100.00
- शिक्षा		25.00	25.00
- सामाजिक कल्याण	7.25	61.80	69.05
- सौर ऊर्जा		233.00	233.00
- पौधारोपण		10.00	10.00
	7.25	429.80	437.05
- 31.03.2019 को लंबित पड़ी सकल राशि (विगत वर्ष की राशि सहित)			231.35

31.15 **वित्तीय साधन - फेयर वैल्यू माप एवं वित्तीय जोखिम प्रबंध**

I. **फेयर वैल्यू माप**

(रु. लाख में)

क. वित्तीय साधन की श्रेणी	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति		31 मार्च, 2018 को यथास्थिति	
	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू निवेश				
निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	449.60	-	521.22
चालू परिसंपत्तियां				
निवेश	80.33	-	78.75	-
व्यापार प्राप्य	-	605.39	-	936.18
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	5,669.31	-	3,709.16
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	43,899.00	-	90,101.00
ऋण	-	1,633.35	-	2,953.23
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	5,465.60	-	30,715.10
	80.33	57,722.25	78.75	128,935.89
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य	-	1,718.18	-	1,698.93
अन्य वित्तीय देयताएं	-	3,484.25	-	3,985.99
	-	5,202.43	-	5,684.92

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख. **उचित मूल्य क्रम**

यह भाग वित्तीय साधनों की फेयर वैल्यू का निर्धारण करने में किए निर्णयों और अनुमान के बारे में बताता है जो हैं:

(क) उचित मूल्य पर मान्य और निर्धारित, तथा

(ख) परिशोधित लागत पर निर्धारित और जिनके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

कंपनी मूल्य निर्धारण तकनीकों के द्वारा वित्तीय साधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने एवं प्रकट करने के लिए निम्नलिखित क्रम का उपयोग करती है:

लेवल 1- समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (समायोजित नहीं)

लेवल 2- वित्तीय साधनों की उचित मूल्य के बारे में किसी सक्रिय बाजार में लेन-देन नहीं होता है (उदाहरण के लिए ट्रेडिड बाण्ड ओवर दि काउंटर डेरिवेटिवस) जिनका मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है, जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों के उपयोग को न्यूनतम करते हैं और संस्था विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम विश्वास वाले होते हैं। यदि किसी साधन की उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण निवेश दर्शनीय हों, तो साधन को लेवल-2 में शामिल किया जाता है

लेवल 3- परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए निवेश जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं होते हैं (अदर्शनीय इनपुट)।

उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता के बारे में कोई संकेत उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों पर अपने वित्तीय साधनों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया गया है :

उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य निर्धारण

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति			31 मार्च, 2018 को यथास्थिति		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफ वी टी पी एल पर मापी						
म्युचल फण्ड में निवेश	80.33	-	-	78.75	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**80.33**	**-**	**-**	**78.75**	**-**	**-**

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधन लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित मूल्य प्रकट किया जाता है।

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति			31 मार्च, 2018 को यथास्थिति		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू परिसंपत्तियां						
निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	449.60	-	-	521.22
चालू परिसंपत्तियां						
क) व्यापार प्राप्य	-	-	605.39	-	-	936.18
ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	5,669.31	-	-	3,709.16
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	-	-	43,899.00	-	-	90,101.00
घ) ऋण	-	-	1,633.35	-	-	2,953.23
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	5,465.60	-	-	30,715.10
	-	-	57,722.25	-	-	128,935.89
वित्तीय देयताएं						
व्यापार प्राप्य	-	-	1,718.18	-	-	1,698.93
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,484.25	-	-	3,985.99
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	5,202.43	-	-	5,684.92

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग. **परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और उनका उचित मूल्य:** (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति		31 मार्च, 2018 को यथास्थिति	
	निहित मूल्य	उचित मूल्य	निहित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू परिसंपत्तियां				
निवेश	-	-	-	-
ऋण	449.60	449.60	521.22	521.22
चालू परिसंपत्तियां				
क) व्यापार प्राप्य	605.39	605.39	936.18	936.18
ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	5,669.31	5,669.31	3,709.16	3,709.16
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	43,899.00	43,899.00	90,101.00	90,101.00
घ) ऋण	1,633.35	1,633.35	2,953.23	2,953.23
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,465.60	5,465.60	30,715.10	30,715.10
	57,722.25	57,722.25	128,935.89	128,935.89
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य	1,718.18	1,718.18	1,698.93	1,698.93
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	3,484.25	3,484.25	3,985.99	3,985.99
	5,202.43	5,202.43	5,684.92	5,684.92

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयता, नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य चालू परिसंपत्तियां और देयताओं की निहित राशियां उनकी अल्प अवधि स्वरूप की वजह से उनकी उचित मूल्य की भांति वही मानी जाती हैं।

ऋणों की उचित मूल्य को एम सी एल आर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाहों/ एस बी आई की बेस दर के आधार पर गणना की गई थी। उनको प्रतिपक्ष क्रेडिट सहित न दिखने वाले निवशों को शामिल करने की वजह से उनके उचित मूल्य क्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

II. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय से संबंधित राशियां शामिल हैं। कपंनी की मूल वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकदी और नकदी समतुल्य तथा अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रचालनों से चलते हैं। कंपनी म्युचुअल फण्ड में भी निवेश करती है कपंनी के कार्यकलापों में यह कुछ वित्तीय जोखिमों, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी (द्रव्य) जोखिम में दिखता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिससे किसी वित्तीय संसाधन के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य बाजार कीमतों में परिवर्तनों की वजह से घट-बढ़ होंगी। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ओर ब्याज दर जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियां शामिल होती हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया और विदेशी मुद्रा लेन-देनों से हुए नगण्य विदेशी मुद्रा जोखिमों को दर्शाया है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए किसी विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव नहीं करती है।

ऐसी विदेशी मुद्रा का खुलासा, जो व्युत्पन्न साधनों में नहीं है, इस प्रकार हैं :-

(रु. लाख में)

विदेशी मुद्रा	टिप्पणी सं.	मुद्रा चिह्न	31 मार्च, 2019 को यथास्थिति		31 मार्च, 2018 को यथास्थिति	
			एफ सी	आई एन आर	एफ सी	आई एन आर
परिसंपत्तियां						
नकदी और नकदी समतुल्य	12					
बैंक में शेष - चालू और बचत लेखा						
येन		¥	7.9215	5.01	7.9215	4.77
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.0605	4.21	0.0605	3.89
हाथ में नकदी (संदर्भ टिप्पणी 12.2)						
यूरो		€	-	-	0.0307	2.41
येन		¥	-	-	1.6887	1.02
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.0691	4.89	0.0194	1.25
रसियन रूबेल		₽	0.0016	0.00	-	-
तुर्कीश लीरा		₺	0.0148	0.18	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	16					
विक्रेताओं के लिए अग्रिम						
येन		¥	35.7991	22.07	12.9895	7.82
यूरो		€	0.0423	3.25	2.6355	207.59
यूरो		€	0.0020	0.15	0.0668	5.26
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.1832	12.60	1.0606	68.20
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.5950	40.92	0.0500	3.22
डच मार्क		DEM	-	-	0.0438	2.98
विविध जमा						
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	-	-	0.0141	0.91
मलेशियाई रिंगिट		MYR	-	-	0.0035	0.06
देयताएं						
व्यापार देय राशियां	21					
यूरो		€	0.0070	0.55	1.1776	94.79
येन		¥	67.6306	42.81	-	-
निवल परिसंपत्तियां (भारतीय मुद्रा में)				49.93		214.59

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है, जिससे बाजार ब्याज दर में परिवर्तन होने की वजह से वित्तीय संसाधनों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में घट-बढ़ होगी। कंपनी की नीतियों और जोखिम संबंधी उद्देश्यों के अनुसार कंपनी अपने ब्याज जोखिम की प्रबंध-व्यवस्था करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में बैंकों में जमा राशियां और एन बी एफ सी के पास अत: कारपोरेट जमा राशि आदि शामिल होती हैं। इन वित्तीय संसाधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ब्याज दर का वित्तीय संसाधनों की अवधि के लिए निर्धारण किया जाता है।

ख) क्रेडिट जोखिम

यदि वित्तीय संसाधनों का ग्राहक अथवा प्रतिपक्षकार उसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम क्रेडिट जोखिम होता है और यह ग्राहकों तथा निवेश से कंपनी के प्राप्यों के कारण मूलत: होता है। क्रेडिट जोखिम, बकाया लेखे प्राप्यों सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रखी नकदी और ग्राहकों के लिए दर्शायी क्रेडिट होता है। क्रेडिट जोखिम के लिए अधिक दिखाना वित्तीय परिसंपत्तियों के निहित मूल्य के बराबर होता है। प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम की प्रबंध व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानियों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, विगत अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(i) संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

31 मार्च, 2019 की यथास्थिति

क) सरल संकल्पना के तहत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि :

मियाद (एजिंग)	**< 6 एम**	**> 6 < 12**	**> 12 < 24**	**> 24 < 36**	**> 36**	**कुल**
सकल निहित राशि	362.15	30.90	102.47	58.39	1,143.56	1,697.47
संभावित क्रेडिट दर	2.97%	0.00%	4.69%	14.49%	93.40%	64.34%
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान एलाउंस)	(10.76)	-	(4.80)	(8.46)	(1,068.06)	(1,092.08)
व्यापार प्राप्यों की सकल निहित राशि	351.39	30.90	97.67	49.93	75.51	605.39

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

(रु. लाख में)

विवरण		**परिसंपत्ति समूह**	**निहित मूल्य**	**चूक की संभावित संभाव्यता**	**संभावित क्रेडिट हानि**	**संभावित क्रेडिट हानि निवल निहित राशि**
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम को बढ़ाया गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान	911.34	0.11%	1.00	910.34
		जमा कार्य संबंधी बकाया	91.75	100.00%	91.75	-
			1,003.09	9.25%	92.75	910.34

31 मार्च, 2018 को यथास्थिति

क) सरल संकल्पना के तहत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि :

(रु. लाख में)

मियाद (एजिंग)	**< 6 एम**	**> 6 < 12**	**> 12 < 24**	**> 24 < 36**	**> 36**	**कुल**
सकल निहित राशि	543.21	63.72	129.89	79.43	1,358.80	2,175.05
संभावित क्रेडिट दर	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.17%	56.96%
संभावित क्रेडिट हानियां (कम/हानि प्रावधान एलाउंस)	-	-	-	-	(1,238.87)	(1,238.87)
व्यापार प्राप्यों की सकल निहित राशि	543.21	63.72	129.89	79.43	119.93	936.18

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

(रु. लाख में)

विवरण		**परिसंपत्ति समूह**	**निहित मूल्य**	**चूक की संभावित संभाव्यता**	**संभावित क्रेडिट हानि**	**संभावित क्रेडिट हानि निवल निहित राशि**
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम को बढ़ाया गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	732.82	2.93%	21.47	711.35
		जमा कार्य संबंधी बकाया	91.75	45.48%	41.73	50.02
			824.57	48.41%	63.20	761.37

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम होता है जिसको कंपनी निपटारा नहीं करेगी अथवा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यथासंभव यह सुनिश्चित करके अपने लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है कि देय होने अपने देयताओं को पूरा करने के लिए इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी होगी।

कंपनी का वित्त प्रभाग लिक्विडिटी वित्तीयन तथा निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियों का वरिष्ठ प्रबंधन के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति नीचे दी गई है:

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति
i) वित्तीय परिसंपत्तियां				
क) निवेश	80.33		78.75	
ख) व्यापार प्राप्य	605.39		936.18	
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	5,669.31		3,709.16	
घ) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	43,899.00		90,101.00	
ङ) ऋण	1,633.35		2,953.23	
च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,465.60	57,352.98	30,715.10	128,493.42
ii) वित्तीय देयताएं				
क) व्यापार प्राप्य	1,718.18		1,698.93	
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	3,484.25	5,202.43	3,985.99	5,684.92
निवल चल पूंजी		52,150.55		122,808.50

31.16 **पूंजीगत प्रबंधन**

कंपनी के चल पूंजी प्रबंधन के लिए पूंजी में निर्गम इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान और अन्य इक्विटी के रूप में मानी गई धारित आय शामिल है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.17 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की सेगमेंट रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन सेगमेंटों की पहचान की जाती है। निदेशक बोर्ड सामूहिक रूप से इण्ड ए एस 108 के तात्पर्य से कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय लेने वाला' (सी ओ डी एम) होता है।

(रु. लाख में)

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व बाह्य	15,333.41	3,193.14	2,305.83	20,832.38
	(21335.47)	(4092.52)	(335.18)	(25763.17)
इंटर सेगमेंट	-	-	-	-
कुल व्यय	12,925.31	5,067.80	1,716.40	19,709.51
	(13833.61)	(5463.56)	(2,964.90)	(22,262.07)
सेगमेंट परिणाम	2,408.10	-1,874.66	589.43	1,122.87
	(7501.86)	(-1371.04)	(-2629.72)	(3,501.10)
ब्याज/ लाभांश आय	-	-	6,211.70	6,211.70
	-	-	(9967.83)	(9967.83)
कराधान से पहले अधिशेष	-	-	-	7,334.57
	-	-	-	(13,468.93)
व्यय से अधिक आय	-	-	-	7,334.57
	-	-	-	(13,468.93)
अन्य सूचनाएं				
संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट में निवेश	303.26	-	-	303.26
	(152.58)	-	-	(152.58)
सेगमेंट परिसंपत्तियां	152,956.82	1,091.81	67,897.66	221,946.29
	(45593.77)	(1066.40)	(170206.43)	(216866.60)
सेगमेंट देनदारियां	10,768.57	146.81	7,295.85	18,211.23
	(8611.44)	(594.67)	(11234.57)	(20440.68)
पूंजीगत व्यय	104,980.95	-	-	104,980.95
	(30222.57)	-	-	(30222.57)
मूल्यह्रास और परिशोधन	188.63	-	-	188.63
	(412.44)	-	-	(412.44)

टिप्पणी:

(क) अनावंटित व्यय में स्थापना और कार्यालय व्यय का 10 प्रतिशत शामिल होता है। उनके संबंधित राजस्व के आधार पर शेष को सेगमेंटों में बांटा जाता है।

(ख) अनावंटित परिसंपत्तियों और देयता में वे शामिल हैं, जिनको विशिष्ट सेगमेंट के लिए उपयुक्त रूप से पहचान करना संभव नहीं होता है।

(ग) सेगमेंट रिपोर्ट के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

प्रमुख ग्राहकों (बाहरी ग्राहकों से) के बारे में सूचना

कंपनी बाहरी ग्राहकों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं करती है, जो कंपनी के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत अथवा अधिक होता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31.18 पूर्व अवधि समायोजन (रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि का स्वरूप	राशि
01.04.2017 को प्रारंभिक धारित आय		176,623.06
समायोजन		(4.12)
01.04.2017 को पुन: सूचित प्रारंभिक धारित आय		176,618.94
2017-18 को समाप्त वर्ष के लिए जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के लिए पुन: सूचित व्यय से अधिक आय		13,440.80
वर्ष 2017-18 के दौरान अन्य व्यापक आय		6.81
31.03.2018 को पुन: सूचित प्रारंभिक धारित आय		190,066.55

31.03.2018 को समाप्त वर्ष पुन: सूचित व्यय से अधिक आय (रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि का स्वरूप		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ में आय और व्यय विवरण (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव			
जारी प्रचालनों से लेकर व्यय से अधिक आय			13,462.11
कर्मचारी हित व्यय			
अवकाश नकदीकरण	चूक	(2.11)	
चिकित्सा व्यय	चूक	(1.15)	
			(3.26)
अन्य व्यय			
मूल्यह्रास	चूक	1.62	
प्रकाशन	चूक	(4.30)	
विनिर्माण और आंतरिक सजावट	चूक	(3.25)	
यात्रा व वाहन	चूक	(8.04)	
मनोरंजन	चूक	2.00	
कमीशन	चूक	(5.93)	
मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव	चूक	(0.15)	
			(18.05)
आय और व्यय पर निवल प्रभाव			(21.31)
जारी प्रचालनों से लेकर पुन: सूचित व्यय से अधिक आय			**13,440.80**

इक्विटी और ई पी एस पर पूर्व अवधि त्रुटियों का प्रभाव (रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को यथास्थिति	31 मार्च, 2018 को यथास्थिति
इक्विटी (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव			
अन्य वित्तीय देयताएं			
अन्य देयताएं		(22.93)	
संचित मूल्यह्रास		1.62	-
इक्विटी पर निवल प्रभाव		**(21.31)**	-

ई पी एस में प्रति शेयर मूल और कम हुई आय (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव

विवरण		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
जारी प्रचालन के लिए प्रति शेयर आय			
इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य जारी प्रचालनों से मूल लाभ			(0.00)
इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य जारी प्रचालनों से कम हुआ लाभ			(0.00)

31.19 पूर्व वर्ष के आंकड़े

जब जरूरी समझा गया, तब वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: इकट्ठा किया / पुन: व्यवस्थित किया गया है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

समेकित लेखा

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
परिसम्पत्तियां			
गैर चालू परिसम्पत्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	8,104.65	8,311.47
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	133,130.30	28,465.16
अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	4	40.38	49.79
संयुक्त उद्यम/ एसोसिएट में निवेश	5	308.94	152.58
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	6	-	-
ऋण	7	449.60	521.22
गैर चालू कर परिसम्पत्तियां	8	31,206.44	28,009.58
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	9	5,178.20	34,517.27
चालू परिसम्पत्तियां			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	10	80.33	78.75
व्यापार प्राप्य	11	950.42	936.18
नकदी और नकदी समतुल्य	12	8,059.56	4,059.02
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	13	68,077.15	116,112.64
ऋण	14	1,642.72	2,189.18
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तिय	15	6,213.76	31,383.30
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	16	1,629.95	1,367.62
कुल परिसम्पत्तियां		**265,072.40**	**256,153.76**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	17	25.00	25.00
अन्य इक्विटी	18	224,795.14	215,218.92
अनियंत्रण ब्याज	19	20,649.19	18,696.31
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
गैर चालू प्रावधान	20	2,067.40	2,221.40
अन्य गैर-चालू देयताएं	21	939.65	815.65
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	22	-	605.00
व्यापार देयताएं	23		
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		2.69	-
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा ऋण देयताओं की कुल बकाया देयताएं		1,956.31	1,898.12
अन्य वित्तीय देयताएं	24	3,836.90	4,099.37
अन्य चालू देयताएं	25	6,307.75	4,352.37
चालू प्रावधान	26	4,492.37	8,221.62
कुल इक्विटी और देयताएं		**265,072.40**	**256,153.76**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से राजस्व	27	22,589.30	28,745.63
अन्य आय	28	9,349.94	12,961.24
कुल आय		**31,939.24**	**41,706.87**
व्यय			
कर्मचारी हित व्यय	29	11,163.99	10,735.54
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	30	652.44	836.83
अन्य व्यय	31	9,939.90	11,464.15
कुल व्यय		**21,756.33**	**23,036.52**
विशेष मदें और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		10,182.91	18,670.35
विशेष मदें	32	1,694.92	(66.58)
कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		11,877.83	18,603.77
कर व्यय	33.4	-	-
इक्विटी पद्धति और कर का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए निवेशों की निवल आय को बांटने से पूर्व व्यय से अधिक आय		11,877.83	18,603.77
जोड़ें : इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम की निवल आय का हिस्सा		(62.07)	(13.10)
वर्ष का अधिशेष		**11,815.76**	**18,590.67**
अन्य विस्तृत आय			
(i) मदें जिनको आय और व्यय के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा रू			
निवल निश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) को पुन: मापना	33.12 (II)	(271.45)	11.64
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम की अन्य विस्तृत आय का हिस्सा		(1.57)	(0.43)
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/ (हानि) (क)		**(273.02)**	**11.21**
वर्ष की कुल विस्तृत आय		**11,542.74**	**18,601.88**
निम्नलिखित के कारण अन्य विस्तृत आय			
पेरेन्ट के स्वामी		9,855.77	16,124.04
अनियत्रित ब्याज		1,959.99	2,466.63
		11,815.76	**18,590.67**
निम्नलिखित के कारण अन्य विस्तृत आय			
पेरेन्ट के स्वामी		(272.59)	8.84
अनियत्रित ब्याज		(0.43)	2.37
		(273.02)	**11.21**
निम्नलिखित के कारण कुल विस्तृत आय			
पेरेन्ट के स्वामी		9,583.18	16,132.88
अनियत्रित ब्याज		1,959.56	2,469.00
		11,542.74	**18,601.88**
प्रति इक्विटी शेयर से आय प्रत्येक 100 रु. (अंकित मूल्य)	33.13		
(1) आधारभूत		0.39	0.64
(2) मिश्रित		0.39	0.64

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का समेकित कैश फ्लो विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से कैश फ्लो**				
	कर पूर्व व्यय से अधिक आय		11,815.76		18,590.67
	समायोजन :				
	अन्य व्यापक आय	(273.02)		11.21	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	652.44		836.83	
	पी पी ई की बिक्री पर हानि/ (लाभ)	(16.03)		(54.91)	
	ब्याज और लाभांश आय	(8,124.53)		(11,667.02)	
	प्रावधान	131.16		134.84	
	प्रावधान / देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं, पुनरांकित	(580.10)		(329.00)	
	वित्तीय निवेश पर उचित मूल्य लाभ/ हानि	4.36		2.88	
	सरकारी अनुदान पर परिशोधन	(81.76)		(81.76)	
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखें में लिए गए संयुक्त उद्यम और एसोसिएट के निवल लाभ का शेयर	63.64		13.53	
	पी पी ई की बिक्री पर लाभ/ हानि - विशिष्ट मदे	-	(8,223.84)	66.58	(11,066.83)
			3,591.92		7,523.84
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ				
	गैर-चालू वित्तीय ऋणों में वृद्धि (कमी)	(71.62)		(97.71)	
	गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	581.85		175.95	
	गैर चालू कर परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	3,196.86		3,632.69	
	व्यापार प्राप्यों में वृद्धि (कमी)	(132.56)		(89.44)	
	चालू ऋणों में वृद्धि (कमी)	(546.46)		275.42	
	अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	(25,119.52)		18,478.22	
	नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	(48,035.49)		(47,349.30)	
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि (कमी)	298.88		503.86	
	अन्य गैर चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	154.00		223.64	
	अन्य गैर चालू देयताओं में (वृद्धि) कमी	(124.00)		37.90	
	व्यापार देयताओं में (वृद्धि) कमी	(60.88)		150.04	
	अन्य चालू वित्तीय देयताओं में (वृद्धि) कमी	262.47		236.74	
	अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि) कमी	(1,955.38)		(179.24)	
	चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	3,729.25		126.43	
	प्रावधान/ देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं, पुनरांकित	(388.71)	(68,211.30)	(172.00)	(24,046.80)
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		**71,803.22**		**31,570.64**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	एसोसिएट में निवेश		(220.00)		-
	आई ई सी सी परियोजना के लिए पूंजीगत अग्रिम		(72,487.55)		(46,234.90)
	पी पी ई/ अन्य अमूर्त संपत्तियों की खरीद		(2,733.26)		(700.06)
	पी पी ई की बिक्री		56.42		1,839.62
	निवेश और इंटर कारपोरेट जमा		(5.94)		(9.23)
	ब्याज और लाभांश आय		8,124.53		11,667.02
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी (ख)		(67,265.80)		(33,437.55)
ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**				
	उधारियों का पुनर्भुगतान		(605.00)		(14.16)
	प्राप्त सरकारी अनुदान		68.12		1,015.90
	वित्तीय कार्यकलापों से नकदी कैश (ग)		**(536.88)**		**1,001.74**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी (क + ख + ग)		**4,000.54**		**(865.17)**

	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		4,059.02		4,924.19
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**8,059.56**		**4,059.02**
	नकदी और नकदी समतुल्य के संघटक वर्ष के अंत में				
	हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य (संदर्भ नोट 1)		75.89		33.31
	बैंकों में शेष - चालू और बचत खातों में		7,983.67		4,025.71
			8,059.56		**4,059.02**

टिप्पणी :

1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, ड्राफ्ट/ चैक शामिल हैं।
2. इण्ड-ए.एस. 7 में संशोधन : 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, समूह ने इण्ड-ए.एस. 7 में संशोधन को स्वीकार किया जिसमें कंपनियों को यह प्रकटन उपलब्ध कराना होता है जिससे प्रकटन की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं के लिए तुलन-पत्र को प्रारंभिक और अंत-शेषों के बीच मिलान को शामिल करने के सुझाव देते हुए नकद प्रवाहों से हुए परिवर्तनों और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों को शामिल करके वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों में प्रयोक्ता कर सकते हैं। संशोधन को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (संदर्भ टिप्पणी 17)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		(रु. लाख में)
विवरण	**शेयरों की सं.**	**राशि**
1 अप्रैल, 2018 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**25,000**	**25.00**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		(रु. लाख में)
विवरण	**शेयरों की सं.**	**राशि**
1 अप्रैल, 2017 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**25,000**	**25.00**

ख. अन्य इक्विटी (संदर्भ टिप्पणी 18 और 19)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	धारित आय	पूंजी आरक्षित			भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	पेरेंट के स्वामियों के लिए कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रित ब्याज	कुल
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदन	अन्य				
1 अप्रैल 2018 को शेष	212,899.24	1,020.00	0.00	18.10	1,281.58	215,218.92	18,696.31	233,915.23
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
इण्ड ए. एस. समायोजन के कारण परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2018 के पुन: बताए शेष	**212,899.24**	**1,020.00**	**0.00**	**18.10**	**1,281.58**	**215,218.92**	**18,696.31**	**233,915.23**
वर्ष का अधिशेष (हानि)	9,855.77	-	-	-	-	9,855.77	1,959.99	11,815.76
वर्ष की अन्य व्यापक आय/ (हानि)	(272.59)	-	-	-	-	(272.59)	(0.43)	(273.02)
कुल व्यापक आय	**9,583.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,583.18**	**1,959.56**	**11,542.74**
वर्ष के दौरान टी आई ई एस से प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	34.74	34.74	33.38	68.12
एएसआईडी ई से प्राप्त अनुदान परिशोधन	-	-	-	-	(41.70)	(41.70)	(40.06)	(81.76)
31 मार्च, 2019 को शेष	**222,482.42**	**1,020.00**	**0.00**	**18.10**	**1,274.62**	**224,795.14**	**20,649.19**	**245,444.33**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **(रु. लाख में)**

विवरण	धारित आय	पूंजी आरक्षित			भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	पेरेंट के स्वामियों के लिए कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रित ब्याज	कुल
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशेदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदन	अन्य				
1 अप्रैल, 2017 को शेष	191,607.34	1,325.22	4,965.62	18.10	805.17	198,721.45	16,492.22	215,213.67
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन (संदर्भ नोट 33.23)	(111.82)	-	-	-	-	(111.82)	(103.48)	(215.30)
1 अप्रैल, 2017 को पुन: घोषित शेष	191,495.52	1,325.22	4,965.62	18.10	805.17	198,609.63	16,388.74	214,998.37
जोड़े : वर्ष का अधिशेष/(हानि)	16,124.04	-	-	-	-	16,124.04	2,466.63	18,590.67
जोड़े : वर्ष की अन्य व्यापक आय/(हानि)	8.84	-	-	-	-	8.84	2.37	11.21
कुल व्यापक आय	16,132.88	-		-	-	16,132.88	2,469.00	18,601.88
पूंजीगत आरक्षित से अंतरण	5,270.84	-	-	-	-	5,270.84	-	5,270.84
टी आई ई एस से प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	518.11	518.11	497.79	1,015.90
एएसआईडी ई से प्राप्त अनुदान परिशोधन	-	-	-	-	(41.70)	(41.70)	(40.06)	(81.76)
ऋणों के लिए अंतरण	-	-	-	-	-	-	(619.16)	(619.16)
धारित आय के लिए अंतरण	-	(305.22)	(4,965.62)	-	-	(5,270.84)	-	(5,270.84)
31 मार्च, 2018 को शेष	212,899.24	1,020.00	0.00	18.10	1,281.58	215,218.92	18,696.31	233,915.23

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्रित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

1. समूह जानकारी

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (धारक कम्पनी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पहले कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से 30.12.1976 को ट्रेड फेयर अथारिटी ऑफ इण्डिया (टी एफ ए आई) के रूप में स्थापित की गई थी। बाद में 1.1.1992 को पूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथॉरिटी का टी एफ ए आई के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार की विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001 में है और इसके कार्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं।

धारक कम्पनी की दो सहायक कम्पनियां नामत: तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) एक संयुक्त नियंत्रित कम्पनी नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन (एन सी टी आई) और एक एसोसिएट संस्था जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (जे के टी पी ओ) है। संलग्न समेकित वित्तीय विवरण इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और इसकी दो सहायक कम्पनियों (जिन्हें एक साथ 'समूह' कहा गया है), एक संयुक्त नियंत्रित कम्पनी और एक एसोसिएट कंपनी से संबंधित है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल के द्वारा 29 अगस्त, 2019 को अनुमोदन दिया गया था।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण और इन्हें तैयार करने का आधार

क) भारतीय लेखांकन मानकों (इंड- ए. एस.) के अनुसार अनुपालन

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं, इसे समय-समय पर संशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) निमयावली 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए।

समेकित वित्तीय विवरणों को प्रोदभवन और लाभकारी संस्था के आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां समेकित वित्तीय विवरण ाों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प् के प्रभाग प् में यथा निश्चित कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदण्डों के अनुसार चालू और गैर-चालू के रूप में वगीकृत किया गया है।

ख) ऐतिहासिक लागत परम्परा

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर लेखांकन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए, जिनको उचित मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है :-

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर तैयार किया गया।
- सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसम्पत्तियां।

उचित मूल्यों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में लेखा टिप्पणियों में विचार-विमर्श किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी (मुद्रा)

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (रु.) में तैयार किए जाते हैं; जो कम्पनी की क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई समस्त वित्तीय सूचना को जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, लाख के साथ 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांक किया गया है।

घ) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

किसी परिसम्पत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हो :-

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने अथवा बेचने अथवा उपयोग किए जाने की उम्मीद हो;
- व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद हो;
- रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम देयता के भुगतान करने के लिए बदलने अथवा उपयोग किए जाने के लिए सीमित न हो, तब तक नकदी अथवा नकदी समतुल्य।

सभी अन्य परिसम्पत्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हो :-

- सामान्य प्रचालन चक्र में भुगतान किए जाने की उम्मीद हो;
- व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;
- रिपोर्टिंग की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान किया जाना हो;
- रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का भुगतान आस्थगित करने के लिए बिना शर्त कोई अधिकार नहीं हो।

सभी अन्य देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया और उनको नकदी और नकदी समतुल्य में प्राप्ति के बीच की समय-अवधि प्रचालन चक्र होती है। समूह ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में 12 महीने मान्य किए हैं।

ङ) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों, अनुमानों और संकल्पनाओं हेतु प्रबंधन की यह अपेक्षा होती है जिससे राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूचित राशियां और संलग्न प्रकटन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन प्रभावित हो सकते हैं। इन अनुमानों और संकल्पनाओं के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम आ सकते हैं, जिनके लिए भावी अवधि(यों) में परिसम्पत्तियों और देयताओं की राशि ले जाने के लिए वास्तविक समायोजनों की अपेक्षा होती है।

ये अनुमान और संकल्पनाएं उन तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होती है जो तुलन-पत्र की तारीख को हों, अथवा उस तारीख के बाद हुई हों, परंतु तुलन-पत्र की तारीख को मौजूदा शर्तों के बारे में अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध कराएं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

वे अनुमान और संकल्पनाएं नीचे दी गई हैं, जिनसे अलगे वित्तीय वर्ष के भीतर परिसम्पत्तियों और देयताओं की कीमत (राशि) लेने के लिए वास्तविक समायोजन करने का बहुत जोखिम होता है।

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई) की उपयोगी मियाद

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों का उनकी अपनी अपनी उपयोगी मियाद पर स्पष्ट रूप से यथा अनुपात आधार पर मूल्यह्रास होता है। इन परिसम्पत्तियों की उपयोगी मियाद के बारे में प्रबंधन के अनुमान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में नियत उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत से अधिक नहीं होते हैं! उपयोग के संभावित स्तर में परिवर्तन, प्रौद्योगिकीय विकास और टूट-फूट के स्तर से इन परिसम्पत्तियों की किफायती उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत प्रभावित हो सकती है। इसलिए भावी मूल्यह्रास प्रभारों को संशोधित किया जा सकता है और इनका भावी वर्षों में लाभ पर प्रभाव हो सकता है।

ii) सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व

सेवा निवृत्ति लाभों की लागत और ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के संबंध में सेवा-निवृत्ति दायित्वों की वर्तमान कीमत का बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करते हुए निर्धारण किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न संकल्पनाएं शामिल होती हैं जो भविष्य में भावी विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर भावी वेतन बढ़ोत्तरी का निर्धारण और मृत्यु दरें शामिल होती हैं। मूल्यांकन की जटिलता, निहित संकल्पनाओं और इनके दीर्घकालिक स्वरूप की वजह से ये सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व इन संकल्पनाओं में बदलाव करने के लिए संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील विश्लेषण सहित प्रयुक्त संकल्पनाओं के बारे में विवरण लेखा-टिप्पणियों में दिए हैं।

iii) वित्तीय संसाधनों का उचित मूल्य निर्धारण

जब तुलन-पत्र में रिकार्ड की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की उचित कीमत को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब छूट दिए गए केश फ्लो (डी सी एफ) मॉडल सहित मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन मॉडलों के लिए निवेश दृष्टिगोचर बाजारों से, जहां संभव होता है, लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहार्य नहीं होता है, वहां पर उचित कीमतों को सुनिश्चित करने में निर्णय की सीमा की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और घट-बढ़ जैसे निवेशों का महत्व शामिल होता है। इन कारकों के बारे में संकल्पनाओं में परिवर्तनों से वित्तीय संसाधनों की सूचित उचित कीमत प्रभावित हो सकती है।

iv) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति संबंधी प्रावधान खराबी के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में संकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। कम्पनी के विगत इतिवृत्त, मौजूदा बाजार स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगामी अनुमानों के आधार पर कम्पनी इन संकल्पनाओं के बारे में तथा क्षति संबंधी गणना करने के लिए निवेशों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

तीन से अधिक वित्तीय वर्षों की बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया अथवा अन्यथा के बारे में संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों की क्षति के लिए व्यवस्था की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां पर कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है।

v) गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को यह आकलन करता है कि क्या ऐसा संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति की क्षति हो सकती है। यदि कोई संकेत मिलता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है तो कम्पनी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है। परिसम्पत्तियों का निपटान करने की लागत और उपयोग करने में इसकी कीमत को कम करके किसी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि किसी सम्पत्ति की उचित मूल्य से अधिक होती है। किसी एक परिसम्पत्ति के लिए यह निर्धारित तब तक की जाती है,

जब तक परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह न होता हो, जो उन अन्य परिसम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के समूह पर अधिकांशत: निर्भर होते हैं। जहां पर किसी परिसम्पत्ति की निहित राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, वहां पर परिसम्पत्ति को ह्रास परिसम्पत्ति माना जाता है और इसकी वसूलनीय राशि में इसको लिख दिया जाता है।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके उचित मूल्य का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है।

च) समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन के लिए अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिग तारीख को बनाए जाते हैं, जिस तारीख को कम्पनी के विवरण बनाए जाते हैं।

अनुषंगी कम्पनियां

अनुषंगी कम्पनियां ऐसी सभी संस्थाएं होती हैं, जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था पर नियंत्रण तब करता है, जब समूह को किसी संस्था के साथ उसके शामिल होने से अस्थिर लाभों को प्रकट करता है अथवा उसके बारे में अधिकार रखता हो, अथवा संस्था के प्रासंगिक कार्यकलापों के बारे में निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लाभों को प्रभावित करने की उसमें क्षमता हो। अनुषंगी कम्पनियों को उस तारीख से पूर्ण रूप से समेकित किया जाता है जिस तारीख से समूह के लिए नियंत्रण अंतरित किया जाता है। जिस तारीख से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, उस तारीख से उनका समेकन नहीं होता है।

समूह परिसम्पत्तियों को समान मदों, देयताओं इक्विटी, आय और व्यय को साथ-साथ जोड़कर मूल कम्पनी और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को मिला देता है। अत: समूह कम्पनी लेन-देनों, शेष धनराशियों और लेन-देनों पर वसूल न किए गए लाभों को अलग कर दिया जाता है। वसूल न हुई हानियों को अलग कर दिया जाता है, जब तक कि हस्तांतरित परिसम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण की व्यवस्था लेन-देन में न हो।

अनुषंगी कम्पनियों के परिणामों में गैर-नियंत्रण ब्याज (एन सी आई) और इक्विटी को लाभ और हानि के समेकित विवरण इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन-पत्र में क्रमश: अलग-अलग दर्शाया जाता है। एन सी आई को अधिग्रहण की तारीख को प्राप्तकर्ता की निवल पहचान योग्य परिसम्पत्तियों के उनके आनुपातिक शेयर के अनुसार मापा जाता है। अनुषंगी समूह कम्पनी के इक्विटी हित में परिवर्तनों को, जिनसे नियंत्रण की हानि न हो, उनको इक्विटी लेन-देनों के रूप में लेखे में लिया जाता है।

नियंत्रण खोए बिना किसी अनुषंगी कम्पनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन को एक इक्विटी लेन-देन के रूप में लिया जाता है।

जब समूह किसी अनुषंगी कम्पनी से नियंत्रण खो देता है, तब वह अनुषंगी कम्पनी और किसी संबद्ध एन सी आई एवं इक्विटी के अन्य संघटकों की परिसम्पत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं देता है। पूर्व अनुषंगी कम्पनी में धारित किसी हित का नियंत्रण खोने की तारीख को उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। किसी परिणामी लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है, जिसके द्वारा जिन पक्षकारों का व्यवस्था संबंधी संयुक्त नियंत्रण होता है, उन पक्षकारों के व्यवस्था की निवल परिसम्पत्तियों के बारे में अधिकार होते। संयुक्त उद्यमों में हितों को लागत पर प्रारंभ में मान्यता दी जाती है और उसके बाद में इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

एसोसिएट

एक एसोसिएट ऐसी संस्था है, जिस पर निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद में लाभ और हानि में निवेशकर्ता के अधिग्रहण के बाद लाभ अथवा हानियों का समूह के शेयर और अन्य विस्तृत आय में निवेशकर्ता की अन्य विस्तृत आय का समूह के शेयर को मान्यता देने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्य लाभांश को निवेश की कैरीइंग राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब निवेश के रूप में ली गई किसी इक्विटी में हानियों के बारे में समूह का शेयर किसी संस्था में किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्यों सहित उसकी ब्याज के बराबर अथवा अधिक होता है, तो समूह तब तक आगे (अधिक) हानियों को स्वीकार नहीं करता है, जब तक अन्य संस्था की बाध्यता न हो अथवा उसकी ओर से भुगतान न किए हों।

समूह और उसके संयुक्त उद्यमों एसोसिएट के बीच में लेन-देनों पर प्राप्त न हुए लाभों को इन संस्थाओं में समूह की ब्याज की सीमा तक छोड़ दिया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी हटा दिया जाता है जब तक कि लेन-देनों में अंतरित परिसम्पत्ति को क्षति होने के प्रमाण उपलब्ध न हों।

निवेशों के रूप में ली गई इक्विटी की निहित राशि का समूह की नीति के अनुसार क्षति के लिए जांच परीक्षण किया जाता है।

संयुक्त उद्यम में पण (स्टेक) कम होने लेकिन संयुक्त नियंत्रण अभी रखने पर अवमिश्रण पर किसी लाभ अथवा हानि को आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त नियंत्रण न होने की वजह से जब किसी निवेश को लेखे में लेने की इक्विटी पद्धति को समूह लागू करना बंद कर देता है, तब लाभ अथवा हानि में मान्य निहित राशि में परिवर्तन सहित उसकी उचित मूल्य में संस्था के किसी धारित हित को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त, उस संस्था के बारे में, अन्य विस्तृत आय में पूर्व में मान्य किन्हीं राशियों को इस प्रकार से लेखों में लिया जाता है जैसे समूह ने सम्बद्ध परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं का सीधे ही निपटान किया था। इसका आशय यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्य राशियों को लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित कम कर किया गया है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण रखा गया है, तो अन्य विस्तृत आय में पहले से मान्य राशियों के आनुपातिक शेयर को ही, जहां उपयुक्त हो, लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई)

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद को एक परिसम्पत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब यदि यह संभव हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप में मापा जा सकता है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों को ऐतिहासिक लागत आधार पर (स्थापना, अधिग्रहण / निर्माण की लागत तथा मद की स्थापना / अधिग्रहण / निर्माण पूरा होने तक अन्य आकस्मिक लागतों सहित), वसूलनीय करों की निवल राशि के लिए संचित मूल्यह्रास और क्षति हानियों को कम करके लेखे में लिया जाता है। जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

उत्तरवर्ती व्यय को परिसम्पत्ति की मौजूदा निहित राशि के रूप में जोड़ा जाता है अथवा यथा उपयुक्त एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय तौर पर मापा जा सके। सभी अन्य मरम्मत और रख-रखाव को उस अवधि के दौरान आय और व्यय विवरण में लिया जाता है, जिसमें वे होते हैं।

सेवा-निवृत्ति अथवा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के बेचने से हुए लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया गया है।

स्थायी पट्टे के आधार पर ली गई पट्टे की भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्धारित तरीके से प्रबंधन द्वारा अनुमान लगायी गई परिसम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद के आधार पर आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में उपयोगी मियाद कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प में निर्धारित मियाद से भिन्न होती है।

परिसम्पत्ति	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प के अनुसार उपयोगी मियाद (संख्या वर्षों में)	कम्पनी के द्वारा आकलन की गई/ अनुमानित उपयोगी मियाद (संख्या वर्षों में)
भवन - लीजहोल्ड/ फ्रीहोल्ड	60	40/20/10
संयंत्र और मशीनरी	15	15/10/8
वाहन	8	5

उपयोग पद्धति और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का यह विश्वास है कि उपरोक्त उपयोगी मियाद उस अवधि को अच्छी तरह से दर्शाती है, जिस पर प्रबंधन इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की आशा रखता है।

5,000/- रु. प्रत्येक तक की लागत वाली सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर बढ़ोत्तरी की अवधि के दौरान पूर्णत: मूल्यह्रास किया गया है।

परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी/ उनसे कटौतियों के मामले में उस मास से/ तक यथा अनुपात आधार पर (के टी पी ओ) के मामले में दिन के आधार पर) मूल्यह्रास किया गया है।

2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, जो तुलन पत्र की तारीख को अपेक्षित उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया गया है।

ऐसे मामले में, जहां पर ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, उनमें लागत/ व्यय को मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों का निपटान करने से हुए समायोजनों सहित आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरणों/ उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर सी डब्ल्यू आई पी के रूप में स्वीकार किया जाता है।।

2.4 अमूर्त परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर ले जाया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्ति की मद को निपटान के बाद मान्यता नहीं दी जाती है अथवा तब उस समय जब भावी आर्थिक लाभों की इनके उपयोग अथवा निपटान करने से उम्मीद न हो। अमूर्त परिसम्पत्ति को मान्यता न देने से हुए लाभ अथवा हानियों को परिसम्पत्ति की निवल बिक्री लाभों और केरीइंग राशि के बीच अंतर के अनुसार मापा जाता है और आय एवं व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियां उस वर्ष से उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि अथवा 3 वित्तीय वर्षों में, जो पहले हो, बराबर-बराबर पूर्ण परिशोधित की जाती हैं, जिस वर्ष में परिसम्पत्ति उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो।

2.5 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति

कम्पनी बाहरी और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति हो सकती है और क्या पहली अवधि (अवधियों) में मानी गई क्षति हानि का अभिशून्यन करने का भी कोई संकेत है। यदि कोई संकेत होता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक क्षति जांच अपेक्षित होती है तो कम्पनी वसूलनीय क्षति को निर्धारित करती है और क्षति हानि की पहचान की जाती है। जब किसी परिसम्पत्ति का निहित मूल्य उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है।

वसूलनीय राशि का निर्धारण निम्नलिखित में किया जाता है :-

- किसी एक परिसम्पत्ति के मामले में बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके परिसम्पत्ति की उचित मूल्य की अधिक कीमत पर।
- नकद उत्पादन करने वाली यूनिट के मामले में (परिसम्पत्तियों का एक समूह जो अभिज्ञात, स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पादन करता है) बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके नकद उत्पादन करने वाली यूनिटों की उचित मूल्य की अधिक राशि पर।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके उचित कीमत का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है। इन गणनाओं की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए उद्धृत शेयर कीमतों से अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतों से पुष्टि की जाती है।

किसी परिसम्पत्ति की क्षति हानि अभिशून्य कर दी जाती है, यदि और केवल यदि अभिशून्यन क्षति हानि को स्वीकार करने के बाद की किसी घटना के लिए वस्तुपरक रूप से संबंधित हो, किसी परिसम्पत्ति की निहित राशि उसकी संशोधित वसूलनीय धनराशि तक बढ़ायी जाती है, बशर्ते यह राशि निहित राशि से अधिक नहीं होती है, जिसका निर्धारण उस स्थिति में (किसी संचित परिशोधन अथवा मूल्यह्रास का निवल) किया गया होगा, यदि पूर्व वर्ष(र्षों) में परिसम्पत्ति के लिए स्वीकार्य कोई क्षति हानि न हुई हो।

2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में अपने पास नकदी, ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा धनराशि, अल्पावधि निवेश (प्राप्ति की तारीख से 3 माह अथवा उससे कम समय), अधिक निवेश, जो नकदी में तत्काल बदलने योग्य होते हैं और मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अध्यधीन होते हैं।

2.7 सामान सूचियां

सामान सूचियों का मूल्य निर्धारण लागत से कम अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर होता है। पुराना, खराब और अप्रयोज्य स्टाक उपलब्ध कराया जाता है, जहां कहीं अपेक्षित होता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.8 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देनों को भुगतानों की औसत दर पर रिकार्ड किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताएं विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में परिवर्तित की जाती हैं। लेन-देन के भुगतान करने तथा मौद्रिक मदों को परिवर्तित करने से हुए विनिमय दर अंतरों को उस वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष में वे होती हैं।

गैर-मौद्रिक मदों को, जिनको विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, उनको भुगतानों की औसत दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। यदि पूर्व निधियों का उपयोग किया जाता है, तो वहां परिवर्तन के प्रयोजन के लिए पूर्व भुगतान(नों) की औसत दर को लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उस तारीख की विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है जिस तारीख को उचित मूल्य निर्धारित की जाती है।

2.9 उचित मूल्य निर्धारण

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में कम्पनी विभिन्न पद्धतियो और संकल्पनाओं का उपयोग करती है जो प्रतिवेदन की प्रत्येक तारीख को बाजार की परिस्थितियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों में छूट प्राप्त नकद प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार कीमतें आदि शामिल होती हैं। उचित मूल्य का आकलन करने की सभी पद्धतियां सामान्य तौर पर वैल्यू के मौटे अनुमान हैं और ऐसी कीमत की वास्तव में वसूली नहीं की जा सकती है।

तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए उन संसाधनों की अल्प परिपक्वता की वजह से इनको उचित मूल्य के लिए नहीं लिया जाता है।

2.10 वित्तीय संसाधन

वित्तीय संसाधन एक संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसम्पत्ति को तथा दूसरी कम्पनी की वित्तीय अथवा इक्विटी संसाधन को बढ़ावा देती है

(i) वित्तीय परिसम्पत्तियां

(क) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्रारंभिक मान्यता में सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं करे उनके उचित मूल्य पर मान्य लिया जाता है, यदि लेन-देन संबंधी लागतें, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं को अधिग्रहण के लिए होती हैं, और जो लाभ अथवा हानि उचित मूल्य पर नहीं होती है, उनको प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ा जाता है तथा आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाता है।

(ख) वर्गीकरण और उत्तरवर्ती माप

उत्तरवर्ती माप के प्रयोजनार्थ वित्तीय परिसम्पत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

1. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां
3. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसम्पत्तियां

जहां वित्तीय परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां पर लाभ अथवा हानियों को या तो आय और व्यय विवरण में पूर्णत: स्वीकार किया जाता है (अर्थात् लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) अथवा अन्य व्यापक आय (अर्थात् अन्य व्यापक आय के

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

माध्यम से उचित मूल्य) में स्वीकार किया जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करने के लिए कम्पनी के कारोबार मॉडल पर तथा नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है। प्रबंधन प्रारंभिक मान्यता के आधार पर अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण करता है।

(1) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों को पूरा करती हो:

- कारोबार मॉडल टेस्ट: कारोबार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए (परिसम्पत्ति का उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए उसकी वित्तीय परिपक्वता से पूर्व परिसम्पत्ति को बेचने की अपेक्षा) वित्तीय परिसम्पत्ति को रखना होता है; और
- नकद प्रवाह विशेषता जांच: वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस एस पी आई) होते हैं।

आरंभिक माप करने के बाद, ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर बाद में मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण के समय किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और शुल्क अथवा कीमत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर वह दर है जो वित्तीय संसाधन की संभावित मियाद की तुलना में अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों पर अथवा कम अवधि वाली प्राप्तियों पर, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति की सकल निहित राशि पर सही-सही छूट प्रदान करती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कम्पनी वित्तीय संसाधन की संविदात्मक समस्त शर्तों पर विचार करके संभावित नकद प्रवाहों के बारे में अनुमान लगाती है, परंतु संभावित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ई आई आर परिशोधन, आय और व्यय विवरण में ब्याज आय में शामिल होता है। क्षति से हुई हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। यह श्रेणी सामान्य तौर पर कर्मचारी ऋणों तथा विशिष्ट शर्तों वाले अन्य ऋणों/ अग्रिमों आदि के लिए लागू होती है।

(2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) से मापे गए वित्तीय संसाधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हों तो वित्तीय संसाधन को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा:

- कारोबार मॉडल टेस्ट: कारोबार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री करके दोनों से प्राप्त किया जाता है।
- नकद प्रवाह विशेषता टेस्ट: वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस एस पी आई) होते हैं।

एफ वी टी ओ सी आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय साधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य के प्रत्येक प्रतिवेदन में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों को ब्याज आय, क्षति संबंधी लाभ और हानियां, विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों को स्वीकार करने के सिवाय अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) में स्वीकार किया जाता है, जिन्हें आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

(3) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य एक अवशिष्ट श्रेणी है। ऐसे किसी वित्तीय साधन एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकरण के लिए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। एफ वी टी पी एल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय साधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों अर्थात् लाभ अथवा हानि और ब्याज आय को आय और व्यय विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी निम्नलिखित के लिए संभावित क्रेडिट हानि (एफ सी एल) मॉडल के आधार पर क्षति का आकलन करती है:

- परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां
- एफ वी टी ओ सी आई लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां

संभावित क्रेडिट हानियों का निम्नलिखित के बराबर राशि पर हानि संबंधी छूट के माध्यम से निर्धारण किया जाता है :

- 12 महीनों की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जो वित्तीय संसाधनों पर उन खराब घटनाओं से होती हैं। ये रिपोर्ट करने की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर संभव होती है); अथवा
- पूरी जीवन अवधि की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जिनसे वित्तीय संसाधन पर सभी संभव खराबी की घटनाएं होती हैं)।

कम्पनी क्षति हानि छूट देने हेतु निम्नलिखित के लिए सरल 'सरल दृष्टिकोण' का पालन करती है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं अर्थात् व्यापार प्राप्य बैंकों में जमा तथा कर्मचारी ऋण एवं विनिर्दिष्ट अवधि वाले अन्य ऋण/ अग्रिम आदि जिनकी विशेष शर्तें होती हैं।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन है तथा एफ वी टी ओ सी आई पर मापी जाती हैं।

सरल दृष्टिकोण के अंतर्गत, कम्पनी क्रेडिट जोखिम में तरीके नहीं बदलती है। अपितु यह उसकी प्रारंभिक मान्यता से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन अवधि ई सी एल पर आधारित क्षति हानि छूट को स्वीकार करती है।

व्यापार प्राप्यों को बिक्री/ प्राप्य पर प्रारंभ में स्वीकार किया जाता है और इनको एकत्र करने हेतु प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को 12 महीनों के भीतर यदि एकत्र किए जाने की संभावना होती है तो व्यापार प्राप्यों को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उन मामलों को छोड़कर, जिनमें कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है, 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया राशियों में संदिग्ध प्राप्यों के लिए क्षति की व्यवस्था की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों और जोखिमों के बारे में क्षति हानि को स्वीकार करने हेतु कम्पनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से लेकर क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी न हुई हो, तो क्षति हानि के लिए प्रावधान करने हेतु 12 महीनों की ई सी एल (संभावित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई हो, तो जीवन अवधि एफ सी एल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की किसी अवधि में संसाधन के क्रेडिट गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है, तब कम्पनी 12 महीनों की ई सी एल के आधार पर क्षति हानि छूट को मान्यता देने से बदलाव करती है।

क्रेडिट जोखिम और क्षति हानि में बढ़ोत्तरी का आकलन करने के लिए कम्पनी क्रेडिट जोखिम संबंधी विशेषताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों के विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से मिला देती है जो समय अवधि के आधार पर पहचान किए जाने के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरियां कर सकने के लिए बनाया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों को मान्यता न देना

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के एक भाग अथवा समान वित्तीय परिसम्पत्ति के एक समूह के भाग) को मुख्य रूप से मान्यता नहीं दी जाती है (अर्थात कम्पनी के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

क. परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त/ अंतरित कर दिए गए हों, अथवा

ख. कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति के नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार रखती हो, लेकिन एक अथवा अधिक प्राप्तकर्त्ताओं को नकद प्रवाहों का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हाथ में लेती हो।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति को हस्तांतरित कर दिया हो, तब वह यह मूल्यांकन करती है कि क्या इसने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जब कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित न किया हो, तब वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां तक कम्पनी ने किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को न तो हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्तत: रखती है, तो वित्तीय परिसम्पत्ति को जब मान्यता नहीं दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण न रखा हो। जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण रखती है, तब परिसम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति में निरंतर शामिल रखने तक मान्यता दिया जाना जारी रहता है।

(ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर तथा लाभ के मामले में प्रत्यक्षत: हुए लेन-देन संबंधी खर्चों की निवल राशि पर मान्यता दी जाती है। कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार भुगतान, ऋण, प्रतिभूति जमा और अन्य भुगतान शामिल हैं।

(ख) उत्तरवर्ती निर्धारण

वित्तीय देयताओं का निर्धारण उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जो नीचे बताए अनुसार है :

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफ वी टी पी एल)

एफ वी टी पी एल में वित्तीय देयताओं में लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं।

यदि वित्तीय देयताएं स्पष्ट शर्तों के अनुसार पुन: खरीद करने के लिए व्यय की जाती हैं, तो उन्हें व्यापार के लिए रखे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी देयताओं पर लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय में स्वीकार किया जाता है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट वित्तीय देयताएं मान्यता को प्रारंभिक तारीख को उसी तरह से नामोद्दिष्ट की जाती है और केवल इण्ड ए. एस. 109 में दिए गए मानदण्ड पूरे किए जाते हैं। एफ वी टी पी एल के रूप में नामोद्दिष्ट देयताओं के लिए अपने क्रेडिट जोखिमों में बदलाव करने वाली उचित मूल्य लाभ अथवा हानियों को अन्य विस्तृत आय में स्वीकार किया जाता है। इन लाभ/ हानियों के बाद में आय और व्यय विवरण में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के अंतर्गत संचयी लाभ अथवा हानि में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं की उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ऋण और प्रतिभूति जमा

लाभ (लेन-देन संबंधी व्यय की निवल राशि) और भुगतान की गई राशि के बीच किसी अंतर को देयता की अवधि में आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए बाद में परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है। जब देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है तथा ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किया जाता है तो लाभ और हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर परिशोधन वित्त व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण में शामिल है।

व्यापार और अन्य लाभकर

व्यापार और अन्य लाभकर सामग्री और अन्य सामान खरीदने तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिए कम्पनी के द्वारा किए गए दायित्व होते हैं जो कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किए अथवा लिए गए हैं। यदि भुगतान वित्तीय स्थिति का विवरण की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय हो, तो व्यापार और अन्य लाभ को चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है और यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में उनकी उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है।

(ग) मान्यता न देना

एक वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं दी जाती है, जब देयता के अंतर्गत दायित्व पूरा हो जाता है अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी साहूकार से दूसरे को पर्याप्त रूप से अलग-अलग शर्तों पर बदला जाता है अथवा मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता को अमान्य और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित केरीइंग राशियों के बीच के अंतर को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

'चूंकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह कम्पनी निगमित है, इसलिए यह आय और व्यय विवरण धारा 2(40) के अनुसार तैयार करती है। अत: इण्ड ए एस एफ वी टी पी एल का पालन करने के लिए लाभ अथवा हानि लेखा के माध्यम से उचित मूल्य (जहां कहीं उल्लेख हो) से अभिप्राय: आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित मूल्य से होगा।

2.11 राजस्व मान्यता

(क) कंपनी इंड ए एस - 115 में निर्धारित पांच चरण की प्रक्रिया के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंध करके राजस्व को मान्यता देती है :

(i) एक ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान :- किसी अनुबंध को दो अथवा अधिक पक्षों के बीच एक ऐसे करार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनसे प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों की उत्पत्ति होती है और ऐसे प्रत्येक अनुबंध के लिए मापदंड तय किए गए हैं, जिन्हें अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) अनुबंध में निष्पादन के दायित्वों की पहचान :- एक अनुबंध दायित्व किसी अनुबंध के ग्राहक के साथ किसी वस्तु अथवा सेवा का ग्राहक को हस्तांतरण करने का वायदा होता है।

(iii) सौदे की कीमत का निर्धारण :- सौदे की कीमत वह प्रतिफल की राशि होती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वायदा वस्तुओं अथवा सेवाओं का हस्तांतरण करने के बदले में प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है, इसमें तीसरे पक्षों की ओर से प्राप्त राशियां शामिल नहीं हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(iv) अनुबंध में निष्पादन दायित्व के लिए सौदे की कीमत प्रदान करना :- ऐसे सौदे के लिए जिसके लिए एक से अधिक निष्पादन दायित्व हों, कंपनी उस राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए सौदा कीमत प्रदान करती हैं, जो प्रतिफल की वह राशि होती है, जिसके लिए कंपनी को प्रत्येक निष्पादन दायित्व की पूर्ति के बदले में पात्रता की अपेक्षा होती है।

(v) ऐसे राजस्व की मान्यता, जब अथवा कंपनी किसी ग्राहक को वायदा की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं के हस्तांतरण के द्वारा एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है जब उस संपत्ति पर ग्राहक का नियंत्रण हो जाता है।

(ख) निष्पादन दायित्व को राजस्व समयोपरि (ओवर टाइम) के रूप में स्वीकार और मान्य किया गया है, यदि निम्नलिखित किसी एक मापदंड की पूर्ति होती हो :

(i) निष्पादन से वैकल्पिक प्रयोग करके परिसंपत्ति सृजन नहीं होता है और समय पर निष्पादन की पूर्ति के लिए भुगतान का एक प्रवर्तनीय अधिकार होता हो।

(ii) निष्पादन से एक ऐसी परिसंपत्ति उत्पन्न अथवा वृद्धि होती हो कि ग्राहक को पता रहे कि परिसंपत्ति की उत्पत्ति अथवा वृद्धि हुई है।

(iii) ग्राहक को साथ-साथ प्रदान किए गए लाभों की प्राप्ति हो और उपयोग करें।

(ग) ऐसे निष्पादन दायित्वों के लिए, जहां उपरोक्त में से शर्त की भी पूर्ति नहीं होती हो, राजस्व को तब मान्य किया जाता है, जब निष्पादन दायित्व की पूर्ति से संतुष्टि होती है। जब निष्पादन दायित्व को वायदा की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं की सुपुर्दगी करके पूरा कर लिया जाता है तो निष्पादन करके प्राप्त की गई राशि पर एक अनुबंध आधारित परिसंपत्ति सृजित होती है। यदि किसी ग्राहक से प्रतिफल में प्राप्त राशि मान्य की गई राजस्व की राशि से अधिक होती है तो इससे अनुबंध दायित्व में वृद्धि होती है।

(घ) राजस्व की मान्यता ऐसी संभाव तक प्रदान की जाती है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह होगा और राजस्व तथा लागत, यदि लागू हो, तो विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(ङ) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/ प्रदर्शनियों से आय और व्यय की उस वर्ष में गणना की गई है, जिस वर्ष आयोजन शुरू हुआ। तथापि, दो लेखांकन अवधियों में व्याप्त, तीन माह या अधिक की अवधि वाले दीर्घावधिक मेलों/ प्रदर्शनियों के मामले में, जिसकी प्रमुख अवधि परवर्ती लेखांकन अवधि में पड़ती है, उस आयोजन की आय और व्यय की धनराशि उस में शामिल की गई है, जिस वर्ष में मेलों/ प्रदर्शनियां समाप्त हुई।

सरकार की ओर से किन्हीं करों अथवा शुल्क एवं कटौतियों/ छूट की कटौती करने के बाद प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की उचित मूल्य पर इसे निर्धारित किया जाता है जैसे वस्तु एवं सेवा कर आदि लगाए जाते हैं।

(च) किराए से और प्रचालन पट्टों से राजस्व को प्रासंगिक करार की शर्तों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(छ) कम्पनी के प्रदर्शनी और मेलों में प्रदर्शित आंतरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, भावी मेलों में उपयोग करने के लिए स्टॉक में रखे नए सामानों को अंतिम स्टॉक के रूप में माना जाता है।

(ज) सिविल, विद्युत, बागवानी आदि पर सी पी डब्ल्यू डी/ एन बी सी सी जैसी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय को उनके द्वारा दिए गए विवरणों/ लेखों/ उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(झ) जिन मामलों में लाइसेंसधारी के साथ संविदा समाप्त हो गई हो उन मामलों में समाप्त हुई संविदा/ इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक संशोधित समझौते/ निष्पादित संशोधित संविदाओं के आधार पर बकाया धनराशियों को अस्थायी रूप से लेखें में लिया जाता है।

(ञ) कार्य का विलंब से निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतियों के दावों को आय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब धनराशि के बारे में अंतिम तौर पर निर्धारण और सहमति हो जाती है।

(ट) एसोसिएट अंशदाताओं से अंशदान शुल्क और नियमित अंशदाताओं से सेवा प्रभारों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, अग्रिम रूप से प्राप्त अंशदान शुल्क को उस प्रासंगिक वर्ष में लेखे में डाला जाता है, जिसके लिए यह संबंधित हैं।

(ठ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, तब लाभांश आय को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ड) बकाया राशि और लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए ब्याज आय को अनुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.12 विगत वर्षों की आय और व्यय से संबंधित जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक न हो, इन्हें चालू वर्ष के संबंध में माना जाता है।

2.13 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय एप्रोच से स्वीकार तब किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि उनको प्राप्त कर लिया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी।

जिन अनुदानों से कम्पनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हो उनको उस अवधि में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में संबद्ध खर्च किए हों।

प्रवर्तक के अंशदान की प्रकृति के अनुदानों को अन्य इक्विटी के तहत उपयुक्त श्रेणी में स्वीकार किया जाता है।

2.14 ऋण लेने संबंधी लागत

विशेष मूर्त सम्पत्तियों को आशायित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में अनिवार्यत: काफी समय लगता है, उनके अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी ऋण लेने संबंधी खर्चों को परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजी माना जाता है। सभी अन्य ऋण खर्चों को उस अवधि के खर्च माना जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। ऋण संबंधी खर्चों में ब्याज और अन्य खर्चे शामिल होते हैं, जिनको कोई संस्था निधियों के ऋण लेने के संबंध में व्याय करती है। ऋण खर्च में ऋण लेने के खर्चों के समाधान के रूप में मानी गई सीमा तक के लिए विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं।

ऋण खर्च का लाभ उस समय समाप्त हो जाता है जब विशेष मूर्त परिसम्पत्तियों को उनके आशयित उपयोग हेतु उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हों।

2.15 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाएं देने के 12 महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक लाभों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, पुरस्कार, अनुग्रह राशि, निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन/ वेतन आदि शामिल हैं और इनको उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं देता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख) नियोजन के बाद लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी की अनुमोदित भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। कम्पनी का ऐसी योजनाओं के तहत भुगतान किए गए / देय अंशदान के अलावा अलग ट्रस्टों के लिए कोई दायित्व नहीं होता है; जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियां निवेश करती हैं। योजनाओं के तहत भुगतान किए/ देय अंशदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा देता है। कम्पनी ट्रस्टों की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

कर्मचारी उपदान निधि योजना (वित्त-पोषित) और कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्त-पोषित) योजना कम्पनी की परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य का तुलन-पत्र की तारीख को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। उपदान को एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है जो ट्रस्ट के कार्यों की प्रबंध व्यवस्था करता है। ओ. सी. आई. के माध्यम से धारित आय के संगत डेबिट अथवा क्रेडिट के साथ बीमांकिक लाभ और हानियों वाले पुन:निर्धारण को उस अवधि में तुलन-पत्र में तत्काल स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। पुन: निर्धारणों को बाद की अवधियों में आय और व्यय विवरण में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कम्पनी ग्रेच्युटी ट्रस्ट की संचित कमी, यदि कोई हो इसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ग) समापन (टर्मिनेशन) लाभ

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं के संबंध में अनुग्रह राशि के भुगतान और नोटिस वेतन के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए खर्चों को लाभ और हानि विवरण में ऐसे खर्चों के होने के वर्ष में लिया जाता है।

2.16 प्रावधान और आकस्मिक परिसंपत्तियां और देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी का किसी विगत मेले के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा ठोस) हो, और यह संभव है कि आर्थिक दायित्वों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का आउट फ्लो दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक होगा तथा दायित्व राशि के बारे में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का तुलन-पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटारा करने के लिए अपेक्षित व्यय सबसे अच्छे अनुमान पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।

यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुत: होता है तो प्रावधानों को चालू पूर्व-कर दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य को दर्शाने के लिए कम किया जाता है, जो दायित्व के धनराशि संबंधी समय-मूल्य और जोखिम विशेष के वर्तमान बाजार आकलनों को दर्शाता है। जब छूट प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तब समय बीतने की वजह से प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में माना जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं संभव दायित्व होती हैं जो विगत मेलों से आती (उठती) हैं और उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक भावी मेलों के आयोजनों से ही होगी और यह कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां पर यह संभव नहीं होता है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की आवयकता होगी अथवा धनराशि के बारे में विश्वसनीय तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब दायित्वों को

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

आकस्मिक देयता के रूप में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना अप्रत्यक्ष न हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंध अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं।

ग) आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक परिसम्पत्तियों संभव परिसम्पत्तियां होती हैं जो विगत मेलों से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी मेलों के होने अथवा न होने से होगी और ये कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों के बारे में वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभव हो। इनका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है कि विकासों को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

2.17 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल अधिशेष/ घाटे से विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.18 सेगमेंट रिपोर्टिंग

संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के द्वारा प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन खण्डों की पहचान की जाती है। निदेशक मण्डल इण्ड ए. एस. 108 के आशय के अंतर्गत कम्पनी का सामूहिक रूप से 'प्रमुख संचालन निर्णयकर्ता' 'सी ओ डी एम' होता है।

कम्पनी ने भारत तथा विदेश में व्यापार संवर्धन कार्यकलाप नामक दो रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.19 पट्टे

पट्टे के बारे में क्या कोई व्यवस्था है अथवा निहित है, इसका निर्धारण पट्टे के प्रारंभ में व्यवस्था संबंधी विषय पर आधारित है। पट्टे की व्यवस्था है अथवा यह निहित है, यदि व्यवस्था को पूरा करना विशिष्ट परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर हो अथवा व्यवस्था परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों को उपयोग करने के अधिकार के बारे में बताती है, चाहे अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

पट्टे को वित्तीय पट्टे अथवा प्रचालन पट्टे के रूप में शुरू की तारीख को वर्गीकृत किया जाता है। जिस पट्टे से स्वामित्व के सभी जोखिम और आकस्मिक पुरस्कार कम्पनी के लिए पर्याप्त रूप से हस्तांतरित होते हों, उस पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे के लिए पट्टा सम्पत्ति की उचित मूल्य पर प्रारंभ की तारीख को पट्टा शुरू करने पर पूंजी की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि कम हो तो न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान कीमत पर व्यवस्था की जाती है। पट्टे-संबंधी भुगतान वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच अनुपात के आधार पर होते हैं ताकि देयता के बचे शेष पर ब्याज की सतत् दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ अथवा हानि विवरण में वित्त व्यय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब तक वे उन विशेष परिसम्पत्तियों के लिए आरोप्य न हों, जिन मामलों में वे ऋण लागत पर कम्पनी के सामान्य नीति के अनुसार लाभ नहीं उठाते हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

पट्टे वाली परिसम्पत्ति की परिसम्पत्ति की मियाद के अनुसार कीमत कम हो जाती है। तथापि, पट्टे की अवधि के अंत में कम्पनी स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, यदि इस बारे में उचित रूप से निश्चितता न हो, तो सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद और पट्टे की अवधि में जो कम हो, उसके अनुसार परिसम्पत्ति का मूल्य कम किया जाता है।

प्रचालन पट्टे संबंधी भुगतानों को पट्टे की अवधि के आधार पर आय और व्यय विवरण में प्रत्यक्षत: व्यय के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है, जब तक भुगतानों को संभावित मुद्रास्फीति लागत बढ़ोत्तरी में पट्टाकर्त्ता के लिए मुआवजा देने के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया नहीं जाता है।

पट्टेकर्ता के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों में कम्पनी किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, तो ऐसे पट्टों को प्रचालन हानियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है! किराए की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि से प्रत्यक्षत: स्वीकार किया जाता है। किसी प्रचालन पट्टे की सौदेबाजी और व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्चों को पट्टे वाली परिसम्पत्ति के निहित राशि में जोड़ा जाता है और किराया आय के रूप में उसी आधार पर पट्टे की अवधि से स्वीकार किया जाता है। प्रासंगिक किरायों को उस अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे प्राप्त होते हैं। पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार कम्पनी से पट्टाकर्त्ता को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टाकर्त्ता की ओर बकाया राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश में प्राप्यों के रूप में रिकार्ड कर दिया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियां आवंटित की जाती हैं ताकि पट्टे के बारे में निवल निवेश बकाया में लाभ की सतत् आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

2.20 वर्तमान लेखांकन घोषणाएं : मानक जारी किए परंतु प्रभावी नहीं

इण्ड ए. एस 116 पट्टे

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2019 को पट्टे के बारे में इण्ड ए. एस 116 अधिसूचित किया था। मानक में पट्टों की मान्यता मापक प्रस्तुति और प्रकटन के लिए नए/ अतिरिक्त सिद्धांत स्थापित किए हैं। इण्ड ए. एस. 116 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टेदार और पट्टाकर्ता इस तरीके से संगत सूचना प्रदान करते हैं जो इन लेन-देनों को ईमानदारी से दर्शाते हैं। नए पट्टा मानक सभी कम्पनियों पर लागू हैं तथा यह इण्ड ए. एस. के तहत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता संबंधी अपेक्षाओं को हटा देगा।

इण्ड ए. एस. 116 की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2019 अथवा इसके बाद में शुरू वार्षिक अवधियां हैं। कम्पनी को 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष तक मानक को स्वीकार करना होता है। कम्पनी इस समय इण्ड ए. एस. 116 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और उसने वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को अभी निर्धारित नहीं किया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(31 मार्च, 2019 को यथास्थिति)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2018 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को
क.	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	फ्रीहोल्ड भूमि		966.96	-	-	966.96
	लीज होल्ड (प्रगति मैदान) (देखे टिप्पणी 3.1 और 3.2)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,185.83	-	7.51	1,178.32
	ख श्रेणी	20	384.73	1.09	4.54	381.28
	ग श्रेणी	10	40.74	-	2.21	38.53
	प्रदर्शनी परिसर		1,949.93	-	-	1,949.93
	भवन - I (आर सी सी)		1,028.40	-	-	1,028.40
	भवन - II (प्रदर्शनी परिसर)		2,277.22	125.17	11.77	2,390.62
	भवन (आवासीय/ कार्यालय फ्लैट)					
	आवासीय/ कार्यालय फ्लैट - फ्रीहोल्ड	40	159.86	0.23	-	160.09
	विद्युत संस्थापनाएं/ फिटिंग	10	953.23	11.40	45.71	918.92
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	110.26	-	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	900.16	265.55	(56.70)	1,222.41
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट (देखें टिप्पणी 3.1)	10	0.00	-	-	0.00
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	102.99	14.51	0.03	117.47
	आग से बचाव के उपकरण	10	6.89	-	-	6.89
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज	10	8.64	-	-	8.64
	वाहन	5	49.91	-	2.69	47.22
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	128.66	24.47	0.16	152.97
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	149.94	-	-	149.94
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर नेटवर्क	6	33.13	2.70	0.03	35.80
	कंप्यूटर आदि	3	133.91	5.93	-	139.84
	उप जोड़ (क)		10,650.15	451.05	17.95	11,083.25
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**					
	स्टाफ क्वार्टर (गाजीपुर)		22.85	0.29	-	23.14
	अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी व सम्मेलन केन्द्र (संदर्भ नोट 33.8)		28,397.05	104,968.39	1,070.90	132,294.54
	विस्तार परियोजना चेन्नई ट्रेड सेंटर		45.26	767.36	-	812.62
	उप जोड़ (ख)		28,465.16	105,736.04	1,070.90	133,130.30
	सकल जोड़ (क + ख)		**39,115.31**	**106,187.09**	**1,088.85**	**144,213.55**

3.1 केवल 1 रु. की बुक-वैल्यू भूमि और भवन के लिए प्राप्त अनुदान का निवल

3.2 मूल्यह्रास में 5000 रु. तक की लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति के संबंध में 0.11 लाख रु. (पूर्व वर्ष 1.28 लाख रु.) 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास

3.3 पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए, एस - 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2019 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

3.4 सम्पत्ति संयंत्र और उपस्करों की भौतिक जांच रिपोर्ट इस प्रयोग के लिए नियुक्त बाह्य एजेंसी से आना बाकी है तथापि वर्ष के दौरान संपत्ति संयंत्रों और उपस्करों का भौतिक सत्यापन (कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर फिक्सचर तथा कंप्यूटरों को छोड़कर) किया गया था और कोई कमी नहीं पाई गई। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई कमी पाई जाएगी तो यथासमय शामिल की जाएगी। इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हों, इस समय आवश्यक हैं।

3.5 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का पैरा 2.2 और 2.3 देखें।

3.6 विगत पद्धति के अनुसार लीजहोल्ड भूमि का लेखांकन नीति के आधार पर परिशोधन नहीं किया गया है।

3.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-प्प के तहत दिनांक 01.01.2014 से मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों की लाभकारी मियाद और आवासीय मूल्य के आधार पर की जाती है। के टी पी ओ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II संशोधित के कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची- ग्प्ट के तहत भवन परिसर पर मूल्यह्रास गलत प्रभारित किया है। इसके परिणामस्वरूप 1.4.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी अधिनिय, 2013 की अनुसूची-II संशोधित के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ के कारण, 213.96 लाख रु. की धारित आय की कटौती हुई है और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भवन परिसर पर मूल्यह्रास की 11.90 की कटौती हुई है। अधिक जानकारी के लिए अवधि पूर्व समायोजन की टिप्पणी देखें।

(रु. लाख में)

मूल्यास				निवल ब्लॉक	
1.04.2018 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	966.96	966.96
-	-	-	-	0.00	0.00
209.70	46.58	-	256.28	922.04	976.13
5.05	18.74	-	23.79	357.49	379.68
14.65	8.03	0.98	21.70	16.83	26.09
583.14	72.33	-	655.47	1,294.46	1,366.79
61.68	76.32	0.03	137.97	890.43	966.72
344.19	156.62	2.02	498.79	1,891.83	1,933.03
18.40	6.13	-	24.53	135.56	141.46
548.03	79.36	34.87	592.52	326.40	405.20
13.19	6.98	-	20.17	90.09	97.07
204.70	81.32	(56.70)	342.72	879.69	695.46
-	-	-	-	0.00	0.00
33.62	12.32	-	45.94	71.53	69.37
1.17	-	-	1.17	5.72	5.72
1.94	0.78	-	2.72	5.92	6.70
17.86	6.04	(3.69)	27.59	19.63	32.05
55.84	18.52	0.04	74.32	78.65	72.82
130.25	0.05	-	130.30	19.64	19.69
20.06	3.63	-	23.69	12.11	13.07
75.21	23.72	-	98.93	40.91	58.70
2,338.68	617.47	(22.45)	2,978.60	8,104.65	8,311.47
-	-	-	-	23.14	22.85
-	-	-	-	132,294.54	28,397.05
-	-	-	-	812.62	45.26
-	-	-	-	133,130.30	28,465.16
2,338.68	**617.47**	**(22.45)**	**2,978.60**	**141,234.95**	**36,776.63**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (31 मार्च, 2019 को)

(31 मार्च, 2019 को यथास्थिति)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को
क.	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	फ्रीहोल्ड भूमि		973.27	-	6.31	966.96
	लीज होल्ड (प्रगति मैदान) (देखे टिप्पणी 3.1)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,572.33	57.71	444.21	1,185.83
	ख श्रेणी	20	33.93	371.79	20.99	384.73
	ग श्रेणी	10	60.22	-	19.48	40.74
	अनारकली फूड प्लाजा (देखे टिप्पणी 3.2)		-	-	-	-
	प्रदर्शनी परिसर		1,895.99	53.94	-	1,949.93
	भवन - I (आर सी सी)		1,028.40	-	-	1,028.40
	भवन - II (प्रदर्शनी परिसर)		2,277.22	-	-	2,277.22
	भवन (आवासीय/ कार्यालय फ्लैट)					
	आवासीय/ कार्यालय फ्लैट - फ्रीहोल्ड	40	159.86	-	-	159.86
	विद्युत संस्थापनाएं/ फिटिंग	10	1,006.56	74.86	128.19	953.23
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	110.26	-	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	0.25	-	0.25	-
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	2,762.56	-	1,862.40	900.16
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट (देखे टिप्पणी 3ण1)	10	0.28	-	0.28	0.00
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	96.73	6.32	0.06	102.99
	आग से बचाव के उपकरण	10	5.17	1.72	-	6.89
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज वाहन कार्यालय उपकरण	10	16.00	-	7.36	8.64
	वाहन	5	53.60	-	3.69	49.91
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	175.99	4.30	51.63	128.66
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.51	-	1.57	149.94
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर नेटवर्क	6	21.70	11.43	-	33.13
	कंप्यूटर आदि	3	130.63	5.22	1.94	133.91
	उप जोड़ (क)		12,611.22	587.29	2,548.36	10,650.15
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**					
	स्टाफ क्वार्टर (गाजीपुर)		19.44	3.41	-	22.85
	अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी व सम्मेलन केन्द्र (संदर्भ नोट 33.8)		89.82	29,690.44	1,383.21	28,397.05
	विस्तार परियोजना चेन्नई ट्रेड सेंटर		-	45.26	-	45.26
	उप जोड़ (ख)		109.26	29,739.11	1,383.21	28,465.16
	सकल जोड़ (क + ख)		**12,720.48**	**30,326.40**	**3,931.57**	**39,115.31**

3.1 केवल 1 रु. की बुक-वैल्यू भूमि और भवन के लिए प्राप्त अनुदान का निवल

3.2 अनारकली फूड प्लाजा शामिल, 1.4.2017 को केवल 1 रु. की बुक वैल्यू, 2017-18 के दौरान गिराया, 31.3.2018 को शून्य

3.3 मूल्यह्रास में 5000 रु. अथवा कम लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति के संबंध में 1.28 लाख रु. (पूर्व वर्ष 2.75 लाख रु.) 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास

3.4 पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए, एस - 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2018 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

3.5 1839.46 लाख रु. के निवल ब्लाक वाली 4305.21 लाख रु. की लागत की परिसम्पत्तियां आई ई सी सी परियोजना के लिए गिरा दी/ सौंप दी गई थी तथा 461.07 लाख रु. की बिक्री आय के प्रति, वर्ष की लेखा पुस्तकों से निकाल दी गई थीं। 1378.39 लाख रु. की परिणामी हानि 'आय और व्यय विवरण' में 'विशेष मदों' में शामिल है।

3.6 सम्पत्ति संयंत्र और उपस्करों की भौतिक जांच दो वर्षों में एक बार की जाती है तथा वर्ष 2017-18 में किया जाना बाकी है। लेखा शेषों के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट का समाधान किया जाएगा तथा इस चरण में परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं है।

3.7 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का पैरा 2.2 और 2.3 देखें।

3.8 विगत पद्धति के अनुसार लीजहोल्ड भूमि का लेखांकन नीति के आधार पर परिशोधन नहीं किया गया है।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास				सकल ब्लाक	
01.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	966.96	973.27
-	-	-	-	0.00	0.00
154.22	122.74	67.26	209.70	976.13	1,418.11
9.41	5.02	9.38	5.05	379.68	24.52
19.32	9.34	14.01	14.65	26.09	40.90
-	-	-	-	-	-
511.37	71.77	-	583.14	1,366.79	1,384.62
41.11	20.57	-	61.68	966.72	987.29
225.15	119.04	-	344.19	1,933.03	2,052.07
12.27	6.13	-	18.40	141.46	147.59
445.16	159.35	56.48	548.03	405.20	561.40
6.21	6.98	-	13.19	97.07	104.05
-	-	-	-	-	0.25
496.39	204.16	495.85	204.70	695.46	2,266.17
-	-	-	-	0.00	0.28
20.26	13.37	0.01	33.62	69.37	76.47
-	1.17	-	1.17	5.72	5.17
2.12	1.36	1.54	1.94	6.70	13.88
15.25	6.30	3.69	17.86	32.05	38.35
85.28	19.84	49.28	55.84	72.82	90.71
130.25	-	-	130.25	19.69	21.26
5.95	14.11	-	20.06	13.07	15.75
48.23	26.98	-	75.21	58.70	82.40
2,227.95	808.23	697.50	2,338.68	8,311.47	10,383.27
-	-	-	-	22.85	19.44
-	-	-	-	28,397.05	89.82
-	-	-	-	45.26	-
-	-	-	-	28,465.16	109.26
2,227.95	**808.23**	**697.50**	**2,338.68**	**36,776.63**	**10,492.53**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

4. अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (31 मार्च, 2019 को यथास्थिति)

(रु. लाख में)

विवरण	मियाद (वर्ष)	सकल ब्लाम				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		1.04.2018 को	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को	1.04.2018 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	64.88	25.55	-	90.43	21.90	28.16	-	50.06	40.38	42.98
वेबसाइट	3	21.07	-	-	21.07	14.26	6.81	-	21.07	-	6.81
कुल		85.95	25.55	-	111.50	36.16	34.97	-	71.13	40.38	49.79

(31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)

(रु. लाख में)

विवरण	मियाद (वर्ष)	सकल ब्लाम				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		1.04.2018 को	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को	1.04.2018 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	0.79	64.09	-	64.88	0.26	21.64	-	21.90	42.98	0.53
वेबसाइट	3	21.07	-	-	21.07	7.30	6.96	-	14.26	6.81	13.77
कुल		21.86	64.09	-	85.95	7.57	28.60	-	36.16	49.79	14.30

4.1 अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' का अनुच्छेद 2.4 देखें

5. संयुक्त उद्यम में निवेश (कीमत लागत पर, जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
इक्विटी शेयरों में अन-उद्धृत, पूर्णतः प्रदत्त			
संयुक्त उद्यम कंपनी			
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एन सी टी आई) में 100/- रु. प्रत्येक के 2,00,00 (2,00,000) इक्विटी शेयर	200.00	200.00	
(कमी) : क्षति हानि के लिए प्रावधान	(116.74)	(47.42)	
	83.26		152.58
एसोसिएट			
जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (जेकेटीपीओ) में 100/- रु. प्रत्येक के 2,20,00 इक्विटी शेयर	225.68	-	-
	308.94		152.58

5.1 संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट के बारे में सूचना:

संयुक्त उद्यम में निवेश:

कम्पनी का नाम	निगमनों का देश	मुख्य गतिविधियां	शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)	
			31.03.2019	31.03.2018
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	भारत	व्यापार सूचना	50%	50%

एसोसिएट में निवेश:

कम्पनी का नाम	निगमनों का देश	मुख्य गतिविधियां	शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)	
			31.03.2019	31.03.2018
जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	व्यापार सूचना	44%	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

6 निवेश (रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	इक्विटी शेयरों में अन-उद्धृत (पूर्णतः प्रदत्त)			
	(अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य लिया गया है)			
	सी-ग्लिम्पस को-आपरेटिव सोसाइटी मुम्बई में कुल 250/- रु. के 50/- रु. प्रत्येक के 5 शेयर	-		-
		-		-
	(i) अन्य-अनुद्धृत निवेशों की कुल राशि	-		-
	(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल राशि	-		-

7. ऋण (अच्छे माने गये) (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	कर्मचारियों को ऋण (संचित ब्याज सहित) (देखें टिप्पणी 7.1)				
	सुरक्षित		404.44		475.93
	असुरक्षित		45.16		45.29
			449.60		521.22
7.1	**कर्मचारियों के ऋण में शामिलः**				
	क) निदेशकों की ओर बकाया		-		-
	ख) ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		16.23		18.49

8. गैर चालू कर परिसम्पत्तियां (असुरक्षित) (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	आयकर/ टी डी एस वसूली योग्य (टिप्पणी 33.4 देखें)				
	अच्छी मानी गई		31,206.44		28,009.58
	संदिग्ध मानी गई	426.00		426.00	
	(कमी): संदिग्ध टी डी एस के लिए प्रावधान	(426.00)	-	(426.00)	-
			31,206.44		28,009.58

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (असुरक्षित, अच्छी मानी गयी) (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	पूंजीगत अग्रिम				
	सुरक्षित (एन बी सी सी की कारपोरेट गारंटी पर)	-		10,000.00	
	असुरक्षित	2,742.91	2,742.91	22,059.31	32,059.31
	विविधा जमा		1,226.56		1,229.39
	वसूली योग्य सेवा कर (संदर्भ टिप्पणी 33.6 देखें)		1,113.54		1,113.54
	आस्थगित नामावली व्यय		95.19		115.03
			5,178.20		**34,517.27**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

10. निवेश (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	म्युचल फण्ड में निवेश उद्धृत				
	(आय और व्यय के द्वारा) उचित कीमत पर निर्धारित				
	बैलेस्ड फण्ड डिवीडेंट रिइन्वेस्टमेंट स्कीम 10/- 10/- रुपए प्रत्येक की में 2,91,490.319 (2,70,169.103) यूनिटें		80.33		78.75
			80.33		**78.75**
	(i) उद्धृत निवेशों और बाजार मूल्यों की कुल राशि		80.33		78.75
	(ii) निवेशों के मूल्यों में कमी की कुल राशि		-		-

11. व्यापार प्राप्य (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	असुरक्षित, अच्छे माने गए (टिप्पणी 11.1 देखें)		950.42		936.18
	असुरक्षित, संदिग्ध माने गए (टिप्पणी 11.2 देखें)	1,101.70		1,248.49	
	(कमी): संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	(1,101.70)	-	(1,248.49)	-
			950.42		**936.18**
11.1	वर्तमान प्राप्य अल्प स्वरूप के होने की वजह से उनकी निर्धारण राशि उनके उचित मूल्य की भांति मानी है।				

12 नकदी एवं नकदी समतुल्य (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	बैंकों में शेष:				
	- बैंक में चालू		7,969.18		4,000.95
	- बचत खाते में शेष (टिप्पणी 12.1 देखें)		14.49		24.76
	अपने पास रखे ड्राफ्ट/ चैंक		69.69		28.08
	पास में नकदी (टिप्पणी 12.2 देखें)		5.39		5.11
	डाक टिकट अग्रिम		0.81		0.12
			8,059.56		**4,059.02**
12.1	बैंकों में शेष में विदेशी बैंकों में पड़े 9.23 लाख रु. (पूर्व वर्ष 8.66 लाख) शामिल हैं, जिसमें से पुष्टि न की गई राशि 4.21 लाख रु. (विगत वर्ष शून्य) है।				
12.2	विदेशी बैंक में रखी 5.07 लाख की राशि (पूर्व वर्ष 4.68 लाख रु.) है।				
12.3	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।				

13 नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	बैंकों में 3 महीने लेकिन 12 महीने तक मूल परिपक्व सावधि जमा		68,077.15		116,112.64
			68,077.15		**116,112.64**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

14 ऋण

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	कर्मचारियों को ऋण (संचित ब्याज सहित) (टिप्पणी 14.1 देखें)				
	सुरक्षित, अच्छे माने गए	96.40		103.93	
	असुरक्षित, अच्छे माने गए	1,546.32	1,642.72	2,085.25	2,189.18
			1,642.72		**2,189.18**
14.1	कर्मचारियों के लिए ऋण में निम्नलिखित की ओर बकाया राशि शामिल :				
	निदेशकों/ पूर्व निदेशकों की ओर बकाया		0.01		0.01
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		1.92		7.55

15 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (असुरक्षित, अच्छी मानी गई, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान				
	अच्छी मानी गई	910.34		711.35	
	संदिग्ध मानी गई	1.00		21.47	
	(कमी): अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(1.00)	910.34	(21.47)	711.35
	अंत: कारपोरेट जमा (एन बी एफ सी के पास रखे)		3,200.00		26,800.00
	विदेशों में भारतीय मिशनों की ओर से बकाया		7.31		7.86
	बचत बैंक लेखों/ जमाओं पर ब्याज		2,095.95		3,814.07
	अन्य वसूलियां		0.16		-
	डिपोजिट (जमा) कार्यों के बारे में पक्षकारों की ओर से देय				
	अच्छी मानी गई	-		50.02	
	संदिग्ध मानी गई	91.75		41.73	
	(कमी): अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(91.75)	-	(41.73)	50.02
			6,213.76		31,383.30

16 अन्य चालू परिसम्पत्तियां (असुरक्षित, अच्छी मानी गई, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	विक्रेताओं को अग्रिम				
	अच्छी मानी गई	533.96		609.12	
	संदिग्ध मानी गई	163.28		249.64	
	(कमी): अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(163.28)	533.96	(249.64)	609.12
	विविध जमा				
	अच्छी मानी गई	129.68		163.22	
	संदिग्ध मानी गई	14.03		13.68	
	(कमी): अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(14.03)	129.68	(13.68)	163.22
	अन्य				
	जी एस टी क्रेडिट	882.71		528.75	
	पूर्व प्रदत्त व्यय	17.13		18.01	
	आस्थगित नामावली व्यय	16.78		19.71	
	उपभोज्य वस्तुएं	-		1.17	
	अन्य अग्रिम	23.11		6.73	
	ग्रुप ग्रेच्युटी फण्ड – एल आई सी	20.97		15.70	
	सेवा कर की पूर्व जमा	5.21		5.21	
	जी एस टी पर टी डी एस – जमा	0.40	966.31	-	595.28
			1,629.95		**1,367.62**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

17. **इक्विटी शेयर पूंजी** (रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	अधिकृत			
	100-100/- रु. के 50,000 (50,000) इक्विटी शेयर	50.00		50.00
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त			
	100-100/- रु. के पूर्णतः प्रदत्त 25,000 (25,000) इक्विटी शेयर	25.00		25.00
		25.00		**25.00**

17.1 **बकाया शेयरों का मिलान**

	31.03.2019 को		31.03.2018 को	
	शेयरों की सं.	(रु. लाख में)	शेयरों की सं.	(रु. लाख में)
वर्ष के शुरू में बकाया	25,000	25.00	25,000	25.00
जोड़ : अवधि के दौरान निर्गम	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	**25,000**	**25.00**	**25,000**	**25.00**

17.2 **इक्विटी शेयर की अवधि / सम्बद्ध अधिकार**

कम्पनी के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका प्रति शेयर समान मूल्य 100 रु. है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार होता है। चूंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित है, इसलिए कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को अपने सदस्यों को लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा वितरित करने पर प्रतिबंध है।

कम्पनी को बंद करने अथवा विघटित करने की स्थिति में समस्त ऋणों और देयताओं तथा सरकार की मूल पुंजी लौटाने के बाद यदि कोई संपत्ति जो भी हो, रहती है, तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच में बांटी नहीं जाएगी, अपितु उसे ऐसी अन्य कम्पनी को दिया अथवा अंतरित कर दिया जाएगा, जो धारित कम्पनी की भांति उद्देश्यों वाली हो। इसका निर्धारण धारित कम्पनी के सदस्यों के द्वारा कम्पनी के विघटन के समय पर अथवा इससे पहले किया जाएगा, अथवा इसमें चूक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अथवा मामले में न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

17.3 **कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारकों का विवरण**

	31.03.2019 को		31.03.201 को	
	शेयरों की सं.	आयु %	शेयरों की सं.	आयु %
पूर्ण प्रदत्त 100-100 रु. के इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	25,000	100	25,000	100
(नामिती शेयरधारकों के द्वारा रखे 2 शेयर)				

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

18 अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	पूंजीगत आरक्षित				
	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रवर्तक का अंशदान	-		4,965.62	
	(कमी): धारित आय की अंतरण	-		(4,965.62)	
					-
	के टी पी ओ में निवेश के लिए प्रवर्तक का अंशदान	1,020.00		1,325.22	
	(कमी): धारित आय की अंतरण	-	1,020.00	(305.22)	1,020.00
	अन्य (टिप्पणी 18.1 देखें)		18.10		18.10
	भारत सरकार से पूंजीगत अंशदान (ए एस आई डी ई)				
	विगत लेखे के अनुसार शेष	763.47		805.17	
	(कमी): ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान का परिशोधन	(41.70)	721.77	(41.70)	763.47
	भारत सरकार से पूंजीगत अंशदान (टी आई ई एस - विस्तार परियोजना)				
	विगत लेखे के अनुसार शेष	518.11		-	
	जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त	34.74	552.85	518.11	518.11
	धारित आय				
	विगत लेखे के अनुसार शेष	212,899.24		191,607.34	
	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	-		(111.82)	
	वर्ष के आरंभ में पुन: उल्लिखित शेष	212,899.24		191,495.52	
	जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	9,855.77		16,124.04	
	जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	-		5,270.84	
	जोड़ें : परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्निर्धारण लाभ/ हानि	(271.02)		9.27	
	(कमी): इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम के ओ सी आई का शेयर	(1.57)		(0.43)	
			222,482.42		212,899.24
	कुल		224,795.14		215,218.92
18.1	पहले के वर्षों में धारक कंपनी के साथ मिलाए गए संगठनों की देयताओं पर परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है।				

19. गैर-नियंत्रित ब्याज

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)				
	- शेयर पूंजी	0.49		0.49	
	- अन्य इक्विटी	13,915.75	13,916.24	12,306.52	12,307.01
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)				
	- शेयर पूंजी	980.00		980.00	
	- अन्य इक्विटी	5,752.95	6,732.95	5,409.30	6,389.30
			20,649.19		18,696.31

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

20. गैर - चालू प्रावधान (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान				
	- छुट्टी नकदीकरण (संदर्भ देखें 33ण12 (ष्ष))		2,043.10		2,200.79
	- ग्रेच्युटी (संदर्भ देखें 33ण12 (ष))		24.30		20.61
			2,067.40		**2,221.40**

21. अन्य गैर - चालू देयताएं (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		939.65		815.65
			939.65		**815.65**

22. ऋण चालू (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	के आई ए डी बी से आवधिक ऋण - असुक्षित		-		605.00
			-		605.00

23. व्यापार भुगतान (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बकाया कुल राशि (टिप्पणी 23.1 देखें)		2.69		-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा साहूकारों की कुल बकाया राशि		1,956.31		1,898.12
			1,959.00		**1,898.12**
23.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत यथाअपेक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में सूचना।				
			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त शेष राशि				
	मूल धन		2.69		-
	उस पर देय ब्याज		-		-
	एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदत्त ब्याज की राशि तथा नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त राशि।		-		-
	एम एस एम ई डी अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट भुगतान करने में विलंब (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया) लेकिन ब्याज को जोड़े बिना विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि।		-		-
	प्रोद्भूत ब्याज की राशि और अदत्त शेष		-		-
	आगे ब्याज की बकाया राशि और देय राशि यहां तक कि आगामी वर्षों में ऐसी तारीख तक देय, जब उपरोक्तानुसार देय ब्याज छोटे उद्यमों को एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में गैर अनुमत्य प्रयोजन के लिए किया गया है, वास्तव में भुगतान किया गया।		-		-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

24. अन्य वित्तीय देयताएं (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
बैंक ओवर ड्राफ्ट	12.47		5.91
देय कर्मचारी लाभ	410.50		177.55
प्रतिभूति जमा	750.73		1,017.85
के ए आई डी बी को देय	24.50		24.50
ग्राहकों को बकाया रिफण्ड	2,043.49		2,022.44
अन्य बकाया देय	595.21		851.12
	3,836.90		**4,099.37**

25. अन्य चालू देयताएं (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	5,372.94		3,260.51
सांविधिक देयताएं	934.81		1,091.86
	6,307.75		**4,352.37**

26. चालू प्रावधान (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
	कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान				
	– ग्रेच्युटी (संदर्भ टिप्पणी 33.12 (II) देखें)	608.20		1,734.68	
	– छुट्टी नकदीकरण (संदर्भ टिप्पणी 33.12 (III) देखें)	435.60		366.12	
	– निष्पादन से संबंधित वेतन/अनुग्रह राशि (संदर्भ टिप्पणी 26.2 देखें)	3,264.00		3,264.00	
	– वेतन फण्ड	10.89		725.26	
	– वेतन संशोधन	173.68	4,492.37	2,022.00	8,112.06
	अन्य				
	– आकस्मिक प्रभारों के रिफंड का प्रावधान		-		109.56
			4,492.37		**8,221.62**

26.1 **प्रावधानों की गतिविधि** (रु. लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	31 मार्च, 2019 को
कार्य निष्पादन संबद्ध वेतन/ अनुग्रह राशि सहित		-	-	3,264.00
वेतन फण्ड	725.26	(714.37)	-	10.89
वेतन संशोधन	2,022.00	(1,848.32)	-	173.68

प्रावधानों का अंतरण

(रु. लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	31 मार्च, 2019 को
कार्य निष्पादन संबद्ध वेतन/ अनुग्रह राशि सहित	3,264.00	-	-	3,264.00
वेतन फण्ड	2,631.14	(2,041.69)	135.81	725.26
वेतन संशोधन	442.00	-	1,580.00	2,022.00

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

26.2	धारित कंपनी आई टी पी ओ के संबंध में द्वितीय वेतन संशोधन आयोग के अनुसार वेतनमानों में संशोधन के बारे में निष्पादन संबंधी वेतन (पी आर पी) अनुग्रह राशि के प्रति 3,264.00 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष: 3264.00 लाख रु.) का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.4.2007 से 31.3.2017 के दौरान कंपनी के द्वारा किया गया है। सक्षम प्राधिकारी से पी आर पी अनुग्रह राशि का अनुमोदन लंबित रहते हुए 1382.66 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1574.49 लाख रु.) की राशि के तदर्थ भुगतान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से निवल वसूली राशि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से कर्मचारियों से सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से अग्रिम की कंपनी/ समायोजन के लिए प्राप्त वचनबद्धता के अध्यधीन अग्रिम का रिफण्ड/ समायोजन करने के लिए कर्मचारियों हेतु जारी की। वाणिज्य विभग ने आई टी पी ओ को सितंबर 2013 में और पुन: अक्टूबर 2017 में दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के संदर्भ में सूचित किया था कि आई टी पी ओ पीआरपी के लिए पात्र नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी 205वीं बैठक, जो 29/8/2018 को हुई थी, में यह नोट किया था कि यद्यपि डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार आई टी पी ओ, पी आर पी/ अनुग्रह राशि प्रदान कर सकता था लेकिन उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। निदेशक मंडल द्वारा पी आर पी/ अनुग्रह राशि सहित सभी वित्तीय निर्णयों पर विचार किया जाना और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमोदन प्रदान किया जाना है। पी आर पी/ अनुग्रह राशि पर निर्णय आई टी पी ओ की वित्तीय स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर है। डी पी ई के दिशानिर्देश केवल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं लेकिन कंपनी पर उनकी कोई बाध्यता नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और जारी आई ई सी सी परियोजना में व्यय किए जाने वाली भारी राशि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक मंडल द्वारा पी आर पी/ अनुग्रह राशि/ ब्याज मुक्त अग्रिम का प्रावधान नहीं किया गया। आई टी पी ओ अभी भी आई ई सी सी परियोजना कार्यान्वित कर रहा है और साथ ही 2018-19 में डी पी ई दिशानिर्देशों के तहत प्रमुख क्रियाकलापों के लिए कोई आधिक्य नहीं है, अत: वर्तमान के लिए पी आर पी/ अनुग्रह राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

27. प्रचालनों से राजस्व (रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री				
स्थान का किराया (लिवल)	19,808.74		24,549.35	
सम्मेलन केन्द्र से किराया	692.95		553.96	
सरकार से राजस्व - अनुदान	426.11		1,295.71	
बिजली व पानी प्रभारों की वसूली	667.14		1,064.24	
अन्य सेवाओं से वसूली	284.53		297.26	
होर्डिंग	238.34		298.04	
ब्राण्डिंग/ प्रायोजकता	0.32		3.27	
		22,118.13		28,061.83
अन्य प्रचालन राजस्व				
प्रवेश टिकट/ सीजनल पास की बिक्री	365.25		589.35	
अंशदान शुल्क	57.53		34.54	
विज्ञापन (प्रकाशन)	46.65		57.14	
प्रकाशनों की बिक्री	1.74		2.77	
		471.17		683.80
		22,589.30		**28,745.63**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

28. अन्य आय (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	निम्नलिखित से ब्याज आय				
	– बैंक जमा और बचत बैंक खाता	7,059.14		9,948.88	
	– अंतर कारपोरेट जमा	952.98		1,630.56	
	– कर्मचारियों को ऋण	65.96		76.40	
	– आयकर	37.59		-	
	– अन्य	2.92	8,118.59	1.95	11,657.79
	म्युचुअल फण्ड से लाभांश		5.94		9.23
	किराया (टिप्पणी 33.2 देखें)		66.00		267.15
	अन्य गैर-प्रचालनीय आय				
	परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ/ हानि	24.78		54.91	
	देयताएं/ प्रावधान अधिक समय तक अपेक्षित नहीं, पुनः लिखे गए	388.71		327.34	
	ग्राहकों से जुर्माना राशि (टिप्पणी 28.1 देखें)	494.31		461.58	
	विविध आय	251.61	1,159.41	183.24	1,027.07
			9,349.94		**12,961.24**
28.1	तृतीय पक्षकार संगठनों के द्वारा मेलों को निरस्त कर देने की वजह से 10.94 लाख रु. (31.3.2019 तक संचयी – 784.07 लाख रु.) के अमान्य जुर्माने को आय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जब कभी भी यह राशि वसूली जाएगी/ समायोजित की जाएगी, तब उसे इण्ड ए. एस. – 115 के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।				

29. कर्मचारी लाभ व्यय (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	वेतन और मजदूरी				
	वेतन, मजदूरी व भत्ते (टिप्पणी 29.1 देखें)	7,175.60		5,663.85	
	अन्य परिलब्धियां एवं भत्ते	1,537.24		980.80	
	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	8,712.84	1,580.00	8,224.65
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान				
	भविष्य निधि के लिए अंशदान (संदर्भ टिप्पणी 33.12 (I) देखें	626.57		571.30	
	पेंशन के लिए अंशदान (संदर्भ टिप्पणी 33.12 (I)	353.84		451.65	
	ग्रेच्युटी (संदर्भ टिप्पणी 33.12 (II)	338.93		338.41	
	छुट्टी नकदीकरण (संदर्भ टिप्पणी 33.12 (III)	464.15		468.72	
	अन्य निधियों के लिए अंशदान	9.44	1,792.93	10.39	1,840.47
	स्टाफ कल्याण व्यय				
	चिकित्सा व्यय	409.24		382.58	
	मृतक कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति	99.35		133.66	
	अन्य स्टाफ कल्याण व्यय	149.63	658.22	154.18	670.42
			11,163.99		**10,735.54**
29.1	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह राशि की वजह से 709.94 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 17.59 लाख रु.) शामिल।				

30. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्य ह्रास	617.48		808.24	
	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	34.96	652.44	28.59	836.83
			652.44		**836.83**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31. अन्य व्यय

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री संबंधी व्यय				
भागीदारी शुल्क		2,020.93		1,761.70
विनिर्माण एवं आंतरिक सजावट		843.89		2,121.91
प्रचार		436.99		492.61
मालभाड़ा, पैकिंग व हैंडलिंग		10.24		48.92
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शों		0.77		25.34
इंटरप्रेटर का वेतन		10.67		59.22
यात्रा एवं वाहन खनिदेशकों के बारे में 14.40 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 30.69 लाख रु.) शामिल,		251.07		360.07
विदेशी प्रतिनिधिमंडल		9.70		15.40
विनिमय अंतर (निवल)		7.52		0.33
अन्य प्रचालन व्यय				
विज्ञापन व्यय		36.02		60.73
मनोरंजन खनिदेशकों के माध्यम से रु. 1.71 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 1.20 लाख) शामिल,		34.04		53.54
कमीशन		88.12		103.79
विद्युत प्रभार		1,316.61		1,625.39
पानी प्रभार		123.88		290.42
प्रगति मैदान का रख-रखाव				
- सिविल	454.47		270.11	
- विद्युत	771.11		768.52	
- बागवानी	39.31		85.99	
- कन्जर्वेन्सी व्यवस्था	213.74	1,478.63	254.28	1,378.90
वाहनों का रखरखाव	25.52		60.64	
(कमी) : वसूलियां	(0.08)	25.44	(0.08)	60.56
प्रचालन और रखरखाव		536.25		368.03
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव		297.10		264.17
सुरक्षा व्यय		678.03		745.05
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		60.33		77.38
बीमा		14.94		15.78
विधिक व व्यावसायिक प्रभार		98.16		73.07
भर्ती व्यय		39.60		-
सेमिनार और प्रशिक्षण		7.39		13.35
पुस्तकें और पत्रिकाएं		3.07		19.33
प्रिंटिंग और स्टेशनरी		67.43		71.72
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 33.15 देखें)		523.43		389.42
प्रशासनिक प्रभार (आउटसोर्सिंग)		98.30		90.56
दरें और कर	357.83		354.74	
(घटाएं) : वसूलियां	(0.83)	357.00	(3.26)	351.48
किराया	117.64		131.37	
(घटाएं) : वसूलियां	(1.40)	116.24	(1.40)	129.97
म्युचुअल फण्ड पर उचित मूल्य हानि/ लाभ		4.36		2.88
विलंबित करों/ अनुदान पर दिया गया ब्याज		8.93		2.83
प्रावधान/ बट्टे खाते में डालना		131.81		136.65
अन्य विविध व्यय		188.61		244.65
निदेशकों का बैठक शुल्क		2.40		2.20
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
- लेखा परीक्षा शुल्क (2017.18 के लिए 2.00 लाख रुपए सहित)	9.80		5.80	
- लेखा परीक्षा शुल्क	1.00		1.00	
- व्यय की प्रतिपूर्ति (2017.18 के लिए 0.60 लाख रुपए सहित)	1.20	12.00	-	6.80
		9,939.90		**11,464.15**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

32. विशिष्ट मदें

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
	भूमि मुद्रीकरण पर बोली से संबंधित जमानत राशि सुरक्षा की प्राप्ति (देखें टिप्पणी 33.8(सी)		1,694.92		-
	आई ई सी सी परियोजना के लिए भवन गिराने पर हानि		-		(1,378.39)
	भूमि की बिक्री पर लाभ		-		1,311.81
			1,694.92		**(66.58)**

33. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनाने वाली अन्य टिप्पणियां

(रु. लाख में)

33.1	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
क)	**आकस्मिक देयताएं (देखें टिप्पणी 33.1.1)**				
	समूह कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए - विवादित देयता जो निम्नलिखित के लिए अपील में विभिन्न वर्षों के लेखों में व्यय के रूप में समायोजित नहीं :				
	आयकर (टिप्पणी 33.4 भी देखें)	833.76		587.51	
	सेवा कर	141.14		1,022.45	
	कर्मचारी भविष्य निधि (100 लाख रु. की जमा की गई राशि)	1,695.57		1,695.57	
	मनोरंजन कर	432.35		415.18	
	ई एस आई	-	3,102.82	228.81	3,949.52
	अन्य - जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		2,011.07		2,541.43
			5,113.89		**6,490.95**
ख)	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**				
	पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि पर उपलब्ध न करायी (निवल अग्रिम)		135,415.04		209,479.97
	एसोसिएट कंपनी में इक्विटी अंशदान		1,000.00		1,280.00

33.1.1 कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन तथा इसके सलाहकारों का यह मत है कि यह मांगें अपीलीय स्तर पर बढ़ावा देने योग्य नहीं हो सकती हैं। प्रबंधन का यह यकीन है कि इन कार्रवाइयों के अंतत: परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के बारे में कंपनी किसी प्रतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों के लंबित रहते हुए इन मामलों के बारे में नकद प्रभावों, यदि कोई हो, की समय अवधि का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

केलोनिवि बनाम सी सी सी एल

33.1.2 समूह कंपनी टी एन टी पी ओ के मामले में, सी पी डब्ल्यू डी के साथ निर्माण करार के तहत, कंपनी को अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी मुकदमेबाजी से उत्पन्न देनदारी को पूरा करना है। सी पी डब्ल्यू डी और कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्सियम लिमिटेड (सी सी सी एल) के बीच एक मुकदजा था, सी पी डब्ल्यू डी द्वारा कन्वेंशन सेंटर -फेज-II के निपटान के लिए ठेकेदार अनुबंध किया गया। पक्षकारों के बीच मध्यस्थता अवार्ड था ओर उसके बाद के विकास के आधार पर, कंपनी अवार्ड की तारीख से पूर्ण एवं अंतिम निपटान में वास्तविक भुगतान की तारीख तक 63.75 लाख रु. पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 80.08 लाख की आकस्मि देनदारी कंपनी पर है।

वर्ष के दौरान, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के भी मूल मध्यस्थता अवार्ड की पुष्टि की है। मामला टी एन टी पी ओ के निदेशक मंडल की 49वीं बैठक में रखा गया था और विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया था कि कन्वेंशन सेंटर के विनिर्माण के पूरा होने में 543 दिनों का विलंब सी पी डब्ल्यू डी के पर्यवेक्षण की कमी और लापरवाही के कारण था। टी एन टी पी ओ कानूनन सी पी डब्ल्यू डी के कारण कोई धनराशि जारी करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि कोई करार नहीं किया गया था। बोर्ड के निर्णय को सी पी डब्ल्यू डी को सूचित किया गया है। लेकिन सी पी डब्ल्यू डी का यह कहना है कि कार्य निक्षेप प्रकृति का है, टी एन टी पी ओ चूंकि परियोजना का स्वामी है, वह मध्यस्थ के अवार्ड का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, टी एन टी पी ओ की 50वीं बैठक में मामला पुन: टी एन टी पी ओ के बोर्ड के समक्ष रखा गया था ताकि इस लंबी अवधि से लंबित मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सके और 'बोर्ड ने यह पाया है कि यह मामला सी पी डब्ल्यू डी की मात्र लापरवाही है और पर्यवेक्षण की विफलता के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे परियोजना को पूरी करने की समय सीमा का पालन नहीं हुआ और उसके चलते अवार्ड की षोषणा की गई। बोर्ड ने यह भी महसूस किया कि मात्र सी पी डब्ल्यू डी के दिशानिर्देश अथवा मात्रा सी पी डब्ल्यू व टी एन टी पी ओ और विलोमत: पत्राचार से टी एन टी पी ओ को भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।' टी एन टी पी ओ की 51वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने परामर्श दिया कि सी पी डब्ल्यू डी को पत्र भेजा जाए, जिसमें यह कहा जाए कि टी एन टी पी ओ मुकदमे में एक पक्षकार नहीं है और इसीलिए सी पी डब्ल्यू डी से अपने स्तर पर मामले के निपटान का अनुरोध किया जाए न कि आगे पत्राचार किए जाएं। तदनुसार, सी पी डब्ल्यू डी को इस कार्यालय दिनांक 5/1/2017 के पत्र सं. टी एन टी पी ओ/ इंजी-103/2016 के तहत आवश्यक पत्र भेजा गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में, कंपनी सी पी डब्ल्यू डी के दिनांक 08.03.2017 के पत्र सं. 23(63) ए/2017/ सी सी सी आई/ डब्ल्यू-III/212 के तहत दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2019 तक 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज 1,57.82 लाख रु. (64.67 लाख (अवार्ड) + 93.14 लाख रु. की आकस्मि देयता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.2 राष्ट्रीय विज्ञान केंन्द्र/ राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय

भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐण्ड डी ओ), शहरी विकास मंत्रालय ने 7 मार्च, 2011 को 99 वर्षों के स्थायी पट्टे पर कंपनी को प्रगति मैदान परिसर के लिए 123.51 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है, जिसमें से 7.2623 एकड़ का संयुक्त क्षेत्रफल बिना पट्टा करार के दो सरकारी विभागों अर्थात् क्राफ्ट म्यूजियम और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के कब्जे में है। 10629.15 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 9982.57 लाख रु.) का संचयी किराया नहीं दिया जा रहा है और उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसकी वसूली होने की अनिश्चितता के दृष्टिकोण से किराया विगत वर्षों से लेखा बहियों में नहीं दिखाया गया है।

इसके अलावा, एल ऐण्ड डी ओ को भुगतान किए गए वार्षिक भूमि किराए संबंधी दोनों विभागों के कब्जे के क्षेत्र सहित व्यय को कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र का पट्टा विलेख कंपनी के नाम है। इसके अलावा उनके कब्जे वाले क्षेत्र के संबंध में म्युनिसिपल टेक्स का भुगतान इन दोनों विभागों द्वारा सीधे राजस्व प्राधिकारियों को किया जाता है।

33.3 प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अलावा अन्य परिसम्पत्ति की कीमत करोबार की साधारण अवधि की वसूली होने पर उस कीमत से कम नहीं होगी जिस कीमत के बारे में तुलन-पत्र में बताया है।

33.4 आयकर मामले

(i) धारक कंपनी

क. आयकर की छूट

आयकर महानिदेशक (छूट) ने 1.4.2008 से प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परंतुक के अनुसार आकलन वर्ष 2009-10 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(ग) (IV) के तहत आई टी पी ओ को प्रदान की गई आयकर छूट को वापस ले लिया था।

कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष छूट की वापसी का विरोध किया था और दिनांक 22.1.2015 को कंपनी के पक्ष में निर्णय प्राप्त हुआ और तदनुसार, आयकर मुख्य आयुक्त (छूट) ने दिनांक 2.3.2015 के आदेश के द्वारा आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से पूर्वोक्त आयकर छूट को बहाल किया।

आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 की विशेष अनुमति याचिका एस एल पी (सी) सं. 9284 दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के बारे में अंतरिम राहत/ स्थगन के लिए आयकर विभाग की प्रार्थना को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और मामले को ऐसे ही मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित अन्य एस एल पी के साथ जोड़ दिया गया है और सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित की जानी है।

यद्यपि, छूट का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, परंतु प्रबंधन का मत है कि आयकर छूट को चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा बहाल कर दिया गया है, इसलिए आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आयकर ब्याज और दण्ड के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा है।

ख. आयकर की मांग

मध्यवर्ती समय अवधि के दौरान आयकर विभाग ने धारा 10(23)(ग)(IV) के तहत छूट को अस्वीकार करते हुए आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आदेश पारित किए और 15,589.86 लाख रु. की मांग की, जिसके प्रति 1319.00 लाख रु. विरोध के तहत जमा कर दिए गए थे। इसके अलावा, विभाग के द्वारा आकलन वर्ष 2015-16 तक 11,467 लाख रु. की टी डी एस रिफण्ड रोक दिए गए हैं। आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आयकर विभाग द्वारा उठायी गई मांगों के विरुद्ध सी आई टी (अपील) के पास कंपनी के द्वारा दायर की गई अपीलों के बारे में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिए गए, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आई टी ए टी) दिल्ली में अपील दायर की है।

कंपनी ने भुगतान किए गए 11,467 लाख रु. और 1319 लाख रु. के टी डी एस रिफण्ड (कुल 12786 लाख रु.) टिप्पणी 8 में 'आयकर वसूलनीय' शीर्ष के अंतर्गत लेखों में दर्शाए गए हैं और 426 लाख रु. के सिवाय उनको 31.03.2019 को वसूली के लिए अच्छे माने गए हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान वित्त वर्ष 2016-17 के कार्यकारी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दिसंबर, 2018 में पूरा किया गया, जिसमें 1948.10 लाख की अन्य कर राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1) के तहत आय के 15 प्रतिशत लाभ को नजर अंदाज करने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के तहत छूट का लाभ दिया गया। इसमें 37.59 लाख रु. का रिफंड प्रदान किया गया था, जो कंपनी को मई, 2019 में प्राप्त हो गया है। 'आयकर/ टी डी एस वसूलनीय', नोट 8 में 2699.92 लाख रु. की कुल राशि शामिल है। कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत मूल्यांकन के पास सुधार याचिका दाखिल की गई थी, जिसका निपटान किया जाना शेष है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(ii) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)

आकलन वर्ष 2006-07 के लिए आयकर विभाग ने यह बताते हुए धारा 148 के तहत 28.03.2013 को नोटिस जारी करके आकलन को पुन: शुरू किया है कि आय का एक रास्ता है और ब्याज और दण्ड के अलावा आय को लागू करने में कमी के प्रति 149.47 लाख रु. की मांग की।

इसका विरोध करके टी एन टी पी ओ ने उक्त आकलन आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की और मांग को स्थगित करने के लिए एक आवेदन दिया। मांग के स्थगन आदेशों के अनुसार टी एन टी पी ओ ने 74.73 लाख रु. की कर मांग 50 प्रतिशत राशि (विरोध में) जमा कर दी है।

आयकर मुख्य आयुक्त, चेन्नई-III ने आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(ग)(IV) के अंतर्गत जारी आयकर छूट इस आधार पर वापस ले ली थी कि कंपनी 1.4.2008 से आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित परंतुक के अनुसार व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार के कार्यकलापों में अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है।

धारा 10 (23)(ग) (IV) के तहत जारी किए गए छूट आदेश की वापसी के परिणामस्वरूप मूल्यांकन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए मांग की है और मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा जारी की गई मांग, विरोध में जमा किया गया कर, और दायर लंबित आकलन संबंधी आई. टी. रिटर्न के अनुसार भुगतान किए गए कर की स्थिति के अलावा मामलों की स्थिति को नीचे सारणी में दिया गया है :

(रु. लाख में)

आकलन वर्ष	कुल मांग (ब्याज सहित)	लेखों के अनुसार विरोध के तहत भुगतान माना गया कुल कर (टिप्पणी 11)	लंबित मामले	26 ए एस के तहत (टी डी एस क्रेडिट, एडवांस कर भुगतान नियमित कर भुगतान, अपील भुगतान करने के लिए पूर्व जमा		
				टी डी एस क्रेडिट	कर भुगतान	कुल देय कर 26 ए एस के तहत भुगतान माना गया
2006-07	149.47	3,204.70	आयकर आयुक्त (अपील)	-	74.73	74.73
2009-10	501.00		चेन्नई उच्च न्यायालय	24.13	422.25	446.38
2010-11	358.59		चेन्नई उच्च न्यायालय	2.32	361.63	363.95
2011-12	585.56		चेन्नई उच्च न्यायालय	2.54	585.56	588.10
2012-13	968.50		आयकर आयुक्त (अपील)	33.69	964.75	998.45
2013-14	1,360.67		आयकर आयुक्त (अपील)	163.65	180.06	343.70
2014-15	992.50		आयकर आयुक्त (अपील)	242.09	750.41	992.50
2015-16	-	636.65	प्रतिफल आय के अनुसार	233.82	400.00	633.82
2016-17	960.46	652.71	आयकर आयुक्त (अपील)	235.64	446.94	682.58
2017-18		795.93	प्रतिफल आय के अनुसार	296.24	500.00	796.24
2018-19	-	1,005.49	प्रतिफल आय के अनुसार	308.06	700.00	1,008.06
2019-20	-	961.28	बही के अनुसार	344.72	615.00	959.72
कुल	**5,876.75**	**7,256.76**	**-**	**1,886.90**	**6,001.33**	**7,888.23**

*विरोध के तहत भुगतान किए गए आयकर का ब्यौरा

आयकर रिफण्ड	1,276.98
जमा - आयकर लेखा	5,633.49
प्राप्य टी डी सी - 2018.19	346.28
कुल	**7,256.75**

क) लेखा बहियों और 26 ए एस प्रणाली के बीच करों में अंतर का भुगतान किया गया माना गया, जिसका मिलान किया जाना है।

धारक कंपनी (आई टी पी ओ) ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के प्रावधान को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक रिट याचिका दायर की थी और मुकदमा जीत भी लिया था। आई टी पी ओ को 22.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली से उनके पक्ष में निर्णय मिला। परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने आई टी पी ओ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग)) (IV) के तहत आयकर में छूट प्रदान की गई है।

बोर्ड की 08.08.2013 को हुई 42वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार टी एन टी पी ओ की लेखा पुस्तकों में कर देयता का लेखांकन व्यवहार धारक कंपनी (आई टी पी ओ) के अनुसार होगा। इस प्रकार टी एन टी पी ओ भी धारक कंपनी के कार्यों का पालन कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय मद्रास में रिट दायर की गई है और मामला न्यायालय में है। टी एन टी पी ओ को धारक कंपनी आई टी पी ओ की भांति अनुकूल निर्णय की उम्मीद है, अत: धारक कंपनी आई टी पी ओ के द्वारा अपनाए गए लेखांकन व्यवहार की भांति आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर देयता हेतु कोई प्रावधान लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। विभिन्न आकलन वर्षों के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा दायर की गई अपीलें निपटान हेतु लंबित हैं। इन अपीलों का निपटान लम्बित रहते हुए कंपनी 31 मार्च, 2019 को 5661.84 लाख रु. की कुल मांग की प्रासंगिक देयता के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कुल 5512.37 लाख रु. मांग के लिए छूट की वापसी और 149.46 लाख रु. की आय के निकास की मांग शामिल है।

कंपनी वर्ष 2015-16, 2017-18 और 2018-19 के लिए आकस्मित देय है इसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है और आकस्मिक देयताओं के लिए धनराशि का निर्धारा किया जाना है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख) विभाग के टी आर ए सी ई एस पोर्टल के तहत टी डी एस अनुपालना संबंधी मांग आकस्मिक देनदारी के रूप में मानी गई है।

(iii) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)

संगठन ने 2008-09 तक के लिए आकलन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट प्राप्त कर ली थी। संगठन ने आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के लिए छूट प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत अनुमोदन को नवीकरण करने की याचिका को अस्वीकार करने के आदेश पारित किए हैं। संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक में मुख्य आयकर आयुक्त के अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दाखिल की है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी की मांग के अनुसार अनुमोदन के नवीकरण को अस्वीकार करने के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के संबंध में आदेश पारित किया है। साथ ही, विभाग को भी यह निर्देश दिया है कि भविष्य में जब भी ऐसा अवसर आए वापसी अथवा पंजीकरण के संबंध में निर्णय ले।

आकलन वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए आकलन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों को लागू करके धारा 11/10 (23ग) (iv) के तहत कंपनी द्वारा दावा की गई छूट से इन्कार किया था। आकलन वर्ष 2010-11 के लिए कोई भी देनदारी नहीं बनती क्योंकि आकलन अधिकारी द्वारा पारित आकलन आदेश के तहत वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय नहीं है। प्रत्युत्तर में कंपनी ने भारतीय आय कर आयुक्त (अपील) के समकक्ष यह कहते हुए एक अपील दाखिल की है कि कंपनी, अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित उपबंधों से प्रभावित नहीं है और कंपनी, अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट के दावे की पात्र है। इसके अलावा कंपनी के आधार की 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर आयुक्त द्वारा अपने आदेश क्रमशः दिनांक 30.08.2017, 16.06.2016 और 14.09.2017 अपील को स्वीकार करके पुष्टि की गई है। आकलन वर्ष 2010-11 के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अपील को आयकर ट्रिब्यूनल ने दिनांक 13.7.2018 के आदेश के तहत निरस्त कर दिया गया था और आकलन वर्ष 2016-17 के लिए आकलन अधिकारी के आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत दिनांक 17.3.2018 के अधिनियम की धारा 11(2) के हित समायोजित करने के दावे को अस्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया क्योंकि फार्म 10 (इलैक्ट्रोनिक मोड में) नियम तारीख के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में कंपनी ने फार्म 10 (इलैक्ट्रोनिक मोड में) भरने में विलंब को माफ करने के लिए सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दाखिल की है और अधिनियम की धारा 11(2) के तहत समायोजन की अनुमति की अपील की है। इसके अलावा विभाग ने दिनांक 28.11.2018 के परिपत्र से 7/2018 के तहत सामान्यतया फार्म 10 (इलैक्ट्रोनिक मोड में) भरने में विलंब को माफ दिया था। तथापि आयकर विभाग ने कंपनी के पक्ष में पारित आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध आकलन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के पास अपील दायर की है। 31.03.2019 तक आकलन वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए कुल मांग 637.38 लाख रु. है, जिसमें से 224.60 लाख रु. की वापसी को 412.77 लाख रु. की शेष मांग छोड़कर समायोजित किया है। इस मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है लेकिन आकस्मिक देनदारियों में शामिल है।

संगठन को आकलन वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए दिनांक 01.04.2009 से अर्थात धारा 2(15) में संशोधन की तारीख से अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत स्वीकृत अनुमोदन को वापस लेने के प्रस्ताव हेतु अपर आयकर आयुक्त (तक.) -I से नोटिस प्राप्त हुआ था। कंपनी ने उसके वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के बारे में पुनः विचार करने हेतु लिखित निवेदन दायर किए थे।

कंपनी के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। इसके प्रत्युत्तर में संगठन ने पंजीकरण रद्द न करने का अनुरोध किया था। विभाग से इस संबंध में आगे कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

31.03.2018 तक उठायी गई और समायोजित की गई मांग की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

(रु. लाख में)

आकलन वर्ष	उठायी गई मांग	रिफण्ड समायोजित	लंबित शेष	अपील दायर करने की तारीख
2013-14	238.80	70.50	168.30	15-04-2016
2014-15	158.75	83.57	75.17	14-12-2016
2016-17	239.83	70.53	169.30	23-01-19

(iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंन्द्र (एन सी टी आई)

कंपनी के आकलन वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए अपनी आय के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (पअ) के तहत छूट प्रदान की गई है और उसने उत्तरवर्ती वर्षों के लिए छूट के नवीकरण के लिए आवेदन किया है जो आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है। कंपनी ने ऐसी छूट के नवीकरण के लिए आवेदन किया था, परंतु आज तक इसके लिए स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, छूट के नवीकरण की प्रत्याशा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कंपनी को सी पी सी, बैंग्लोर से वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 30.85 लाख रु. राशि के लिए मांग नोटिस प्राप्त हुआ है और इस मामले में सी पी सी बैंगलोर और आयकर कार्यालय के समक्ष आयकर छूट प्रदान करने और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान से माफी के आदेश में संशोधन करने के लिए मामला उठाया है, इसमें 11.24 लाख रु. की हानि है और एन सी टी आई को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क (क) के तहत पंजीकृत किया गया था।

33.5 आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के अनुसार और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट दिए जाने को देखते हुए धारित कंपनी आई टी पी ओ की आय के दृष्टिगत और प्रबंधन के मतानुसार आयकर विभाग द्वारा दायर एस एल पी के बारे में उनके हक में फैसला होने की संभावना है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.6 सेवा कर मामले

(i) धारक कंपनी, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ)

(क) सेवा कर आयुक्त द्वारा कंपनी, पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए 1087.94 लाख रु. की सेवा कर की मांग की गई, जिसमें 1064.27 लाख रु. का सेवा कर और 23.68 लाख रु. ब्याज शामिल था। मांग का विरोध किया गया और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने दिनांक 22.01.2015 के अपने आदेश के तहत सेवा कर की मांग में संशोधन करके 410.41 लाख रु. किया, जिसके साथ 410.41 लाख रु. का जुर्माना तथा 0.10 लाख रु. और भुगतान की तारीख तक ब्याज इस शर्त के साथ किया गया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो 75 प्रतिशत तक जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी।

दिनांक 24.04.2015 के आदेश के खिलाफ सी ई एस टी ए टी के समक्ष अपील की गई। 09.02.2017 को सी ई एस टी ए टी के निर्देशों पर एक संशोधित अपील दायर की गई है। इसी बीच कंपनी ने दिनांक 25.02.2015 को 881.31 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ कर दिया, जिसमें सेवा कर के रूप में 410.41 लाख और 102.70 लाख रु. का जुर्माना तथा 368.20 लाख रु. का ब्याज शामिल था और यह राशि टिप्पणी 9 में 'सेवा कर वसूलनीय' शीर्ष के तहत लेखों में दर्शाई गई है। कंपनी से सेस्टेट से दिनांक 13.09.2018 को अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है और कंपनी 881.31 लाख रु. का रिफंड लेने के लिए अपील दाखिल की है।

(ख) इसके अलावा सेवा कर विभाग द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए सेवा कर (ब्याज और दण्ड की गणना नहीं) कारण बताओ नोटिस व मांग भेजे गए जो इस प्रकार हैं :

(रु. लाख में)

वर्ष	राशि
2011-12	42.77
2012-13	51.68
2013-14	46.69
कुल	**141.14**

विशेषज्ञों की राय के आधार पर कंपनी यह मानती है कि उपर्युक्त विभिन्न मामले, सेवा कर की परिधि में नहीं आते हैं, जिनके लिए मांग/ मांग सह-कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे।

अत: मांगों के बारे में कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों से विरोध किया गया है और तदनुसार कुल 141.14 लाख रु. की पूर्वोक्त मांगों के लिए 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार लेखों में कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा गया है। तथापि 141.14 लाख रु. की इस मांग को टिप्पणी 33.1 में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)

विभिन्न अवधियों में टिकटों की बिक्री से हुई आय के हिस्से पर सेवा कर की मांग के साथ जारी सेवा कर की वर्तमान स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	मूल आदेश	मूल अपील	अवधि	मांग लाख रु. में	की गई मांग पर 10 प्रतिशत पूर्व जमा	वर्तमान स्थिति
1	एस सी एन सं. 456/2011 दिनांक 13.10.2011	ओ आई ए सं. 115/2013 दिनांक 17.12.2013	ओ आई ए सं. 546 एवं 547/2016 (एस टी ए.1) दिनांक 01.09.2016	अप्रैल 06 से मई 11	19.53	2.77	दिनांक 30.11.2016 को सी ई एस टी ए टी में अपील दायर और जो अभी लम्बित है
	एस सी एन सं. 07/2013 दिनांक 17.01.2013			अप्रैल श्11 से मई 12	6.51		
2	एस ओ डी सं. 07/2014 दिनांक 25.03.2014	ओ आई ओ सं. 19/2015 दिनांक 20.07.2015	ओ आई ए सं. 126/2017 दिनांक 31.07.2017	अप्रैल 12 से जून 12	1.68		
3	एस सी एन सं. 290/2014 दिनांक 08.10.2014	ओ आई ओ सं. 84-85/2016 दिनांक 23.03.2016	ओ आई ए सं. 452/2017(सी टी ए-II) दिनांक 29.12.2017	जुलाई 12 से मार्च 13	6.16	1.23	दिनांक 14.11.2017 को सी ई एस टी ए टी में अपील दायर और जो अभी लम्बित है
	एस ओ डी सं. 16/2015 दिनांक 24.03.2015			अप्रैल 13 से मार्च 14	6.17		
4	एस ओ डी सं. 09/2016 दिनांक 06.04.2016	ओ आई ओ सं. 01/2017 दिनांक 15.06.2017	ओ आई ए सं. 453/2017(सी टी ए-II) दिनांक 29.12.2017	अप्रैल 14 से मार्च 15	5.46	1.21	दिनांक 20.03.2018 को सी ई एस टी ए टी में अपील दायर और जो अभी लम्बित है
5	एस ओ डी सं. 01/2017 दिनांक 11.01.2017	ओ आई ओ सं. 02/2017 दिनांक 15.06.2017		अप्रैल 14 से मार्च 15	6.61		
					52.12	5.21	
	उपरोक्त निपटान के लंबित रहते, टी एन टी पी ओ पर ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, को छोड़कर 52.12 लाख रु. के, सेवा कर की आकस्मिक देयता है।						

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.7 शेष राशियों की पुष्टि

व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापार संबंधी देयताओं और अन्य पक्षकारों आदि की शेष राशियां मिलान/ पुष्टि के अध्यधीन हैं। पुष्टि/ मिलान के बाद प्रभाव को यदि कोई हो पुष्टि/ मिलान के वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

33.8 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना

(क) प्रगति मैदान परिसर का पुन: विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना को 2,25,400 लाख रु. की लागत पर आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) की दिनांक 24.1.2017 को हुई बैठक में भारत सरकार ने अनुमोदन दिया था और बाद में इस लागत को संशोधित करके 2,69,851 लाख रु. कर दिया गया था। अनुमोदन के अनुसार परियोजना को 1,20,000 लाख रु. के कंपनी के संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाएगा और शेष राशि की व्यवस्था भारत सरकार से गारंटी प्राप्त करके बैंक से आवधिक ऋण से पूरी की जाएगी।

(ख) मंत्रिमंडल ने आई ई सी सी परियोजना के संबंध में 21.04.2017 को एल ऐण्ड डी ओ के द्वारा की गई 9663.42 लाख रु. की मांग को 13.06.2018 को अनुमोदित भी किया है।

(ग) इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 13.06.2018 को निजी क्षेत्र सहित तृतीय पक्षकार के द्वारा होटल का विनिर्माण एवं प्रचालन करने हेतु परियोजना के वित्तीयन के लिए प्रगति मैदान परिसर में 3.70 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को भी अनुमोदन दिया है और बैंक से उस सीमा तक ऋण कम रहेगा।

वर्ष के दौरान 5 सितारा होटल, प्रगति मैदान में डवलपर व आपरेटर के चयन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) भेजा गया था और तकनीकी रूप से दो बोलीदाता योग्य पाए गए थे। तथापि, केवल एक बोलीदाता ने दी गई आरक्षित कीमत पर बोली प्रस्तुत की और दूसरे बोलीदाता ने बोली नहीं लगाई तथा तदनुसार उसकी बोली वापस मान ली गई। वैधाता की अवधि के दौरान तकनीकी बोली खोलने के बाद आगे भाग लेने से वापसी के मामले में जब्ती का तथ्य बोली पूर्व बैठक में स्पष्ट किया गया था। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण आर एफ पी निरस्त कर दी गई।

तदनुसार, कंपनी ने 1694.92 लाख रु. की बोली सुरक्षा, 305.08 लाख निवल जीएसटी एन बी सी सी परियोजना के लिए आई टी पी ओ के परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम एल) द्वारा दिए गए सुझाव टिप्पणी सं. 30 अनुसार जब्त कर ली गई।

बोलीदाता ने अगस्त, 2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बोली प्रतिभूति की जब्ती के खिलाफ एक रिट याचिका दाखिल की है और तदनुसार उसे टिप्पणी संख्या 33.1 में 'आकस्मिक देयता' के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

(घ) एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिनांक 28.05.2018 को स्वीकृत 150000 लाख रु. का सावधि ऋण और 1,05,400 लाख रु. का सावधि ऋण और भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.03.2019 को जारी की गई है जिस पर 1103.09 लाख रु. गारंटी फीस का भुगतान किया जा चुका है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एन बी सी सी को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता (पी एम सी) के रूप में नियुक्त किया गया है और एन बी सी सी के साथ करार किया गया है।

(च) 1,32,294.53 लाख रु. के करार के अनुसार 31.03.2019 तक एन बी सी सी के द्वारा आई ई सी सी परियोजना के लिए किए गए कार्य को टिप्पणी सं. 3 में 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर है' के रूप में दर्शाया गया है, परियोजना के लिए विभिन्न विभागों/ एजेंसियों को भुगतान किए गए 2,144.77 लाख रु. के अग्रिम को टिप्पणी 9 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप 2,69,851 लाख रु. की अनुमोदित लागत के प्रति 1,35,411.70 लाख रु. की राशि टिप्पणी 31.1 में परियोजना के लिए पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के रूप में शामिल है।

33.9 चेन्नई ट्रेड सेंटर (सी टी सी) की विस्तार परियोजना

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के बोर्ड ने दिनांक 24.11.2016 को नई दिल्ली में हुई बोर्ड की 48वीं बैठक में 289 करोड़ रु. के कुल परियोजना परिव्यय की टी एन टी पी ओ के विस्तार को अनुमोदन दिया। टी एन टी पी ओ के विस्तार की विशिष्ट विशेषताओं में सुविधि भवन, रेस्टोरेंट, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली, लिफ्ट और एस्केलेटर सुविधाओं आदि जैसी अन्य सुविधाओं के सृजन के अलावा अतिरिक्त किराए योग्य प्रदर्शनी क्षेत्र - 15700 वर्ग मीटर तथा 2320 कारों की कुल कार पार्किंग सुविधा शामिल है।

तदोपरांत टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने दिनांक 30.04.2019 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 55वीं बैठक में चेन्नई ट्रेड सेंटर की विस्तार परियोजना के लिए 20,322 वर्ग मी. के किराया योग्य क्षेत्र, 2320 कारों की कार पार्किंग सुविधा, भूतल और प्रथम तल पर प्रदर्शनी हाल, बैठक कक्ष, करोबारी केन्द्र, पृथक बहुमंजिला कार पार्किंग सहित वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की स्थायी वित्त समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संशोधित डिजाइन अनुमोदित किया।

20 करोड़ रु. की टी आई ई एस अनुदान को स्वीकृति दी गई है और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 06.11.2017 के पत्र एफ सं. के- 46012/17/2017 - स्टेट्स सैल के द्वारा 10 करोड़ रु. की पहली किस्त जारी की गई थी। सी टी सी की विस्तार परियोजना के लिए टी आई ई एस से प्राप्त सरकारी अनुदान के रूप में इसको अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं. 12) के तहत प्रकट किया गया है।

टी एन टी पी ओ के विस्तार परियोजना के लिए आंतरिक संभूति से 85 करोड़ रु., टी आई ई एस अनुदान से 20 करोड़ रु., और बैंक ऋण से 184 करोड़ रु. के रूप में वित्तीयन पैटर्न को टी एन टी पी ओ के बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया था और प्रस्ताव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

सी टी सी की विस्तार परियोजना माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा एस एफ सी वाणिज्य विभाग की सिफारिश के अनुसार दिनांक 21.08.2018 के पत्रांक 2(2)/2017 - टी पी चयन के तहत अनुमोदन दिया जा चुका है। तदोरांत धनराशि के स्रोत में संशोधन कर आंतरिक प्राप्ति से 120 करोड़ रु., टी आई ई एस अनुदान से 20 करोड़ रु. और वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण के रूप में 149 करोड़ रु., कुल मिलाकर 289 करोड़ रु. जुटाने का निर्णय लिया गया।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.10 इंटरनेशनल अम्युजमेंट लिमिटेड (आई ए एल) - अप्पू घर

इंटरनेशनल अम्युजमेंट लिमि. (आई ए एल) - अप्पू घर, जो प्रगति मैदान में एक पूर्व लाइसेंसी है, द्वारा दिनांक 04.01.2018 के करार के तहत आई टी पी ओ को 1032.94 लाख रु. की राशि का भुगतान करना था, जिसमें से 100 लाख रु. का भुगतान 1.5.2018 को कर दिया गया था और शेष 932.94 लाख रु. की राशि 233 लाख रु. प्रत्येक की चार समान किस्तों में भुगतान की जानी थी। तथापि, आई ए एल ने तिमाही किस्तों का भुगतान करने में चूक की और केवल 100 लाख रु. का ही दिनांक 1.11.2018 को भुगतान किया।

चूक होने पर कंपनी ने मामला संपदा अधिकारी, प्रगति मैदान के समक्ष प्रेषित किया। संपदा अधिकारी ने दिनांक 19 फरवरी, 2019 के आदेश के तहत आई टी पी ओ को करार के समय आई ए एल द्वारा जमा की गई कारपोरेट गारंटी और व्यक्तिगत गारंटी को जब्त कर अपनी देय राशि को वसूलने के लिए कानूनी तरीका अपनाने की अनुमति दे दी। आदेश में आई ए एल को सार्वजनिक परिसर, अधिनियम 1971 के तहत की जाने वाली वसूली की भी अनुमति प्रदान कर दी। तद्नुसार, कंपनी ने आदेश पालन करते हुए संबंधित राजस्व प्राधिकारी को अनुरोध किया है।

इसके परिणामस्वरूप भूमि सुधार अधिनियम, 2013 के तहत आई ए एल की संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट दिनांक 3.5.2019 को संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। अब आई ए एल ने 2019-20 के दौरान कंपनी के पास 60.00 लाख रु. जमा कर दिए हैं। अत: 260.00 लाख रु. की वसूली आई ए एल से की जा चुकी है।

इंड ए एस 115 के तहत 2018-19 के दौरान 200 लाख रु. की राशि और उसके बाद आगे 60.00 लाख रु. की राशि आई ए एल की कर्जदारी में से समायोजित की जा चुकी है और 260 लाख रु. के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान पुन: किया गया है। करार के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज उस अनिश्चित समझी गई राशि की वसूली के रूप में इंड ए एस 115 के अनुसार शामिल नहीं किया गया है।

33.11 पट्टे

धारित कंपनी आई टी पी ओ की महत्वपूर्ण पट्टा-व्यवस्थाएं उसके पट्टे वाले कार्यालय परिसरों तथा संपत्तियों संबंधी प्रचालन पट्टों के बारे में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, निरस्त करने लायक होती हैं, वे परस्पर सहमति से सामान्य तौर पर नवीकरणीय होती हैं। कुल पट्टा किराया आय और भुगतान किया गया पट्टा किराया क्रमश: टिप्पणी 28 और 31 में प्रकट किए गए हैं।

33.12 कर्मचारी लाभ

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

I परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि

धारक कंपनी (आई टी पी ओ) निर्धारित दरों पर आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान करती है, जिसका निवेश ट्रस्ट अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और इसी कमी को अपना व्यय मानती है।

समूह कंपनी (टी एन टी पी ओ) ई पी एफ ओ की निर्धारित दरों पर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि संबंधी अपने अंशदान का भुगतान करती है। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा आय और व्यय विवरण में शामिल है।

समूह कंपनी (के टी पी ओ) भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है क्योंकि यह वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं है।

पेंशन निधि

कंपनी को आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट के लिए कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ की विशिष्ट राशियों के लिए अंशदान देने का दायित्व है। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है और आय एवं व्यय विवरण में रखा जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए भी बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में आय और व्यय विवरण में किया गया व्यय नीचे दिए गए अनुसार है:

(रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	626.57	571.30
पेंशन निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	353.84	451.65
	980.41	**1,022.95**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

II. परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। इस योजना को वित्त-पोषित किया जाता है। आई टी पी ओ के मामले में ट्रस्ट के कार्यों की एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट प्रबंध व्यवस्था करता है। एल आई सी के द्वारा ट्रस्ट की निधियों की व्यवस्था की जाती है। बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर कंपनी की लेखा-पुस्तकों में यह मान्य है। इस विषयक कंपनी के नियमों/ डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस कर्मचारी ने 5 वर्ष अथवा अधिक की लगातार सेवा की है, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से ग्रेच्युटी [15/26x (लिया गया अंतिम वेतन + महंगाई भत्ता] पाने का हकदार है।

i. आय और व्यय विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
ब्याज लागत	131.30	114.20
वर्तमान सेवा लागत	207.63	224.21
आय और व्यय लेखे के विवरण में मान्य व्यय वर्ष के लिए वास्तविक लाभ/ हानि	338.93	338.41
वर्ष के लिए अमान्य बीमांकिक लाभ/ (हानि)	7.08	5.05
जनसांख्यिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन की वजह से लाभ/ हानि	(0.87)	4.83
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन की वजह से लाभ/ हानि	(17.35)	(110.76)
अनुभव पूर्वानुमान में परिवर्तन की वजह से लाभ/ हानि	(260.30)	112.52
वर्ष का मान्य ओ सी आई	**(271.44)**	**11.64**

ii. तुलन पत्र में मान्य धनराशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,092.48	6,288.31
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों की फेयर वेल्यू	5,480.95	4,558.72
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता	611.53	1,729.59
फण्डेड (अनफण्डेड) स्थिति	(611.53)	(1,729.59)

iii. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,288.31	5,932.97
प्रारंभ में अंतर	-	30.76
अधिग्रहण में	-	11.51
ब्याज लागत	477.91	421.09
वर्तमान सेवा लागत	207.63	224.21
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(1,159.94)	(325.70)
बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	278.57	(6.53)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**6,092.48**	**6,288.31**

iv. परिपक्वता रूप रेखा : (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
0 से 1 वर्ष	1188.06	1,033.68
1 से 2 वर्ष	7.06	869.60
2 से 3 वर्ष	68.89	524.25
3 से 4 वर्ष	496.85	426.13
4 से 5 वर्ष	486.05	458.94
5 से 6 वर्ष	257.53	478.94
6 वर्ष से अधिक	2289.94	2,495.63

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण: (रु. लाख में)

	2018-19
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,092.48
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(145.54)
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	152.08
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,092.48
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	131.23
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	(195.03)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

vi. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है: (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
छूट दर ##	7.53 % प्रति वर्ष	7.60 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर ###	6.00 % प्रति वर्ष	6.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006.08 अंतत %	आई ए एल एम 2006-08 अंतत %
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00 % प्रति वर्ष	2.00 % प्रति वर्ष

टिप्पणी:

ग्रेच्युटी के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा ली गई छूट दर 31.03.2019 और 31.03.2018 के लिए क्रमश: 7.26 प्रतिशत और 7.59 प्रतिशत है।

उपर्युक्त बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा ली गई वेतन वृद्धि दर 31.03.2019 और 31.03.2018 के लिए क्रमश: 8.00 प्रतिशत और 8.00 प्रतिशत है।

vii. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान : (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
सेवा लागत	**217.07**	**232.89**
निवल ब्याज लागत	**45.78**	**131.07**
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	**262.85**	**363.96**

viii. योजनागत परिसंपत्तियों का मुख्य वर्गीकरण (कुल योजनागत परिसंपत्तियों की प्रतिशतता अनुसार) (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
बीमाकर्त्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	**100%**	**100%**
कुल	**100%**	**100%**

ix. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,544.59	4,278.51
परियेजना निधि पर ब्याज-आय	1.34	1.04
अवधि के प्रारंभ में फंड में अंतर	-	54.99
परियोजना परिसम्पत्ति पर वास्तविक प्राप्ति	362.84	320.70
कमी : एफ एम सी प्रभार	(10.44)	(9.75)
नियोक्ता अंशदान	1,728.44	226.55
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	30.76
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**6,626.77**	**4,902.80**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

III. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की योजना धारक कंपनी और टी एन टी पी ओ में वित्त पोषित नहीं होती है। यह बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तिकाओं में मान्य है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश (ई एल)और अर्द्धवेतन अवकाश (एच पी एल) लाभ का नकदीकरण क्रमश: 30 दिनों और 20 दिनों की दर से वार्षिक आधार पर होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण है, जो न्यूनतम शेष 30 दिनों को छोड़ते हुए एक कलैण्डर वर्ष में एक बार अधिकतम 60 दिनों के अध्यधीन है। तथापि, एक वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक कलैण्डर वर्ष में दो बार अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति है जो इस परंतुक के अध्यधीन है कि 30 दिनों की अर्जित छुट्टियां सदैव जमा होनी चाहिए। अर्जित छुट्टियां भी नकदीकरण योग्य होती हैं जो सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर अधिकतम 300 दिनों तक होती हैं। अर्द्ध-वेतन छुट्टी कंपनी की नियमावली के अनुसार अधिकतम 300 दिनों तक सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर ही नकदीकरण योग्य हैं। 300 दिनों की ई एल और एच पी एल के नकदीकरण की समग्र सीमा सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि के समय पर नियत होती है। इसे संयुक्त नियंत्रित संस्था (एन सी टी आई) के मामले को छोड़कर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर समूह की बहियों में मान्य किया गया है, जिसमें अवकाश नकदीकरण व्यय को रोटेशनल पद्धति के आधार पर मान्य किया गया है। समूह कंपनी (के टी पी ओ) के मामले में, उसकी छुट्टी नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी की कोई देनदारी नहीं है क्योंकि इसके कर्मचारी कर्नाटक सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन, पेंशन अंशदान प्रदान किए जाते हैं, जो आय और व्यय खाते में डाला जाता है।

i. आय और व्यय विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
ब्याज लागत	195.09	191.72
विद्यमान सेवा लागत	105.80	103.78
अवधि में मान्य निवल बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	163.26	171.49
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय:	**464.15**	**466.99**

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,478.70	2,566.91
तुलन-पत्र में मान्य निवल देयता और संबद्ध विश्लेषण	2,478.70	2,566.91
अनफण्डेड स्थिति	(2,478.70)	(2,566.91)

iii. दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

	2018-19	2017-18
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2566.91	2715.28
		4.77
ब्याज लागत	195.09	191.72
विद्यमान सेवा लागत	105.80	103.78
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(552.36)	(620.13)
बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	163.26	171.49
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,478.70**	**2,566.91**

iv. परिपक्वता रूप रेखा: (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
0 से 1 वर्ष	435.64	366.12
1 से 2 वर्ष	57.25	355.62
2 से 3 वर्ष	228.79	233.56
3 से 4 वर्ष	295.60	284.25
4 से 5 वर्ष	212.72	204.58
5 से 6 वर्ष	249.89	228.22
6 वर्ष से अधिक	999.05	890.69

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

	v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण:		**(रु. लाख में)**
			2018-19
	क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव		
	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		2,478.69
	क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव		(56.15)
	ख) 0.50 % कमी का प्रभाव		58.73
	ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव		
	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		2,478.69
	क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव		59.31
	ख) 0.50 % कमी का प्रभाव		(57.20)
	vi. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है:		**(रु. लाख में)**
		31 मार्च, 2019 को	**31 मार्च, 2018 को**
	छूट दर ##	7.53 % प्रति वर्ष	7.60 % प्रति वर्ष
	वेतन वृद्धि दर	6.00 % प्रति वर्ष	6.00 % प्रति वर्ष
	मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006-08 अंतत %	आई ए एल एम 2006-08 अंतत %
	निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00 % प्रति वर्ष	2.00 % प्रति वर्ष
	## अवकाश नकदीकरण के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा ली गई छूट दर 31.03.2019 और 31.03.2018 के लिए क्रमशः 7.17 प्रतिशत और 7.63 प्रतिशत है।		
	### अवकाश नकदीकरण टी एन टी पी ओ द्वारा ली गई वेतन वृद्धि दर 8.00 प्रतिशत है।		
	#### अवकाश नकदीकरण के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के लिए ली गई निकासी दर 2 प्रतिशत है।		
	vii. चालू और गैर चालू देयता के लिए वर्ष के अंत में पी बी ओ का बंटवारा		**(रु. लाख में)**
		2018-19	**2017-18**
	वर्तमान देयता (1 वर्ष के भीतर देय राशि)	435.60	**366.12**
	गैर वर्तमान देयता (1 वर्ष से अधिक देय राशि)	2,043.10	**2,200.79**
	कुल पी बी ओ वर्ष के अंत में	2,478.70	**2,566.91**
33.13	**प्रति शेयर आय**		
		31 मार्च, 2019 को	**31 मार्च, 2018 को**
	वर्ष का अधिशेष (रु. लाख में)	9,855.77	16,124.04
	इक्विटी शेयर (सं.)	25,000.00	25,000.00
	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (रुण)	100.00	100.00
	प्रति शेयर आय (मूल/ कम) (रु. लाख में)	0.39	0.64

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.14 संबद्ध पक्षकार प्रकटन

(क) अन्य संबद्ध पक्षकारों की सूची

संबद्ध पक्षकारों का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	संबंध का स्वरूप
आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	कर्मचारी को नियोजन के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट	भारत	कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना
तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमि. (टी आई डी सी ओ)	भारत	सहायक कंपनी का सह-प्रवर्तक - टी एन टी पी ओ
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी)	भारत	सहायक कंपनी का सह-प्रवर्तक - के टी पी ओ

(रु. लाख में)

(ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन	2018-19	2017-18
आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास		
कंपनी के द्वारा अंशदान	2,132.09	1,913.20
आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि न्यास		
कंपनी के द्वारा अंशदान	1,724.56	215.70
आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास		
कंपनी के द्वारा अंशदान	1,166.71	2,294.65
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी)		
सेवाओं के लिए देय	5.00	5.00

(ग) संबद्ध पक्षकारों के पास बकाया शेष		(रु. लाख में)
विवरण	**31.03.2019**	**31.03.2018**
(i) **कम्पनी के द्वारा देय**		
आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास	12.53	15.76
आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि न्यास	608.02	1,724.56
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) - सह-प्रवर्तक	0.01	605.00
(ii) **कम्पनी के द्वारा प्राप्य**		
आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास	-	0.01
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) - सह-प्रवर्तक	86.42	81.43

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(घ)	**मुख्य प्रबंधक कार्मिक**	
	नाम	**धारित पद**
	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री दीपक कुमार (18.06.2019 तक)	कार्यकारी निदेशक
	श्री रजनीश (25.06.2019 से 27.08.2019 तक)	कार्यकारी निदेशक
	श्री राजेश अग्रवाल (28.08.2019 से)	कार्यकारी निदेशक
	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे (30.06.2019 तक)	नामित निदेशक
	श्री संजय चड्ढा (09.12.2018 तक)	नामित निदेशक
	श्री मनोज के. भारती (24.12.2018 से 30.06.2019 तक)	नामित निदेशक
	सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा	नामित निदेशक
	श्री विनोद के. जैकब (23.12.2018 तक)	नामित निदेशक
	श्री प्रवीन बोनिगला (10.12.2018 से 21.06.2019 तक)	नामित निदेशक
	श्री शशांक प्रिया (28.08.2019 से)	नामित निदेशक
	श्री पी. हरीश (01.07.2019 से)	नामित निदेशक
	श्रीमती निधि मणि त्रिपाठी (28.08.2019 से)	नामित निदेशक
	श्री पी. एन. विजय (09.06.2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक
	श्री डी एम शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री एस आर साहू	कंपनी सचिव
	समूह कंपनी - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	वी. आर. सुब्बूलक्ष्मी	प्रबंध निदेशक
	समूह कंपनी - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	श्री टी हलास्वामी	प्रबंध निदेशक
	डॉ. वीरन्ना एस. एच.	प्रबंध निदेशक
	टिप्पणी: संबद्ध पक्षकारों और उनके संबंध संबंधित कम्पनी से पहचान किए अनुसार है।	

(ङ)	**प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लिए मुआवजे**					
	व्यक्ति का नाम	**पदनाम**	**वेतन एवं भत्ते**	**सुविधाएं**	**कुल पारिश्रमिक**	
					(रु. लाख में)	
	धारक कंपनी - इण्डिया ट्रेड प्रमोश आर्गनाइजेशन				**2018-19**	
1	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	23.36	25.67	49.02	
2	श्री दीपक कुमार	कार्यकारी निदेशक	29.28	1.39	30.66	
3	श्री पी एन विजय 2.40 लाख रु. सिटिंग फीस (टिप्पणी 31 देखें)	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	
4	श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	31.07	-	31.07	
5	श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव	25.00	-	25.00	
	समूह कंपनी - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन					
1	वी. आर. सुब्बूलक्ष्मी	प्रबंध निदेशक	14.83	-	14.83	
	समूह कंपनी - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन					
1	श्री टी हलास्वामी	प्रबंध निदेशक	-	-	-	
2	डॉ. वीरन्ना एस. एच.	प्रबंध निदेशक	19.11	-	19.11	

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(रु. लाख में)

	व्यक्ति का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	सुविधाएं	कुल पारिश्रमिक
					2017-18
	धारक कंपनी - इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
1	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14.14	9.60	23.74
2	श्री दीपक कुमार	कार्यकारी निदेशक	22.64	0.95	23.59
3	श्री पी एन विजय 2.40 लाख रु. सिटिंग फीस (संदर्भ टिप्पणी 31 देखें)	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
4	श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	25.09	-	25.09
5	श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव	19.83	0.01	19.84
	समूह कंपनी - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
1	श्री एस विसाकन	प्रबंध निदेशक	14.69	0.35	15.04
	समूह कंपनी - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
1	श्री टी हलास्वामी	प्रबंध निदेशक	5.55	-	5.55
2	डॉ. वीरन्ना एस. एच.	प्रबंध निदेशक	8.22	-	8.22

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.15 कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

(i) धारक कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी के द्वारा एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी. एस. आर.; समिति का गठन किया गया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) पर आधारित सी एस आर व्यय के प्रति 312.01 लाख रु. की राशि देय है। वर्ष के दौरान व्यय की गई। व्यय करने के लिए लंबित राशि का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान नकद व्यय की गई राशि	31 मार्च, 2019 को नकद भुगतान की जाने वाली राशि	कुल राशि
– 01.04.2018 को पूर्व वर्ष के लिए लंबित पड़ी कुल राशि			**356.39**
– वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			**312.01**
– वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि			
क. परिसंपत्तियों का निर्माण/ अधिग्रहण		-	**-**
ख. निम्नलिखित सामाजिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/ एन जी ओ/ ट्रस्ट आदि हेतु अंशदान			
– स्वच्छता		100.00	**100.00**
– शिक्षा		25.00	**25.00**
– सामाजिक कल्याण	7.25	61.80	**69.05**
– सौर ऊर्जा		233.00	**233.00**
– पौधारोपण		10.00	**10.00**
	7.25	**429.80**	**437.05**
– 31.03.2019 को लंबित पड़ी सकल राशि (विगत वर्ष की राशि सहित)			**231.35**

(ii) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बने नियमों के तहत यह विनिर्दिष्ट है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान 500 करोड़ रु. या अधिक की निवल संपत्ति अथवा 1000 करोड़ रु. या अधिक के कारोबार अथवा 5 करोड़ रु. या अधिक के निवल लाभ वाली कोई कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी हर वित्त वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अनुसरण में खर्च करता है। कपंनी अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रावधान एक धारा 8 कंपनी तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण इस प्रकार हैं :–

(रु. लाख में)

विवरण			**कुल**
विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ			2,821.54
निर्धारित सी एस आर व्यय (उपरोक्त गणना के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)			56.43
वित्तीय वर्ष के दौरान सी एस आर व्यय का विवरणरू			
वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि (बोर्ड के अनुमोदन अनुसार)			56.43
वर्ष 2017–18 के लिए व्यय की गई धनराशि			56.38
वर्ष 2016–17 के लिए अव्ययित धनराशि			शून्य

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(iii) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बने नियमों के तहत यह विनिर्दिष्ट है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान 500 करोड़ रु. या अधिक की निवल संपत्ति अथवा 1000 करोड़ रु. या अधिक के कारोबार अथवा 5 करोड़ रु. या अधिक के निवल लाभ वाली कोई कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी हर वित्त वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अनुसरण में खर्च करता है। कपंनी अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रावधान एक धारा 8 कंपनी कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण इस प्रकार हैं :-

(रु. लाख में)

विवरण	के टी पी ओ
	राशि रु. में
विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ	475.40
निर्धारित सी एस आर व्यय (उपरोक्त गणना के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)	9.51
वित्तीय वर्ष के दौरान सी एस आर व्यय का विवरणरू	
वर्ष 2018-19 के व्यय के लिए प्रतिबद्ध की गई राशि	30.00
वर्ष 2017-18 के लिए व्यय की गई धनराशि	6.94
वर्ष 2016-17 के लिए अव्ययित राशि	8.52
वर्ष 2015-16 के लिए अव्ययित राशि	8.82
वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित राशि	6.81

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.16 I वित्तीय संसाधन - उचित मूल्य माप एवं वित्तीय जोखिम प्रबंध

उचित मूल्य माप

(रु. लाख में)

क. श्रेणी के द्वारा वित्तीय संसाधन

	31 मार्च, 2019 को स्थिति		31 मार्च, 2018 को स्थिति	
	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू परिसंपत्तियां				
ऋण	-	449.60	-	521.22
चालू परिसंपत्तियां				
निवेश	80.33	-	78.75	-
व्यापार प्राप्य	-	950.42	-	936.18
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	8,059.56	-	4,059.02
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	68,077.15	-	116,112.64
ऋण	-	1,642.72	-	2,189.18
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	-	6,213.76	-	31,383.30
	80.33	85,393.21	78.75	155,201.54
वित्तीय देयताएं				
चालू देयताएं				
ऋण	-	-	-	605.00
व्यापार प्राप्य	-	1,959.00	-	1,898.12
अन्य वित्तीय देयताएं	-	3,836.90	-	4,099.37
	-	5,795.90	-	6,602.49

ख. उचित मूल्य क्रम

यह भाग वित्तीय साधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने में लिए गए निर्णयों और अनुमान के बारे में बताता है जो हैं :
(क) उचित मूल्य पर मान्य और निर्धारित, तथा
(ख) परिशोधित लागत पर निर्धारित और जिनके लिए उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

कंपनी मूल्य निर्धारण तकनीकों के द्वारा वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने एवं प्रकट करने के लिए निम्नलिखित क्रम का उपयोग करती है :

लेवल 1- समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (समायोजित नहीं)

लेवल 2- वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य के बारे में किसी सक्रिय बाजार में लेन-देन नहीं होता है जिनका मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है, जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों के उपयोग को न्यूनतम करते हैं और संस्था विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम विश्वास वाले होते हैं। यदि किसी संसाधन की उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण निवेश दर्शनीय हों, तो संसाधन को लेवल-2 में शामिल किया जाता है

लेवल 3- परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए निवेश जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं होते हैं।

उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता के बारे में कोई संकेत उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों पर अपने वित्तीय संसाधनों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया गया है :

उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य निर्धारण

(रु. लाख में)

	31.03.2019 को			31 मार्च, 2018 को		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफ वी टी पी एल पर वित्तीय निवेश						
निवेश						
म्युचल फण्ड	80.33	-	-	78.75		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**80.33**	**-**	**-**	**78.75**	**-**	**-**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधन लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित मूल्य प्रकट की जाती है। (रु. लाख में)

	31.03.2019 को			31 मार्च, 2018 को		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू परिसंपत्तियां						
ऋण	-	-	449.60	-	-	521.22
चालू परिसंपत्तियां						
क) व्यापार प्राप्य	-	-	950.42	-	-	936.18
ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	8,059.56	-	-	4,059.02
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	-	-	68,077.15	-	-	116,112.64
घ) ऋण	-	-	1,642.72	-	-	2,189.18
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	6,213.76	-	-	31,383.30
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	**85,393.21**	-	-	**155,201.54**
वित्तीय देनदारियां						
चालू देनदारियां						
ऋण	-	-	-	-	-	605.00
व्यापार प्राप्य	-	-	1,959.00	-	-	1,898.12
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	3,836.90	-	-	4,099.37
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	**5,795.90**	-	-	**6,602.49**

ग. **परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और उनकी उचित मूल्य :** (रु. लाख में)

			31.03.2019 को		31 मार्च, 2018 को	
			निहित मूल्य	उचित मूल्य	निहित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू परिसंपत्तियां						
ऋण			449.60	449.60	521.22	521.22
चालू परिसंपत्तियां						
क) व्यापार प्राप्य			950.42	950.42	936.18	936.18
ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य			8,059.56	8,059.56	4,059.02	4,059.02
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया			68,077.15	68,077.15	116,112.64	116,112.64
घ) ऋण			1,642.72	1,642.72	2,189.18	2,189.18
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			6,213.76	6,213.76	31,383.30	31,383.30
			85,393.21	**85,393.21**	**155,201.54**	**155,201.54**
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू परिसंपत्तियां						
ऋण			-	-	605.00	605.00
व्यापार प्राप्य			1,959.00	1,959.00	1,898.12	1,898.12
अन्य चालू वित्तीय देयताएं			3,836.90	3,836.90	4,099.37	4,099.37
			5,795.90	**5,795.90**	**6,602.49**	**6,602.49**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयता, नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य चालू परिसंपत्तियां और देयताओं की निहित राशियां उनकी अल्प अवधि स्वरूप की वजह से उनकी उचित मूल्य की भांति वही मानी जाती हैं।

ऋणों की उचित मूल्य को एम सी एल आर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाहों/ एस बी आई की बेस दर के आधार पर गणना की गई थी। उनको प्रतिपक्ष क्रेडिट सहित न दिखने वाले निवशों को शामिल करने की वजह से उनके उचित मूल्य क्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वगीकृत किया जाता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

II **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल हैं। कंपनी की मूल वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकदी और नकदी समतुल्य तथा अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रचालनों से चलते हैं। कंपनी म्युचुअल फण्ड में भी निवेश करती हैं कंपनी के कार्यकलापों में यह कुछ वित्तीय जोखिमों, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्युडिटी (तरलता) जोखिम में दिखता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिससे किसी वित्तीय संसाधन के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य बाजार कीमतों में परिवर्तनों की वजह से घट-बढ़ होंगी। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियां शामिल होती हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया और विदेशी मुद्रा लेन-देनों से हुए नगण्य विदेशी मुद्रा जोखिमों को दर्शाया है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए किसी विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव नहीं करती है।

(रु. लाख में)

विदेशी मुद्रा (एफ सी)	टिप्पणी सं.	मुद्रा चिह्न	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
			एफ सी	आई एन आर	एफ सी	आई एन आर
परिसंपत्तियां						
नकदी और नकदी समतुल्य	12					
बैंक में शेष - चालू और बचत लेखा						
येन		¥	7.9215	5.01	7.9215	4.77
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.0605	4.21	0.0605	3.89
हाथ में नकदी						
यूरो		€	-	-	0.0307	2.41
येन		¥	-	-	1.6887	1.02
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.0691	4.89	0.0194	1.25
रसियन रूबल		₽	0.0016	0.00	-	-
तुर्किश लीरा		₺	0.0148	0.18	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियां	16					
विक्रेताओं के लिए अग्रिम (अप्रतिभूतित)						
येन		¥	35.7991	22.07	12.9895	7.82
यूरो		€	0.0423	3.25	2.6355	207.59
यूरो		€	0.0020	0.15	0.0668	5.26
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.1832	12.60	1.0606	68.20
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	0.5950	40.92	0.0500	3.22
डच मार्क		DEM	-	-	0.0438	2.98
विविध जमा (अप्रतिभूतित)						
संयुक्त राज्य अमरीकी डॉलर		$	-	-	0.0141	0.91
मलेशियाई रिंगिट		MYR	-	-	0.0035	0.06
देयताएं						
व्यापार देय राशियां	23					
यूरो		€	0.0070	0.55	1.1776	94.79
येन		¥	67.6306	42.81	-	-
निवल परिसंपत्तियां (भारतीय मुद्रा में)				**49.92**		**214.59**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है, जिससे बाजार ब्याज दर में परिवर्तन होने की वजह से वित्तीय संसाधनों के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य में घट-बढ़ होगी। कंपनी की नीतियों और जोखिम संबंधी उद्देश्यों के अनुसार कंपनी अपने ब्याज जोखिम की प्रबंध-व्यवस्था करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में बैंकों में जमा राशियां और एन बी एफ सी के पास अंत: कारपोरेट जमा राशि आदि शामिल होती हैं। इन वित्तीय संसाधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ब्याज दर का वित्तीय संसाधनों की अवधि के लिए निर्धारण किया जाता है।

ख) क्रेडिट जोखिम

यदि वित्तीय संसाधनों का ग्राहक अथवा प्रतिपक्षकार उसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम क्रेडिट जोखिम होता है और यह ग्राहकों तथा निवेश से कंपनी के प्राप्यों के कारण मूलत: होता है। क्रेडिट जोखिम, बकाया लेखे प्राप्यों सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रखी नकदी और ग्राहकों के लिए दर्शायी क्रेडिट होता है। क्रेडिट जोखिम के लिए अधिक प्रदर्शन वित्तीय परिसंपत्तियों के निहित मूल्य के बराबर होता हैं। प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम की प्रबंध व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानियों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, विगत अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

(i) संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

31 मार्च, 2019 को यथास्थिति

क) सरल संकल्पना के तहत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि :

एजिंग	< 6 एम	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल निहित राशि	707.18	30.90	102.48	60.96	1,150.60	2,052.12
संभावित क्रेडिट दर	1.52%	0.00%	4.69%	18.09%	93.44%	53.69%
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान एलाउंस)	(10.76)	-	(4.80)	(11.03)	(1,075.11)	(1,101.70)
व्यापार प्राप्यों की सकल निहित राशि	**717.94**	**30.90**	**97.68**	**49.93**	**75.49**	**950.42**

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	निहित मूल्य	चूक की संभावित संभाव्यता	संभावित क्रेडिट हानि	संभावित क्रेडिट हानि निवल निहित राशि
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम को बढ़ाया गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	911.34	0.11%	1.00	910.34
		जमा कार्य संबंधी बकाया	91.75	100.00%	91.75	-
			1,003.09	**9.25%**	**92.75**	**910.34**

31 मार्च, 2018 को यथास्थिति

क) सरल संकल्पना के तहत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि :

एजिंग	< 6 एम	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल निहित राशि	543.21	63.72	132.47	79.43	1,365.84	2,184.67
संभावित क्रेडिट दर	0.00%	0.00%	1.94%	0.00%	91.22%	57.15%
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान एलाउंस)			(2.57)		(1,245.92)	(1,248.49)
व्यापार प्राप्यों की सकल निहित राशि	**543.21**	**63.72**	**129.90**	**79.43**	**119.92**	**936.18**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	निहित मूल्य	चूक की संभावित संभाव्यता	संभावित क्रेडिट हानि	संभावित क्रेडिट हानि निवल निहित राशि
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम को बढ़ाया गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	732.82	2.93%	21.47	711.35
		जमा कार्य संबंधी बकाया	91.75	45.48%	41.73	50.02
			824.57	**7.66%**	**63.20**	**761.37**

ग) तरलता जोखिम

तरलता (नगदी) जोखिम वह जोखिम होता है जिसको कंपनी निपटारा नहीं करेगी अथवा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकेगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है कि उसके पास प्राय: पर्याप्त तरलता होती है जिससे कि देय होने पर राशि की पूर्ति हो सके। कंपनी यथासंभव यह सुनिश्चित करके अपने लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है कि देय होने पर अपने देयताओं को पूरा करने के लिए इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी होगी।

कंपनी का वित्त प्रभाग लिक्विडिटी वित्तीयन तथा निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियों का वरिष्ठ प्रबंधन के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
i) वित्तीय परिसंपत्तियां				
क) निवेश	80.33		78.75	
ख) व्यापार प्राप्य	950.42		936.18	
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8,059.56		4,059.02	
घ) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	68,077.15		116,112.64	
ङ) ऋण	1,642.72		2,189.18	
छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6,213.76	**85,023.94**	31,383.30	**154,759.07**
ii) वित्तीय देयताएं				
क) ऋण	-		605.00	
ख) व्यापार प्राप्य	1,959.00		1,898.12	
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	3,836.90	**5,795.90**	4,099.37	**6,602.49**
निवल चल पूंजी		**79,228.04**		**148,156.58**

33.17 **पूंजीगत प्रबंधन**

कंपनी के चल पूंजी प्रबंधन के लिए पूंजी में निर्गम इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान और अन्य इक्विटी के रूप में मानी गई धारित आय शामिल है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.18 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की सेगमेंट रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन सेगमेंटों की पहचान की जाती है। निदेशक बोर्ड सामूहिक रूप से इण्ड ए एस 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय लेने वाला' (सी ओ डी एम) होता है।

(रु. लाख में)

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	**विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां**	**अनिर्धारित**	**कुल**
राजस्व बाह्य	20,610.71	3,183.51	2,687.26	26,481.48
	(26916.65)	(4092.52)	(335.18)	(31344.35)
इंटर सेगमेंट	-	-	-	-
कुल राजस्व	16,210.55	5,067.80	1,716.40	22,994.75
	(15871.5)	(5463.56)	(2964.90)	(24299.97)
सेगमेंट परिणाम	4,400.16	-1,884.29	970.86	3,486.73
	(11045.15)	(1,371.04)	(2,629.71)	(7044.38)
ब्याज/ लाभांश आय	-	-	8,056.01	8,056.01
	-	-	(11557.50)	(11557.50)
कराधान से पहले अधिशेष	-	-	-	**11,542.74**
	-	-	-	(18601.88)
व्यय से अधिक आय	-	-	-	**11,542.74**
	-	-	-	(18601.88)
अन्य सूचनाएं				
संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट में निवेश	308.94	-	-	308.94
	(152.58)	-	-	(152.58)
सेगमेंट परिसंपत्तियां	196,082.92	1,091.81	67,897.66	265,072.39
	(84880.89)	(1066.40)	(170206.43)	(256153.72)
सेगमेंट देनदारियां	32,809.59	146.81	7,295.85	40,252.25
	(29868.44)	(594.67)	(11234.57)	(41697.68)
पूंजीगत व्यय	105,736.04	-	-	105,736.04
	(30390.50)	-	-	(30390.50)
मूल्यह्रास और परिशोधन	652.44	-	-	652.44
	(838.44)	-	-	(838.44)

टिप्पणी:

(क) अनावंटित व्यय में स्थापना और कार्यालय व्यय का 10 प्रतिशत शामिल होता है। उनके संबंधित राजस्व के आधार पर शेष को सेगमेंटों में बांटा जाता है।

(ख) अनावंटित परिसंपत्तियों और देयता में वे शामिल हैं, जिनको विशिष्ट सेगमेंट के लिए उपयुक्त रूप से पहचान करना संभव नहीं होता है।

(ग) सेगमेंट रिपोर्ट के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

प्रमुख ग्राहकों (बाहरी ग्राहकों से) के बारे में सूचना

कंपनी बाहरी ग्राहकों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं करती है, जो कंपनी के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत अथवा अधिक होता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.19 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अनुसार प्रकटन (रु. लाख में)

समूह में कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयताओं को कम करके		को समाप्त वर्ष के लाभ अथवा हानि में हिस्सा		को समाप्त वर्ष की अन्य व्यापक आय में हिस्सा		को समाप्त वर्ष की कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्ति की प्रतिशतता	राशि	समेकित आय और व्यय की प्रतिशतता	राशि	अन्य व्यापक आय की प्रतिशतता	राशि	समेकित कुल व्यापक की प्रतिशतता	राशि
मूल कंपनी								
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2019	83.91%	222,415.96	66.72%	7,877.85	99.10%	(270.58)	65.95%	7,607.27
31 मार्च, 2018	84.99%	217,696.89	72.99%	13,568.67	60.73%	6.81	72.98%	13,575.48
सहायक कंपनियां - भारतीय								
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2019	5.54%	14,690.55	14.24%	1,682.32	0.16%	(0.44)	14.57%	1,681.87
31 मार्च, 2018	5.06%	12,956.73	8.31%	1,544.00	21.98%	2.46	8.31%	1,546.46
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2019	2.64%	7,007.76	3.03%	357.67	0.00%	-	3.10%	357.67
31 मार्च, 2018	2.60%	6,651.25	5.51%	1,024.47	0.00%	-	5.51%	1,024.47
सभी सहायक कंपनियों में अनियंत्रण ब्याज								
31 मार्च, 2019	7.79%	20,649.19	16.59%	1,959.99	0.16%	(0.43)	16.98%	1,959.56
31 मार्च, 2018	7.30%	18,696.31	13.27%	2,466.63	21.11%	2.37	13.27%	2,469.00
संयुक्त उद्यम - भारतीय								
नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन								
31 मार्च, 2019	0.03%	83.26	-0.57%	(67.75)	0.58%	(1.57)	-0.60%	(69.32)
31 मार्च, 2018	0.06%	152.58	-0.07%	(13.10)	-3.82%	(0.43)	-0.07%	(13.53)
एसोसिएट - भारतीय								
जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2019	0.09%	225.68	0.05%	5.68	0.00%	-	0.05%	5.68
कुल								
31 मार्च, 2019	**100.00%**	**265,072.40**	**100.00%**	**11,815.76**	**100.00%**	**(273.02)**	**100.00%**	**11,542.74**
31 मार्च, 2018	**100.00%**	**256,153.76**	**100.00%**	**18,590.67**	**100.00%**	**11.21**	**100.00%**	**18,601.88**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.20 टी एन टी पी ओ में टी आई डी सी ओ मामला

(क) पूंजीगत व्यय के लिए प्रवर्तकों यानि आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के द्वारा खर्च की गई राशि को मानने संबंधी मुद्दे को दीर्घकालिक ऋणों वाले गैर-ब्याज के रूप में माना गया था और पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में गैर-चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया था।

दिनांक 03.12.2004 को हुई टी एन टी पी ओ की बोर्ड बैठक के अनुसार उपयुक्त 623.27 लाख रु. के गौण ऋण को टी आई डी सी ओ के लिए प्रत्येक 38.95 लाख रु. की 16 तिमाही किस्तों में भूमि विकास के पुनर्भुगतान हेतु एवं वर्ष 2014-15 से अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु पुनर्भुगतान किया जाना था।

इसी तरह, आई टी पी ओ ने 1637.48 लाख रु. व्यय किए गए थे, जिसमें से आई टी पी ओ के द्वारा 1206.39 लाख रु. केन्द्रीय ए एस आई डी ई से प्राप्त कर लिए गए थे। पूर्वोक्त बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2014-15 से आई टी पी ओ को 26.94 लाख की 16 बराबर-बराबर तिमाही किस्तों में 431.09 लाख रु. का भुगतान किया जाएगा (जो केन्द्रीय ए एस आई डी ई अनुदान को समायोजित करने के बाद प्रदर्शनी हाल सं. 1 और 2 की स्थापना करने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा निवेश किए गए थे।

उपर्युक्त के अनुसार विगत वर्ष 2017-18 के दौरान टी एन टी पी ओ ने टी आई डी सी ओ और आई टी पी ओ को क्रमशः 155.81 लाख रु. और 107.77 लाख रु. ब्याज मुक्त गौण ऋण को लौटाने के लिए दिए थे।

पट्टा :

(ख) इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) के बीच दिनांक 13.11.2000 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार टी आई डी सी ओ के द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जानी थी और भूमि विकास खर्च उठाना था तथा आई टी पी ओ के द्वारा प्रदर्शनी केन्द्र के निर्माण कार्य की देखभाल करनी थी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा खर्च 06.11.2000 के जी ओ एम. स. 568, राजस्व (एल ए 2) डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25.48 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। तमिलनाडु सरकार के एक और जी ओ एम सं. 28 दिनांक 03.02.2003 के अनुसार टी आई डी सी ओ को सौंपी गई भूमि के लिए टी आई डी सी ओ के माध्यम से 30 वर्षों के दीर्घकालिक पट्टे पर तमिलनाडु सरकार के लिए वर्ष 2001-02 से प्रतिवर्ष 100 लाख रु. बतौर पट्टा किराया भुगतान किया जाना है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक टी आई डी सी ओ के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को पट्टे किराए का भुगतान कर दिया है। इस संबंध में पट्टा विलेख टी एन टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के बीच निष्पादित किया जाना है।

इसके अलावा, टी एन टी पी ओ ने चेन्नई व्यापार केन्द्र की विस्तार परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए पत्र सं. 8427/एम आई ई-1/2015-3 - इण्डस्ट्रीज (एम आई ई-1) विभाग दिनांक 04.03.2016 के द्वारा दिनांक 24.03.2016 को 9.13 एकड़ भूमि का अधिकरण किया जाना है। उपर्युक्त 9.13 अतिरिक्त भूमि का लीज रेंट हेतु भूमि का सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।

33.21 धारित कंपनी (आई टी पी ओ) के लेखों का समूह कंपनियों के लेखों के साथ मिलान

			(रु. लाख में)
(i)	**विवरण**	**31.03.2019 को**	**31.03.2018 को**
	आई टी पी ओ के खाते में टी एन टी पी ओ को देय आधिक्य	2.76	-
	कुल आधिक्य देयता	2.76	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.22 इण्ड ए एस 112 'अन्य संस्थाओं में ब्याज का प्रकटन' के अनुसार प्रकटन

क) अनुषंगी कंपनियां

31.03.2019 को समूह की अनुषंगी कंपनियां नीचे दी हैं जब तक अन्यथा सूचित न किया जाए, तब तक उनके पास इक्विटी शेयर पूंजी है, जिसमें केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो प्रत्यक्षत: समूह के द्वारा धारित होते हैं, बराबर-बराबर वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयर समूह के द्वारा धारित होते हैं।

संस्था का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमित देश	समूह के द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मूल कार्यकलाप
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51%	51%	49%	49%	ट्रेड प्रमोशन
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51%	51%	49%	49%	ट्रेड प्रमोशन

ख) ऐसी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो गैर-नियंत्रण हित वाली हैं। प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लिए प्रकट की गई राशि अंत: कंपनी विलोपन से पूर्व की है :

(रु. लाख में)

संक्षिप्त तुलन पत्र	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
चालू परिसंपत्तियां	11,012.56	12,125.77	25,494.84	22,602.36
चालू देयताएं	201.08	1,531.14	1,208.87	999.85
निवल चालू परिसंपत्तियां	10,811.48	10,594.63	24,285.97	21,602.51
गैर चालू परिसंपत्तियां	2,926.96	2,444.76	4,757.49	3,948.04
गैर चालू देयताएं	-	-	35.08	29.70
निवल गैर चालू परिसंपत्तियां	2,926.96	2,444.76	4,722.42	3,918.34
निवल परिसंपत्तियां	13,738.44	13,039.39	29,008.38	25,520.85
गैर नियंत्रण हित (आरोप्य)	6,731.84	6,389.30	14,214.11	12,505.22

(रु. लाख में)

संक्षिप्त आय-व्यय विवरण	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
राजस्व	1,049.76	1,127.72	5,724.50	4,755.94
वर्ष का लाभ	699.05	2,006.50	3,502.05	3,142.95
अन्य विस्तृत आय	-	-	(0.87)	4.83
कुल विस्तृत आय	699.05	2,006.50	3,501.18	3,147.78
गैर नियंत्रण हित (आरोप्य)	342.53	983.19	1,715.58	1,542.41

संक्षिप्त कैश फ्लो	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
प्रचालन कार्यकलापों से केश फ्लो	(488.34)	(106.54)	1,329.33	1,486.58
निवेश कार्यकलापों से केश फ्लो	1,866.03	105.02	646.62	(3,477.65)
वित्तीय कार्यकलापों से केश फ्लो	(1,378.77)	-	65.50	989.78
नकदी और नकदी सामानों में निवल वृद्धि/ कमी	(1.07)	(1.52)	2,041.45	(1,001.29)

ग) संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट में हित (रु. लाख में)

संस्था का नाम	व्यवसाय का स्थान	समूह के द्वारा धारित स्वामित्व हित		लेखांकन पद्धति	निहित राशि	
		31-03-19	31-03-18		31-03-19	31-03-18
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंन्द्र	भारत	50%	50%	इक्विटी पद्धति	83.26	152.58
जम्मू ऐण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गनाजेशन	भारत	44%	-	इक्विटी पद्धति	225.90	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

घ) अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यम

इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में लिए गए अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यमों में समूह के हित संबंधी वित्तीय सूचना नीचे दिए अनुसार है:

		(रु. लाख में)
विवरण	31-03-19	31-03-18
अलग अलग नगण्य संयुक्त उद्यमों की ले जायी गई कुल राशि	83.26	152.58

विवरण	**31-03-19**	**31-03-18**
समूह की कुल शेयर राशि :		
वर्ष का लाभ	(67.75)	(122.08)
अन्य विस्तृत आय	(1.57)	(3.14)
कुल विस्तृत आय	(69.32)	(125.23)

एन सी टी आई की दिनांक 7.7.17 को हुई 84वीं बैठक के तहत यह निर्णय लिया गया कि एन सी टी आई के बोर्ड के निर्णय के अनुसार वाणिज्य विभाग द्वारा मंत्रिमंडल को इसे बंद करने संबंधी औपचारिकताएं शुरू की जाएं और दोनों प्रोमोटरों तथा वाणिज्य विभाग को उनके स्तर पर आवश्यक अनुमोदन लेने के लिए पत्र भेजा जाए।

ङ) एसोसिएट

		(रु. लाख में)
विवरण	**31-03-19**	**31-03-18**
एसोसिएट में निवेश की आगे ले जाई गई राशि	225.90	-

विवरण	**31-03-19**	**31-03-18**
समूह की कुल शेयर राशि		
वर्ष के लिए लाभ	5.68	-
अन्य विस्तृत आय	0.00	-
कुल विस्तृत आय	5.68	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.23 पूर्व अवधि समायोजन

(रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि की प्रकृति		राशि
01.04.2017 को प्रारंभिक धारित आय			**191,607.34**
समायोजन			**(111.82)**
01.04.2017 को पुन: सूचित प्रारंभिक धारित आय			**191,495.52**
2017-18 को समाप्त वर्ष के लिए जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के लिए पुन: सूचित व्यय से अधिक आय			**18,601.88**
कम : गैर नियंत्रित ब्याज			(2,469.00)
जोड़े : पूंजीगत आरक्षित से स्थानांतरण			5,270.84
31.3.2018 को पुन: सूचित प्रारंभिक धारित आय			**212,899.24**

31.03.2018 को समाप्त वर्ष पुन: सूचित व्यय से अधिक आय

(रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि का प्रकृति		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ में आय और व्यय विवरण (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव			
निरंतर जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के दौरान व्यय से अधिक आय			18,622.23
कर्मचारी हित व्यय			
अवकाश नकदीकरण	चूक	(2.11)	
चिकित्सा व्यय	चूक	(1.15)	
			(3.26)
अन्य व्यय			
मूल्यह्रास	चूक	1.50	
विज्ञापन	चूक	(0.12)	
कर और दरें	चूक	1.21	
प्रचार	चूक	(4.30)	
निर्माण और आंतरिक सजावट	चूक	(3.26)	
यात्रा एवं वाहन	चूक	(8.04)	
मनोरंजन	चूक	2.00	
कमीशन	चूक	(5.93)	
मरम्मत, नकदीकरण और रखरखाव	चूक	(0.15)	
			(17.09)
आय और व्यय पर निवल प्रभाव			**(20.35)**
निरंतर जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के लिए पुन: सूचित व्यय से अधिक आय			**18,601.88**

इक्विटी और ई पी एस पर पूर्व अवधि त्रुटियों का प्रभाव

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
इक्विटी में इक्विटी (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव			
अन्य वित्तीय देयताएं		5.20	
अन्य देयताएं		(27.05)	-
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण		1.50	
इक्विटी पर निवल प्रभाव		**(20.35)**	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

	ई पी एस में प्रति शेयर मूल और कम हुई आय (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव	
	विवरण	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
	निरंतर जारी प्रचालन के लिए प्रति शेयर आय	
	इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य जारी प्रचालनों से मूल लाभ	(0.00)
	इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य जारी प्रचालनों से कम हुआ लाभ	(0.00)
33.24	**पूर्व वर्ष के आंकड़े**	
	जहां कहीं जब जरूरी समझा गया, तब वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः इकट्ठा किया / पुनः व्यवस्थित किया गया है	
33.25	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2019 को अनुमोदित किए थे।	

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(राजेश अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक
पी ए एन : एबीजेडपीए5327एन

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कम्पनी
चार्टर्रित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2019

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पखवाड़ा अभियान

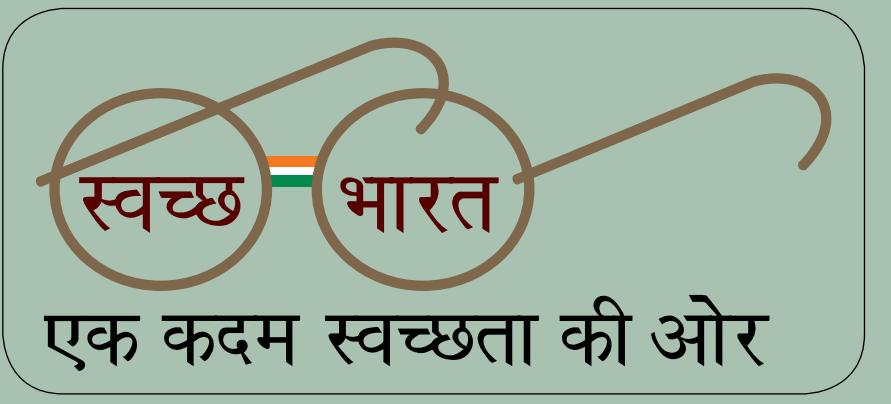

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
www.indiatradefair.com